दशम माला, खंड 21, अंक 32

सोमवार, 26, अप्रैल 1993
6 वैशाख, 1915 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

( खड 21 में अंक 31 से 40 तक हैं। )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

( मूल्य : चार रुपये )

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

# लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 26 अप्रैल, 1993 / 6 वैशाख, 1915 (शक)

का

## शुद्धि – पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| 12 | नीचे से 14 | "श्री पी॰के॰सिंह देव" <u>के स्थान पर</u> "श्री के॰पी॰ सिंह देव" <u>पढ़िए</u>। |
| 60 | 12 | "विकास निपम" <u>के स्थान पर</u> "विकास निगम" <u>पढ़िए</u>। |
| 99 | 3 | "6770" <u>के स्थान पर</u> "6710" <u>पढ़िए</u>। |
| 99 | 14 | "6771" <u>के स्थान पर</u> "6711" <u>पढ़िए</u>। |
| 110 | नीचे से 2 | "अप्रगामी योजनाएं" <u>के स्थान पर</u> "अग्रगामी" <u>पढ़िए</u>। |
| 111 | 2 | "अप्रगामी" <u>के स्थान पर</u> "अग्रगामी" <u>पढ़िए</u>। |
| 127 | 19 | "श्री खेलनराम झांगड़े" <u>के स्थान पर</u> "श्री खेलन राम जांगड़े" <u>पढ़िए</u>। |
| 151 | [illegible] 5 | "चिन्चित" <u>के स्थान पर</u> "चिंतित" <u>पढ़िए</u>। |

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 21, छठा सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 32, सोमवार, 26 अप्रैल, 1993/6 वैशाख, 1915 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 741, 743 से 745 और 751 तथा 752 | 1—21 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | 21—166 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 742, 746 से 750 और 753 से 760 | 21—34 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 6618 से 6775 | 35—166 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 166—67 |
| **लोक लेखा समिति** | |
| सैंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत | 167 |
| **रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति** | |
| पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत | 167 |
| **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** | |
| (एक) दूर-संचार शुल्क | |
| श्री सुख राम | 167—72 |
| दूर-संचार शुल्क में संशोधन के संबंध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में | 173—78 |
| (दो) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई०सी०-491 का औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होना• | |
| श्री राजेश पायलट | 203—4 |

*किसी सदस्य के नाम पर + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (तीन) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई०सी०-427 का 24 अप्रैल, 1993 को अपहरण | 204—5 |
| इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई०सी०-427 का 24 अप्रैल, 1993 को किए गए अपहरण के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में | 206—12 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 178—82 |
| (एक) मध्य प्रदेश में बिलासपुर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री खेलन राम जांगड़े | 178 |
| (दो) महाराष्ट्र—कर्नाटक सीमा विवाद को शीघ्र हल करने की आवश्यकता<br>श्री राम कापसे | 178 |
| (तीन) उत्तर प्रदेश में उत्तर और दक्षिण गोरखपुर क्षेत्र में बसे टांगिया समुदाय के लोगों को भूमि आबंटित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री पंकज चौधरी | 179 |
| (चार) असम स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता<br>श्री उद्धव बर्मन | 179 |
| (पांच) कर्नाटक को बम्बई हाई सीज, कावेरी बेसिन और गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता<br>श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा | 180 |
| (छः) महाराष्ट्र में धूले में आकाशवाणी केन्द्र को चालू करने की आवश्यकता<br>श्री बापू हरि चौरे | 180 |
| (सात) अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता<br>श्री नीतिश कुमार | 181 |
| (आठ) यमन और यदुरालंका में पुल के निर्माण के लिए अपना अंशदान देने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निदेश देने की आवश्यकता<br>श्री जी०एम०सी० बालयोगी | 181 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| बजट (सामान्य), 1993-94—सामान्य चर्चा | 182—203 और 212—231 |
| प्रो० के० वेंकटगिरि गौड | 182 |
| श्री सुधीर सावन्त | 186 |
| श्री शिवशरण सिंह | 192 |
| श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील | 197 |
| श्री श्याम बिहारी मिश्र | 212 |
| श्री मनमोहन सिंह | 217 |

# लोक सभा

———

सोमवार, 26 अप्रैल, 1993/6 वैशाख, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### मानार्थ विमान टिकट

+

*741. श्री ताराचंद खंडेलवाल :
श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1993 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कम्पलीमेंटरी एयर टिकट रैकिट बस्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है :

### विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) समाचार में निम्नलिखित घटना का उल्लेख था :

प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 10 मार्च, 1993 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर चार यात्रियों को रोका जब वे सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया उड़ान ए०आई०-404 में चढ़ रहे थे । तत्पश्चात् ली गई तलाशी के दौरान उनमें से एक यात्री के रजिस्टर्ड सामान में से लगभग 18 लाख रुपए की विविध विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी । सभी चारों यात्री इन्टरलाइन मानार्थ टिकटों पर यात्रा कर रहे थे जो एयरलाइन कर्मचारियों और उनके पात्र रिश्तेदारों के लिए होती है ।

यह आरोप है कि टिकट प्राप्त करने के लिए एयरलाइनों के स्टाफ की मिली-भगत से छल-पूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया । टिकट दो ऐसे व्यक्तियों को जारी किए गए थे जिन्हें इंडियन

एयरलाइन्स के अ-वास्तविक कर्मचारियों के पात्र संबंधियों के रूप में दिखाया गया था। अन्य दोनों व्यक्तियों को इंडियन एयरलाइन्स के एक ऐसे कर्मचारी के पात्र संबंधियों के रूप में दिखाया गया था जो अपने संबंधियों के लिए मानार्थ इन्टरलाइन टिकट के लिए हकदार नहीं है।

(ग) जांच पूरी होने तक इंडियन एयरलाइन्स के सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक और भंडार अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एयर-इंडिया ने भी इस मामले में ग्रस्त एक कार्यालय सहायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी टिकटें केवल सही व्यक्तियों को ही मिलें, बहु-स्तरीय जांच और सत्यापन की प्रक्रिया तैयार करने हेतु इन्टरलाइन टिकटों को जारी करने संबंधी प्रणाली की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

**श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में कॉम्पलीमेंटरी टिकटों में बहुत घोटाला चल रहा है। उमेश भाटिया 10 मार्च को चार अपने साथियों के साथ इंडियन एयर-लाइन्स और एयर इंडिया की कॉम्पलीमेंटरी टिकटों पर सिंगापुर के लिए रवाना हो रहा था तो उसके पास 18 लाख की विदेशी मुद्रा जिसमें यू०एस० डालर, डैच मार्क और दूसरी कंट्रीज की विदेशी मुद्रा भी थी। यह इतना भयंकर मामला है कि पिछले कई वर्षों से मिलीभगत से ये कॉम्पली-मेंटरी टिकटें कई दूसरे लोगों को दी जा रही हैं। प्रावधान यह है कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में कोई कर्मचारी हो या आफिसर हो, उसको एक टिकट फ्री और चार टिकटें 10 परसेंट या 25 परसेंट की कीमत पर मिलती हैं। उमेश भाटिया जिसके नाम पर टिकट इशू हुआ, वह स्वयं या उसका पिता एंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारी नहीं है···(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पूछिए।

**श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : मैं पहले थोड़ा बताना चाहता हूं। दूसरे को जो टिकट दिया गया, उसने भी अपने पिता का नाम जो लिखाया, वह भी कर्मचारी नहीं है बल्कि दूसरा व्यक्ति जो जा रहा था, उसने जाने से पहले एंटिसिपेटरी बेल करानी चाही जो उसे नहीं मिली। यह बात सिद्ध करती है कि इस तरह का किंग पिन का बेटा हमेशा यह काम करता रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले जितने घोटाले हो चुके हैं, क्या उन सारे कांडों को सी०बी०आई० को देने का निर्णय करेंगे? यदि हां, तो कब तक देंगे?

**श्री गुलाम नबी आजाद** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। जैसे इनका शक है, उसी तरह से मुझे भी शक लगता है। यदि एक दफा चार लोग पकड़े गए तो यह पहली दफा शायद नहीं हुआ होगा, यह शायद कई अर्से से चला हुआ होगा। इसलिए मैंने कल ही इसे सी०बी०आई० को इंक्वायरी के लिए सौंप दिया है।

**श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : बहुत धन्यवाद। जो हमारे मन में बात थी, वह आपने कर दी।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : बाकी अगर आप सप्लीमेंटरी क्वश्चन में मैंजर्स पूछेंगे तो वह मैं उसका इंटर क्वश्चन के जवाब में ही बताऊंगा। आपने अभी इतना ही पूछा है।

**श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि इसमें कुछ हाई अप्स केन्द्रीय मंत्रियों की भी सिफारिश है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह सत्य है ? अगर सत्य है, तो यह बहुत बड़ा भयंकर मामला है, इसकी आप पूरे तरीके से जांच करें। भाग "ख"—अभी तक इन कांडों में इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए का चूना लग चुका है या नुकसान हुआ है ?

**श्री गुलाम नबी आजाद** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें कुछ सीनियर लोग भी इन्वाल्व हैं। अगर यह सब मुझे जानकारी होती तो मैं सी०बी०आई० की इन्क्वायरी करता ही क्यों। यह तो सी०बी०आई० का काम है कि वह इसकी इन्क्वायरी करे। जो भी बात सामने आएगी, वह सदन के सामने रखी जाएगी। जहां तक चूना लगने की बात है, चूना तो अभी इन चार ही आदमियों ने लगाया है और कितने लोग पहले लगा चुके हैं, यह तो सी०बी०आई० के बाद ही मालूम होगा।

**श्री हरि किशोर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खंडेलवाल जी का प्रश्न बहुत ही अहम प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, काम्पलीमेंट्री टिकट की प्रथा इंडियन एयर-लाइन्स में कितने दिनों से चल रही है ? क्या यह सही है कि यह सरकार जब से आई है, काम्पली-मेंट्री टिकटों की भरमार हो गई है ? आडिनरी टिकट लेकर अपग्रेड किया जा रहा है और क्या सरकार काम्पलीमेंट्री टिकट की प्रथा को समाप्त करेगी ?

**श्री गुलाम नबी आजाद** : अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि जब से यह सरकार आई है, यह शुरू हुआ है। यह आज से नहीं है, यह कई बरसों से चल रहा है। यह फ्री कन्सैशनल ट्रांसपोरटेशन, इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन—आई० ए० टी० ए०—के रिजोलयूशन के अनुसार न सिर्फ हमारे देश में होता है, बल्कि पूरे विश्व में होता है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : मंत्री जी क्या आप अध्यक्ष महोदय को चार्ट देंगे कि पिछली सरकार ने कितने काम्पलीमेंट्री टिकट दिए और इस सरकार के आने के बाद कितने काम्पलीमेंट्री टिकट दिए गए ?

**श्री गुलाम नबी आजाद** : यह प्रश्न बिल्कुल दूसरा है, इंडियन एयरलाइन्स···

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में जो सरकारी कर्मचारी हैं, आई०ए०टी०ए० के रिजोल्यूशन के अनुसार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में यह अनुमति है कि एक दूसरे की एयरलाइन्स में जा सकते हैं, अंडर रिजोल्यूशन।

[अनुवाद]

**डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र** : मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास फिलहाल कोई प्रस्ताव है जिससे विभिन्न स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण और सत्यापन प्रणाली तैयार की जा सके कि टिकट वास्तविक व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती है।

## सरदार सरोवर परियोजना

*743. श्री नीतीश कुमार :

डॉ० चिन्ता मोहन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण नहीं लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने कुछ शर्तों पर ऋण दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1992-93 तक इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और इस परियोजना के लिए अनुमानतः कुल कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(च) सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अन्य कौन से संसाधन जुटाने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) विवरण संलग्न है ।

### विवरण

मई, 1985 में, सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना के लिए 99.7 मिलियन एस०डी०आर० की आई०डी०ए० क्रेडिट एवं 200 मिलियन अमेरिकी डालर की आई०बी०आर०डी० ऋण सहायता तथा परियोजना की नहर प्रणाली के लिए 149.5 मिलियन एस०डी०आर० की डी०ए० क्रेडिट सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 99.7 मिलियन एवं 149.5 मिलियन अमेरिकी डालर के एस०डी०आर० क्रैडिटों का जुलाई, 1992 तक पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है। 5322. मिलियन अमेरिकी डालर की कुल ऋण/क्रेडिट राशि के मुकाबले परियोजना ने पहले ही कुल मिलाकर 333.666 मिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग कर लिया है।

विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं को क्रेडिट/ऋण सहायता से संबंधित सामान्य शर्तों के अलावा सरदार सरोवर परियोजना के लिए बैंक समूह सहायता के वास्ते शर्तों में अन्य बातों के साथ ये शामिल हैं; परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना का क्रियान्वयन, योजना के अनुसार परियोजना से प्रभावित परिवारों का संतोषजनक रूप से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, यह सुनिश्चित करना कि विस्थापित व्यक्ति के विस्थापन से पूर्व के जीवनयापन के स्तर में सुधार हो अथवा कम-से-कम उसी स्तर पर लाया जाए, परियोजना से प्रभावित परिवारों को उनकी पसन्द के अनुसार गांव यूनिटों, गांव अनुभागों अथवा परिवारों के रूप में पुनः स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि परियोजना से प्रभावित परिवार, उन समुदायों, जिनके साथ उन्हें पुनर्स्थापित किया गया है, से पूर्ण रूप से जुड़ जाएं तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों को सामुदायिक सेवाओं

एवं सुविधाओं सहित उपयुक्त प्रतिपूर्ति तथा पर्याप्त सामाजिक एवं भौतिक पुनर्वास प्रदान किया जाए।

वर्ष 1986-87 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 6406.04 करोड़ रुपए है। फरवरी, 1993 तक परियोजना पर 2287.94 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। स्वतन्त्र पुनरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद पुनरीक्षा तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, विश्व बैंक ने 23-10-1992 की परियोजना के लिए सहायता जारी रखने का निर्णय किया था बशर्ते कि अप्रैल, 1993 में विशेष मिशन द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले विशिष्ठ निष्पादन बेंच मार्कों को पूरा कर दिया जाए। भारत सरकार तथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने इन लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए तत्काल उपयुक्त उपाय शुरू किए थे तथा 5 महीने के अन्दर अर्थात् मार्च, 1993 के अन्त तक उन्हें पर्याप्त रूप से पूर्ण कर दिया था। तथापि, यह देखा गया कि परियोजना पर विवाद को जटिल बनाने तथा भारत एवं विदेश दोनों में मुद्दों को राजनैतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे थे। स्थानीय गड़बड़ी पैदा करने के भी प्रयास किए गए थे। जिससे पुनर्वास एवं पुनः कार्य के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हो गए। वातावरण को और बिगड़ने से बचाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किए गए करार से अलग होने और इस परियोजना के लिए क्रेडिट/ऋण के शेष भाग की और अदायगी की मांग न करने का निर्णय किया।

भारत सरकार तथा भागीदार राज्यों की राज्य सरकारें कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए समुचित विकल्पों के माध्यम से आवश्यक निधियों को जुटाने के वास्ते वचनबद्ध हैं। हाल ही में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पुनरीक्षा समिति ने इस मामले की पुनरीक्षा की तथा विश्व बैंक के साथ किए गए करार से अलग होने के कारण निधियों की कमी की प्रतिपूर्ति के लिए परियोजना प्राधिकारियों को अपेक्षित निधियां मुहैया कराने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह कितना महत्त्वपूर्ण सवाल है, स्वयं मंत्री महोदय को सदन में होना चाहिए था, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। इनको अनुमति तो होगी और आपको नोटिस दिया हुआ होगा। लेकिन यह कितना गम्भीर सवाल है, और सरकार का क्या रखा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक धनराशि कहां से जुटाई जाएगी ? गुजरात सरकार ने नर्मदा प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए एक योजना बनाकर के केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की फंडिंग के लिए एक योजना बनाकर के केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की है। उस योजना के अन्तर्गत आफ-शोर-गुजरात-डवेलपमेंट बांड जारी करने का विचार रखते हैं। उम्मीद है, गुजराती मूल के अप्रवासी भारतीय एन०आर० आईज इस बांड को खरीदेंगे केन्द्रीय सरकार को गारण्टी देनी होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नर्मदा प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जो धनराशि देनी थी, उसका आधा हिस्सा उन्होंने दिया है। पूरी धनराशि प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और पिछले सप्ताह जो नर्मदा कंट्रोल अथारिटी की बैठक हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए और उसके नतीजे क्या हैं।

[अनुवाद]

**श्री पी०के० थुंगन** : जब इस परियोजना को हाथ में लिया गया था, तो उस समय यह निर्णय लिया गया था कि संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होगी और

तदनुसार ही राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी को आपस में मिलकर उठा रही हैं। हाल ही में पुनरीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम विश्व बैंक से ऋण नहीं ले रहे हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी को निभाएंगी और अपने हिस्से की राशि का अंशदान करेंगी।

जहां तक गुजरात सरकार के प्रस्ताव का संबंध है, इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। यह प्रस्ताव एक बार हमारे आ जाने पर एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय होने के कारण हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर को दोहराने की जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा था नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की पिछले सप्ताह की बैठक में क्या निर्णय लिए गए और उसके नतीजे क्या हैं। दूसरी बात मैंने पूछी थी कि जिन 3 राज्यों ने आधी धनराशि दी है, उनसे पूरी धनराशि प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि यह फाइनांस मिनिस्ट्री के हाथ में है या प्रपोजल आया है या नहीं, इसके बारे में कुछ बताते हैं, अध्यक्ष महोदय, इतना सेंसिटिव प्रश्न है और इसका जवाब ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

**श्री पी० के० चुंगन** : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया है कि पिछले सप्ताह पुनरीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि हम विश्व बैंक से ऋण नहीं ले रहे हैं इसलिए पूंजी का वह भाग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इस बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति हुई थी।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह जो विश्व बैंक से पैसा नहीं लेने का फैसला है, यह भी फेस सेविंग डिवाइस है, विश्व बैंक पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसको विद्ड्रा करने का विचार वहां चल रहा था। मूल समस्या इस विवाद में है पुनर्वास की और पर्यावरण की। वहां पर जो लोग विस्थापित होंगे या डूब क्षेत्र में आएंगे, इननंडेटेड होंगे तो वे गांव डूब क्षेत्र में पड़ेंगे, वहां के जो मूल निवासी विस्थापित होंगे, उनके पुनर्वास के लिए क्या योजना सरकार के पास है और जो अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड पुनर्वास के हैं, उनके हिसाब से क्या योजना सरकार ने बनाई है और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कितना पैसा आवश्यक होगा और क्या उसका प्रावधान इस प्रोजेक्ट में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितनी बड़ी इरीगेशन स्कीम्स बनी हैं, उनमें पुनर्वास की समस्या अभी तक लटकी हुई है। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि इस प्रोजेक्ट में डूब में पड़ने वाले 18-20 गांव लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत कहते हैं कि हम नहीं हटेंगे, हमें पानी से डुबा दीजिए, लेकिन हम हटेंगे नहीं। उन लोगों के सेटिसफेक्शन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या व्यापक योजना बनाई है और अगर बनाई है तो उसमें कितना खर्च आएगा, इसके बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी भी आ गए हैं, आप उनसे जवाब दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

**श्री पी० के० चुंगन** : अध्यक्ष महोदय, अगर नीतीश जी संक्षेप में जवाब चाहते हैं तो मैं

कहूंगा कि हां, प्रावधान है, और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे विस्तार से बता सकता हूं।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस बारे में बोल सकते हैं परन्तु बहुत अधिक नहीं।

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां तक इस परियोजना का संबंध है इस संबंध में बहुत अधिक आलोचना हुई है। जिन मुख्य बातों को लेकर इसकी आलोचना हुई थी उनमें से एक यह है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और उनकी पुनःस्थापना की कोई औचित्यपूर्ण योजना नहीं है।

(ख) राज्य की पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति के प्रावधान अपर्याप्त हैं और वे संतोषजनक नहीं हैं;

(ग) इस योजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है;

(घ) वनों के डूब जाने से पर्यावरण को बहुत हानि होगी; और

(ङ) इस परियोजना के कारण पानी का जमाव होगा और एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी खारा हो जाएगा जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अन्य नुकसान होंगे। ...(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री जी, वह पुनर्वास के संबंध में जानकारी चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्वास की कोई योजना है और क्या इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया गया है।

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, उन्होंने कुछ समस्याएं उठाई हैं और कुछ आलोचनाएं भी की हैं।

उसमें से पुनर्वास और पुनःस्थापना एक बात थी जिसमें कुछ बदलाव हुआ है। अब मैं आलोचना पर आ रहा हूं। आलोचनाएं क्या थी वो मैं बता चुका हूं। महोदय, जैसाकि हम सब को ज्ञात है और इस आलोचना के उत्तर के लिए भी यह बात जरूरी है कि जहां तक गुजरात का संबंध है यह परियोजना गुजरात के साथ-साथ देश के लिए भी अत्यधिक लाभदायक होगी। उसके बाद परियोजना शुरू करते समय परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देते समय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देते समय इन सभी पहलुओं पर योजना आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा बारीकी से विचार किया जाता है और उसके बाद इसको मजूरी दी गई थी और उसके बाद ही यह परियोजना आरम्भ हुई थी। जब यह परियोजना आरम्भ हुई थी उस समय हमारे इर्द-गिर्द के लोगों ने और विदेशों में रह रहे लोगों ने, उन लोगों ने जो देश के विकास मे रुचि नहीं रखते हैं, हमारी परियोजनाओं में खामियां ढूंढनी शुरू कर दी और उन्होंने इसी आधार पर हम पर दोषारोपण करना आरम्भ कर दिया। इसका एक कारण लोगों की भावनाओं को भड़काना है, इसके लिए वह कह रहे हैं कि हम लोगों का पुनर्वास ठीक से नहीं कर रहे हैं। विस्थापितों और जनजातीय लोगों का पुनर्वास ठीक नहीं किया जा रहा है और इसी तरह की बातें की जा रही हैं।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : पुनर्वास के लिए कितने पैसों का प्रबंध किया है। जो डूबने के लिए तैयार हैं उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, मैंने आपकी अनुमति ले ली है : पोलिटिकल क्वेश्चन करोगे तो पोलिटिकल स्पीच होगी। टैक्नीकल क्वेश्चन करोगे तो टैक्नीकल रिप्लाई आएगा।

[अनुवाद]

**श्री हरि किशोर सिंह** : उस स्थिति में आपके वरिष्ठ मंत्री को उत्तर देना था। वह यहां पर नहीं थे। अब वह आ गए हैं, उन्हें उत्तर देने दें।...(**व्यवधान**)...

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में मेरे पास जानकारी है। परन्तु सभी सुविधाओं को फिर पढ़कर सुनाना बहुत लम्बी बात हो जाएगा।...(**व्यवधान**)...

**श्री नीतीश कुमार** : मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए और यह बताइए कि आप इस पर कितनी राशि व्यय करने जा रहे हैं। ब्यौरा आप उन्हें लिखकर भेज सकते हैं।

(**व्यवधान**)

**श्री पी० के० थुंगन** : इसमें तीन राज्य सरकारें मुख्य रूप से शामिल हैं। पुनर्वास में राजस्थान शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पुनर्वास और पुनःस्थापना में शामिल हैं। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद राज्य सरकारों ने अपनी पुनर्वास योजनाएं तैयार की हैं।"

मैं एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाता हूं अन्यथा इसमें बहुत समय लग जाएगा।

"उसके समान न्यूनतम दो हेक्टेयर और अधिकतम आठ हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है...।

नलकूपों और अन्य तरीकों से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी सहायता भी दी जाती है। यदि सिंचाई संभव नहीं है तो कम से कम चार हेक्टेयर भूमि प्रदान की जाएगी। यह बात मध्य प्रदेश के बारे में थी।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें संक्षेप में यह बताइए कि आप उन्हें भूमि देंगे, उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, सरकार उन्हें रोजगार देगी, शिक्षा देगी और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी या उसका सारा खर्च दिया जाएगा। आप उन्हें विस्तृत जानकारी बाद में भेज सकते हैं।

**श्री पी० के० थुंगन** : मैं इसी तरह बताऊंगा,...(**व्यवधान**)... उन्हें भूमि, मकान, शिक्षा सुविधाएं, पीने का पानी और समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस विशेष वर्ग के सांस्कृतिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा।

**श्री नीतीश कुमार** : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपका उनके पुनर्वास और पुनःस्थापना पर ठीक-ठीक कितना धन व्यय करने का विचार है।

**श्री पी० के० थुंगन** : मैं आपको खर्च की जानी वाली राशि बताने के लिए भी तैयार हूं।

आपने मुझे न तो उत्तर देने दिया और न ही आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं। आप केवल प्रश्न कर रहे हैं आप उत्तर सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं।

पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए कुल 317 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है, इसमें 28 करोड़ रुपए गुजरात को दिए जाएंगे। महाराष्ट्र को 24 करोड़ और मध्य प्रदेश को 265 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही नहीं है कि विश्व बैंक ने यह पैसा नहीं देने का फैसला 29 मार्च को, जब पार्लियामेंट की यहां बैठक हो रही थी, वाशिंगटन में पत्रकार परिषद में लिया और कहा कि हम जो पैसा नर्मदा के लिए देने वाले हैं वह खत्म कर रहे हैं, आगे नहीं देंगे आपने जैसे यह दर्शाया कि हमने इनीशिएटिव लिया कि हम आगे पैसा नहीं लेंगे, जबकि पहले ही उनका फैसला हो चुका था कि हम पैसा नही देंगे ? दूसरा प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन की तरफ से वहां लगातार जो आन्दोलन कई सालों से चला उन आन्दोलनकारियों से ईमानदारी से बातचीत करके वहां की समस्याओं को उन्होंने उठाया और उसमें सही रास्ता निकालने की बात हुई होगी, हमें कोई आपत्ति इसमें दिखाई नहीं देती। विश्व बैंक ने मॉज कमेटी, स्वतन्त्र कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराई थी और शर्तें रखी थीं कर्ज देने के लिए कि जिनकी जमीन जा रही है उनके रिहेबिलिटेशन का सही इन्तजाम करेंगे, उस कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दी और सात-आठ महीने पहले वह रिपोर्ट आपके पास आई उसमें इस बात की सिफारिश स्पष्ट तौर पर की थी कि आपकी तरफ से एक भी शर्त का पालन नहीं हुआ। उसके बाद पैसा लेने की बात हुई है। क्या सरकार उस मॉज कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करेगी, उसकी शर्तों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समिति ने जो सिफारिश की थी कि बैली से लेकर नर्मदा इलाके में जहां-जहां लोगों की जमीन जा रही है उनके पुनर्वास के कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए आप तैयार हैं ? तथा बगैर विदेश से पैसा लिए हुए अगर आप इस योजना को पूरा करेंगे तो कितने सालों में करेंगे और कहां से पैसे का इंतजाम करेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री पी० के० थुंगन :** वह वरिष्ठ सहयोगी से उत्तर चाहते हैं, वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं परन्तु पहले मुझे भी ब्रेडफोर्ड मोर्स द्वारा रखी गई शर्तों के बारे में पूछे गए अन्तिम प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

**श्री हरि किशोर सिंह :** वह कौन हैं ?

**श्री पी० के० थुंगन :** वह विश्व बैंक द्वारा गठित समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। वह जून में यहां आए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हमने वह रिपोर्ट पढ़ ली है और तदनुसार ही हमने कार्य किया है। हमने उसमें निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** अध्यक्ष जी, पहले तो जो चीज हम जानना चाहते हैं उसका जवाब तो दें।

[अनुवाद]

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, यह क्या है ? मुझे अपना उत्तर पूरा नहीं करने दिया जा रहा है ।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : इस जवाब पर मुझे प्रीवलेज उठाने का मौका दीजिएगा ।

[अनुवाद]

**श्री पी० के० थुंगन** : पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : इतने पर ही आमतौर पर आप इजाजत नहीं देते हैं कि प्रश्नकाल पर गलत बात कही जाती है । यह बात गलत है, इसलिए मैं

**श्री पी० के० थुंगन** : गलत बात कौन करता है ? सही बात कौन कहता है, यह सदन को मालूम है ।*

[अनुवाद]

कृपया मुझे चलाने की कोशिश मत कीजिए ।···(**व्यवधान**)···

मैं इसे चुनौती देता हूं । आप मुझे चला नहीं सकते हैं । मैं सभा का समय बरबाद नहीं करता हूं ।···(**व्यवधान**)···पहले मुझे अपना उत्तर पूरा करने दें ।···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

**श्री राजवीर सिंह** : अध्यक्ष जी, आप इस पर व्यवस्था दें, मंत्री जी इस पर क्षमा मांगें ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : प्लीज, आप बैठ जाइए । इससे मुझे निपटने दीजिए । मंत्री जी, पहले आप शान्त हो जाइए । दूसरी बात यह है कि आपने जो टिप्पणी की है मैं उसको निकाल रहा हूं ।

**श्री पी० के० थुंगन** : मैं शान्त हो गया हूं । परन्तु वे काफी समय से मुझ पर बरस रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें लापरवाही से नहीं लिया जा रहा है । आप कृपया गंभीरता से उत्तर दीजिए ।

**श्री पी० के० थुंगन** : केवल तीन शर्तों को ही हम कुछ हद तक पूरा नहीं कर पाए हैं । वह ये हैं कि वह प्रभावित व्यक्तियों के बारे में पूरे आंकड़े चाहते हैं ।

गुजरात सरकार इन आंकड़ों को तैयार कर रही है और वह इसको पूरा करने वाली है । उसके बाद उन्होंने 2,000 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश सरकार से मांगी है और मध्य प्रदेश सरकार उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह भूमि प्राप्त होने ही वाली है । तीसरी बात यह

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

है कि 1,500 हेक्टेयर वन भूमि को अनआरक्षित की जानी थी। इस संबंध में महाराष्ट्र और पर्यावरण मन्त्रालय के बीच चर्चा चल रही है।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : अध्यक्ष जी, कोई जवाब ही नहीं आया। हमने पूछा कि क्या यह बात सही नहीं है कि विश्व बैंक ने फैसला दिया था और यह एक प्रैस कांफ्रेंस में वाशिंगटन में ऐलान 29 मार्च को किया गया। आपने 30 को यहां खड़े होकर कहा कि हमने फैसला किया है कि हम पैसा नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके बस का नहीं है, आप जवाब दें···

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है···

**जल संसाधन मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : अध्यक्ष जी, यह बात सही नहीं है कि विश्व बैंक के फैसले के बाद हमने फैसला लिया। फैसला तो इसका पहले ले लिया गया था। वाशिंगटन में हमारे एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने विश्व बैंक को बता दिया कि हमने यह फैसला लिया है कि उनकी बची हुई रकम का उपयोग नहीं करेंगे। उसके दो दिन बाद विश्व बैंक की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने भारत के इस जवाब की समीक्षा करके उसको मंजूर किया है। यह बात सही नहीं है कि उनके फैसले के बाद हमने कोई निर्णय लिया।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, यह 20 हजार करोड़ रुपये का प्रॉजेक्ट है और मैं समझता हूं कि हमको याद है कि हमारे समय में महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री ने एक बैठक बुलायी थी जिसमें मैं भी गया था। सबसे बड़ा प्रश्न रि-हैब्लिटेशन का है कि उनको कहां बसाया जाए? जो ट्राईब्ल या गरीब लोग हैं, वे अपनी जगह को छोड़कर बसने के लिए तैयार हैं लेकिन वे चाहते हैं कि उनको कहीं नजदीक बसाया जाए। हम लोगों को जो जानकारी दी गई थी कि कहीं से उठाकर उनको मध्यप्रदेश में भेजा जा रहा है, कहीं गुजरात में भेजा जा रहा है। जिसके लिए वह तैयार नहीं हैं कि पूरी की पूरी बस्ती को छोड़कर गांव को छोड़कर किसी को इधर भगा दिया जाए और किसी को उधर। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो कुल एरिया है, इसमें कितने लोग अफेक्टेड हैं और उनको कहां बसाया जा रहा है और जहां बसाया जा रहा है वहां पहले सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं या उनको कहा जा रहा है कि पहले जाओ और बाद में सारी सुविधाएं दी जाएंगी।

[अनुवाद]

**श्री पी० के० थुंगन** : जहां तक इससे प्रभावित गांवों की संख्या का संबंध है, यह संख्या 245 है तथा इससे प्रभावित परिवारों की संख्या 38044 है। यद्यपि, यह संख्या कुछ हद तक कुछ कम ज्यादा हो सकती है।

वास्तविक तौर पर पुनर्वास के बारे में संबंधित राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं तथा उठाए गए कदमों की एक लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्यगण चाहते हैं, तो मैं उन्हें यह सूची दे सकता हूं।

**श्री सुधीर गिरि** : मंत्री महोदय मुझे बताएंगे कि यदि 1986-87 के मूल्य-स्तर पर इस योजना पर 6,406.04 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान लगाया गया था, तो वर्तमान मूल्य-स्तर पर यह लागत क्या होगी ?

**श्री पी० के० थुंगन** : यह लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये होगी ।

[हिन्दी]

**श्री गाभाजी गंगाजी ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, यह गुजरात के जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने पहले विश्व बैंक की सहायता लेने से इंकार किया, उसके बाद विश्व बैंक ने कहा है कि हम सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं और सारे देश भर में इसी स्टेटमेंट की चर्चा है कि विश्व बैंक ने यह कहा है कि जिन शर्तों का पालन नर्मदा योजना के लिए करना था, तथा पर्यावरण की जो शर्त थी उसका पालन नहीं हुआ है, इसलिए सहायता देने से विश्व बैंक मना कर रहा है । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने पहले सहायता लेने से इंकार किया तो इसमें सच क्या है और क्या सच नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह सच उन्होंने बताया है । नहीं इस प्रकार नहीं ।

## दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र

*744 **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) इलाहाबाद दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र का निर्माण कार्य रोक दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र के निर्माण कार्य के कब तक पुन: आरम्भ होने की संभावना है तथा स्टूडियो केन्द्र कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

[अनुवाद]

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० के० सिंह देव)** : (क) वर्तमान में देश में 21 टी० वी० स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन हैं/स्थापित किए जाने की परिकल्पना है ।

(ख) और (ग) इलाहाबाद में स्टूडियो स्थापित करने की परियोजना विचार की उन्नत अवस्था में है । इस प्रयोजन के लिए भूमि उत्तर प्रदेश शासन से अक्तूबर, 1992 में ले ली गई है । सक्षम प्राधिकारी से परियोजना की मंजूरी मिलने के तुरन्त पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा ।

[हिन्दी]

**श्रीमती सरोज दुबे** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग ख और ग का उत्तर सही नहीं दिया गया क्योंकि मैंने तो यह पूछा था कि दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र का निर्माण कार्य क्यों रोका गया और इसका पुनर्निर्माण होने की कब तक संभावना है । मैं पूछना चाहती हूं कि इसका शिलान्यास 7 जुलाई 1990 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननीय श्री वी० पी० सिंह जी के द्वारा किया गया था और तब से पौने तीन साल से ऊपर हो गए और अभी तक वहां कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ । तो इस तरह से जहां पर एक बी० आई० पी० द्वारा शिलान्यास कर दिया गया हो वहां पर पूरी रूपरेखा तैयार की गई हो, उसके बावजूद भी शिलान्यास के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया

गया ? इसका कारण हम जानना चाहते हैं और इसके लिए अनुमानित लागत भी 1990 से 1993 में बढ़ गई होगी । आपने उसके लिए कितनी लागत निर्धारित की है, यह हम जानना चाहते हैं ।

[अनुवाद]

**श्री के० पी० सिंह देव** : मैंने कारण बता ही दिया है कि इस परियोजना के लिए स्वीकृति अभी जारी की जानी है । इसलिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन स्टूडियो केंद्र का निर्माण कार्य रोका तो बिल्कुल ही नहीं गया है, तथा यदि कोई और व्यक्ति बिना किसी बजट स्वीकृति अथवा किसी अन्य स्वीकृति के शिलान्यास करता है, तो पांच वर्षों से वहां निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता । माननीय सदस्यागण ने इस पर व्यय होने वाली लागत-राशि भी जाननी चाही है, अत: मैं यह लागत-राशि अभी बताता हूं ।

महोदय, यह सही है कि 1989 में इलाहाबाद में एक टी० वी० स्टूडियो स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई थी । लेकिन 1990 में योजना-संबंधी बाधाओं के कारण "सांस्कृतिक केंद्रों पर टी०वी० केंद्रों का स्थापित करना" नामक व्यापक-परियोजना की पूर्ण समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था और अन्ततः फरवरी 1992 में इस परियोजना का परित्याग कर दिया गया था । मैं तारीख पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसकी आधारशिला 1990 में ही दी गई थी, जबकि यह परियोजना स्वीकार भी की गई थी । आज तक भी इलाहाबाद स्टूडियो परियोजना सक्षम-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है । हम इस परियोजना को इस तथ्य को सम्मान देते हुए मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी ।

मैं इस परियोजना की लागत बताता हूं । अर्जित 2.9 एकड़ भूमि की लागत 88,39,743 रुपए है । नवीनतम प्राक्कलन के अनुसार, परियोजना लागत 17.72 करोड़ रुपए होगी जिसमें से 4.78 करोड़ रुपए निर्माण कार्यों पर तथा 12.93 करोड़ रुपये उपकरणों पर व्यय होंगे । इस परियोजना का निर्माण-कार्य रोका बिल्कुल नहीं गया है । लेकिन यह कार्य थोड़ा-सा पिछड़ गया है क्योंकि यह परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी ।

[हिन्दी]

**श्रीमती सरोज दुबे** : अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण विभाग की लापरवाही और अदूरदर्शिता का एक नमूना इलाहाबाद दूरदर्शन केन्द्र है । अभी इलाहाबाद दूरदर्शन केन्द्र स्थापित नहीं हुआ, अभी 4 दिन पहले वहां बाउन्डरी वाल की खुदाई का काम शुरू हुआ है, अभी उसकी ग्राउण्ड लेवलिंग का काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन 16 लाख रुपए उसके लिए वहां भेजे गए हैं । जब वहां अभी कोई बाउण्डरी वाल नहीं बनी है, वहां कोई भवन नहीं बना है, लेकिन फिर भी 5 करोड़ रुपए के इक्विपमैंट सैंट्स, वहां के दूरदर्शन स्टूडियो के ट्रांसमिशन सैंटर में डम्प कर दिए गए हैं जिनमें 25-25 लाख रुपये के चार कैमरे के०सी०एम०-125 वहां पहुंच गए हैं, विजन सिस्टम वहां पहुंच गया है । ये सारे इक्विपमैंट्स वहां लगभग एक साल से पड़े हुए हैं, जिनका कोई अभी इस्तेमाल नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि जब स्टूडियो का भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है, बाउण्डरी वाल भी अभी निर्मित नहीं हुई है तो आपने 5 करोड़ रुपए के इक्विपमैंट वहां किस वजह से भेजे हैं । क्या वहां उनको जंग लगने देने के लिए भेजे गए हैं ? इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि वहां जो इक्विपमैंट्स भेजे गए हैं, अब उनमें से कुछ इक्विपमैंट्स को, जो नये दूरदर्शन स्टूडियो आपके बन रहे

हैं, जैसे एक गंगटोक में बन रहा है, सिल्चर में बन रहा है, आप वहां भेजने की साजिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब वहां भवन ही नहीं बना था तो 5 करोड़ रुपये के इक्विपमैंट्स किस आधार पर वहां भेज दिए। यदि भेज दिए, तो अब उन्हें दूसरी जगह भेजने की साजिश क्यों की जा रही है। उसके बाद जब हमारा भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो आप कह देंगे कि अब इक्विपमैंट सैंट खत्म हो गए। इस तरह इलाहाबाद दूरदर्शन केन्द्र को आप बिल्कुल टालने की साजिश कर रहे हैं, यह मेरा आपके ऊपर आरोप है। आप मुझे स्पष्ट बतायें कि आपने वहां इक्विपमैंट सैंट किसलिए भेजे, क्या आपके विभाग मे ताल-मेल नहीं है, तालमेल की कमी है या 5 करोड़ रुपया आपके विभाग में बिल्कुल फालतू है कि आपने इतने मूल्य के इक्विपमैंट सैंट वहां जंग लगने के लिए भेज दिए ?

[अनुवाद]

**श्री के० पी० सिंह देव** : महोदय, मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता कि माननीय सदस्यागण की विचारधारा में षड्यंत्रकारी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा केवल इस बात को मानते हुए ही किया जा रहा है कि इलाहाबाद एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान है, इसीलिए हमने वहां एक स्टूडियो स्थापित करने की परिकल्पना की थी। सामान्यतः राज्य की राजधानी में हमारे पास टी०वी० स्टूडियो तथा कार्यक्रम निर्माण केंद्र हैं। लेकिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। मात्र इसी तथ्य को मानते हुए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, हम इस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इस परियोजना की 1992 में समीक्षा की गई थी। इसके लिए भूमि अक्तूबर में ही 16 अक्तूबर, 1992 को उपलब्ध हुई थी। अतः, भूमि उपलब्ध होने से पूर्व हम कोई कार्य कैसे कर सकते थे ? राज्य सरकार ने भूमि 16 अक्तूबर, 1992 को ही उपलब्ध करवाई थी ···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

**श्रीमती सरोज दुबे** : लेकिन जब कुछ नहीं तैयार है तो आपने इक्विपमैंट्स वहां क्यों भेजे।

[अनुवाद]

**श्री के० पी० सिंह देव** : दूसरे किसी कार्पेन्ट्री-स्कूल हेतु जो भूमि देने का वायदा किया गया था, वह भी पूर्ण रूप से दी नहीं गई है। कुछ भूमि अभी भी सौंपी नहीं गई है। हम वह भूमि भी राज्य सरकार से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, इसके साथ-ही-साथ उपकरणों की खरीद हेतु आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि हम इस विषय में देरी बिल्कुल नहीं करना चाहते। अतः, मैं माननीय सदस्यागण द्वारा लगाए गए इस आरोप की, कि 5 करोड़ रुपए के उपकरण वहां पड़े हैं अथवा नहीं, पड़ताल करूंगा। मेरे पास उपलब्ध जानकारी यह है कि उपकरणों की खरीद हेतु आदेश दे दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम इस परियोजना पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास तुरन्त जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उपकरण वहां पहुंचे हैं अथवा नहीं। मैं इस बात की जांच कर सकता हूं कि 5 करोड़ रुपए के उपकरण वहां पड़े हैं अथवा नहीं। जहां तक षड्यंत्र का संबंध है, मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि इलाहाबाद से कोई भी वस्तु किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे ही सक्षम-प्राधिकारी मंजूरी दे देंगे, उसी समय स्टूडियो के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यह मामला एक बहुत ही अग्रिम स्तर

पर विचाराधीन है। मैं तो केवल मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अभी तक, यह एक स्वीकृत परियोजना नहीं है। लेकिन इसमें काफी प्रगति हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि यह मंजूरी अति-शीघ्र मिल जाएगी और हम कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

**श्री मनोरंजन भक्त** : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में 21 टी०वी० स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन हैं। स्थापित किए जाने का विचार किया गया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 21 स्टूडियों में अत्यन्त सुदूर तथा मुख्य भूमि से अलग-थलग द्वीप समूह अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया गया है अथवा नहीं तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है।

**श्री के० पी० सिंह देव**: माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पोर्ट-ब्लेयर हेतु टी०वी० कार्यक्रम बनाने की सुविधा संबंधी केंद्र चालू किए जाने हेतु तकनीकी तौर पर तैयार हैं। जैसे ही हम वहां अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती करेंगे हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि किस तिथि से यह केंद्र कार्य करना आरम्भ कर सकता है।

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रजीत यादव** : हमारे मन्त्री जी काफी होनहार हैं लेकिन उनका इस प्रश्न का जो जवाब है, वह अन्तर्विरोध से भरा हुआ है। एक तरफ कह रहे हैं कि इलाहाबाद हमारे देश का बहुत प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्य का केन्द्र है, जो सही बात है और दूसरी बात कह रहे हैं कि—

[अनुवाद]

किसी व्यक्ति ने यह कार्य बिना स्वीकृति के किया है; यह 'किसी व्यक्ति' कोई और नहीं है, बल्कि यह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह उचित ही कार्य किया था, जिसे गत बयालीस वर्षों में नहीं किया गया था। उस स्थान की महत्ता को देखते हुए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने यह कार्य किया था।

[हिन्दी]

चूंकि आपके मन में किसी वजह से यह संकोच था कि एक प्रधानमन्त्री ने, जिनको शायद आप पसन्द नहीं करते, वहां जाकर सही बात कर दी। सरकार के आने के करीब-करीब दो वर्ष में जमीन भी एक्वायर नहीं की गई। आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, यह भी सूचित नहीं कर रहे हैं कि कैमरा और दूसरे आवश्यक सामान गए हैं कि नहीं? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कम से कम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद हमारे देश का प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्य का केन्द्र है, राजनैतिक केन्द्र को छोड़ दीजिए, जहां इस टी०वी० केन्द्र का लगना नितांत आवश्यक है, क्या आज इस बात का निश्चित जवाब देंगे, क्योंकि जमीन एक्वायर हो गई है, कि आप उसके लिए उतना धन उपलब्ध करवाकर किस समय तक उसको पूरा करने की योजना बना रहे हैं?

[अनुवाद]

**श्री के० पी० सिंह देव** : महोदय, माननीय सदस्य स्वयं केन्द्रीय मन्त्री रहे हैं। वह राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। वह जानते हैं कि केन्द्र सरकार स्वयंमेव भूमि अधिग्रहण नहीं करती। इसे राज्य सरकार की सहायता लेनी होती है। राज्य सरकार ने भूमि अक्तूबर, 1992 में

किसी समय सौंपी थी। जहां तक उपकरणों का संबंध है, जैसे ही भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई चल रही थी, उसी के साथ-साथ उपकरणों की खरीद हेतु आदेश दे दिए गए थे। आपको विदित है कि विभिन्न प्रकार की राजस्व हानियां होती हैं। भूमि अधिगृहीत करने तथा सौंपे जाने से पूर्व तीन अथवा चार चरण होते हैं। अतः, उसमें समय लगा है। मैं सभा को गलत जानकारी नहीं देना चाहता। जब माननीय सदस्य कहते हैं कि पांच करोड़ के उपकरण पड़े हुए हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उपकरण किसके हैं तथा वह उपकरण क्या क्या हैं। जब तक मैं इसका पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं सभा में गलत-रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इसीलिए, मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा। मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं कि इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण केन्द्र है, जहां पर एक टी० वी० स्टूडियो होना चाहिये—चाहे यह कार्यक्रम-निर्माण केन्द्र हो अथवा कार्यक्रम सृजन सुविधा केन्द्र। स्टूडियो के आकार के बारे में भी समीक्षा हो रही है। इसके लिए एक सक्षम-प्राधिकारी है। एक परियोजना की स्वीकृति से पूर्व विभिन्न चरण होते हैं। यह सारी कार्रवाई चल रही है तथा अतिशीघ्र इस परियोजना को मंजूरी दे दी जाएगी। सक्षम-प्राधिकारी की मंजूरी जारी होने के पश्चात् ऐसी परियोजना को पूर्ण होने में लगभग चार वर्ष लग जाते हैं।

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी एक परियोजना कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में भी स्वीकृत एवं कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय ने इस कार्यक्रम की गति को तेज करने हेतु, भूमि अधिग्रहण हेतु तथा इससे संबंधित ऐसे अन्य विषयों पर संबंधित राज्य सरकार से आगे बातचीत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस परियोजना को 1993-94 के बजट-वर्ष में शामिल किया गया है अथवा नहीं तथा यह भी बताएं कि इस कार्य को कब अन्तिम रूप दिया जाएगा।

**श्री के० पी० सिंह देव** : महोदय, जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, कर्नाटक में गुलबर्गा केन्द्र तकनीकी तौर पर तैयार है। अतः, वहां पर अपेक्षित कर्मचारीगण तैनात किए जाने हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में अभी 15 प्रतिशत की कमी है। हम संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभागों से संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि हमें अपेक्षित कर्मचारी यथाशीघ्र उपलब्ध हो सकें। अन्यथा, हम उस पर अपने संसाधनों को फैलाना नहीं चाहते। अतः, इसे एक उचित स्थिति में पहुंचाने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती की प्रतीक्षा है तथा फिर हम इस परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं।

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : मैं कर्नाटक राज्य में मैसूर के बारे में जानना चाहती हूं।

**श्री के० पी० सिंह देव** : यह इन 21 परियोजनाओं में शामिल नहीं है।

**चेक और स्लोवाक गणराज्यों को मान्यता देना**

*745. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य को मान्यता दे दी है;

(ख) क्या इन गणराज्यों के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) जी, हां। सरकार ने एक जनवरी, 1993 से चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य को मान्यता दे दी थी। यह वह तारीख है जब दोनों गणराज्य स्वाधीन बन गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) प्राग (चेक गणराज्य) में भारत के राजदूत को दोनों गणराज्यों के लिए प्रत्यायित किया गया है।

**श्री मनोरंजन भक्त** : अध्यक्ष महोदय, चेकोस्लोवाकिया ने अपने आपको आपसी सूझ-बूझ से दो गणराज्यों में विभाजित कर लिया है और दोनों देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक हैं। विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री महोदय ने फरवरी, 1993 के दौरान चेक और स्लोवाकिया, दोनों गणराज्यों का दौरा किया है और वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि एक उच्च स्तरीय अधिकारी दल आपसी समझौता, सहयोग तथा आर्थिक संबंधों के क्षेत्र का पता लगाने और उस पर चर्चा करने हेतु दोनों गणराज्यों का दौरा करेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कोई कदम उठाए गए हैं और क्या अधिकारी दल उन गणराज्यों का दौरा कर चुका है और यदि हां, तो उन्होंने क्या पाया है तथा सरकार का इस संबंध में क्या कारंवाई करने का विचार है।

**श्री आर० एल० भाटिया** : महोदय, उसके बाद कारंवाई की गई है और दो नए समझौते किए जा चुके हैं।

**श्री मनोरंजन भक्त** : महोदय, अब तक दोनों गणराज्यों ने सोलह समझौते किए हैं और रक्षा एवं आर्थिक, दोनों क्षेत्रों में नाटो (एन० ए० टी० ओ०) तथा यूरोपीय समुदाय के साथ सहयोग के इच्छुक हैं। पूर्व में भारत का चेकोस्लोवाकिया के साथ रुपया-व्यापार होता था। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस संबंध में चेकोस्लोवाकिया के साथ कोई समझौता हुआ है और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नाटो (एन० ए० टी० ओ०) देशों तथा यूरोपीय समुदाय के प्रति उनकी उत्सुकता देखते हुए क्या इसका हमारे देश के हितों पर प्रभाव पड़ेगा।

**श्री आर० एल० भाटिया** : महोदय, यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया पश्चिमोन्मुख है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा नाटो (एन० ए० टी० ओ०) के साथ उनका संबंध है। परन्तु जहां तक भारत का प्रश्न है, वे द्विपक्षीय संबंध जारी रखे हुए हैं और इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। रही बात रुपया-भुगतान समझौते की, तो हमने इस संबंध में जो नया समझौता किया है, वह दुर्लभ मुद्रा पर आधारित होगा। परन्तु जहां तक पुराने करारों का प्रश्न है, ये करार आगे भी चलेंगे और भारत उस रुपया-खाते के बदले में माल की आपूर्ति करेगा।

**दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण**

+

***751. श्री राजेश कुमार :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

**क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या फ्रांस के दूरसंचार विभाग की ओर से देश में लम्बी दूरी की संचार सेवाएं आरम्भ करने में सहभागिता हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**श्री राजेश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जो जवाब आया है, वह संतोषजनक नहीं है। इन्होंने साफ इन्कार किया है, फ्रांस सरकार से न्यू टैकनीक का कोई प्रपोजल नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, फ्रांस सरकार द्वारा भारत में कितने टेलीफोन एक्सचेंजेज लगाए गए हैं, उनका कार्यकरण कैसा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या किसी अन्य देश में भी दूरसंचार नेटवर्क में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पेश किया है ? यदि हां, तो उसका देशवार ब्यौरा क्या है, तथा इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री सुख राम** : अध्यक्ष जी, टैलीकाम्युनिकेशन का प्रश्न है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसमें लार्जर डिजिटल एक्सचेंजेज देश में भी है, उन में लेटेस्ट टैक्नालॉजी ला रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह तो फ्रांस सरकार द्वारा कोई ऐसी टैक्नालॉजी यहां देने की बात कही है। इसमें मैं माननीय सदन की सोच के लिए बताना चाहता हूं, 1992 में फ्रांस के कोस्टल और काम्यूनिकेशन मन्त्री यहां आए और भारत सरकार के मन्त्रियों की आपस में वार्ता हुई और एक ज्वांइट काम्यूनिकेशन 26-11-92 को जारी किया गया। इसमें यह तय पाया गया जो टैक्नीक है, वह टेलीकाम्यूनिकेशन में नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई कंक्रीट प्रापोजल, कोई फाइनेंशियल एसिस्टैंस का दूसरा नहीं आया है। अलबत्ता एक एस० डी० एच० इक्विपमेंट, जोकि आप्टिकल फाइबर को अपग्रेड करके सिस्टम है, आया है। वह भी मेरे मंत्रालय के विचाराधीन है। उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

**श्री राजेश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वीकार किया है कि नई तकनीक का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, बोद्धगया के एक इन्टरनेशनल प्लेस है, सरकार के पास जो नई तकनीक का प्रस्ताव आया है, क्या उसमें बोद्धगया को शामिल किया गया था ? अगर शामिल किया गया था और अगर प्रस्ताव है, तो क्या बोद्धगया में नई तकनीक लगाने का प्रस्ताव है ?

**श्री सुख राम** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा है कि नया लार्जर डिजीटल सिस्टम हमारे यहां आया है, लाया जा रहा है, तो वह बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रहेगा,

जिन शहरों की आबादी पांच लाख से ज्यादा है, उन लोगों के लिए। उसमें बोधगया कहां किस सिस्टम में आता है, जरूर बोधगया का ध्यान रखेंगे, धार्मिक स्थान है। अभी आबादी को आधार रखा गया है, बड़े-बड़े शहरों को इसमें शामिल किया गया है, उसके बाद कितने और किस आधार पर शहर लिए जाएं, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

**श्रीमती शीला गौतम** : अध्यक्ष जी, संचार मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह काफी संतोषजनक है, लेकिन पूर्ण रूप से संतोषजक नहीं है। मैं संचार मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि फ्रांस सरकार द्वारा बड़े-बड़े 4 शहरों में आधुनिकीकरण की बात की है, वह तो सही है, लेंकिन छोटे शहरों में हम लोगों को 4-5 दिन, हफ्ताभर भी लग जाता है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। इस बारे में फ्रांस सरकार से क्या सहयोग होने जा रहा है, इस बारे में जानना चाहती हूं। (व्यवधान)

क्या मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी समझ के बाहर की बात है।

**श्रीमती शीला गौतम** : मेरा प्रश्न यह है कि 4 बड़े शहरों में आधुनिकीकरण के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में किस तरह का सहयोग होगा, यह मैं जानना चाहती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का पूरा उत्तर नेगेटिव है, इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

**श्री सुख राम** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ और है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की सूचना के जरिए बताना चाहता हूं कि छोटे शहरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारे पास जो सी-डॉट टेक्नालाजी है, वह काफी उपलब्ध है और बाहर की टेक्नालॉजी का मुकाबला करती है। हमने कई क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था की है। कहीं पर अगर शिकायत है तो उन स्थानों पर देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

**जल संसाधनों का समुचित उपयोग**

+

***752. श्री आर्थ फर्नान्डीज :**

**श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

**क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) देश में जल संसाधनों के संरक्षण और समुचित उपयोग के बारे में जन चेतना जागृत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;**

**(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों से सहायता लेने का है; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?**

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) देश में जल संसाधनों के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में जन चेतना जागृत करने हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं : (i) पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जल संसाधन दिवस का आयोजन, (ii) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित करना और (iii) 12 राज्यों में गठित जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थानों के माध्यम से जल के कुशल उपयोग के लिए उचित सिंचाई प्रबन्ध के सम्बन्ध में कृषकों के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां ये हैं :

(i) पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जल संसाधन दिवस मनाना ।

(ii) उचित सिंचाई प्रबन्ध तथा जल के कुशल उपयोग में लगभग 4125 कृषकों को प्रशिक्षण ।

(iii) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 4.94 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति ।

(ग) और (घ) इंजीनियर-संस्थान, भारतीय जल संसाधन सोसाइटी, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों जैसी व्यवसायिक सोसाइटियों के सहयोग से जल संसाधन दिवस आयोजित किया जाता है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भागदारी प्रबन्ध में लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रेरित करने तथा सिंचाई प्रणाली के लघु स्तर पर पंजीकृत जल उपयोक्ता संघों के रूप में उन्हें संगठित करने के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अच्छा होता यदि हम प्रश्न इस तरह से रखते कि सरकार में इस समस्या को लेकर कितनी चेतना है । क्योंकि जो जवाब आया है, उससे लग रहा है कि सरकार को इस मामले में जितना जागृत होना चाहिए, उतनी जागृत नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को महसूस कर रही है, आज हिन्दुस्तान में जो पानी की हालत है, अगले 5-7 सालों में पानी का अकाल पड़ने वाला है, ऐसी स्थिति में हम लोग आज पहुंच गए हैं ।

देश के कई हिस्सों में विशेषकर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आज भी पानी का अकाल है और जहां पानी का राशन है और पानी को लेकर लोग एक दूसरे का कतल कर रहे हैं और क्यू में खड़े होते हैं। इस साल भी अहमदनगर और मराठवाड़ा के इलाकों में ऐसी स्थिति थी तो क्या सरकार इसमें स्वयं जागृत होकर और कोई मजबूत कदम उठाने वाली है।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, सरकार इस समस्या की गम्भीरता को भली-भांति जानती है । इसलिए, सरकार पहले ही राष्ट्रीय जल नीति तैयार कर चुकी है । उस नीति के आधार पर सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि हम उस सीमा तक प्रभावित न हों जैसे की प्रतीत होता है ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में पानी का अकाल पड़ने वाला है । यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

**श्री पी० के० चुंगन** : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है । (व्यवधान)

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### उड़ीसा में पर्यटन विकास

*742. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन विकास हेतु आठवीं योजनावधि में कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ख) आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धन का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग, पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने, मेलों और उत्सवों तथा प्रचार सहायता के लिए प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोष, आपसी प्राथमिकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है ।

[हिन्दी]

### राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिजली की सप्लाई

*746. **श्री रतिलाल वर्मा** :
**श्री देवी बक्स सिंह** :

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार 1993-94 के दौरान देश के कुछ भागों में बिजली की सप्लाई में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; क्षेत्रवार कितने प्रतिशत बिजली की कटौती की जाएगी तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बिजली की समुचित सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) द्वारा उन राज्य बिजली बोर्डों के लिए विद्युत सप्लाई में कटौती किए जाने का प्रस्ताव नहीं है जिनके द्वारा एन० टी० पी० सी० की बकाया देय राशियों का पूर्ण रूप से भुगतान किया जा रहा है । बाकीदार राज्य बिजली बोर्डों के मामले में, एन० टी०

पी० सी० के लिए उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे भुगतान के अनुरूप विद्युत सप्लाई का विनियमन किया जाना आवश्यक हो सकता है ।

(ग) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई किया जाना, संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों का दायित्व है ।

**भारत और बंगलादेश के बीच पानी का बंटवारा**

*747. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल के बंटवारे के सम्बन्ध में गठित भारत बंगलादेश के विशेषज्ञों की संयुक्त समिति (जे० सी० ई०) की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है/अथवा किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन नदियों के पानी का बंटवारा विवादित है ?

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल के बंटवारे के लिए अगस्त, 1992 में गठित भारत-बंगलादेश संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने दो बैठकें की हैं, एक नई दिल्ली में 19 से 20 नवम्बर, 1992 तथा दूसरी ढाका में 30-31 मार्च, 1993 को आयोजित की गई थी ।

(ख) से (घ) कोई करार नहीं हुआ है । जल के बंटवारे के लिए गंगा, तीस्ता और अन्य वृहद नदियों पर विचार किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन**

*748. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन के विकास की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना में अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह का उल्लेख पर्यटक गंतव्य-स्थल के रूप में किया गया है जिसका गहन विकास किया जाना है । केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना से अब तक, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह हेतु आधारभूत संरचना के विकास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 12 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है ।

निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हो गई हैं :—

1. घाट के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य ।
2. पोर्ट ब्लेयर में यात्री निवास ।
3. सेलुलर जेल में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन ।
4. हैवलॉक में यात्री निवास ।

**विवरण**

**सातवीं योजना, 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान स्वीकृत अवमुक्त परियोजनाएं/स्कीमें अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह**

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | स्वीकृत का वर्ष | स्वीकृत राशि (रु० लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | घाट के निर्माण के लिए सर्वेक्षण तथा जांच | 1985-86 | 4.48 |
| 2. | पोर्ट ब्लेयर में यात्री निवास | 1985-86 | 45.78 |
| 3. | सेलुलर जेल में ध्वनि-प्रकाश-प्रदर्शन | 1987-88 | 54.78 |
| 4. | हैवलॉक में यात्री निवास | 1988-89 | 41.44 |
| 5. | अण्डमान के लिए जल क्रीड़ा उपकरण | 1988-89 | 49.00 |
| 6. | टैंटों की खरीद | 1991-92 | 23.50 |
| 7. | भ्रमण पोत | 1991-92 | 40.00 |
| 8. | वातानुकूलित कोचों की खरीद | 1991-92 | 12.00 |
| 9. | ट्रैकिंग उपकरण | 1991-92 | 3.85 |
| 10. | टैंटों में आवास | 1992-93 | 23.50 |
| 11. | भ्रमण पोत की खरीद | 1992-93 | 40.00 |
| 12. | जल क्रीड़ा उपकरण | 1992-93 | 30.00 |
| | जोड़ : | | 368.33 |

[हिन्दी]

**अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सेवाओं में व्यवधान**

*749. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से अब तक मुम्बई, मद्रास और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में कितनी बार व्यवधान पड़ा;

(ख) इन व्यवधानों के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) 1-1-1992 से 31-3-1993 की अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों पर अन्तर्देशीय सेवाओं के मामले में इण्डियन एयरलाइन्स के रिकार्ड और अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के मामले में विमान यातायात नियंत्रण के रिकार्ड के अनुसार जिन अवसरों पर हवाई सेवाएं रद्द करनी पड़ी उनकी संख्या इस प्रकार है :—

| एयरपोर्ट | इण्डियन एयरलाइन्स | अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स |
|---|---|---|
| बम्बई | 197 | 643 |
| मद्रास | 58 | 4 |
| त्रिवेन्द्रम् | 21 | 78 |

इन उड़ानों की हड़ताल, विमानों की अनुपलब्धता, खराब मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों और कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण रद्द करना पड़ा।

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार, हवाई अड्डा सुविधाओं के आधुनिकीकरण आदि जैसे उपचारी उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

**पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार**

750. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार को बढ़ावा देने सम्बन्धी रिपोर्टों और अपने नागरिकों को दोनों देशों के बीच यात्रा न करने के सरकारी परामर्श की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रचार का विरोध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उत्तेजक एवं भड़काने वाले बयान दे रहा है तथा इसी तरह के कार्य कर रहा है। वह इसी तरह के कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कर रहा है।

पाकिस्तान की सरकार ने 2 दिसम्बर, 1992 को अपने राष्ट्रिकों के लिए एक सलाह जारी की जिसमें उनसे कहा गया कि वे भारत की यात्रा पर न जाएं।

(ग) सरकार अनेक अवसरों पर पाकिस्तान से यह कहती रही है कि वह ऐसे बयानों तथा कार्यों को न करे जिनसे शिमला समझौते तथा अन्तर्राज्यीय आचार के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदण्डों का उल्लंघन होता हो। सरकार ने इस बात के समुचित उपाय किए हैं तथा करती

रहेगी कि स्थिति को व्यवस्थित रूप में पेश किया जाए तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की स्थिति की सही परिप्रेक्ष्य में जानकारी दी जाए। अन्य विदेशी सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों को पाकिस्तान के नकारात्मक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती रहती है।

**सांस्कृतिक समझौते**

*753. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष विभिन्न देशों के साथ देशवार कितने सांस्कृतिक समझौते किए गए तथा प्रत्येक समझौते के मुख्य-मुख्य उपबंध क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सांस्कृतिक संबंधों के विकास पर इनके प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने विगत आकलन के आधार पर मित्र देशों के साथ अपनी नई सांस्कृतिक नीति बनाने में उन क्षेत्रों की भी पहचान की है जिन पर विशेष बल दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 14 सांस्कृतिक करारों और 35 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्बन्ध में विवरण का एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) अन्य देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक प्रोतोकोल का क्रियान्वयन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। किसी अन्य देश के साथ और प्रोतोकोल संपन्न करने से पहले प्रत्येक प्रोतोकोल के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को तय करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों से गहन विचार-विमर्श के पश्चात् ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाता है। प्रत्येक नवीकृत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाता है और उसमें आदान-प्रदान की केवल वहीं मदें निहित होती हैं जिनके सम्बन्ध में एजेंसियां यह समझती हैं कि उनसे मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों में रूचि के विशेष क्षेत्र परिलक्षित होते हैं जैसे कि उच्च शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेल कूद, पर्यटन, चलचित्र, जन प्रचार इत्यादि।

विवरण

| क्रम सं० | देश | हस्ताक्षर का स्थान | हस्ताक्षर की तारीख | अवधि | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम | | |
| | | | (1990) | | |
| 1. | क्यूबा | नई दिल्ली | 10-4-90 | 1990-92 | कला और संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान संबंधी फिल्में, जन-प्रचार, खेलकूद और पर्यटन |
| 2. | पुर्तगाल | नई दिल्ली | 4-5-90 | 1990-92 | —वही— |
| 3. | रवान्डा | नई दिल्ली | 13-6-90 | 1990-92 | —वही— |
| 4. | अफगानिस्तान | नई दिल्ली | 30-8-90 | 1990-92 | —वही— |
| 5. | जाम्बिया | लुसाका | 20-12-92 | 1991-92 | —वही— |
| 6. | यूगोस्लाविया | नई दिल्ली | 4-4-90 | 1990-92 | —वही— |
| | | | (1991) | | |
| 7. | घाना | नई दिल्ली | 4-1-91 | 1991-93 | —वही— |
| 8. | तंजानिया | दार-ए-सलाम | 4-2-91 | 1991-92 | —वही— |
| 9. | चीन | नई दिल्ली | 12-3-91 | 1991-93 | —वही— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | हंगरी | नई दिल्ली | 10-4-91 | 1991-93 | कला और संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान संबंधी फिल्में, जन-प्रचार, खेलकूद और पर्यटन |
| 11. | पेरू | लीमा | 14-4-91 | 1991-92 | —वही— |
| 12. | उत्तरी कोरिया | नई दिल्ली | 8-5-91 | 1991-92 | —वही— |
| 13. | मंगोलिया | उलान बटोर | 9-7-91 | 1991-93 | —वही— |
| 14. | कोलम्बिया | नई दिल्ली | 7-8-91 | 1991-93 | —वही— |
| 15. | श्रीलंका | कोलम्बो | 8-10-91 | 1992-94 | —वही— |
| 16. | ईरान | तेहरान | 11-11-91 | 1991-94 | —वही— |
| 17. | बहरीन | बहरीन | 23-11-91 | 1991-94 | —वही— |
| 18. | जिम्बाब्वे | नई दिल्ली | 12-11-93 | 1992-94 | —वही— |
| | | | (1992) | | |
| 19. | मिस्र | काहिरा | 15-1-92 | 1992-95 | —वही— |
| 20. | तुर्की | नई दिल्ली | 29-1-92 | 1992-94 | —वही— |
| 21. | वियतनाम | नई दिल्ली | 25-3-92 | 1992-94 | —वही— |
| 22. | नाइजीरिया | लागोस | 18-4-92 | 1992-94 | —वही— |
| 23. | बंगलादेश | नई दिल्ली | 27-5-92 | 1990-92 | —वही— |
| 24. | फिनलैंड | नई दिल्ली | 16-9-92 | 1993-95 | —वही— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | फ्रांस | पेरिस | 16-10-92 | 1993-95 | कला और संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान संबंधी फिल्में, जन-प्रचार, खेलकूद और पर्यटन |
| 26. | कजाकिस्तान | — | 0-10-91 | 1992-94 | —वही— |
| 27. | किर्गिजस्तान | — | 0-10-92 | 1992-94 | —वही— |
| 28. | तुर्कमेनिस्तान | अशगाबात | 10-10-92 | 1992-94 | —वही— |
| 29. | उजबेकिस्तान | ताशकंद | 12-10-92 | 1992-94 | —वही— |
| 30. | बेलज्यिम | ब्रुसेल्स | 21-10-92 | 1993-95 | —वही— |
| 31. | मालदीव | नई दिल्ली | 24-12-92 | 1992-94 | —वही— |
| 32. | फिलीपीन्स | पेसी सिटी | 29-12-92 | 1990-93 | —वही— |
| | | | **(1993)** | | |
| 33. | स्पेन | नई दिल्ली | 8-2-93 | 1993-95 | —वही— |
| 34. | इटली | रोम | 26-2-93 | 1993-96 | —वही— |
| 35. | सिंगापुर | नई दिल्ली | 23-3-93 | 1993-95 | —वही— |

| क्रम सं० | देश | हस्ताक्षर की तारीख | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|---|
| | | **सांस्कृतिक करार** | |
| 1. | नामीबिया | 25-1-91 | कला और संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान, फिल्में, जन-प्रचार, खेलकूद और पर्यटन । |
| 2. | ओमान | 3-8-91 | —वही— |
| 3. | उजबेकिस्तान | 17-8-91 | —वही— |
| 4. | माल्टा | 14-1-92 | —वही— |
| 5. | कजाकिस्तान | 22-12-92 | —वही— |
| 6. | किर्गिजस्तान | 14-3-92 | —वही— |
| 7. | उक्रेन | 27-3-92 | —वही— |
| 8. | तुर्कमेनिस्तान | 20-4-92 | —वही— |
| 9. | सूरीनाम | 22-9-92 | —वही— |
| 10. | जमैका | 5-10-92 | —वही— |
| 11. | चिली | 13-1-93 | —वही— |
| 12. | रूस | 28-1-93 | —वही— |
| 13. | ताजिकिस्तान | 15-2-93 | —वही— |
| 14. | मालदोवा | 19-393 | —वही— |

[हिन्दी]

**दूरसंचार विभाग में दिहाड़ी पर काम करने वाले व्यक्ति**

*754. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में अनेक व्यक्ति दस वर्षों से भी अधिक समय से दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस व्यक्तियों को नियमित करने हेतु बहुत पहले सरकार को कोई निर्देश जारी किए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त व्यक्तियों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन व्यक्तियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी नहीं, 31-3-85 तक नियुक्त दिहाड़ी मजदूरों को, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर नियमित कर दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1. नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर मजदूरी का भुगतान करना।

2. एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों का यथासंभव आमेलन (एब्जार्ब) करने के लिए युक्तिसंगत आधार पर एक योजना तैयार करना।

(घ) ऊपर (क) के अनुसार।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, 31-3-85 के बाद रेलवे विद्युतीकरण सर्किल में समाक्ष केबलों को बिछाने और उखाड़ने/लाइनों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में मजदूरों को लगाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। रेलवे विद्युतीकरण सर्किल दिनांक 22-6-88 को यह पाबंदी लगाई गई थी।

(च) 31-3-85 तक नियुक्त और प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की तारीख को 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके नैमित्तिक मजदूरों को नियमित बना दिया जाएगा और इस प्रकार 31-3-95 तक उनका नियमितीकरण हो जाएगा।

[अनुवाद]

**पाकिस्तान की वीसा-नीति**

*755. **श्री रवि राय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की प्रतिबन्धात्मक वीसा नीति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बीसा और वाणिज्य दूत से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के उप आयोग-चार की बैठक बुलाने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के लिए बीजा पद्धति प्रतिबन्धित करने की घोषणा की है जिससे पहले वीजा आवेदकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों अथवा प्रायोजकों से प्रायोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त करें और दूसरे, भारतीय राष्ट्रिकों के वीजा आवेदन-पत्रों का पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा पूर्व-सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने वीजा शुल्क और वीजा अवधि बढ़ाने के शुल्क, दोनों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

(ख) और (ग) हाल ही में हमने अनेक अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान को भारत-पाक संयुक्त आयोग के चौथे उपायोग जो वीजा और कोंसली संबंधी अन्य मामले देखता है, की एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। इस संबंध में हमारा अन्तिम प्रस्ताव 22 फरवरी, 1993 को है। हम पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

## गुजरात में पर्यटन

*756. **श्री काशी राम राणा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन कार्य योजना के अंतर्गत गुजरात में किन-किन स्थानों पर पर्यटन सर्किट और पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस हेतु कितना धन आबंटित करने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत, गुजरात में कोई पर्यटक परिपथ या गंतव्य-स्थल विकास के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता के लिए धन का आवंटन राज्य-वार निर्धारित नहीं किया गया है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार पर्यटकों की आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, मेलों और उत्सवों तथा प्रचार-सहायता के लिए राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, वित्तीय सहायता देती है।

[हिन्दी]

## विद्युत परियोजनाएं

*757. **श्री श्रीकांत जेना** :

**श्री खेलन राम जांगड़े** :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में कुछ विद्युत परियोजनाओं को आरम्भ करने में बिलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाए गए या अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय कौन-कौन से हैं ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में निधियों की कमी के कारण विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ वे निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) | स्वरूप |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **उड़ीसा** | | |
| 1. | इब घाटी फेज-2 यूनिट 3 व 4 | 2×210=420 | ताप विद्युत |
| 2. | अपर इन्द्रावती | 4×150=600 | जल विद्युत |
| 3. | पोतंग | 2×3 =6 | जल विद्युत |
| 4. | बलीमेला-2 | 2×60 =120 | जल विद्युत |
| | **मध्य प्रदेश** | | |
| 5. | पेंच, यूनिट 1 व 2 | 2×210=420 | ताप विद्युत |
| 6. | संजय गांधी विस्तार यूनिट-3 | 1×210=210 | ताप विद्युत |
| 7. | बीर सिंहपुर यूनिट-4 | 1×210=210 | ताप विद्युत |
| 8. | कोरबा वैस्ट, यूनिट 5 व 6 | 2×210 =420 | ताप विद्युत |
| 9. | बाणसागर टौन्स, फेज-2<br>फेज-3 | 2×15 =30<br>3×20 =60 | जल विद्युत |
| 10. | हसदेओ बांगो | 3×40 =120 | जल विद्युत |
| 11. | टावा एलबीसी | 2×6 =12 | जल विद्युत |
| 12. | राजघाट<br>(उ०प्र० : म०प्र०—50 : 50) | 3×15 =45 | जल विद्युत |
| | **बिहार** | | |
| 13. | तेनुघाट स्टेज-2<br>यूनिट-3, 4 व 5 | 3×210=630 | ताप विद्युत |
| 14. | कोयल कारो | 4×172.5+<br>1×20=710 | जल विद्युत |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | पूर्वी गंडक | 3×5=15 | जल विद्युत |
| 16. | सोन पश्चिमी कैनाल यूनिट-3 | 1×1.65=1.65 | जल विद्युत |
| 17. | उत्तरी कोयल | 2×12=24 | जल विद्युत |
| 18. | चांडिल | 2×4=8 | जल विद्युत |

स्वदेशी संसाधनों के आबंटन को उच्च प्राथमिकता देने के अलावा विदेशी सहायता एवं परियोजनाओं को निजी क्षेत्र सहभागिता हेतु प्रस्तावित किए जाने सहित अन्य वित्तपोषण संबंधी संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

**डाक और तार विभाग की भूमि पर अतिक्रमण**

*758. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डाक तार विभाग की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामलों में अतिक्रमण हटाया गया है और कितने मामलों में अभी अतिक्रमण हटाया जाना शेष है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) में दिए उत्तर को मध्य नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं**

*759. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
**श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) राज्य में उन चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो विदेशी सहायता से चल रही हैं तथा जिनके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है;

(ग) अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने अब तक कितनी विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर की है तथा पृथक्-पृथक् कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जानी है ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (घ) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित विद्युत

उत्पादन क्षमता 1624.55 मे०वा० थी, जिसमें लघु जल विद्युत परियोजनाओं की 35 मे०वा० क्षमता शामिल है।

राज्य में विदेशी सहायता से निर्माणाधीन विद्युत परियोजना जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यक है, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अनपारा "ख" ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मे०वा०) है।

अतिरिक्त सहायता हेतु अनुरोध करने का उद्देय संसाधनों की कमी को पूरा करना है।

कोई नहीं।

[अनुवाद]

**पर्यटन के लिए राष्ट्रीय योजना**

*760. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन हेतु बनाई गयी राष्ट्रीय कार्य योजना में किन्ही यात्रा सर्किल क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत सत्रह यात्रा परिपथों/गंतव्य-स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है ताकि उनका गहन विकास किया जा सके। इन परिपथों/गंतव्य-स्थलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**आन्ध्र प्रदेश**

1. हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरुपति

**हिमाचल प्रदेश**

1. कुल्लू-मनाली-लेह
2. मनाली (सोलांग नाला)
3. कांगड़ा (पोंग बांध)

**कर्नाटक**

1. बंगलोर-मैसूर-हसन

**केरल**

1. बेकल बीच

**मध्य प्रदेश**

1. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो

2. इंदौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-माण्डु

**महाराष्ट्र**

1. रायगढ़ दुर्ग-जंजीरा दुर्ग-कुडा गुफाएं-श्रीवर्धन-हरिहरेश्वर-सिंधुदुर्ग

**उड़ीसा**

1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क

**राजस्थान**

1. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर

**तमिलनाडु**

1. मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी
2. मुत्तुकाडू तट

**उत्तर प्रदेश**

1. ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ

**पश्चिम बंगाल/सिक्किम**

1. बागडोगरा-सिक्कम-दार्जिलिंग-कालिम्पोंग

लक्षद्वीप द्वीपसमूह

अण्डमान द्वीपसमूह

**पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अमरीका की रिपोर्ट**

6618. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में हिन्दू सहित अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के संबंध में अमरीका के विदेश विभाग की हाल की रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार ने "कन्ट्री रिपोर्ट्स आन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसिस फार 19992" पर संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट देखी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जारी है।

(ख) सरकार का विचार है कि पाकिस्तान की सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक भी शामिल हैं।

**पायलेटों का पारिश्रमिक**

6619. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी एयरलाइनों के पायलटों की तुलना में इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को सबसे अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों का पारिश्रमिक उत्पादोन्मुख बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर पायलेटों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) निजी एयरलाइनों के विमानचालकों को दी जाने वाली वास्तविक परिलब्धियों की जानकारी नहीं है इस कारण कोई निश्चित तुलना करना कठिन है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स प्रबन्धक-वर्ग ने प्रस्ताव किया है कि भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ परामर्श करके उत्पादकता-सम्बद्ध योजना तैयार की जाए, जिसके तहत् परिलब्धियों में वृद्धि को अतिरिक्त उड़ान घंटों और अवतरणों की संख्या के साथ जोड़ा जा सकता है। उक्त प्रस्ताव के संबंध में भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ चर्चा की जानी है।

**श्री सैलम विद्युत संयंत्र**

6620. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम विद्युत संयन्त्र के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितना धन प्राप्त होगा; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) और (ख) जी, हां। जापान ने ओ०ई०सी०एफ० के अन्तर्गत 26101 मिलियन येन का एक ऋण स्वीकृत किया है। इस ऋण का ब्यौरा निम्नवत है :—

| | (मिलियन येन) |
|---|---|
| (1) विद्युत उत्पादन यूनिटों का विदेशी मुद्रा वाला हिस्सा अन्य संबंधित उपस्कर एवं सेवा और सिविल कार्य | 18,025 |
| (2) सिविल कार्यों का स्थानीय मुद्रा वाला हिस्सा | 7,830 |
| (3) परामर्शी सेवाएं | 246 |
| जोड़ : | 26,101 |

(ग) अद्यतन कार्यक्रम के अनुसार (6×150 मे०वा०=900 मे० वा०) अधिष्ठापित क्षमता वाली परियोजना को 1999 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।

**राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क**

6621. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के उन नए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 500 कि० मी० या इससे अधिक दूरी तक अगले पाइंट चार्ट I (सी० बी०) में स्पीड पोस्ट के साथ जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्पीड पोस्ट के विस्तार कार्यक्रम को देखते हुए कमीशन के आधार पर स्पीड पोस्ट के निजी प्रतिनिधि नियुक्त करने का है;

(ग) क्या प्रत्युत्तर स्पीड पोस्ट सेवा भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1-4-90 से राज्यवार निम्नलिखित स्थानों में स्पीड पोस्ट केन्द्र खोले गए हैं :—

| राज्य | स्पीड पोस्ट केन्द्र |
|---|---|
| केरल | त्रिचूर |
| पंजाब | जालंधर, लुधियाना |
| हरियाणा | फरीदाबाद |
| पश्चिम बंगाल | हावड़ा |

राष्ट्रीय नेट वर्क में सभी स्पीड पोस्ट केन्द्र दूरी का प्रतिबंध न रखते हुए एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तथा दूरी के आधार पर दरों के प्रयोजन से अन्तर के अलावा, कोई भेद नहीं रखा जाता।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**राजस्थान में सवाई माधोपुर में टी० वी० रिले केन्द्र**

6622. श्री कुन्भी लाल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सवाई माधोपुर में टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्वीकृति, प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० के० सिंह देव) : (क) राजस्थान के सवाई माधोपुर में 31-5-1989 से एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर पहले से ही काम कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से ऋण**

6623. श्री मोहन रावले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट से कोई ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की मांग की थी और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा कितना ऋण दिया गया;

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर ब्याज की क्या दर लगाई गई है; और

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच ऋण की अन्य किन शर्तों पर समझौता हुआ है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) जी हां, एम० टी० एन० एल० ने वर्ष 1988-89 से वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट से छोटी-बड़ी धनराशियों के ऋण लिए हैं। धनराशियों, ब्याज की दरें और अन्य शर्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अनुबंध

विवरण

| | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1990-91 | 1991-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ऋण के लिए मांगी गई धनराशि (करोड़ रुपयों में) | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 |
| 2. दिए गए ऋण की धनराशि (करोड़ रुपयों में) | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 3. ब्याज की दर | 14% वार्षिक | 16% वार्षिक | 16% वार्षिक | 15% वार्षिक | 21% वार्षिक |
| 4. अन्य निबंधन और शर्तें | | | | | |
| (i) ऋण की अवधि | 5 वर्ष | 3 महीने | 6 महीने | 6 वर्ष | 10.5 महीने |
| (ii) देय तिथि | 16-8-93 | 28-6-90 (भुगतान-हो गया) | 1-10-91 (भुगतान-हो गया) | 15-12-96 | 10-2-93 (भुगतान हो गया) |
| (iii) प्रतिभूत | सरकारी गारण्टी | चालू परि-सम्पत्तियां | चालू परि-सम्पत्तियां | स्थिर परि-सम्पत्तियों पर परी पासु प्रभार | चालू परिसंपत्तियां |

**सातवीं/आठवीं योजना में असम में डाक और तारघर खोलने का लक्ष्य**

6624. **प्रबीन डेका** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर और तारघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान असम में 327 डाकघरों तथा 3 तारघरों के लक्ष्य की तुलना में कुल 308 डाकघर और 3 तारघर मंजूर किए गए थे।

(ग) और (घ) **डाकघर**—सातवीं योजना अवधि के दौरान असम में 304 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 4 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए। जनवरी, 1984 में वित्त मन्त्रालय द्वारा नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

**तारघर**—ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ङ) और (च) समूचे देश के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 500 विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों का राज्यवार आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। वर्ष 1992-93 में असम में 27 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 3 विभागीय उप-डाकघर खोले गए। 1993-94 में इस राज्य में 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 3 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

**तारघर**—मांग के आधार पर नए स्थानों पर तार सुविधा सुलभ कराने की योजना है। तथापि, खोले जाने वाले तारघरों की संख्या का निश्चित लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

**अनुबंध-1**

**असम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए विभागीय तारघरों की सूची**

| क्रम सं० | विभागीय तारघर का नाम | खोलने की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | शिवसागर | 27-3-1987 |
| 2. | उत्तरी लखीमपुर | 30-8-1987 |
| 3. | गोलाघाट | 30-3-1990 |

**कर्नाटक में गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए टेलीफोन कनेक्शन**

6625. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 तक टेलीफोन द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत कर्नाटक के कितने गांवों को टेलीफोन द्वारा शहरों से जोड़ा गया है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य के कितने गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1992 तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए; और

(घ) 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) ऐसे गांवों की संख्या 5241 है।

(ख) 2300 पंचायत ग्राम।

(ग) 27 टेलीफोन एक्सचेंज।

(घ) 60 टेलीफोन एक्सचेंज।

**श्रीपेरम्बदुर, तमिलनाडु में टेलीकॉम केन्द्र**

6626. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदुर में "टेलीकॉम" केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) श्रीपेरम्बदुर, तमिलनाडु, में दूरसंचार केन्द्र की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और वह 21-5-1992 से कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भूटान और नेपाल के सहयोग से विद्युत परियोजनाएं**

6627. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :
**श्री गोपीनाथ मजपति** :

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं योजना में और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भूटान और नेपाल के सहयोग से स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता, व्यय में भागीदारी तथा भारत, भूटान और नेपाल को मिलने वाली विद्युत का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

**विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) चालू वित्तीय और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूटान एवं नेपाल के सहयोग से कोई विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी**

6628. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा अभी तक नई टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक प्रकाशित किया जाएगा ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) कलकत्ता टेलीफोन की अद्यतन टेलीफोन डायरेक्ट्री 1989 में प्रकाशित की गई थी। जिस ठेकेदार को कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्ट्री छापने का काम सौंपा गया था, वह 1989 के बाद डायरेक्ट्री प्रकाशित करने में असफल रहा।

(ग) मार्च, 1994 से पहले डायरेक्ट्री प्रकाशित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

**माल की जांच-पड़ताल**

6629. **श्री राम नाईक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमानों में चढ़ाने से पहले सारे माल की जांच पड़ताल करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) मई 1992 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विमान में चढ़ाए जाने वाले कार्गो को 36 घंटे की "कूलिंग ऑफ" अवधि तक रखना अथवा 100% वास्तविक जांच करना अथवा एक्स-रे जांच करना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) विमान वाहकों द्वारा इन अनुदेशों का पालन किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**बिहार में दरभंगा में टेलीफोन और डाक-तार सेवाओं से प्राप्त राजस्व तथा उन पर व्यय**

6630. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा में वर्ष 1992-93 के दौरान टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं से पृथक-पृथक कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) बिहार में दरभंगा में वर्ष 1992-93 के दौरान टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं से प्राप्त राजस्व का पृथक-पृथक ब्यौरा इस प्रकार से है :—

(लाख रुपयों में)

| टेलीफोन | डाक | तार |
|---|---|---|
| 403 | 38 | 4 |

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं में से प्रत्येक पर अलग-अलग व्यय की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार से है ।

(लाख रुपयों में)

| टेलीफोन | डाक | तार |
|---|---|---|
| 289 | 135 | 9 |

**बिहार के गांवों में डाक तथा तारघर**

6631. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों की संख्या कितनी है जो नए डाक तथा तारघर खोलने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं;

(ख) बिहार में विशेषरूप से आरा क्षेत्र में, उन गांवों की संख्या कितनी है जहां उप-डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इस क्षेत्र में वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कितने डाकघर/उप-डाकघर तथा तारघर खोले गए ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) **डाकघर**—ऐसे गावों की संख्या 4222 है जो नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड पूरा करते हैं ।

**तारघर**—किसी एक ग्राम को एक यूनिट मानकर तार सुविधाएं प्रदान कराने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं है । तथापि, तार सुविधाएं मांग और आवश्यकता के आधार पर सुलभ करायी जाती हैं ।

(ख) बिहार राज्य में और आरा जिले में ऐसे गांवों की संख्या क्रमश: 66667 तथा 966 है जिनमें उप-डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) डाकघर :

1991-92 के दौरान खोले गए डाकघरों/उपडाकघरों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | — | 268 |
| विभागीय उप-डाकघर | — | शून्य |

1992-93 के दौरान खोले गए डाकघरों/उपडाकघरों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | — | 70 |
| विभागीय उप-डाकघर | — | 3 |

तारघर—1991-92 तथा 1992-93 के दौरान बिहार में खोले गए तारघरों की संख्या क्रमश: 409 और 416 है।

[अनुवाद]

## गंडक परियोजना (भारत-नेपाल)

6632. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेपाल और भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 750 करोड़ रुपए।

(ख) गंडक करार 1959 के अनुसार इस परियोजना की समग्र लागत को भारत द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस परियोजना की सिंचाई क्षमता भारत में 15.26 लाख हेक्टेयर और नेपाल में 0.44 लाख हेक्टेयर है।

## महाराष्ट्र में स्थित हवाई अड्डों का उपयोग

6633. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से पूरे किए गए हवाई अड्डे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) पूरे किए गए हवाई अड्डों पर कितनी विमान सेवाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) राज्य में उपयोग में न पाए गए हवाई अड्डों को पुनः चालू करने पर कितना खर्च किया गया है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) बम्बई, नागपुर, औरंगाबाद, जूहू, कोल्हापुर और पुणे में सिविल एन्क्लेव ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस मौजूदा समयावली के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित स्टेशनों से निम्नलिखित औसत साप्ताहिक उड़ानों का प्रचालन करती है :

| क्रम सं० | हवाई अड्डा | साप्ताहिक उड़ानें |
|---|---|---|
| 1. | बम्बई | 226 |
| 2. | नागपुर | 14 |
| 3. | औरंगाबाद | 7 |
| 4. | पुणे | 9 |

एयर इंडिया अपनी वर्तमान समयावलि के अनुसार, बम्बई से औसतन 87 उड़ानों का प्रचालन करता है । वायुदूत लिमिटेड इस समय बम्बई, पुणे और कोल्हापुर के लिए/से प्रचालन कर रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अप्रयुक्त हवाई अड्डों अर्थात् अकोला और शोलापुर पर 1986 में इनके आरंभ होने से लेकर कोई राशि खर्च नहीं की है ।

**महाराष्ट्र में विमान सेवाएं**

6634. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-औरंगाबाद और नासिक-पुणे-मुम्बई मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) विमान क्षमता और अन्य संसाधनों की कठिनाई के कारण इस समय वायुदूत की सेवाओं का विस्तार करना संभव नहीं है । पुणे-औरंगाबाद और नासिक-पुणे-बम्बई मार्ग पर बोइंग 737 विमान, जोकि इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में सबसे छोटा विमान है, के प्रचालन के लिए यातायात मांग पर्याप्त नहीं है ।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में आगरा के टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना**

6635. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा जिले (तथा आगरा शहर) के टेलीफोन एक्सचेंजों को 1993-94 के दौरान इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। जिला आगरा में निम्नलिखित एक्सचेंजों को वर्ष 1993-94 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

1. इरादत नगर।

2. खण्डौली।

(ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

**निजी हवाई टैक्सी चालकों की समयावली**

6636. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई टैक्सी सेवाओं की समयावली को अन्तिम रूप देने में सरकार का कोई नियन्त्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात मन्त्रालय की जानकारी में लायी गई है कि कुछ हवाई टैक्सी चालकों को इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के प्रस्थान समय के ठीक पूर्व का समय दिया गया है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के गलत समय के कारण दक्षिण क्षेत्र के कुछ भाग में इंडियन एयरलाइंस में यात्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, समयावलियों को संबंधित यातायात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों का पालन करना होता है।

(ग) उड़ान की समयावलियों को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस की दृष्टि में, हवाई टैक्सी प्रचालकों की सीमित सफलता मुख्य रूप से उनके किरायों और विपणन व्यवसाय के कारण हुई है न कि प्रस्थान समयावलियों के कारण।

**हवाई सुरक्षा का उल्लंघन**

6637. श्री सुखेन्दु खां : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन महानिदेशालय को एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और प्राइवेट एयर टैक्सी चालकों द्वारा हवाई सुरक्षा उल्लंघन संबंधी कितने मामलों की जानकारी है; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) पिछले कुछ समय में हवाई सुरक्षा के उल्लंघन की तीन महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं हवाई टैक्सी प्रचालकों से संबंधित थी।

(ख) प्रचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निगरानी रखी जाती है। पाई गई कमियां उपचारी कार्रवाई के लिए प्रचालकों के ध्यान में लाई जाती हैं। जब कभी अपेक्षित होता है, उनके परिमिट निलंबित करने, उड़ान-योग्यता प्रमाण-पत्र रद्द करने जैसे उपाय भी किए जाते हैं।

**भुवनेश्वर, कोणार्क, और पुरी सर्किट का विकास**

6638. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को मिलाकर एक त्रिकोण सर्किट विकसित करने का कोई प्रस्ताव लम्बे समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस त्रिकोण सर्किट का विकास करने के लिए कितना वित्तीय प्रावधान करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में गहन विकास हेतु अभिनिर्धारित परिपथों में से भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क एक परिपथ है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई एक-मुश्त आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :—

| | | लाख रुपए में |
|---|---|---|
| 1. | भुवनेश्वर और कोणार्क में शौचालय और पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था | 3.00 |
| 2. | कोणार्क में यात्री निवास | 29.25 |
| 3. | कोणार्क में ओपन एयर थियेटर | 7.10 |
| 4. | कोणार्क उत्सव | 2.00 |
| 5. | भुवनेश्वर में पर्यटक केन्द्र | 17.42 |
| 6. | कोणार्क समुद्रतट के लिए स्विस कॉटेज टैन्ट | 15.00 |
| 7. | पुरी में यात्री निवास | 44.85 |

**जकार्ता में मानवाधिकार कार्यशाला में भाग लेना**

6639. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल :**
**डॉ० आर० मल्लू :**

**क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जकार्ता में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के लिए आयोजित मानवाधिकार कार्यशाला में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस कार्यशाला में कोई संयुक्त घोषणा/वक्तव्य पारित नहीं था/अध्यक्ष/इंडोनेशिया की समापन टिप्पणियों में इस बात पर जोर दिया गया था कि मानवाधिकारों के मानदण्डों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मानवाधिकारों की अन्तर-निर्भरता और अविभाज्यता को स्वीकार करते हुए जिसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं; संघर्ष मुक्त उपाय करके मानवाधिकारों का अनुसरण करना चाहिए ।

[हिन्दी]

**चावल मिलों की स्थापना**

6640. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान धान उत्पादक राज्यों में चावल मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को कहां-कहां पर स्थापित किया जाएगा ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

**भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अग्नि शमन सेवा**

6641. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डे पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अग्नि शमन सेवा के निरीक्षण में, कर्मीदल के बीच समन्वय और प्रथम एयर बाक्स को तोड़कर खोलने में लिया गया समय असंतोषजनक पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशक ने बम्बई हवाई अड्डे के अपने निरीक्षण के दौरान यह अभिमत व्यक्त किया था कि अग्निशमन कर्मी अभ्यास समन्वित नहीं था और एम्बुलेंस में प्रथमोपचार किट को इस प्रकार से सील किया गया था कि इसे खोलने में काफी समय लगा। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दोनों मामलों में उपचारी कदम उठाये हैं।

**इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना**

6642. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के लंबित मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने के लिए तीव्र कार्यवाही करने हेतु कोई समिति बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1973 में एक अभिदायिता की योजना का प्रस्ताव किया था जिसे सरकार ने अनुमोदित नहीं किया था। बाद में वर्ष 1989 में इंडियन एयरलाइंस ने दूसरी योजना बनाई थी लेकिन कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि**

6643. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विश्वव्यापी परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि हेतु कोई प्रस्ताव पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संधि में परमाणु प्रतिष्ठानों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) इस समय नहीं। लेकिन मई-जून, 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन में भारत की ओर से भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा नाभिकीय अस्त्र मुक्त तथा अहिंसक विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें यह मांग की गई है कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि पर बातचीत शुरू की जाए तथा 1994 को समाप्त होने वाले चरण-I में पूरी कर ली जाए।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**इण्डियन एयरलाइन्स में चालक दल के सदस्यों की भर्ती**

6644. **श्री तेज नारायण सिंह :**

**श्री राजेश कुमार :**

**श्रीमती भावना चिखलिया :**

**क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के चालक दल के सदस्यों के विभिन्न संवर्गों की भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और**

**(ख) यदि हां; तो 1989 से 1993 तक तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?**

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1989 से 1993 तक विमान परिचारिकाओं और फ्लाइट पर्सरों के संबंध में बकाया पड़े पदों के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

**विवरण**

**वर्ष 1989 से 1993 के दौरान इण्डियन एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं और फ्लाइट पर्सरों की श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों की बकाया के ब्यौरे**

| विमान परिचारिकाएं | | | फ्लाइट पर्सर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| निम्नलिखित तारीख को | बकाया | | निम्नलिखित तारीख को | बकाया | |
| स्थिति | अनु० जाति | अनु०जनजाति | स्थिति | अनु० जाति | अनु०जनजाति |
| 1-1-89 | 16 | 13 | 1-1-89 | 7 | 5 |
| 1-1-90 | 1 | 1 | 1-1-90 | 3 | 1 |
| 1-1-91 | 1 | 1 | 1-1-91 | 2 | 1 |
| 1-1-92 | 1 | 2 | 1-1-92 | 1 | 1 |
| 1-1-93 | 1 | — | 1-1-93 | 1 | — |

इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की चूक अथवा अनारक्षण का कोई मामला नहीं हुआ है ।

[हिन्दी]

**फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को हवाई सुरक्षा सामग्री**

6645. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को हवाई सुरक्षा सामग्री/उपकरण प्रदान किए जाने के संबंध में प्रदत्त आश्वासनों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जनवरी, 1992 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान मिराज-2000 बेचने के संबंध में सिद्धान्त रूप से सहमति व्यक्त की थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस सौदे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं मिला है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान को उसकी रक्षा संबंधी जायज जरूरतों की तुलना में अनुचित मात्रा में हथियारों की बिक्री के बारे में हमारी जो चिन्ताएं हैं उनसे फ्रांस की सरकार को अवगत करा दिया गया है। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता हो और उसकी हिफाजत के लिए आवश्यक उपाय करती है।

**पासपोर्ट जारी करना**

6646. श्री राम बदन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1993 को "जनसत्ता" में प्रकाशित फोटो चिपकाए बिना पासपोर्ट जारी करने से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि श्री अतुल कुमार का पासपोर्ट लिपिकीय गलती से अनजाने में भेज दिया गया था हालांकि पासपोर्ट मुकम्मल नहीं था क्योंकि आवेदक ने अपने आवेदन के साथ अपेक्षित संख्या में फोटो नहीं दिए थे। आवेदक से सम्पर्क करके दो फोटो देने के लिए कहा गया, पासपोर्ट सभी प्रकार से मुकम्मल करके आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया गया।

[अनुवाद]

**बांग्लादेश में भारतीय अन्तः क्षेत्र**

6647. श्री अमरराय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की शिकायतों के निवारण हेतु बांग्लादेश में भारतीय अंतः क्षेत्रों (इंडियन एन्कलेवों) में कोई व्यवस्था उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1993-94 में इन अंतः क्षेत्रों (एन्क्लेवों) में रहने वाले भारतीयों की शिकायतें दूर करने के लिए कोई व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश के प्रदेश में 119 ऐसे भारतीय क्षेत्र हैं जिनका आदान-प्रदान किया जा सकता है और

11 ऐसे भारतीय क्षेत्र हैं जिनका आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता। बंगलादेश में स्थित ये क्षेत्र भारत की पहुंच के बाहर हैं और न ही यह भारत के नियंत्रण में हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जन-शिकायत समाधान माध्यमों का प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बंगलादेश भूसीमा करार 1974 की व्यवस्था के अनुसार बंगलादेश में जो भारतीय क्षेत्र हैं और भारत में जो बंगलादेश के क्षेत्र हैं उनका आदान-प्रदान किया जाना है। इन क्षेत्रों का कानूनन जो आदान-प्रदान होना था वह भारत-बंगलादेश भूसीमा करार 1974 का अनुसमर्थन न होने के कारण अधूरा रह गया है।

**विद्युत परियोजनाएं**

6648. **श्री संदीपान भगवान घोरात** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कुछ स्वीकृत/उद्घाटन की गई परियोजनाओं को शुरू नहीं किया गया है/बन्द कर दिया गया है अथवा अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**हवाई टिकट प्रणाली से कम्प्यूटरीकृत पासपोर्ट प्रणाली को जोड़ना**

6649. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरीकृत पासपोर्ट प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत हवाई टिकट प्रणाली से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोनों व्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ने की कोई कार्यात्मक आवश्यकता नहीं है।

**कुरीगर कुट्टी करापपारा बहुउद्देशीय परियोजना**

6650. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कुरीगर कुट्टी करापपारा बहुउद्देशीय परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन)** : 2/91 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया था कि परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं, जिनसे परियोजना पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, की जांच करने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल को कुछ महत्वपूर्ण

सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया था । तदनुसार राज्य सरकार से 6/91 में अनुरोध किया गया कि वह इन सिफारिशों को शामिल करने के पश्चात् संशोधित प्रभाव प्रस्तुत करें ।

**राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की थियेटर वित्त पोषण योजना**

6651. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की थियेटर वित्त पोषण योजना को पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए योजना में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) :** (क) टी०वी० तथा वीडियो के प्रचलन से देश भर में नए सिनेमा थियेटरों के निर्माण में सामान्य गिरावट आयी है । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्कीम के अंतर्गत बैंक गारण्टी के जमानत-पत्र पर ही ऋण प्रदान किए जाते हैं । ऐसी स्थिति में, नए सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए वित्त पोषण की स्कीम के प्रति आवेदकों की बहुत ही कम प्रतिक्रिया रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**डाक और तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करना**

6652. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा अपनायी जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डाक और तार विभाग में पांच वर्ष से अधिक सेवा करने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी सेवाओं को कब तक नियमित कर दिया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) डाक विभाग और दूरसंचार विभाग में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित आधार पर नियुक्त किए जाते हैं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) में दिए उत्तर को मध्य नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत में घाटा**

6653. **श्री राम पूजन पटेल :**

**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत के घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत में घाटे को कम करने में कितनी सफलता मिली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1989-90 से मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है :—

— ए-320 बेड़े की ग्राउंडिंग ।

— विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का मूल्यह्रास ।

— ए०टी०एफ० मूल्यों में वृद्धि और किरायों में वृद्धि के बीच का समय अन्तराल ।

— ए-320 विमानों को चरणबद्ध तरीके से पुन: शामिल करने के कारण इस बेड़े से सम्बद्ध नियत खर्चों के अत्यधिक भार का समावेश ।

— बीमा प्रीमियम दरों और अवतरण प्रभारों में वृद्धि ।

— वित्त अधिनियम, 1992 में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप बाजार दर पर विदेशी मुद्रा की खरीद के कारण अतिरिक्त भार ।

— औद्योगिक अशांति ।

— अनुमानित की तुलना में ले जाए गए कम यात्रियों, के कारण राजस्व में हानि ।

— वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण व्यय में वृद्धि ।

— वायुदूत को हुई हानि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

— नेटवर्क का अत्यधिक विस्तार ।

— अत्यधिक जनशक्ति ।

— पुराना और खर्चीला बेड़ा ।

— अलाभकारी किराया ढांचा ।

— छोटी दूरी के स्वरूप के प्रचालन ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी हानि को कम करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

— समयावलियों पर निगरानी रखना ।

— विमान ईंधन खपत में किफायत करना ।

— खाद्य सामग्री तथा खान-पान सम्बन्धी मदों के बेकार जाने से बचने के लिए बारंबार उड़ान-पूर्व जांच ।

— जहां कहीं संभव हो समयोपरि भत्तों में कटौती ।

— परिहार्य पूंजीगत व्यय को स्थगित रखना/उससे बचना ।

— मौजूदा विमान बेड़े का सर्वोत्तम उपयोग ।

वायुदूत ने वर्ष 1990-91 में 37.08 करोड़ रुपए की हानि को कम करके वर्ष 1992-93 में लगभग 22 करोड़ रुपए कर दिया है ।

[अनुवाद]

**चीन के साथ सीमा के प्रश्न पर वार्ता**

6654. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ सीमा के प्रश्न पर समझौते के लिए उस देश के साथ चल रही वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या दोनों पक्ष इस प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सिद्धांतत: किसी समझौते पर पहुंचे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय भूमि का कितना क्षेत्रफल चीन के अधिकार में है ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) भारत और चीन के बीच सीमागत प्रश्न पर बातचीत इस प्रयोजनार्थ दिसम्बर, 1988 में गठित भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक में की जाती है । संयुक्त कार्यकारी दल की अब तक पांच बैठकें हुई हैं और छठी बैठक के इस वर्ष नई दिल्ली में होने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) संयुक्त कार्यकारी दल की अब तक की पांच बैठकों में दोनों पक्ष सीमा सम्बन्धी अपने मतभेदों को दूर करने के तरीके खोज रहे हैं ताकि एक निष्पक्ष, न्यायोचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके । अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होने तक भारत और चीन वास्तविक नियन्त्रण की रेखा पर शान्ति बनाए रखेंगे ।

(घ) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार जम्मू-और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र चीन के कब्जे में हैं । इसके अतिरिक्त 1963 के तथा कथित चीन-पाकिस्तान "सीमा सम्बन्धी करार" में पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित लगभग 5120 वर्ग कि०मी० भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है ।

**इण्टर-सर्विसेज इण्टेलिजेंस का षडयन्त्र**

6055. **श्री हरि किशोर सिंह** :
**श्री चन्द्रजीत यादव** :
**श्री ताराचन्द खंडेलवाल** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की "इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस" (आई०एस०आई०) के

देश में गृहयुद्ध शुरू करने के षडयन्त्र और पाकिस्तानी तथा भारतीय सिंडीकेटों की बीच सम्बन्ध के बारे में हाल की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को सहायता दे रहा है तथा उसे दुष्प्रेरित कर रहा है और वह विघटनकारी गतिविधियों में भारत स्थित तत्त्वों को संगठित मदद दे रहा है तथा उनके साथ उसकी सांठ-गांठ है।

(ख) सरकार इन प्रयासों का प्रतिकार करने के लिए कृतसंकल्प है और राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी उपाय करेगी।

(ग) और (घ) भारत के खिलाफ आतंकवाद में पाकिस्तान के हाथ होने की तथ्यपरक स्थिति से सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराती रही है और कराती रहेगी। आतंकवादियों को पाकिस्तान से जो सहायता मिल रही है उस पर अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता में वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश में खरगौन जिले में दूरदर्शन रिले केन्द्र**

6656. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न शक्ति और उच्च शक्ति के राज्यवार कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में खरगौन जिले में कोई दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव)** : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ जिले में खरगौन पर एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है। जिले के भाग स्थानीय भू-भाग स्थितियों के अधीन, इन्दौर में स्थित उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त करते हैं। इस समय उक्त जिले में और अधिक टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त जिले में टी०वी० सेवा का और अधिक विस्तार इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की भविष्य में उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

23-4-1993 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टी०वी० ट्रांसमीटर

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उ०श० ट्रां० | अ०श० ट्रां० | अ०अ० श०ट्रां० | ट्रांस पोजर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 0 | 25 | 0 | 2 | 32 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 2 | 16 | 0 | 19 |
| 4. | बिहार | 5 | 26 | 0 | 1 | 32 |
| 5. | गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | गुजरात | 3 | 28 | 1 | 0 | 32 |
| 7. | हरियाणा | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 3 | 2 | 15 | 1 | 21 |
| 10. | केरल | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 11. | कर्नाटक | 4 | 24 | 0 | 0 | 28 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6 | 47 | 0 | 1 | 54 |
| 13. | मेघालय | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14. | महाराष्ट्र | 5 | 37 | 0 | 1 | 43 |
| 15. | मणिपुर | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 16. | मिजोरम | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | नागालैंड | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 18. | उड़ीसा | 3 | 21 | 0 | 1 | 25 |
| 19. | पंजाब | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 20. | राजस्थान | 1 | 38 | 1 | 2 | 42 |
| 21. | सिक्किम | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 22. | तमिलनाडु | 2 | 23 | 0 | 3 | 28 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 8 | 42 | 10 | 4 | 64 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 4 | 13 | 2 | 0 | 19 |
| | | | | | | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | दिल्ली | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 28. | दमन और दीव | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29. | पाण्डिचेरी | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 30. | लक्षद्वीप-द्वीप समूह | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | कुल : | 67* | 374 | 82 | 23 | 546 |

(*4 मैट्रो चैनल उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को छोड़कर) उ०श०ट्रां०=उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अ०श०ट्रां०=अल्प शक्ति ट्रांसमीटर; अ०अ०श०ट्रां०=अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

**मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

6657. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश राज्य से गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के पंजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर जिला-वार क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) से (ग) जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों के उद्यमियों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत न आने वाली वस्तुओं को तैयार करने के लिए उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में केवल एक सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। फरवरी, 1993 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 1993 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है दिसम्बर, 1992 तक 157 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 1560 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश निहित है। इसके अलावा 1-1-1993 तक मध्य प्रदेश में फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत लाईसेंस दिए गए 66 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 26 मृदु वातित जल यूनिट थे। वर्ष 1991 के दौरान मध्य प्रदेश में फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत 4 लाईसेंस मंजूर किए गए थे जिनमें 3 घरेलू स्तर के हैं। वर्ष 1992 में 10 लाइसेंस मंजूर किए गए थे जिनमें 4 घरेलू स्तर की श्रेणी के हैं।

**राजस्थान में नागर विमानन और पर्यटन सुविधाएं**

6658. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राजस्थान में नागर विमानन और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी उपलब्धि हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन-कौन सी योजनाएं लंबित पड़ी हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में नागर विमानन और पर्यटन सुविधाओं के लिए आवंटित और खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

| वर्ष | नागर विमानन | | पर्यटन | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत राशि | खर्च की गई राशि | स्वीकृत राशि | खर्च की गई राशि |
| 1990-91 | 2·22 | 2·22 | 1·52 | 1.00 |
| 1991-92 | 2·49 | 2·49 | 1·84 | 0·90 |
| 1992-93 | 5·11 | 1·85 | 1·53 | 0·69 |

(ग) नागर विमानन सुविधा से संबंधित कोई योजना लंबित नहीं पड़ी है। पर्यटन से संबंधित जैसलमेर-बीकानेर पर शिवा पर वे-साइड सुविधाओं की एक योजना लंबित पड़ी है।

[अनुवाद]

**मुम्बई में डिजिटल प्रौद्योगिकी**

6659. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है तथा मुम्बई में अगले वर्ष सेकेंड जेनरेशन डिजिटल स्विचिंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) 6000 लाइनों वाले फाउण्टेल-3 में और 4000 लाइनों वाली ठाणे स्थित दूरस्थ यूनिट में मुख्य स्विच सहित एक द्वितीय जेनरेशन डिजिटल स्विच पहले ही चालू किया जा चुका है। वर्ष 1993-94 के दौरान इसी प्रकार की 40 हजार लाइनों के चालू किए जाने की सम्भावना है।

**तमिलनाडु में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र**

6660. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के नेटवर्क प्रसारण से वंचित तमिलनाडु के स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) तमिलनाडु के सभी जिले इस समय टी०वी० सेवा द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कवर होते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, आरकोट, राजापलायम, अरानी, गुडीयाटम तथा पट्टूकोट्टई में एक-एक अर्थात् कुल पांच अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा उदुमालपेट में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कुम्बाकोणम में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

**भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की बिक्री**

6661. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री गुरुदास कामत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने कुछ अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय होटल शृंखला को अपने कुछ होटलों की आंशिक बिक्री के लिए चुना था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तों तथा इसके अन्तिम निष्कर्ष सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य होटलों से भी बोलियां लगाई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तुलनात्मक शर्तें तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय अन्य होटलों के लिए आंशिक बिक्री के लिए बोलियां आमन्त्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**हासन-बेलूर-हेलेबिड त्रिकोण का विकास**

6662. श्री जी० भांडगौडा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हासन-बेलूर-हेलेबिड त्रिकोण का चयन विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में करने के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिए अब तक कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) 1993-94 के दौरान कितना खर्च करने का विचार है; और

(घ) इन स्थानों पर 1992-93 के दौरान किए गए विकास और उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत बंगलौर-मैसूर-हसन को एक यात्रा परिपथ के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बेलूर-हेलेबिड और श्रवणबेलगोला में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 108·40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए में)

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1. | बेहूर, हसन जिले में पर्यटक विश्राम गृह, पर्यटक शयनागार और कैन्टीन ब्लॉक का निर्माण | 32·46 |
| 2. | होयसाला, हेलेबिड में आगंतुक केन्द्र | 20.00 |
| 3. | श्रवणबेलगोला में यात्री निवास का निर्माण | 39.94 |
| 4. | बेलूर और हेलेबिड में एक-एक तथा श्रवणबेलगोला में दो जन सुविधाओं का निर्माण | 16.00 |

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत बांध**

6663. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1993 तक निर्माणाधीन प्रत्येक बांध की प्रगति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 में मध्य प्रदेश में प्रत्येक बांध और बहुउद्देश्यीय बांध के लिए स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंजन)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**उड़ीसा में आलू पर आधारित उद्योग**

6664. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को सहायता दी जाती है । आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

**संसद सदस्यों के पत्र**

6665. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के दूरसंचार महाप्रबंधक को संसद सदस्यों के पत्रों का तत्काल जवाब देने के कोई निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाप्रबंधक इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी, हां ।

(ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों को प्राप्ति-सूचना तत्काल दिए जाने के उन पर शीघ्र ध्यान देने और उनका तत्काल उत्तर देने के सम्बन्ध में विभाग के मुख्य महाप्रबन्धकों को समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं । दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों को भी यह कहा गया है कि वे मासिक आधार पर ऐसे पत्रों के निपटान पर कड़ी निगरानी रखें ताकि इनके उत्तर दिए जाने में कोई विलम्ब न हो ।

(ग) जी नहीं, फिलहाल अनुदेशों के पालन नहीं किए जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**राउरकेला, उड़ीसा में आकाशवाणी भवन**

6666. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में राउरकेला में आकाशवाणी भवन काफी समय से तैयार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उपकरण न लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी भवन कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव)** : (क) और (ख) राउरकेला में स्थानीय रेडियो स्टेशन के भवन का निर्माण पूरा होने वाला ही है । उपकरणों की तकनीकी स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है ।

(ग) रेडियो स्टेशन का कार्य 1993-94 के दौरान चालू होने की आशा है।

**केबल न्यूज नेटवर्क के साथ समझौता**

6667. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री जी० देवराय नायक :**
**श्री मोहन रावले :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अमरीका के केबल न्यूज नेटवर्क के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन और केबल न्यूज नेटवर्क के साथ हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी सिंह देव)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**देश में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज**

6668. **श्री हाराधन राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्यरत हैं और कितने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज निर्माणाधीन हैं और कब तक काम करने लगेंगे;

(ख) क्या भविष्य में और अधिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) इस समय, देश में कुल 12378 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं । 444 नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का संस्थापन कार्य चल

रहा है और इन्हें 1993-94 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से चालू किया जाएगा। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1993-94 के दौरान विभिन्न प्रकार के 3389 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है जिसके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

**देश में मौजूदा/संस्थापनाधीन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या**

| क्रम सं० | राज्य का नाम | कार्य कर रहे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या | निर्माणाधीन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 892 | 25 |
| 2. | असम | 231 | — |
| 3. | मणिपुर | 22 | 1 |
| 4. | मेघालय | 32 | — |
| 5. | मिजोरम | 26 | — |
| 6. | नागालैंड | 18 | 14 |
| 7. | त्रिपुरा | 34 | 9 |
| 8. | अरूणाचल प्रदेश | 45 | — |
| 9. | बिहार | 611 | 23 |
| 10. | गुजरात (दादर एवं नगर हवेली, दमन एण्ड द्वीव संघ राज्य सहित) | 766 | 37 |
| 11. | हरियाणा | 471 | 5 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 266 | 12 |
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 83 | 4 |
| 14. | कर्नाटक | 1202 | 9 |
| 15. | केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य सहित) | 526 | 31 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 1827 | 10 |
| 17. | महाराष्ट्र | 1279 | 132 |
| 18. | पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य सहित) | 493 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | राजस्थान | 700 | 68 |
| 20. | तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य सहित) | 793 | 26 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1082 | 10 |
| 22. | उड़ीसा | 565 | 10 |
| 23. | पश्चिम बंगाल (अंडमान निकोबार संघ राज्य सहित) | 318 | 11 |
| 24. | सिक्किम | 15 | — |
| 25. | गोवा | 47 | 1 |
| 26. | दिल्ली (संघ राज्य) | 64 | 2 |
| | कुल : | 12378 | 344 |

**विवरण-II**

**1993-94 के दौरान विभिन्न प्रकार के जिन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की योजना है, उनकी सूची**

| क्रम सं० | टाइप | एक्सचेंज की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 64 पी०एम०आई०एल०टी० | 1000 |
| 2. | 128 पी०सी-डॉट | 1500 |
| 3. | 512 पी०आई०एल०टी०/सी-डॉट | 250 |
| 4. | 1000 एल०आई०एल०टी०/सी-डॉट | 275 |
| 5. | 1400 एल०आई०एल०टी०/सी-डॉट | 170 |
| 6. | सी०डॉट एम०ए०एक्स०-1 | 48 |
| 7. | ई० 10 बी एण्ड नई टेक्नोलोजीस | 146 |
| | योग : | 3389 |

**केरल में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण**

6669. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० चुंगन)** : (क) से (ग) 1724·55 लाख रुपए की अनुमानित लागत की केरल की नेय्यर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण रिपोर्ट 6/92 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। जांच करने पर यह पाया गया कि परियोजना रिपोर्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं की गई है। इस रिपोर्ट पर टिप्पणियां 8/92 में राज्य सरकार को भेजी गई और उनसे संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

**गुजरात में विद्युत् उत्पादन क्षमता**

6670. **श्री दिलीप भाई संघाणी** क्या **विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विद्यमान विद्युत् संयंत्रों की विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन विद्युत् संयंत्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता पैदा किए जाने की सम्भावना है ?

**विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू)** : (क) और (ख) गुजरात में विद्यमान विद्युत् संयंत्रों की विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में विचाराधीन है :—

| क्रम सं० | विद्युत् केन्द्र का नाम | विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०) | प्रस्तावित क्षमता-संवर्धन (मे०वा०) |
|---|---|---|---|
| 1. | गांधीनगर ताप०वि० केन्द्र जिला गांधीनगर | 2×120+ 2×210 | 1×210 (यूनिट-5) |
| 2. | वानकबोरी ता०वि० केन्द्र जिला खेड़ा | 6×210 | 1×210 (यूनिट-7) |
| 3. | उकई ज०वि० परियोजना | 4×75 | प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग 7% (21 मे०वा०) क्षमता संवर्धन विद्यमान यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। |

(ग) गुजरात में वर्ष 1993-94 के दौरान, उत्राण चरण-I ता०वि० केन्द्र के माध्यम से 45 मे०वा० और काकरापाड़ परमाणु विद्युत् केन्द्र यूनिट-2 के माध्यम से 220 मे०वा० क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

**महाराष्ट्र में दूरदर्शन केन्द्र**

6671. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी जिलों में कितने टी०वी० ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दक्षिणी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में इस समय अलग-अलग शक्तियों वाले कुल 124 टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 10 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 4 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

**विवरण**

महाराष्ट्र राज्य

| जिला | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर | अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर | योग |
|---|---|---|---|---|
| अहमदनगर | — | संगमनर | — | 1 |
| अकोला | — | अकोट वाशिम | — | 2 |
| अमरावती | — | चिकलधारा | — | 1 |
| बुल्डाना | — | खामगांव | — | 1 |
| चंद्रपुर | — | — | अद्याल-टेकली | 1 |
| जलगांव | जलगांव | — | — | 1 |
| ओस्मानाबाद | — | उमेरगा | — | 1 |
| पुणे | — | — | पुन्नर | 1 |
| रायगढ़ | — | — | करजत | 1 |
| रत्नागिरि | हाथीखंभा | चिपलुन | खेड़ | 3 |
| शोलापुर | — | आकलुज | — | 1 |
| सिन्धुदुर्ग | — | कंकौली | — | 1 |
| वर्धा | — | हिंगनघाट | — | 1 |

**डेसू की सम्पत्ति की चोरी/बिक्री**

6672. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सम्पत्ति की चोरी तथा अवैध बिक्री के कथित मामले हाल ही में प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (ग) केबल्स, स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स आदि समेत डेसू की सम्पत्ति की चोरी से सम्बन्धित मामले समय-समय पर घटते रहते हैं। चोरी से संबंधित मामलों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अपराधियों को पकड़ने और चोरी की गई सम्पत्ति को वसूल करने की दृष्टि से इस प्रकार के मामलों में तत्परता से जांच पड़ताल किए जाने के लिए डेसू ने पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया है।

**मध्य प्रदेश में दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम**

6673. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) और (ख) क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रम के रिले के प्रयोजनार्थ भोपाल में "सेटेलाइट अपलिंक" सुविधा की स्थापना और जबलपुर में टी०वी० ट्रांसमीटर की शक्ति को 1 किलोवाट (अंतरिम) से 10 किलोवाट तक बढ़ाने के अतिरिक्त 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के दतिया, जावरा, अलीराजपुर, कुकड़ेश्वर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा पर सिया में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। 1993-94 के दौरान रायपुर के कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्र को भी चालू किए जाने की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

**महाराष्ट्र में दूरदर्शन स्टूडियो**

6674. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र में गत दो वर्षों के दौरान कितने दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों के लिए नींव डाली गई थी;

(ग) उनमें से कितने केन्द्रों का निर्माण किया गया या निर्माणाधीन हैं; और

(घ) तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राचलों द्वारा शासित होती है :—

(i) प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना । यह संबंधित राज्य की भाषा में प्रत्येक राज्य में प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा उपलब्ध करवाने के दीर्घ-कालिक उद्देश्य के अनुरूप है ।

(ii) क्षेत्र-विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की राजधानियों के अलावा चुने गए केन्द्रों पर ।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किसी भी दूरदर्शन केन्द्र का शिलान्यास नहीं किया गया ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

**तमिलनाडु में उलडरपेट हवाई अड्डे को पुन: चालू करना**

6675. **श्री पी० पी० कालियापेरूमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उलडरपेट में परित्यक्त हवाई अड्डा कितनी भूमि क्षेत्र में है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) तमिलनाडु में उलंडरपेट का विमानक्षेत्र भारतीय वायु सेना का है । इसमें 6000 फुट × 150 फुट और 4800 फुट × 150 फुट के दो धावनपथ हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे को पुन: चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

[हिन्दी]

**पंजाब में टेलीफोन कनेक्शनों द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ना**

6576. **श्री मोहन सिंह : (फिरोजपुर)** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत पंजाब में टेलीफोन लाइनों द्वारा कितने गांवों को शहरों से जोड़ा गया है; और

(ख) 1993-94 में कितने गांवों को टेलीफोन द्वारा शहरों से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) 31-03-1993 की स्थिति के अनुसार, ऐसे गांवों की संख्या 4056 है।

(ख) 3000 पंचायत ग्राम।

[अनुवाद]

**उड़ीसा में भूमिगत केबल बिछाना**

6677. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 में उड़ीसा में जिलावार अब तक कितने किलोमीटर लम्बी भूमिगत केबल बिछाई जा चुकी है और कितने किलोमीटर बिछाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : पिछले 4 वर्षों (89-90 से 92-93) में बिछाई गई केबल और 1993-94 के दौरान बिछाई जाने वाली प्रस्तावित केबल के जिलेवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

| क्र० सं० | दूरसंचार जिले का नाम | बिछाई गई केबिल 89-90 से 92-93 | 93-94 के दौरान बिछाई जाने वाली प्रस्तावित केबिल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बलसौर | 54.734 टी०सी०के०एम० | 12 टी०सी०के०एम० |
| 2. | बरहामपुर (जी० एम०) | 43.515 —वही— | 12 टी०सी०के०एम० |
| 3. | भुवनेश्वर | 197.619 —वही— | 36 —वही— |
| 4. | बोलनगीर | 20.746 —वही— | 12 —वही— |
| 5. | कटक | 111.230 —वही— | 30 —वही— |
| 6. | धेनकनाल | 72.349 —वही— | 24 —वही— |
| 7. | कोरापुट | 38.064 —वही— | 12 —वही— |
| 8. | राउरकेला | 66.202 —वही— | 30 —वही— |
| 9. | सम्बलपुर | 82.194 —वही— | 32 —वही— |
| | कुल : | 686.653 टी०सी०के०एम० | 200 टी०सी०के०एम० |

*हजार कंडक्टर किलोमीटर।

**गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन**

6678. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में जनवरी, 1990 से मार्च, 1993 के दौरान

संसद सदस्यों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे से और सामान्य श्रेणी के लिए नए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी स्वीकृत टेलीफोन लगा दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक लगा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां ।

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे टेलीफोनों के जिला-वार ब्यौरे निम्नानुसार है :—

| क्रम सं० | जिले का नाम | जनवरी, 1990 से मार्च, 1993 के दौरान मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राजकोट | 60 |
| 2. | भावनगर | 42 |
| 3. | जामनगर | 27 |
| 4. | जूनागढ़ | 21 |
| 5. | अमरौली | 15 |
| 6. | सुरेन्द्र नगर | 23 |

(ग) अव्यवहार्य टेलीफोनों को छोड़कर सभी टेलीफोन संस्थापित किए जा चुके हैं ।

(घ) शेष टेलीफोन उपलब्ध न कराए जाने के कारण इस प्रकार हैं :

1. कुछ पार्टियों ने अपनी मांगे रद्द कर दीं;
2. पार्टी का परिसर निर्माणाधीन है;
3. पार्टी की अवस्थिति की पुष्टि की जानी है;
4. पार्टी ने टेलीफोन के लिए अपनी मांग दर्ज नहीं कराई है;
5. पार्टी ने मांग टिप्पणी (आवश्यक जमा राशि) का भुगतान नहीं किया है; और
6. कुछ मंजूरियां हाल ही में प्रदान की गई हैं और आम विभागीय औपचारिकताओं का निरीक्षण करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है । अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद लंबित कनेक्शन तत्काल प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

**व्यावसायिक और घरेलू सेवाओं के लिए टेलीफोन किराया**

6679. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक और घरेलू टेलीफोन सेवाओं के लिए अलग-अलग किराया प्रणाली लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, नहीं। फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**तानसेन पर दूरदर्शन धारावाहिक**

6680. **श्री महेश कनोडिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास दूरदर्शन धारावाहिक तानसेन प्रसारण के लिए निर्णयाधीन पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से प्रसारित किया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी के स्टूडियो का निर्माण**

6681. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के निर्माणाधीन स्टूडियो का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्टूडियो का निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) इन स्टूडियो पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना किए जाने के लिए परिकल्पित स्टूडियो सुविधाओं सहित दूरदर्शन स्टूडियो और आकाशवाणी स्टेशनों के ब्यौरे में विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

| योजना | अनुमोदित लागत (पूंजी) (लाख रूपयों में) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| **दूरदर्शन** | | |
| 1. कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्र, बरेली | 630.24 (कार्यक्रम जनरेशन सुविधा और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बरेली, दोनों के लिए । | तकनीकी रूप से तैयार है । |
| 2. स्टूडियो केन्द्र, इलाहाबाद | 1772.15 (अनुमानित पूंजी लागत) | स्थल का अधिकरण कर लिया गया है । सक्षम प्राधिकारी से योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही सिविल कार्य शुरू होगा । |
| **आकाशवाणी** | | |
| रेडियो केन्द्र (अन्य बातों के साथ-साथ बहुउद्देशीय स्टूडियोज) | | |
| 1. चमोली | 185.46 | सिविल कार्य प्रगति पर है । |
| 2. पौड़ी/श्रीनगर | 185.00 | सिविल कार्य प्रगति पर है । |
| 3. झांसी | 293.75 | तकनीकी रूप से तैयार है । |
| 4. बरेली | 277.70 | तकनीकी रूप से तैयार है । |
| 5. फैजाबाद | 292.00 | तकनीकी रूप से तैयार है । |
| 6. अोबरा | 283.50 | तकनीकी रूप से तैयार है । |

**उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता**

6682. **श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह क्षमता राज्य की मांगों के अनुसार पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में कब तक वृद्धि की जाएगी और उसके परिणामस्वरूप नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची किस वर्ष तक निबटा दी जाएगी ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) 31-3-93 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापित क्षमता 577758 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रों की प्रतीक्षा सूची और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित विकास योजना कार्यक्रमों के अनुसार एक्सचेंजों की क्षमता प्रतिवर्ष बढ़ाई जा रही है। एक्सचेंजों का विस्तार करने पर एक विनिर्दिष्ट तारीख तक प्रतीक्षा सूचियों का निपटान किया जा रहा है। विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार, बड़ी टेलीफोन प्रणाली वाले क्षेत्रों में गैर ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तक प्रतिबंधित किया जाना है जबकि योजना अवधि के अन्त तक छोटी प्रणाली वाले क्षेत्रों, और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन व्यावहारिक रूप से मांग होने पर प्रदान किए जाएंगे।

[अनुवाद]

**महाराष्ट्र में टी०ए०सी०**

6683. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सावुल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सर्किल के लिए क्षेत्रीय दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन फरवरी, 1993 तक नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी सभी समितियों के गठन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) ऐसी कोई क्षेत्रीय दूरसंचार सलाहकार समिति नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र सर्किल की दूरसंचार सलाहकार समिति विद्यमान है जिसका गठन 10-4-92 को किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में "पे फोन"**

6684. **डा० लाल बहादुर रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "पे फोन" कनेक्शन दिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, विकलांगों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कर्मियों को किन-किन स्थानों में कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में कोई अनियमितताएं पायी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) पे-फोन्स उन सभी को उदारता से आबंटित किए जाते हैं जो इसके लिए स्वेच्छा से आवेदन करते हैं; इसमें अनुसूचित जाति, विकलांग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं। इसलिए श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

**भारतीय मिशनों के परिसर**

6685. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारतीय मिशन अपने खरीदे गए परिसरों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) किन-किन देशों में भारतीय मिशन किराए के परिसरों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन किराये के परिसरों पर सरकार प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च कर रही है; और

(घ) क्या सरकार ने इन खर्चों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) उन भारतीय मिशनों की दो सूचियों को दर्शाने वाले विवरण I और II सदन के पटल पर रख दिए गए हैं जो अपने सरकारी और किराए के परिसर में कार्य कर रहे हैं।

(ग) 1991-92 में इन किराए के परिसरों पर सरकार द्वारा कुल 52,95,33,000 रुपए (बावन करोड़ पच्चानवे लाख तैंतीस हजार रुपए) खर्च किए गए।

(घ) अपने मिशनों के लिए परिसरों के किराए के खर्चे में कमी करने की दृष्टि से सरकार अपने कार्यालय भवन और आवासीय भवन बनाने और जहां कहीं भी हो उपयुक्त बनी-बनाई सम्पत्तियों, को खरीदने की नीति का पालन कर रही है।

**विवरण**

**भारतीय मिशनों/केन्द्रों के नाम जो अपने सरकारी परिसरों में कार्य कर रहे हैं**

1. भारत का हाई कमीशन, अंकारा।

2. भारत का राजदूतावास, अमन ।
3. भारत का राजदूतावास, अंकारा ।
4. भारत का राजदूतावास, अन्तानानारिवो ।
5. भारत का राजदूतावास, एथेन्स ।
6. भारत का राजदूतावास, बैंकाक ।
7. भारत का राजदूतावास, बीजिंग ।
8. भारत का राजदूतावास, बोन ।
9. भारत का राजदूतावास, ब्रुसेल्स ।
10. भारत का राजदूतावास, बूडापेस्ट ।
11. भारत का राजदूतावास, ब्यूनोर्स आयर्स ।
12. भारत का राजदूतावास, काहिरा ।
13. भारत का हाई कमीशन, केनबरा ।
14. भारत का राजदूतावास, कराकास ।
15. भारत का हाई कमीशन, कोलम्बो ।
16. भारत का राजदूतावास, कोपेनहेगन ।
17. भारत का राजदूतावास, दमिश्क ।
18. भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई ।
19. भारत का प्रधान कोंसलावास, डबलिन ।
20. भारत का हाई कमीशन, हरारे ।
21. भारत का राजदूतावास, हेलसिंकी ।
22. भारत का कमीशन, हांगकांग ।
23. भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद ।
24. भारत का राजदूतावास, जकार्ता ।
25. भारत का प्रधान कोंसलावास, करांची ।
26. भारत का राजदूतावास, काठमांडू ।
27. भारत का राजदूतावास, खारतूम ।
28. भारत का राजदूतावास, किंशासा ।
29. भारत का हाई कमीशन, कुआलालम्पुर ।
30. भारत का राजदूतावास, कुवैत ।
31. भारत का हाई कमीशन, लागोस ।

32. भारत का हाई कमीशन, लिलोंग्वे ।
33. भारत का राजदूतावास, लीमा ।
34. भारत का राजदूतावास, लिस्बन ।
35. भारत का हाई कमीशन, लंदन ।
36. भारत का हाई कमीशन, लुसाका ।
37. भारत का राजदूतावास, मैड्रिड ।
38. भारत का हाई कमीशन, माहे ।
39. भारत का राजदूतावास, मनीला ।
40. भारत का कोंसलावास, मेडन ।
41. भारत का राजदूतावास, मैक्सिको ।
42. भारत का राजदूतावास, मास्को ।
43. भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क ।
44. भारत का स्थायी कमीशन, न्यूयार्क ।
45. भारत का हाई कमीशन, निकोसिया ।
46. भारत का राजदूतावास, ओस्लो ।
47. भारत का हाई कमीशन, ओटावा ।
48. भारत का राजदूतावास, पेरिस ।
49. भारत का हाई कमीशन, पोर्ट आफ स्पेन ।
50. भारत का राजदूतावास, रबात ।
51. भारत का प्रधान कोंसलावास, सान फ्रांसिस्को ।
52. भारत का राजदूतावास, सांतिआगो ।
53. भारत का राजदूतावास, सिओल ।
54. भारत का हाई कमीशन, सिंगापुर ।
55. भारत का राजदूतावास, तेहरान ।
56. भारत का राजदूतावास, दि हेग ।
57. भारत का राजदूतावास, थीम्पू ।
58. भारत का राजदूतावास, टोक्यो ।
59. भारत का राजदूतावास, ट्यूनिस ।
60. भारत का राजदूतावास, वियना ।
61. भारत का राजदूतावास, वारसा ।

62. भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन ।

63. भारत का हाई कमीशन, विंडहोक ।

**विवरण-II**

**भारतीय मिशनों/केन्द्रों के नाम जो किराए के परिसरों में कार्य कर रहे है**

1. भारत का राजदूतावास, आबिदजान ।
2. भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स ।
3. भारत का राजदूतावास, आबूधाबी ।
4. भारत का प्रधान कौंसलावास, अदन ।
5. भारत का राजदूतावास, आदिस अबाबा ।
6. भारत का सहायक हाई कमीशन, बर्मिघम ।
7. भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया ।
8. भारत का राजदूतावास, बर्न ।
9. भारत का राजदूतावास, बगदाद ।
10. भारत का राजदूतावास, बहरीन ।
11. भारत का प्रधान कौंसलावास, शिकागो ।
12. भारत का राजदूतावास, बेरूत ।
13. भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड ।
14. भारत के राजदूतावास का बर्लिन कार्यालय, बर्लिन ।
15. भारत का राजदूतावास, बर्न ।
16. भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट ।
17. भारत का कौंसलावास, चिगमई ।
18. भारत का सहायक हाई कमीशन, चिट्टगांव ।
19. भारत का हाई कमीशन, दार-ए सलाम ।
20. भारत का हाई कमीशन ढाका ।
21. भारत का राजदूतावास, दोहा ।
22. भारत का प्रधान कौंसलावास, फ्रैंकफर्ट ।
23. संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा ।
24. भारत का हाई कमीशन, जार्जटाउन ।
25. भारत का हाई कमीशन, गेबरोन ।

26. भारत का राजदूतावास, हनोई ।
27. भारत का प्रधान कोंसलावास, हो ची मिन्ह सिटी ।
28. भारत का हाई कमीशन, हांगकांग ।
29. भारत का प्रधान कोंसलावास, हमबर्ग ।
30. भारत का राजदूतावास, हवाना ।
31. भारत का प्रधान कोंसलावास, लद्दाह ।
32. भारत का हाई कमीशन, किंगस्टन ।
33. भारत का राजदूतावास, काबुल ।
34. भारत का सहायक हाई कमीशन, कैंडी ।
35. भारत का राजदूतावास, कीव ।
36. भारत का राजदूतावास, लुआंडा ।
37. भारत का हाई कमीशन, माले ।
38. भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान ।
39. भारत का राजदूतावास, मस्कट ।
40. भारत का राजदूतावास, मिंस्क ।
41. भारत का राजदूतावास, मापूती ।
42. भारत का कमीशन, मोम्बासा ।
43. भारत का राजदूतावास, डकार ।
44. भारत का हाई कमीशन, नैरोबी ।
45. भारत का प्रधान कोंसलावास, ओडेसा ।
46. भारत का प्रधान कोंसलावास, ओसाका ।
47. भारत का हाई कमीशन, पोर्ट लुईस ।
48. भारत का राजदूतावास, पारामारिबो ।
49. भारत का राजदूतावास, नोम पेन्ह ।
50. सम्पर्क कार्यालय, फुंटशोलिंग ।
51. भारत का राजदूतावास, प्राग ।
52. भारत का राजदूतावास, प्योंग यांग ।
53. भारत का सहायक हाई कमीशन, राजशाही ।
54. भारत का राजदूतावास, रियाद ।
55. भारत का राजदूतावास, रोम ।

56. भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट डेनिस ।

57. भारत का राजदूतावास, सेंट पीटर्सबर्ग ।

58. भारत का राजदूतावास, साना ।

59. भारत का कोंसलावास, शंघाई ।

60. भारत का कोंसलावास, शिराज ।

61. भारत का राजदूतावास, सोफिया ।

62. भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम ।

63. भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी ।

64. भारत का राजदूतावास, ताशकंद ।

65. भारत का राजदूतावास, तेल अबीब ।

66. भारत का प्रधान कोंसलावास, टोरेंटो ।

67. भारत का राजदूतावास, त्रिपोली ।

68. भारत का राजदूतावास, उलान बटोर ।

69. भारत का प्रधान कोंसलावास, वेंनकूवर ।

70. भारत का राजदूतावास, वियन्तयाने ।

71. भारत का प्रधान कोंसलावास, व्लादीवोस्तोक ।

72. भारत का हाई कमीशन, वैलींगटन ।

73. भारत का राजदूतावास, यांगून ।

74. भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार ।

75. भारत का कोंसलावास, जाही दान ।

76. भारत का प्रधान कोंसलावास, पोर्ट सैंड ।

77. भारत का राजदूतावास, अल्मा अता ।

**दिल्ली में विद्युत कनेक्शन**

6686. **श्री जीवन शर्मा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत क्षेत्रों/कालोनियों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लोगों से पैसे लेकर रसीद देने के बाद भी उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में पहले पैसा जमा कराने वाले लोगों को विद्युत कनेक्शन न देकर कुछ अन्य लोगों को कनेक्शन दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्युत की चोरी को रोकने हेतु अनधिकृत क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (ङ) डेसू द्वारा अनधिकृत कालोनियों में उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन, विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरा होने के बाद जारी किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां निवासियों द्वारा विकास प्रभार जमा करा दिए गए हों, विलम्ब सामान्यतया आवेदकों द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने अथवा उपकेन्द्रों हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने, तारों को बिछाए जाने में मार्गाधिकार सम्बन्धी समस्यायें होने आदि के परिणामस्वरूप विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों में देरी होने के कारण होता है। कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में पक्षपात सम्बन्धी किसी प्रकार के विशिष्ट मामले में डेसू द्वारा ही उचित कार्यवाही की जा सकती है। दिल्ली प्रशासन की नीति के अनुसार, केवल 1981 से पहले की अनधिकृत कालोनियां ही विद्युतीकरण हेतु पात्र हैं। बिजली की चोरी जोकि भारतीय (बिजली) अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध है, को रोकने के लिए डेसू द्वारा छापों में तेजी लाई गई है।

**कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों द्वारा हड़ताल**

6687. **श्री वी० पी० मुवाल गिरियप्पा :**
**श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों ने देशभर में आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संघ से ट्रेड यूनियन की कार्रवाई संबंधी दिनांक 18-3-93 को एक नोटिस प्राप्त हुआ है। संघ द्वारा प्रस्तावित ट्रेड यूनियन की कार्रवाईयां निम्नलिखित हैं :—

(i) 31 मार्च, 1993 की मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/टी०ओ०एम०/टी०डी०ई मुख्यालय में भोजनकाल/छुट्टी के समय प्रदर्शन।

(ii) 6 से 8 अप्रैल, 1993 तक मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक मुख्यालयों में क्रमिक भूख हड़ताल।

(iii) 16 अप्रैल, 1993 को 0900-1700 बजे तक मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/टी० डी० एम० मुख्यालयों में धरना।

(iv) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/डी०टी०डी०एम०/टी०डी०ई० मुख्यालयों में 27 एवं 28 अप्रैल, 1993 को क्रमिक भूख हड़ताल।

(v) 28 अप्रैल, 1993 को 10 बजे से अगली सूचना तक नियम के अनुसार कार्य।

(ग) संघ की मांगें निम्नलिखित हैं :—

(i) टी०ई०एस० ग्रड "ख" में 4800 अतिरिक्त पदों का सृजन ताकि न्यायालय के फैसले के अनुसरण में वरिष्ठता सूची को दोबारा तैयार करने के फलस्वरूप प्रत्यावर्तित होने वाले लगभग 550 स० इंजीनियर पदावनत न हो सकें और संशोधित वरिष्ठता क्रम के अनुसार उनसे वरिष्ठ सभी अधिकारियों को पदोन्नत किया जा सके।

(ii) बाद में दूसरी पदोन्नति।

(iii) टी० ई० एस० ग्रेड "ख" अर्हक परीक्षा का निराकरण।

(iv) इंजीनियरी को उपाधि धारक ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी जो विभाग में सीधे प्रवेश पाते हैं, को अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान करना और वेतन वृद्धियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना।

(v) छूट्टी के दिन/कार्यालय समय के बाद काम करने वाले कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में उचित पारिश्रमिक देना।

(घ) मांगों पर विचार किया गया/नियमों के अन्तर्गत और न्यायालय के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है और उन्हें आन्दोलन का रास्ता न अपनाने के लिए राजी किया जा रहा है।

**डाक द्वारा पत्र भेजना**

6688. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोस्टिंग लैट्र्स टू नो व्हेयर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बातों में से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में निम्नलिखित बातों को मुख्य रूप से उठाया गया :—

(i) डाकघर भवनों की देखभाल, धूल से सने तथा निरर्थक काउंटर, स्टाफ का उदासीन व्यवहार।

(ii) विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में काउंटर पर लम्बी प्रतीक्षा तथा देरी, एक ही कार्य के लिए अलग-अलग लाइनों में प्रतीक्षा करना।

(iii) दिल्ली से भेजे और दिल्ली में ही वितरित डाक का, जिसमें रजिस्टर्ड डाक-मदें तथा पत्र भी शामिल हैं, विलम्ब से वितरण।

(iv) चौबीस घण्टे काम करने वाले डाकघरों का न होना।

(ग) दिल्ली में डाक-सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) भवनों का रख-रखाव वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है ।

(ii) डाक सेवाओं के सम्बन्ध में शिकायतों की, जिसमें स्टाफ द्वारा किया जाने वाले दुर्व्यवहार भी शामिल है, तत्परता से जांच पड़ताल की जाती है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है ।

(iii) 9 नए डाकघर खोले गए हैं । व्यस्त कार्य-घण्टों के दौरान अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं । कुछ डाकघरों में काउंटर पर लेने-देन में लगने वाले समय को कम करने के लिए बहुउद्देशीय काउंटर खोले गए हैं ।

(iv) डाक के पहुंचने का समय रेल विभाग, एयरलाइन्स तथा ट्रांसपोर्ट जैसी परिवहन एजेंसियों के चलने पर निर्भर करता है । परिवहन एजेंसियों के साथ उच्चतम स्तर पर निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

(v) डाक-वितरण की प्राय: मॉनीटरिंग की जाती है तथा जहां कहीं विलम्ब होना ध्यान में आता है, वहां सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

(vi) विभिन्न बस्तियों में चुने हुए डाकघरों के कार्य-घण्टों को इस तरह अनुकूल बनाया गया है जिससे जनता को कार्यदिवसों को रात 8 बजे तक तथा रविवार/छुट्टियों वाले दिन दोपहर 1 बजे तक डाक सुविधाएं सुलभ हो सकें ।

**फरक्का बांध से भागीरथी-हुगली तक पानी छोड़ा जाना**

6689. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी का अधिक मात्रा और कम मात्रा में उपलब्ध होने की अवधि के दौरान फरक्का बांध से भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के लिए सामान्यत: कितना-कितना पानी छोड़ा जाता है;

(ख) उक्त नदी प्रणाली की समुद्री यात्रा क्षमता में सुधार लाने तथा अन्य प्रयोजनार्थ शुरू में कितना पानी छोड़ने की योजना थी;

(ग) क्या कम पानी छोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने अपेक्षित पानी छोड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) फरक्का बराज से भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में छोड़े जाने वाले जल की मात्रा अधिक और कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की अवधि में क्रमश: 40,000 क्यूसेक से 12,000 क्यूसेक है ।

(ख) भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में नौगम्यता में सुधार लाने के लिए छोड़े जाने वाले जल की मात्रा 40,000 क्यूसेक है ।

(ग) से (ङ) फरक्का पर गंगा नदी में जल के कम आने के कारण नियोजित मात्रा निर्मुक्त नहीं की जा सकी । इसके अलावा, भारत को बंगलादेश में जल की आवश्यकताओं के लिए

भी व्यवस्था करनी है। गंगा नदी में प्रवाहों को बढ़ाने के लिए बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

**विदेशी फिल्मों का आयात**

6690. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म आयात नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी फिल्मों के आयात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार के पास आयात की जाने वाली फिल्मों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमरीकी फिल्मों के आयात के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आयात नीति का उदारीकरण से हमेशा आयात में वृद्धि होगी। सही स्थिति का तभी पता चलेगा जब यह नीति कुछ और अधिक समय तक प्रचलन में रहेगी।

(ख) जी, हां। सिर्फ उसी फिल्म, जिसने सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कोई पुरस्कार जीता हो, अथवा जिससे अधिसूचित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किसी शासकीय खण्ड में भाग लिया हो, अथवा जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिकाओं में अच्छी समीक्षा हुई हो, का आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन फिल्मों को चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना भी अपेक्षित होता है।

(ग) आयात नीति सभी विदेशी फिल्मों पर समान रूप से लागू होती है तथा किसी देश विशेष से फिल्मों के आयात के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए जा सकते हैं।

**राज्य बिजली बोर्डों पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया-राशि**

6691. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 को प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बकाया राशि का तुरन्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित बनाने के लिए राज्यों को कुछ सुविधा देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड/विभाग की और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) की बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) एन०टी०पी०सी० द्वारा किसी भी बैंक में बिल प्रस्तुत किए जाने पर शाख

पत्र के द्वारा भुगतान की गई राशि पर एन०टी०पी०सी० 2.5% की छूट की अनुमति प्रदान की है। जिन मामलों में एन०टी०पी०सी० द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से एक महीने की अवधि के अन्दर झाख पत्र के द्वारा अथवा अन्यथा तदन्तर भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में 1% की छूट की अनुमति प्रदान की जाती है।

विवरण

31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की ओर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि

(करोड़ रु० में)

| राज्य बिजली बोर्ड/ | अब तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि | अधिभार राशि के बिल | कुल बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| उत्तर प्रदेश | 312.79 | 195.98 | 508.77 |
| राजस्थान | 83.64 | 102.40 | 186.04 |
| दिल्ली | 96.86 | 53.08 | 149.94 |
| पंजाब | 37.75 | 1.12 | 38.87 |
| हरियाणा | 141.13 | 76.62 | 217.55 |
| हिमाचल प्रदेश | 11.46 | 6.87 | 18.33 |
| जम्मू और कश्मीर | 48.38 | 9.10 | 57.48 |
| चण्डीगढ़ | 1.31 | .24 | 1.55 |
| मध्य प्रदेश | 75.14 | 140.48 | 215.62 |
| महाराष्ट्र | 103.37 | 47.21 | 150.58 |
| गुजरात | 46.70 | 44.22 | 90.92 |
| गोवा | .49 | .44 | .53 |
| दादर और नगर हवेली | .99 | .12 | 1.11 |
| दमन और दीव | 1.91 | — | 1.91 |
| आन्ध्र प्रदेश | 39.55 | 19.68 | 59.23 |
| कर्नाटक | 19.00 | 19.58 | 38.58 |
| तमिलनाडु | 54.04 | 33.22 | 87.26 |
| केरल | 17.79 | 13.39 | 31.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पांडिचेरी | (—) 3.62 | .02 | ( --) 3.60 |
| पश्चिमी बंगाल | 39.60 | 42.07 | 79.67 |
| बिहार | 242.76 | 137.88 | 380.44 |
| उड़ीसा | 21.00 | 17.43 | 30.51 |
| सिक्किस | .33 | .01 | .34 |
| जोड़ : | 1390.45 | 960.56 | 2351.01 |

**विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता**

6692. **श्री धर्मलिंगम** : क्या विद्युत मन्त्री 3 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3970 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में विश्व बैंक से बातचीत का कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अतिरिक्त सहायता राशि कब तक मिल जाएगी ?

**विद्युत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (ग) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है और अन्य परियोजनाओं के लिए विचार-विमर्श जारी है।

**दिल्ली में पुनः टेलीफोन लगाया जाना**

6693. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा विदेश जाते समय एम०टी०एन०एल० के सुरक्षित निगरानी (सेफकस्टडी) में रखे गए टेलीफोन को पुनः लगाने के लिए कोई मानदण्ड या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा विदेश से वापस आने पर अपने नये आवास पर ऐसे टेलीफोन पुनः लगाने के लिए किए गए अनुरोधों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्षेत्रवार ऐसे टेलीफोन पुनः कब तक लगा दिए जायेंगे ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश जाने वाले उपभोक्ताओं के सुरक्षित अभिरक्षा के अन्तर्गत टेलीफोनों के मामलों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में हेलीकाप्टर सेवाएं**

6694. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में उत्तर प्रदेश में कितने अतिरिक्त स्थानों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का हेलीकाप्टर सेवाओं से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पवन हंस लिमिटेड ने एक चार्टरकर्त्ता को एक हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने का करार किया है जिसका देहरादून में हेलीकाप्टर का बेस मानकर ऋषिकेश-बद्रीनाथ-केदारनाथ सेक्टरों पर हेलीकाप्टर सेवा चलाने का प्रस्ताव है ।

[अनुवाद]

**असम में ग्रामीण विद्युतीकरण**

6695. **श्री प्रबीन डेका** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन परियोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 1991-92 में धनराशि मंजूर की गई थी;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) 1992-93 में असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जिलावार कौन-कौन सी परियोजनाएं ग्रामीणी विद्युतीकरण निगम के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई तथा प्रत्येक मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

**विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) निम्न स्कीमों के अधीन 1991-92 के दौरान असम को आबंटित की गई निधियां :—

1. ग्राम विद्युतीकरण निगम सामान्य कार्यक्रम;

2. ग्राम विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम; और

3. ग्राम विद्युतीकरण निगम प्रणाली सुधार कार्यक्रम ।

(ख) असम राज्य बिजली बोर्ड के लिए 1991-92 के दौरान 600 लाख रु० की राशि मुहैया कराई गई थी जिसका ब्यौरा निम्नवत है :—

| | मुहैया कराई गई राशि (लाख रु०) |
|---|---|
| 1. ग्राम विद्युतीकरण निगम सामान्य | 100 |
| 2. ग्राम विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 500 |
| जोड़ : | 600 |

(ग) 1992-93 के दौरान असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निधम के अनुमोदन हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

**मेलों का आयोजन**

6696. श्री एन० जे० राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1992 में अन्तर्राज्यीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कलकत्ता में किसी मेले का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन राज्यों ने भाग लिया था;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मेलों का आयोजन विभिन्न राज्यों, विशेषत: गुजरात में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। एक निजी उद्यमी ने जुलाई 1992 में कलकत्ता में एक यात्रा तथा पर्यटन मेले का आयोजन किया था।

(ख) इस मेले में भारत पर्यटन विकास निगम और क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय कलकत्ता के अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग मेलों और उत्सवों का आयोजन नहीं करता। इनका आयोजन या तो निजी उद्यमी करते हैं या राज्य सरकारें करती हैं। मेलों और त्योहारों का आयोजन करने के लिए, राज्य सरकारें केन्द्रीय पर्यटन विभाग से वित्तीय सहायता की मांग करती है।

[हिन्दी]

**रांची क्षेत्र, बिहार तथा बिलासपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को राहत**

6697. श्री रामदहल चौधरी :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची क्षेत्र, बिहार तथा बिलासपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई राशि के बिल प्राप्त होने के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें सही पाई गई हैं तथा प्रयोक्ताओं को दिए गए राहत क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना संबंधित एककों से मंगाई गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**गुजरात में ग्रामीण डाकघरों का कार्यकरण**

6698. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने ग्रामीण डाकघर हैं और उनमें से कितने डाकघरों की विभागीय इमारतें नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन डाकघरों के घटिया कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन डाकघरों का कार्यकरण सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) गुजरात में ग्रामीण (विभागीय) डाकघरों की कुल संख्या 650 है, जिनमें से 602 डाकघरों के लिए विभागीय भवन नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**फैक्स सेवा**

6699. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्स के द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का ब्यौरा क्या है;

(ख) फैक्स सेवा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है; और

(ग) इस समय किन-किन शहरों में फैक्स सेवा उपलब्ध है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) फैक्स सेवा से दस्तावेजों हाथ से लिखी गई सामग्री सहित ग्राफिक्स, चित्र हस्ताक्षर आदि का देश में या देश से बाहर दूर स्थित स्थानों में तत्काल सम्प्रेषण सम्भव हो जाता है। टेलीफोन उपभोक्ता अपनी लाइन पर फैक्स मशीन का प्रयोग करने के लिए विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और यदि यह सुविधा उपभोक्ता के अपने प्रयोग के लिए हो तो लाइसेंस शुल्क 3,000/- रु० प्रति वर्ष है। अपनी फैक्स मशीन से वह दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ी इसी तरह की अन्य मशीन पर सम्प्रेषित कर सकता है। फैक्स मशीन प्रयोक्ता द्वारा ही प्राप्त की जाती है व उसी के स्वामित्व में होती है।

(ग) फैक्स सेवा उन सभी शहरों में उपलब्ध है जहां पर एस० टी० डी० सुविधा मौजूद है।

**निजी एयर टैक्सी संचालक**

6700. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयर टैक्सी संचालक सरकार को अपने विमान उतारने हेतु लैंडिंग शुल्क तथा ईंधन शुल्क इत्यादि नियमित रूप से दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनसे बकाया शुल्क वसूलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

**विदेशों में परियोजनाओं का निर्माण**

6701. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :**
**श्री नीतीश कुमार :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशों में कई निर्माण परियोजनाओं के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभागों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; इस प्रकार के समझौतों पर किन-किन देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और इन परियोजनाओं के नाम और मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या इन्हें ठेका देने से पूर्व विभागों की कार्य क्षमता और दक्षता का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं को लागू करते समय घाटा उठाना पड़ा, जबकि इस सम्बन्ध में मूल्यांकन कर लिया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी परियोजनाओं का निर्माण किया गया और कितना लाभ हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इस मन्त्रालय के अधीन किसी उपक्रम ने विदेश में परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया है।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

**जापान द्वारा सहायता को परमाणु अप्रसार सन्धि के साथ जोड़ा जाना**

6702. **श्री मनोरंजन भक्त :**
**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1993 में जापान के साथ परमाणु अप्रसार सन्धि तथा परमाणु सम्बन्धी मुद्दों पर कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने परमाणु अप्रसार सन्धि पर अपना सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो जापान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या जापान ने सहायता को परमाणु अप्रसार सन्धि के साथ जोड़ दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों के बीच जून, 1992 में हुई सहमति के अनुसरण में 12 मार्च, 1993 को भारत और जापान के बीच अप्रसार और संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई । इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और नाभिकीय निरस्त्रीकरण, नाभिकीय अप्रसार और नाभिकीय कार्यक्रमों, नाभिकीय अप्रसार संधि, एशिया में सुरक्षा-स्थिति, नाभिकीय निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय दृष्टिकोण, सामूहिक विनाश की अन्य पद्धतियों, प्रेषण पद्धति और निर्यात नियन्त्रण प्रणालियों के सम्बन्ध में भारत और जापान की नीतियों और दृष्टिकोणों की समीक्षा की । इस बातचीत के फलस्वरूप उपरोक्त विषयों पर एक-दूसरे की स्थिति और दोनों देशों की हित-चिन्ताओं को समझा गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जापान ने नाभिकीय अप्रसार सन्धि पर भारत की स्थिति पर गौर किया, परन्तु साथ ही इस विषय पर और द्विपक्षीय बातचीत करने का सुझाव दिया क्योंकि जापान नाभिकीय अप्रसार सन्धि का समर्थन करता है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**भारतीय कलाकारों की पाकिस्तान यात्रा**

6703. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान में मंच पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु वहां की यात्रा करने की अनुमति देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम नहीं है जिसके अन्तर्गत भारतीय कलाकार पाकिस्तान जा सकते हों । तथापि, हमें इस बात की जानकारी है कि भारतीय कलाकार मंचीय कला का प्रदर्शन करने के लिए अपनी निजी हैसियत से पाकिस्तान की व्यापारिक यात्राएं करते हैं और कभी-कभी उन्हें मंचीय प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है ।

हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सम्पर्क को बढ़ावा दिया जाए और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान, भारतीय कलाकारों की ऐसी यात्राओं पर कोई रोक नहीं लगाएगा तथापि भारत की पाकिस्तान पर अपने कलाकार अथवा संस्कृति को थोपने की कोई इच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

**कनाडा के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध**

6704. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों में और सुधार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच परमाणु अप्रसार संधि एक विवाद का विषय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) सरकार भारत और कनाडा के बीच सम्बन्धों के निरन्तर प्रसार और विविधीकरण को महत्व देती है। द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों के बीच जल्दी-जल्दी परामर्श किए गए हैं। राजनीतिक नेताओं की उच्च-स्तरीय यात्राएं भी हुई हैं। सरकार कनाडा के साथ बढ़ते हुए पारस्परिक आर्थिक और वाणिज्यिक क्रिया-कलापों को विशेष महत्व देती है।

(ग) और (घ) कनाडा ने भारत को नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। नाभिकीय अप्रसार संधि पर हमारी स्थिति सिद्धान्तपूर्ण और सुपरिचित है। हम अब भी इसके वर्तमान रूप को भेदभावपूर्ण समझते हैं और हमारा यह विश्वास है कि इससे सुरक्षा सम्बन्धी चिंताएं हल नहीं होती।

[हिन्दी]

**इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना**

6705. **श्री कुन्जी लाल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे स्वीकृति कब तक दी जायेगी; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और इससे कितने जिले लाभान्वित होंगे ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई स्कीम तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की खरीद**

6706. **श्री नीतीश कुमार :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन और इसकी खरीद की गई तथा किन-किन राज्यों से बिजली की खरीद की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान डेसू ने प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि व्यय की;

(ग) उक्त अवधि में दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के प्रयोक्ताओं को कितनी बिजली सप्लाई की गई;

(घ) क्या "डेसू" द्वारा उत्पादित और खरीदी गई बिजली मात्रा प्रयोक्ताओं को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितना अन्तर है ?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत के तीन वर्ष के दौरान डेसू द्वारा विद्युत उत्पादन/खरीद पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नवत है :—

| ब्यौरा | 1990-91 (अनंतिम) | 1991-92 (अनंतिम) | 1992-93 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| **विद्युत की खरीद** | | | |
| डेसू द्वारा आयात की गई ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट) | 6378 | 6973 | 7254 |
| लागत बिल (करोड़ रु०) | 535.35 | 605.32 | 723.31 |
| डेसू द्वारा किया गया भुगतान | 194.64 | 345.73 | 322.84 |
| **डेसू का विद्युत उत्पादन** | | | |
| उत्पादित ऊर्जा (मिलियन यूनिट) | 1884 | 2194 | 2121 |
| विद्युत उत्पादन की लागत (करोड़ रु० में) | 208.30 | 262.17 | 295.25 |

(ग) अपेक्षित ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विगत के तीन वर्षों के दौरान डेसू द्वारा उत्पादित विद्युत/खरीद तथा उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है :—

| ब्यौरा | 1990-91 (अनंतिम) | 1991-92 (अनंतिम) | 1992-93 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| (क) उत्पादित विद्युत/खरीद (मिलियन यूनिट) | 8262 | 9167 | 9375 |
| (ख) बेची गई विद्युत | 6515 | 7099 | 7500 |
| अन्तर (क-ख) | 1747 | 2068 | 1075 |

विवरण-I

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान खरीदी गई विद्युत की मात्रा (स्रोत वार) उत्पादित विद्युत

| ब्यौरा | 1990-91 (अनंतिम) मिलियन यूनिट | 1991-92 (अनंतिम) मिलियन यूनिट | 1992-93 (आर० ई०) मिलियन यूनिट |
|---|---|---|---|
| i | 2 | 3 | 4 |
| **1. विद्युत खरीद** | | | |
| (अ) बी० टी० पी० एस० | 3545.373 | 3469.733 | 3400.000 |
| (ब) एन० टी० पी० सी० | | | |
| (क) रिंगरोली/रिहन्द/ पश्चिमी ग्रिड | 1838.042 | 2379.336 | 2335.000 |
| (ख) अन्ता/औरिया | 228.589 | 390.525 | 450.000 |
| (ग) दादरी | — | — | 210.000 |
| (स) एन० एच० पी० सी० | | | |
| (क) सलाल | 258.867 | 257.434 | 260.000 |
| (ख) बैरास्यूल | 74.205 | 81.083 | 75.000 |
| (ग) टनक पुर | — | — | 10.000 |
| (द) नरौरा परमाणु विद्युत स्टेशन | 36.913 | 31.359 | 150.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (ध) पी० एस० ई० बी० | 149.003 | 15.502 | 363.950 |
| (न) एच० पी० एस० ई० बी० | 209.571 | 348.234 | |
| (म) आर० एस० ई० बी० | — | — | |
| (प) अन्य | 37.167 | — | |
| कुल विद्युत खरीद | 6377.730 | 6973.206 | 7253.950 |
| 2. डेसू द्वारा उत्पादित ऊर्जा (निवल) | 1884.438 | 2194.296 | 2121.050 |
| कुल उपलब्ध ऊर्जा | 8262.168 | 9167.502 | 9375.000 |

विवरण-II

विगत के तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत् की मात्रा

| श्रेणी | मिलियन यूनिट 1990-91 (अनंतिम) | मिलियन यूनिट 1991-92 (अनंतिम) | मिलियन यूनिट 1992-93 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| घरेलू | 2415·522 | 3110·053 | 3265 |
| गैर-घरेलू एल०टी० | 690·390 | 503·240 | 620 |
| एच०टी० | 402·964 | 410 961 | 440 |
| औद्योगिक | | | |
| एस०आई०पी० | 1189·180 | 1161·970 | 1300 |
| एल०आई०पी० | 741·198 | 639·277 | 550 |
| वाटर वर्क्स | 230·179 | 220·661 | 220 |
| कृषि | 21·235 | 45·176 | 60 |
| सार्वजनिक प्रकाश | 117·354 | 133·862 | 160 |
| लाइसेंसिज | | | |
| (क) एन०डी०एम०सी० | 617·362 | 682·286 | 880 |
| (ख) एम०ई०एस० | 89·605 | 98·339 | 85 |
| कुल बेची गई ऊर्जा | 6516·077 | 7098·833 | 7500 |

## भारत-नेपाल-सन्धि

6707. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि, 1950 द्वारा एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के क्षेत्र में संपत्ति खरीदने, व्यापार रोजगार स्थापित करने और बेरोकटोक भ्रमण करने सम्बन्धी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संधि को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि के अनुच्छेद 6 और 7 में यह व्यवस्था है कि :

### अनुच्छेद-6

भारत और नेपाल के बीच मैत्री को देखते हुए दोनों सरकारें इस बात का वचन लेती हैं कि वे अपने-अपने प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में सहभागिता तथा ऐसे विकास से सम्बन्धित रियायतें और संविदाएं देने के संदर्भ में अपने प्रदेश में एक-दूसरे के राष्ट्रियकों के साथ राष्ट्रीय व्यवहार करेंगी ।

### अनुच्छेद-7

भारत सरकार और नेपाल सरकार इस बात पर सहमत हैं कि वे आवास, सम्पत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में सहभागिता, आवागमन और इस प्रकार के अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में अपने-अपने प्रदेश में एक-दूसरे के देश के राष्ट्रिकों को पारस्परिकता के आधार पर समान रूप से विशेषाधिकार देंगी ।

(ग) भारत सरकार भारत-नेपाल मैत्री संधि के प्रावधानों के अनुरूप अपने दायित्वों पर बराबर अमल कर रही है । नेपाल में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में सहभागिता और रियायतें तथा संविदाए देने के सन्दर्भ में भारतीय व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय व्यवहार करने के संबंध में अनुच्छेद 6 में जो प्रावधान हैं उनका इस समय नेपाल में अमल नहीं किया जा रहा है । इस संधि के साथ 31 जुलाई, 1950 को भारत और नेपाल के बीच जिन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था उनके अनुसार भारत सरकार इस बात को मानती है कि भविष्य में कुछ समय तक यह आवश्यक होगा कि नेपाल में नेपाली राष्ट्रिकों को अप्रतिबन्धित प्रतियोगिता के मामले में संरक्षण दिया जाए ।

अनुच्छेद 7 पर तुलनात्मक दृष्टि से इस समय अमल की स्थिति असमान है जिसमें यह व्यवस्था है कि आवास, सम्पत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में सहभागिता, आवागमन तथा उसी प्रकार के अन्य विशेषाधिकारों के सन्दर्भ में, एक-दूसरे के प्रदेश में, एक-दूसरे के राष्ट्रिकों को पारस्परिकता के आधार पर विशेषाधिकार दिए जाएं । भारत-नेपाल के बीच अच्छे सम्बन्धों के व्यापक हित को देखते हुए भारत सरकार की यह नीति नहीं रही है कि वह ऐसे सभी मामलों में यह मांग करे कि पारस्परिकता के सिद्धान्त का पूरी तरह से और तत्काल पालन हो ।

भारत सरकार का यह प्रयास है कि इस संधि के प्रावधानों का पूर्ण क्रियान्वयन हो ताकि दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हों ।

**मध्य प्रदेश में एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सार्वजनिक टेलीफोन**

6708. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक दिए गए एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार का ऐसी कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) 4000 ऐसे टेलीफोनों को वर्ष 1993-94 में उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

**विवरण**

**31-3-1993 तक मध्यप्रदेश दूर संचार सर्किल में लगाए गए पी०सी०ओ० का जिलावार ब्यौरे**

| क्रम सं० | जिला | एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन | क्रम सं० | जिला | एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 277 | 2. | सिहोर | 5 |
| 3. | रायसेन | 10 | 4. | रायपुर | 248 |
| 5. | अम्बिकापुर | 17 | 6. | रायगढ़ | 28 |
| 7. | शहडोल | 12 | 8. | बिलासपुर | 95 |
| 9. | सतना | 47 | 10. | रीवा | 21 |
| 11. | सीधी | 9 | 12. | पन्ना | 4 |
| 13. | दुर्ग | 140 | 14. | राजन्दगांव | 21 |
| 15. | जगदलपुर | 19 | 16. | जबलपुर | 274 |
| 17. | ग्वालियर | 214 | 18. | दतिया | 3 |
| 19. | मुरेना | 25 | 20. | शिवपुरी | 28 |
| 21. | भिंड | 16 | 22. | गुना | 28 |
| 23. | सागर | 66 | 24. | दमोह | 12 |
| 25. | छत्तरपुर | 16 | 26. | टीकमगढ़ | 5 |
| 27. | नरसिंहपुर | 14 | 28. | मंडला | 14 |
| 29. | सोनी | 16 | 30. | बालाघाट | 16 |
| 31. | छिन्दवाडा | 49 | 32. | झाबुवा | 61 |

| क्रम सं० | जिला | एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन | क्रम सं० | जिला | एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | होशंगाबाद | 50 | 34. | बेतूल | 16 |
| 35. | देवास | 23 | 36. | खरगांव | 19 |
| 37. | धार | 23 | 38. | उज्जैन | 80 |
| 39. | रतलाम | 56 | 40. | झबुआ | 15 |
| 41. | राजगढ़ | 11 | 42. | शाजापुर | 20 |
| 43. | विदीशा | 18 | 44. | मंदसोर | 9 |
| 45. | इन्दौर | 442 | | | |
| 1 से 45 तक, कुल योग | | 2600 | | | |

**सिंचाई प्रबन्धन नीति**

6709. **डा० चिन्ता मोहन :**
**श्री नवल किशोर राय :**

**क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) क्या सिंचाई प्रबन्धन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;**

**(ख) इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा;**

**(ग) किन मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकियों को स्वीकृति देने की सिफारिश की गई है;**

**(घ) क्या राष्ट्रीय जल बोर्ड ने इसे स्वीकृति दे दी है; और**

**(ङ) यदि हां, तो इस पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् में किस तिथि की चर्चा की जाएगी ?**

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) :** (क) से (ङ) जी, हां। नीति दस्तावेज को राष्ट्रीय जल बोर्ड की 22-3-1993 को हुई पांचवीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इस नीति में मुख्य जोर जल के इष्टतम उपयोग हेतु सिंचाई प्रणालियों के उचित प्रबन्ध तथा संचालन और अनुरक्षण संयुक्त उपयोग, जल निकास, किसानों की भागीदारी, अनुरक्षण अनुदान, जल-दर, प्रशिक्षण आदि पर दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में था क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाते समय जल की बचत में मदद मिलेगी। स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि जैसी प्रमाणित प्रौद्योगिकियों जिनमें पर्याप्त प्रोत्साहन भी हैं, के उपयोग को स्वीकार करने की सिफारिश की गई है।

बोर्ड के सदस्यों को अपने विचार बोर्ड को विचारार्थ प्रस्तुत करने हैं। राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार करने के पश्चात् इस पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

**विद्युत् एककों का कार्यनिष्पादन**

6770. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) उन अलाभप्रद विद्युत् एककों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक सुधार किया है;

(ग) कितने एककों ने सुधार नहीं किया है और अब तक उन्हें कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) उनके घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्युत् मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लाभप्रद संगठन हैं।

**महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर**

6771. **श्री राम कापसे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार मुम्बई दूरदर्शन/पणजी दूरदर्शन के प्रसारणों के लिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक कमशक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव)** : (क) वर्तमान में कोंकण क्षेत्र के कंकोली और चिपलूण में एक-एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) कंकोली में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 1993-94 के दौरान और चिपलूण में 1994-95 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

**मुम्बई में टेलीफोन एक्सचेंज**

6712. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत मुम्बई के टेलीफोन एक्सचेंजों के क्या नाम हैं, उनकी क्षमता कितनी है और प्रत्येक एक्सचेंज से कितने कनेक्शन लिए गए हैं;

(ख) एक्सचेंज की कितनी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है;

(ग) स्वीकृत सीमा से अधिक कनेक्शन देने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृत सीमा के अन्दर ही टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम, क्षमता और प्रत्येक एक्सचेंज से दिए गए कनेक्शनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एक्सचेंज की उपयोग करने योग्य क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 के "कनेक्शन देने योग्य क्षमता" शीर्षक कॉलम में दिया गया है।

(ग) और (घ) सामान्यतया, टेलीफोन कनेक्शन देने योग्य/स्वीकृत सीमा से अधिक नहीं दिए जाते हैं। तथापि, केवल कुछ मामलों में अधिक गुंजाइश निकाल ली जाती है और ऐसा तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थाई रूप से किया जाता है। एक्सचेंजों की क्षमता में उपयुक्त विस्तार करके स्वीकार्य सीमा के भीतर कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा जा रहे हैं।

विवरण

28-2-93 की स्थिति के अनुसार बम्बई टेलीफोन प्रणाली

| क्रम सं० | एक्सचेंज | कोड | किस्म | सम्बन्धित क्षमता | जोड़ी जा सकने वाली क्षमता | 28-2-93 की स्थिति के अनुसार डी०ई०एल० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जमदेवी-1 | 35 | एस०एक्स०एस० | 7800 | 7600 | 7512 |
| 2. | एस० पार्क-1 | 45 | एस०एक्स०एस० | 8000 | 6500 | 7227 |
| 3. | खार-2 | 54 | एस०एक्स०एस० | 6000 | 5640 | 5125 |
| 4. | कूपरेज-1 | 23 | पी०सी०एक्स०बी० | 5400 | 4647 | 4895 |
| 5. | कमपरेज-2 | 24 | पी०सी०एक्स०बी० | 5400 | 4361 | 4405 |
| 6. | कमपरेज-3 | 22 | पी०सी०एक्स०बी० | 5400 | 4018 | 4028 |
| 7. | फाउन्टेन-1 | 27 | पी०सी०एक्स०बी० | 7800 | 6807 | 6995 |
| 8. | सीटी-1 | 25 | पी०सी०एक्स०बी० | 7000 | 6580 | 4882 |
| 9. | सीटी-2 | 29 | पी०सी०एक्स०बी० | 7500 | 7050 | 6625 |
| 10. | सिटी-3 | 31 | पी०सी०एक्स०बी० | 7000 | 6580 | 5957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मांडवी-3 | 344 | पी०सी०एक्स०बी० | 9000 | 7635 | 7804 |
| 12. | जमदेवी-3 | 388 | पी०सी०एक्स०बी० | 10000 | 9400 | 9248 |
| 13. | बायकुल्ला-3 | 309 | पी०सी०एक्स०बी० | 10000 | 9400 | 9336 |
| 14. | एस०पार्क-2 | 46 | पी०सी०एक्स०बी० | 8000 | 7520 | 7632 |
| 15. | मटूंगा-2 | 48 | पी०सी०एक्स०बी० | 6000 | 2820 | 2087 |
| 16. | थाने-2 | 50 | पी०सी०एक्स०बी० | 8600 | 8084 | 7562 |
| 17. | अंधेरी-2 | 628 | पी०सी०एक्स०बी० | 10000 | 9400 | 9346 |
| 18. | मलाड़-2 | 888 | पी०सी०एक्स०बी० | 6400 | 5527 | 5092 |
| 19. | बोरीवली-2 | 85 | पी०सी०एक्स०बी० | 5000 | 4300 | 4455 |
| 20. | एम० हिल-1 | 362/1 | सी-400 | 20000 | 17150 | 17357 |
| 21. | एम० हिल-2 | 367/8 | सी-400 | 13000 | 10500 | 10207 |
| 22. | मजगांव-1 | 376 | सी-400 | 10000 | 9600 | 9629 |
| 23. | मजगांव-2 | 372 | सी-400 | 10000 | 9600 | 9778 |
| 24. | वडाला-1 | 412/1 | सी-400 | 15500 | 14080 | 14856 |
| 25. | प्रभादेवी-1 | 422 | सी-400 | 10000 | 9600 | 9510 |
| 26. | वोरली-1 | 492 | सी-400 | 10000 | 9600 | 9615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | वोरली-2 | 494 | सी-400 | 10000 | 9600 | 9614 |
| 28. | विलेपारले-1 | 612/3 | सी-400 | 14000 | 13440 | 13099 |
| 29. | विलेपारले-2 | 614/5 | सी-400 | 14000 | 13440 | 13119 |
| 30. | मरोल-1 | 832/0 | सी-400 | 12000 | 11520 | 11040 |
| 31. | मरोल-2 | 834 | सी-400 | 10000 | 9900 | 9404 |
| 32. | घाटकोपर-1 | 512/3ए | सी-400 | 10000 | 9600 | 19710 |
| | | 512/3बी | सी-400 | 10000 | 9600 | |
| 33. | मनखुर्द-1 | 551/5 | सी-400 | 20000 | 16500 | 17067 |
| 34. | मूलंद-1 | 561/0 | सी-400 | 16000 | 13360 | 15149 |
| 35. | कूपरेज-4 | 202/4 | फेटेक्स ए | 20000 | 16000 | 16128 |
| 36. | मजगांव-3 | 371/5/8 | ,, ,, | 23000 | 22540 | 22387 |
| 37. | प्रभादेवी-2 | 430/7/6 | ,, ,, | 24000 | 23520 | 23175 |
| 38. | बांदरा-1 | 642/0/3/4 | ,, ,, | 33000 | 32340 | 31030 |
| 39. | फाउन्टेल-3 | 266 | फेटेक्स (डी) | 6000 | 5880 | 5000 |
| 40. | थाने-आरखलसी | 539 | ,, ,, | 4000 | 3920 | 3303 |
| 41. | कूपरेज-5 | 287 | ई० 10बी | 6000 | 5455 | 5566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | कूपरेज-6 | 215 | ई० 10वी | 6000 | 5880 | 5117 |
| 43. | सी परेड-आर०एल०यू० | 218/5 | ,, ,, | 12000 | 11079 | 10839 |
| 44. | फाउन्टेन-2 | 261/2 | ,, ,, | 16000 | 15333 | 15651 |
| 45. | सिटी-4 | 206/8 | ,, ,, | 20000 | 19600 | 18433 |
| 46. | बायकुला-4 | 307/8 | ,, ,, | 17000 | 16503 | 16224 |
| 47. | मजगांव-4 | 373 | ,, ,, | 0 | 0 | 0 |
| 48. | मांडवी आर०एल०यू०* | 342/3 | ,, ,, | 19000 | 16385 | 16529 |
| 49. | एम० हिल-3 | 363 | ,, ,, | 5000 | 4900 | 4373 |
| 50. | जयदेवी आर०एल०यू० | 386/7 | ,, ,, | 17000 | 16660 | 16152 |
| 51. | बोरली-3 | 493/5 | 510 वी | 10000 | 9800 | 9575 |
| 52. | बडाला-2 | 413/4 | ई० 10 वी | 17000 | 16660 | 16021 |
| 53. | सियोन-1 | 407/9 | ,, ,, | 16000 | 15484 | 15375 |
| 54. | चाटकूपर-2 | 511 | ,, ,, | 8000 | 7510 | 6408 |
| 55. | चाटकूपर-3 | 514/5 | ,, ,, | 14000 | 13281 | 13020 |
| 56. | पोवाई आर०एल०यू०-1 | 578 | ,, ,, | 8000 | 7260 | 7641 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | गोडरेज आर०एल०यू० | 517 | ई० 10वी | 2000 | 1880 | 1862 |
| 58. | भानखुर्द-2 | 556 | ,, ,, | 5000 | 4847 | 3894 |
| 59. | चेम्बूर आर०एल०यू० | 552/3 | ,, ,, | 14000 | 13665 | 11684 |
| 60. | मूलंद-2 | 564 | ,, ,, | 10000 | 9800 | 9738 |
| 61. | टी चराय आर०एल०यू० | 534 | ,, ,, | 9000 | 8812 | 8972 |
| 62. | डब्ल्यू इस्टैट आर०एल०यू० | 532 | ,, ,, | 5000 | 4416 | 4284 |
| 63. | मम्बरा आर०एल०यू० | 535 | ,, ,, | 2000 | 1882 | 1662 |
| 64. | खार | 649/6/8 | ,, ,, | 23000 | 22540 | 21441 |
| 65. | वी० पारले-3 | 611/0 | ,, ,, | 12000 | 11612 | 10769 |
| 66. | वरसोवा आर०एल०यू० | 629 | ,, ,, | 6000 | 5880 | 5441 |
| 67. | अंधेरी-3 | 920/1/3 | ,, ,, | 22000 | 21560 | 20839 |
| 68. | वरसोवा आर०एल०यू० | 629/7 | ,, ,, | 12000 | 11760 | 11208 |
| 59. | मरोल-3 | 836/3 | ,, ,, | 11000 | 10780 | 10285 |
| 70. | गोरेगांव-1 आर०एल०यू | 872/3 | ,, ,, | 17000 | 16960 | 16275 |
| 71. | मरोल-4 | 837/8 | ,, ,, | 20000 | 19600 | 15412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | कांदीवली-1 | 805/6 | ई० 10बी | 16000 | 15680 | 15158 |
| 73. | मलाद आर०एल०यू०-1 | 882 | ,, ,, | 8000 | 7840 | 6508 |
| 74. | जीवाय आर०एल०यू०-1 | 840 | ,, ,, | 9000 | 8820 | 8722 |
| 75. | कांदीवली-2 | 801 | ,, ,, | 10000 | 9800 | 9712 |
| 76. | मलाद आर०एल०यू०-2 | 889 | ,, ,, | 9000 | 8020 | 7788 |
| 77. | भायंदर आर०एल०यू | 819 | ,, ,, | 6500 | 9370 | 5793 |
| 78. | कांदीवली-3 | 807/8 | ,, ,, | 16000 | 15580 | 11844 |
| 79. | बोरीवली आर०एल०यू० | 893/2 | ,, ,, | 9000 | 8820 | 8023 |

*मात्र मांडवी आर० एल०यू० को सेवा प्रदान करता है ।

न्यू बम्बई की टेलीफोन प्रणाली

| क्रम सं० | एक्सचेंज | कोड | किस्म | सज्जित क्षमता | जोड़ी जा सकने वाली क्षमता | 28-2-93 की स्थिति के अनुसार डी०एल० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | तुरभे-1 | 768 | पी०सी०एक्स०बी० | 6000 | 5640 | 5843 |
| 2. | तुरभे-2 | 767 | पी०सी०एक्स०बी० | 3000 | 2940 | 2876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | कलमबोली | 742 | डी०आर०एक्स | 3000 | 2940 | 2539 |
| 4. | तुरभे-3 | 763 | ई० 10बी | 10000 | 980 | 782 |
| 5. | वाशी आर०एस०यू० | 766 | ई० 10बी | 2000 | 7840 | 7320 |
| 6. | रबाले आर०एल०यू० | 769 | ई० 10बी | 2000 | 1533 | 1797 |
| 7. | पनवल आर०एल०यू० | 745 | ई० 10बी | 3000 | 2940 | 2793 |
| 8. | जे०एन०पी०टी०आर०एल०यू० | 724 | ई० 10बी | 1000 | 767 | 473 |
| 9. | उरने आर०एल०यू० | 722 | ई० 10बी | 1000 | 980 | 785 |
| 10. | नहवा | 731 | आर०ए०एक्स० | 88 | 86 | 82 |

**जाली पासपोर्टों का परिचालन**

6713. **श्री अन्ना जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के आप्रवास अधिकारियों ने अनेक भारतीय जाली पासपोर्टों के परिचालन किए जाने के मामले सरकार के ध्यान में लाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाएगी ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) से (ग) नवम्बर, 1992 में कनाडा के आप्रवासन प्राधिकारियों ने टोरोण्टों में भारतीय कौंसलावास को सूचित किया था कि कनाडा के प्राधिकारियों ने भारतीय पासपार्ट की कोरी पुस्तिकाएं पकड़ी हैं जिन्हें कनाडा में एक पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था।

एक ऐसा पासपोर्ट पकड़ा गया था जिस पर पासपोर्ट कार्यालय, जालन्धर की मुहर लगी हुई थी लेकिन हस्ताक्षर नहीं थे तथा इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट, नई दिल्ली के आप्रवासन प्राधिकारी की मुहर भी लगी हुई थी। यह पासपोर्ट कनाडा के प्राधिकारियों ने भारतीय कौंसलावास को भेज दिया था और अब जांच के लिए पंजाब में राज्य पुलिस के पास भेज दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी सूचित किया गया है तथा उनसे राज्य सरकार से ताल-मेल रखने को कहा गया है।

**बंग्लादेश में भारतीय इन्क्लेवों में दूरसंचार सुविधाएं**

6714. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार बंग्लादेश सीमा क्षेत्र में किन-किन भारतीय इन्क्लेवों में टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधाएं उपलब्ध थी;

(ख) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान उनमें से किन्हीं इन्क्लेवों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस प्रकार की सुविधा किन-किन इन्क्लेवों में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार केवल एक भारतीय इन्क्लेव, जिसका नाम "कुचलीबाडी" है, में दूरसंचार सुविधा (पंचायत टेलीफोन) प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि गांव बहुत छोटे-छोटे हैं, अतः अन्य किसी क्षेत्र से अन्य एन्क्लेवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

**पर्यटन को उद्योग का दर्जा**

6715. **श्री राजेश कुमार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित करने के बाद नए होटलों के निर्माण और वर्तमान होटलों के विस्तार संबंधी प्रस्तावों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या केन्द्र और राज्य दोनों की संस्थागत वित्तीय एजेंसियों को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में विचार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं और इसके बाद वित्तीय ढांचे में उदारीकरण के लिए अनुवर्ती परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान 334 होटल परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जबकि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987, 1988 और 1989 में 139 होटल परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

(ख) और (ग) पर्यटन उद्योग की विशेषीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और पर्यटन संबंधी कार्यकलापों, सुविधाओं तथा सेवाओं की स्थापना तथा विकास करने के लिए वित्तीय सहाता प्रदान करने हेतु भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की गई है।

**मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम रखना**

6716. **श्री मोहन रावले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) बम्बई हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा सुविधाओं का आगे और उन्नयन कर दिए जाने के बाद इसे बदलकर जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है।

**कर्नाटक साहसिक पर्यटन**

6717. **श्री जी० माडे गौड़ा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ङ) 1992-93 के दौरान इस संबंध में कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : (क) 1992-93 के दौरान, भारत सरकार को कर्नाटक सरकार से रोमांचक पर्यटन के लिए वित्तीय सहायता हेतु सात प्रस्ताव मिले थे।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) 1992-93 के दौरान, कुल 54,62,736 रु० स्वीकृत किए गए थे और 28,10,000 रु० बतौर पेशगी अवमुक्त किए गए थे।

**विवरण-I**

| क्रम सं० | प्रस्ताव का ब्यौरा | मांगी गई राशि | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | कर्नाटक के कोडागू जिले में रोमांचक खेलों को बढ़ावा देना | 5,60,000 रु० | 4,60,000 रु० के लिए स्वीकृत। |
| 2. | मैसूर में हवाई खेलों की स्थापना | 29,80,000 रु० | राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मिलना है। |
| 3. | कावेरी नदी के किनारों पर भीमेश्वरी मत्स्य-ग्रहण शिविर में मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का स्तरोन्नयन | 11,63,760 रु० | राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मिलना है। |
| 4. | केम्मानगुण्डी में रोमांचक खेल आधार शिविर | 5,20,000 रु० | 5,00,000 रु० के लिए अनुमोदित। |
| 5. | रमणग्राम में चट्टानारोहण केन्द्र की स्थापना | 22,57,200 रु० | 3,37,500 रु० के लिए अनुमोदित। |
| 6. | कोडागू जिले में बेलागुड में रोमांचक जंगल शिविर की स्थापना | 37,00,000 रु० | 34,00,000 रु० के लिए अनुमोदित। |
| 7. | पश्चिमी घाट और चित्रदुर्गा में "एक्सप्लोर इंडिया इवेंट" में जल क्रीड़ाएं, पैदल भ्रमण और चट्टानारोहण | 8,52,000 रु० | 7,65,236 रु० के लिए अनुमोदित। |

मांगी गई कुल राशि—1,20,32,950 रु०।

**ग्रामीण एक्सचेंजों के लिए अग्रसक्रिय योजनाएं**

6718. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण एक्सचेंजों के कार्याचालन तथा ग्रामीण ट्रंक सुविधाओं पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक जिले में अग्रगामी योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) पायलट स्कीमें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि ग्रामीण नेटवर्क की नजदीकी से मानीटरी के लिए एक स्कीम विद्यमान है जिसके लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विश्वसनीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों और रेडियो माध्यम की शुरूआत से ग्रामीण नेटवर्क को उत्तरोत्तर आधुनिक बनाया जा रहा है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण**

6719. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
**श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
**श्री हाराधन राय :**
**डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में जिलावार कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राज्यवार और जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) राज्यवार और जिलावार/कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार और जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे का सुधार**

6720. **श्री हाराधन राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे का सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) यात्रियों की संभाल के लिए सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन हेतु एक नया टर्मिनल भवन निर्माणाधीन है।

**उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय**

6721. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के कुल परिव्यय में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधार करने हेतु शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० पी० रंगैया नायडू)** : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र हेतु वार्षिक योजना (1993-94) के लिए 1,500.80 करोड़ रु० और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 6,974.76 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। 1993-94 के दौरान हाथ में ली जाने वाली स्कीमों में से निम्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए राशि का आबंटन किया जा चुका है :—

1. अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना।
2. खारा जल विद्युज परियोजना।
3. मनेरी-भाली-2 जल विद्युत परियोजना।
4. लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना।
5. टाण्डा ताप विद्युत परियोजना।
6. अनपारा "क"।
7. ओबरा (विस्तार सी० एच० पी०)।
8. टिहरी जल विद्युत परियोजना।

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं**

6722. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987 से 1992 के बीच मध्य प्रदेश में उड़ानों की संख्या मे कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां उड़ानों की संख्या में कमी आई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के कुछ और शहरों तथा पर्यटक स्थलों को निकट भविष्य में वायु सेवाओं से जोड़ने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा मार्च, 1987 और नवम्बर, 1992 में प्रचालित उड़ानों के ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं। आवृत्ति-परिवर्तन और हवाई सेवाओं को बन्द करना/आरंभ करना यातायात मांग, उपयुक्त प्रकार के विमान की उपलब्धता और कर्मीदल तथा अन्य सुविधाओं पर निर्भर करता है।

इसके मार्ग ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व और व्यय के अंतर को न्यूनतम रखने की दृष्टि से, मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित स्टेशनों से वायुपूत की सेवाएं बन्द कर दी गयी थी :—

भोपाल, बिलासपुर, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खजुराहो, रायपुर, सीधा और सतना।

(घ) और (ङ) अपर्याप्त यातायात मांग और अन्य परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कठिनाईयों के कारण इस समय मध्य प्रदेश राज्य में अधिक स्थानों के लिए हवाई सेवा प्रचालित करना संभव नहीं है।

विवरण

मार्च, 1987 :

1. बम्बई-इंदौर-भोपाल-ग्वालियर-दिल्ली और वापसी—प्रतिदिन
2. दिल्ली-भोपाल-नागपुर और वापसी—प्रतिदिन
3. बम्बई-इंदौर-भोपाल और वापसी—प्रतिदिन
4. भोपाल-जबलपुर-रायपुर और वापसी—प्रतिदिन
5. दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी और वापसी—प्रतिदिन
6. दिल्ली-रायपुर-भुवनेश्वर और वापसी—प्रतिदिन

नवम्बर, 1992 :

1. बम्बई-अहमदाबाद-इंदौर-भोपाल-कलकत्ता और वापसी—सप्ताह में दो दिन
2. दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी और वापसी—प्रतिदिन
3. दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इंदौर-बम्बई और वापसी—प्रतिदिन
4. दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली—सप्ताह में तीन दिन
5. दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी-दिल्ली—सप्ताह में तीन दिन

गुजरात में टेलेक्स सुविधा

6723. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन स्थानों पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में अन्य स्थानों पर इस सुविधा का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) गुजरात में 1993-94 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर एक्सचेंजों का विस्तार/उन्नयन करने पर विचार किया गया है :

**विवरण**

| क्रम सं० | टेलेक्स एक्सचेंज का नाम | 1993-94 के दौरान विचारणीय कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदाबाद | विस्तार-200 लाइनें (1200-1400) । |
| 2. | भड़ौच | नोशनल टेलेक्स के स्थान पर 40 लाइनों का आई० टी०ई०एक्स० । |
| 3. | कलोल (एन०जी०) | —वही— |
| 4. | मोरबी | 20 लाइन के०एस०एक्स०एस०के० स्थान पर 40 लाइनों का आइ०टी०ई०एक्स० लगाना । |
| 5. | पालन पुर | नोशनल टेलेक्स की 40 लाइनों के आई०टी०ई०एक्स० द्वारा बदलना । |
| 6. | भुज | —वही— |
| 7. | पोरबन्दर | 20 लाइनों के एस०एक्स०एस० के स्थान पर 40 लाइनों का आई०टी०ई०एक्स० लगाना । |

ये प्रस्ताव समय पर उपस्कर उपलब्ध हो जाने पर निर्भर करते हैं ।

**विवरण**

टेलेक्स सुविधा गुजरात के निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. अहमदाबाद | 2. बड़ौदा | 3. राजकोट |
| 4. मोरबी | 5. धोरजी | 6. सूरत |
| 7. भावनगर | 8. वापी | 9. गोधरा |
| 10. बुलसाड़ | 11. हिलीमोड़ा | 12. नवसारी |
| 13. उमेरगांव | 14. गांधीधाम | 15. जामनगर |
| 16. जूनागढ़ | 17. पोरबन्दर | 18. वेंरावल |
| 19. नाडियाद | 20. आनन्द | 21. मेहसाणा |
| 22. सिद्धपुर | 23. सुरेन्द्रनगर | 24. हलोल |

| | | |
|---|---|---|
| 25. देरोल | 26. अंकलेश्वर | 27. गांधीनगर |
| 28. पेटलाद | 29. भड़ौच | 30. किल्लापारडी |
| 31. भुज | 32. अमरेली | 33. कोदीनार |
| 34. कलोल | 35. उंझा | 36. काडी |
| 37. झूलासन | 38. छत्राल | 39. धोल |
| 40. वानलपुर | 41. पनोली | |

**महाराष्ट्र में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज**

6724. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अभी तक कितने डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है; और

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) :** (क) **डाकघर**—महाराष्ट्र में अब तक खोले गए डाकघरों की संख्या 12175 है।

**टेलीफोन एक्सचेंज**—महाराष्ट्र में 31-3-93 तक स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 1958 है।

(ख) **डाकघर**—समूचे देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 500 विभागीय उप-डाकघर खोलने की योजना है। इसमें से महाराष्ट्र सर्किल में 1992-93 के दौरान 62 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 19 विभागीय उप-डाकघर मंजूर किए गए हैं। महाराष्ट्र में 1993-94 में 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 11 विभागीय उपडाकघर खोलने का प्रस्ताव है। डाकघर मांग के आधार पर तथा निर्धारित मानदंड पूरे होने पर ही खोले जाते हैं।

**टेलीफोन एक्सचेंज**—8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 540 एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर और वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

**वायुदूत की बकाया धनराशि**

6725. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत लिमिटेड पहले इंडियन एयरलाइंस का अंश था;

(ख) यदि हां, तो यह कब अलग हुआ और इसके क्या कारण थे तथा इसके लिए क्या शर्तें रखी गई थीं;

(ग) क्या इन सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1992-93 तक इंडियन एयरलाइंस पर वायुदूत की कुल कितनी धनराशि बकाया थी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। वायुदूत की स्थापना से यह 50 : 50 के अनुपात में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के संयुक्त स्वामित्व में है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स को दिसम्बर, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि के दौरान वायुदूत को उनके विमान को पट्टे पर लेने के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना है।

## इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज की फैक्टरियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई और मांग

6726. श्री खेलनराम जांगड़े : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनकपुर और पालघाट स्थित इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज की फैक्टरियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई और मांग के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां। आई०एस०टी० 512 पी उपस्कर को छोड़कर पूर्णतः सप्लाई की गई।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए मनकापुर और पालघाट स्थित इण्डियन टेलीफोन फैक्ट्रियों में उत्पादित मदों की मांग एवं आपूर्ति संबंधी सूचना इस प्रकार है :—

मनकापुर यूनिट :

| उत्पादन मद | प्राप्त आर्डर | आपूर्तियां |
|---|---|---|
| ई 10 बी | 5.51 लाख लाइनें | 5.45 लाइनें |

पालघाट यूनिट :

| उत्पादन मद | प्राप्त आर्डर | आपूर्तियां |
|---|---|---|
| डी०टी०ए०एक्स० | 0.9 लाख लाइनें | 0.82 लाख लाइनें |
| ई 10 बी एक्सटेंशन | 2.01 लाख लाइनें | 0.72 लाख लाइनें |

(ग) आपूर्तियों सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं।

## उत्तर प्रदेश टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए लक्ष्य

6727. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए टेलीफोन एक्सचेंज इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों को पूर्णरूपेण प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, नहीं। वर्ष, 1992-93 के दौरान 41 नए स्थानों के लक्ष्य के स्थान पर 91 नए स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली को बिजली की सप्लाई**

6728. **श्री छोटूभाई गामीत** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली को केन्द्रीय पूल से कितने मेगावाट बिजली सप्लाई की गई और इसका प्रति यूनिट शुल्क कितना था;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में "डेसू" को कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या दिल्ली को सप्लाई की गई बिजली की तुलना में राजस्व कम प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों/उत्तरी ग्रिड से डेसू को सप्लाई की गई ऊर्जा की मात्रा, उसकी लागत तथा डेसू द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है :—

**विवरण**

| क्रम सं० | विवरण | 1990-91 (अनन्तिम) | 1991-92 (अनन्तिम) | 1992-93 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डेसू द्वारा आयातित ऊर्जा (मिलियन यूनिट) | 6378 | 6973 | 7254 |
| 2. | ऊर्जा की क्रय लागत (करोड़ रु० में) | 535 35 | 605.32 | 723.31 |
| 3. | प्रति यूनिट औसत लागत (पैसे प्रति यूनिट) | 83.93 | 86.80 | 99.71 |
| 4. | डेसू द्वारा भुगतान की गई राशि (करोड़ रु० में) | 194.64 | 345.73 | 322.84 |

डेसू अपनी विकट वित्तीय स्थिति के कारण बिजली के क्रय के लिए, खासतौर पर बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को, पूरा भुगतान नहीं कर सका है।

**फिल्म फेयर अवार्ड का प्रसारण**

6729. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में मुम्बई से "फिल्म फेयर अवार्ड" समारोह का सीधा प्रसारण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी आय हुई ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) :** (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन ने उक्त समारोह के सीधे प्रसारण से 33.80 लाख रु० की आय अर्जित की।

**उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

6730. **श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

**डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) :** (क) से (घ) जी, हां। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों पर मन्त्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गयी सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत दी गयी वर्षवार सहायता**

| वर्ष | सेक्टर | दी गई सहायता (लाख रुपए में) | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1990-91 | फल और सब्जी प्रसंस्करण | 13.20 लाख | खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए। |
| — | मांस और मांस उत्पाद | 63 लाख | सुअर मांस प्रसंस्करण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| — | खाद्यान्न प्रसंस्करण | 15 लाख | हलरों का आधुनिकीकरण। |
| 1991-92 | मांस और मांस उत्पाद | 9.88 लाख | आधुनिक मांस खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना। |
| 1992-93 | मांस और मांस उत्पाद | 1.26 लाख | कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए। |
| — | —तदैव— | 2.10 लाख | मांस के भण्डारण के लिए विपणन सहायता। |
| — | फल और सब्जी प्रसंस्करण | 54 लाख | खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना। |
| — | —तदैव— | 5 लाख | विपणन सहायता। |
| — | —तदैव— | 3.50 लाख | नोडल एजेंसियों को सुदृढ़ करना। |

[अनुवाद]

**भारत पर्यटन विकास निगम की बकाया धनराशि**

6731. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के आठ होटलों की आधी से भी अधिक बकाया राशि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो 1991-92 और 1992-93 के दौरान दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की कुल कितनी राशि बकाया थी और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कितनी राशि बकाया थी ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**जर्मनी के सहयोग से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

6732. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए जर्मनी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० बी० रंगैया नायडू)** : (क) से (ग) जिन विद्युत

परियोजनाओं के लिए उनको कुछ लागतों की पूर्ति के लिए जर्मनी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, अनुमानित लागतों सहित उनकी सूची नीचे दी गई है :—

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | क्षमता (मे०वा०में०) | अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में) | सहायता की राशि (मिलियन डी०एम० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सिंगरौली एस० टी० पी० पी० (चरण-2) | 1400 | 1118.88 (चरण-1व2) | 171.2 |
| 2. | कोरबा एस० टी० पी० पी० (चरण-2) | 1100 | 1625.25 (चरण-1व2) | 173.8 |
| 3. | रामागुंडम एस० टी० पी० पी० (चरण-2) | 1100 | 1674.62 (चरण-1व2) | 145.0 |
| 4. | फरक्का एस० टी० पी० पी० (चरण-2) | 1000 | 1511.27 | 70.0 |
| 5. | दादरी गैस परियोजना | 817 | 783.44 | 484.9 |
| 6. | उराण संयुक्त साईकल विद्युत संयंत्र | 240 | 845.0 | 310.0 |

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डी० टी० ओज० की संख्या में कमी**

6733. **श्री गोविंद चन्द्र मुण्डा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में टी० ई० एस० समूह में "ख" श्रेणी के पदों की पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा, समूह "ख" में पदोन्नति के लिए केवल अनुसूचित जाति के पात्र कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की कमी है।

(ख) पात्र कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की उपलब्धता के कारण 106 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की कमी है।

(ग) दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह "ख" में पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अंकों में विशेष रियायत प्रदान करके इस कमी को पूरा किया जाता है तथा इससे भी कमी की पूर्ति आंशिक रूप से होगी। बाकी जितने पद भरने रह जाएंगे, उन्हें निर्धारित अवधि के बाद अनुसूचित जाति कोटे में अन्तरित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में अधिक राशि के बिल**

6734. डा० लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अधिक राशि के टेलीफोन बिलों से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अधिक राशि के बिलों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

| वर्ष | | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1990-92 | — | 32288 |
| 1991-92 | — | 28522 |
| 1992-93 (फरवरी, 1993 तक) | — | 26293 |

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

(i) अधिक बिल आने सम्बन्धी शिकायतों की पूर्णत: जांच की जाती है ताकि मीटर आदि में होने वाले किसी भी दोष की सम्भावना का पता लगाया जा सके ।

(ii) मल्टीलाइन आबजर्वेशन इक्विपमेंट जैसी विशेष पर्यवेक्षण मशीन के प्रयोग द्वारा अन्य टेलीफोनों के मीटरों पर सांयोगिक निगरानी रखी जा रही है ।

(iii) जहां कहीं भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं, उपभोक्ताओं को डायनामिक एस० टी० डी० कन्ट्रोल सुविधा प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है ।

(iv) वितरण स्थानों जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों जहां टेलीफोन लाइनों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने की सम्भावना होती है वहां ताला लगा दिया जाता है ।

(v) लिपिकीय गलतियों से बचने के लिए सभी जिलों में बिल प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है ।

(vi) उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर "टेलीफोन अदालतें" आयोजित की जाती हैं ।

[अनुवाद]

**विदेशों से प्राप्त पत्रों का वितरण**

6735. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों जैसे कि इंगलैंड से प्राप्त पत्रों को दिल्ली में पांच छः दिन बाद वितरित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पत्रों का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किए जाने का विचार है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) दिल्ली में विदेशों से प्राप्त पत्र सामान्यतः प्राप्ति के अगले दिन वितरित कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के कारण इस सामान्य मानक से अधिक समय लग जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**गुजरात के पर्यटन स्थलों पर संचार सुविधाएं**

6736. **श्री एम० जे० राठवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को बड़े शहर से जोड़ने हेतु संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित संचार सुविधाएं निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटक/ स्थलों के नाम | मौजूदा एक्सचेंज | एस० टी० डी० सुविधा के लिए प्रस्तावित पारेषण माध्यम |
|---|---|---|---|
| 1. | उकई तालुका—सोनगढ़ जिला—सूरत | 128 पीसी-डॉट | 1995-96 के दौरान सोनगढ़-उकई के बीच 30 चैनल यू० एच० एफ० लिंक |
| 2. | सपुताड़ा, तालुका—अहवा जिला—डांग | वहीं | 1996-97 के दौरान अहवा-सपुताड़ा के बीच 30 चैनल यू० एच० एफ० लिंक |

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**मालाबार क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना**

6737. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के मालाबार क्षेत्र हेतु अलग दूरदर्शन केन्द्र अथवा चल (मोबाइल) कैमरा एकक स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार ने दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु कालीकट में भूमि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मालाबार क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोहो के प्रसारण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्तमान में टी० वी० स्टूडियो स्थापित करने अथवा चलता-फिरता कैमरा यूनिट उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा आबंटित लगभग 3.52 एकड़ भूमि कालीकट में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए अधिगृहीत कर ली गई है।

(घ) दूरदर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थानीय समारोहों का उनके समाचार-मूल्य और संसाधनों तथा समय की सीमाओं के अधीन निर्भर करते हुए पर्याप्त कवरेज करने का निरन्तर प्रयास रहता है।

**विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले का आयात**

6738. **श्री काशी राम राणा** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों को अपने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए सीधे कोयला आयात करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड राज्य ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) और (ख) ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम के तहत कोयला आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान समग्र रूप से केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं का 95% कोयला प्राप्त किया गया जबकि राज्य क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं का 92% कोयला प्राप्त किया गया है। कम आपूर्ति किए जाने के कारणों में परिवहन सम्बन्धी हानियां, कम लदान आदि शामिल हैं। कुछ विद्युत केन्द्रों द्वारा कोयला कम्पनियों तथा रेलवे को भुगतान किए जाने सम्बन्धी असमर्थता के कारण उन्हें आपूर्ति करने में बाधा आयी थी।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघर खोलना और उनका दर्जा बढ़ाना**

6739. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर की नई शाखाएं खोलने तथा विद्यमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर बनाने के लिए अधिक संख्या में आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1993-94 के दौरान कितने शाखा डाकघर खोले जाएंगे और कितने विद्यमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 93 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 12 विभागीय उप डाकघर (शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने सहित) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है (औचित्य के आधार पर) ।

**विद्युत ग्रिड प्रणाली का विकास**

6740. **श्री नीतीश कुमार :**
**श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
**डा० चिन्ता मोहन :**
**श्री के० एच० मुनियप्पा :**
**श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री जी० वेंकराय नायक :**

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत ग्रिड प्रणाली के विकास हेतु कोई परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है तथा इसके लिए किन स्रोतों से धन जुटाया जाएगा;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सहायता की शर्तें क्या हैं;

(ङ) इसके फलस्वरूप देश में विद्युत पारेषण प्रणाली में कितना सुधार आने की सम्भावना है; और

(च) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) इस परियोजना में स्विचयार्ड सहित रामागुण्डम-हैदराबाद 400 के० वी० लाइन, दक्षिणी क्षेत्र के लिए एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार परियोजना, विन्ध्याचल चरण-I से सम्बद्ध अतिरिक्त पारेषण प्रणाली तथा विभिन्न तकनीकी अध्ययन कार्य मुख्य रूप से शामिल हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 764 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 2368 करोड़ रुपये) है। हालांकि विश्व बैंक ने 350 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1085 करोड़ रुपये) का ऋण स्वीकृत कर दिया है लेकिन शेष निधियां पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पावरग्रिड) द्वारा अन्य ऋणों तथा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जुटाई जाएंगी । विश्व बैंक के ऋण की राशि को बैंक की मानकीय परिवर्तनशील ब्याज दर पर 20 वर्षों में लौटाया जाना है जिसमें 5

वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। यह ऋण सीधे ही पावरग्रिड को दिया जाएगा जिसमें भारत सरकार जामिन के रूप में कार्य करेगी जिसके लिए सरकार को 1% प्रतिवर्ष की दर से गारन्टी शुल्क देय होगा।

(ङ) पूरे हो जाने के बाद परियोजना में विद्युत पारेषण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा, बिजली की उपलब्धता ईष्टतम करने तथा प्रणाली प्रचालनके समन्वय में सुधार करने के लिए अन्तर-क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय आधार पर विद्युत के अन्तरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

(च) परियोजना को 1999 के अन्त तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

**सिंगापुर में भारतीय लोगों का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहना**

6741. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर की सरकार ने अपने देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले भारतीयों की समस्या सुलझाने के लिए भारत सरकार से कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) सिंगापुर की सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि सिंगापुर वास्तविक सामाजिक एवं व्यापारी यात्रियों का स्वागत करता रहेगा। सिंगापुर यह उम्मीद करता है कि गैरकानूनी रूप से अधिक समय तक ठहरने वालों से सम्बन्धित समस्या वह भारत सरकार के सहयोग से सुलझा लेगा। सिंगापुर के प्राधिकारियों ने दिसम्बर, 1992 से बैंक गारन्टी प्रक्रिया लागू की है। इससे वीजा चाहने वालों के सम्भावित गैर कानूनी प्रवास पर रोक लगेगी।

**महाराष्ट्र में आलू पर आधारित उद्योग**

6742. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पुणे में आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य में आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गंगोई)** : (क) और (ख) पुणे में आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु प्रसंस्कृत नाश्ता आहारों और पेयसार/पेय बेस तैयार करने के लिए मैसर्स जे०एम०आर०पी० कम्पनी लि० के एक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुलसी तालुक में एक यूनिट की स्थापना हेतु जनवरी 92 में स्वीकृति दी गई थी जिनमें अन्य के साथ-साथ अधिक समय तक रखे जा सकने योग्य आलू के चिप्सों को तैयार करना शामिल है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय अनेक विकासात्मक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों, संयुक्त सेक्टर के उपक्रमों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता दी जाती है। आलू पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी ऐसी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

**पश्चिम एशिया से वापस भेजे गए बच्चे**

6743. **श्री मोहन रावले :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशियाई देशों से ऐसे कितने बच्चे अगस्त, 1992 से अब तक स्वदेश लौटे हैं, जिनका वहां ऊंट दौड़ के लिए उपयोग किया जाता था;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेश लौटे बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इन देशों में किसी बच्चे की मृत्यु होने का समाचार मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में इन देशों की सरकारों के साथ यह मामला उठाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया) :** (क) एक।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऊंट की दौड़ केवल संयुक्त/अरब अमीरात में लोकप्रिय है। जैसे ही किसी भारतीय बच्चे को ऊंट-सवार बनाने से संबंधित मामला भारतीय मिशन की जानकारी में आता है वैसे ही बच्चे की भारत वापसी के लिए इस मामले को मेजबान सरकार के साथ उठाया जाता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेवारी प्रमुखत: भारत सरकार की है।

**गहरे समुद्र में मात्स्यिकी उद्योग को फिर से चालू करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की सहायता**

6744. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1993 के "इकनॉमिक टाइम्ज" में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी उद्योग को फिर से चालू करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में खाद्य और कृषि संगठन से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर खाद्य और कृषि संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस संबंध में पहले विश्व बैंक से संपर्क किया था। हाल ही में विश्व बैंक ने सूचना दी है कि गहन समुद्री मत्स्यिकी उनके कृषि प्रभाग की प्राथमिकताओं में नहीं है। परन्तु उन्होंने बताया है कि यह विषय रुचिकर और महत्त्वपूर्ण है और उपलब्ध होने पर वे किसी संभावित सहायता की जानकारी भारत सरकार को देंगे।

[हिन्दी]

**महाराष्ट्र में और अधिक विदेशी डाकघर**

6745. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अधिक विदेशी डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां खोले जाएंगे ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) जी नहीं, इस समय सरकार का महाराष्ट्र में कोई और विदेश डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

**मध्य प्रदेश में दाल प्रसंस्करण उद्योग**

6746. **श्री खेलनराम जांगड़े** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के प्रसंस्करण हेतु मध्य प्रदेश में दाल मिलें लगाई गई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय दाल-विकास योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) जी, हां। दालों के प्रसंस्करण के लिए मध्य प्रदेश में दाल मिलें लगाई गई हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना मध्य प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा गोवा सहित 26 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत दाल प्रोसेसर खरीदने के लिए किसान लागत की 50 प्रतिशत राशि राजसहायता के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 4,000 रुपये होगी। 1993-94 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 6.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें भारत सरकार की भागीदारी 5 लाख रुपये की है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अत. इस राशि की पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

**डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास**

6747. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार राज्यवार और श्रेणीवार सरकार के पास डाक और तार विभाग के कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं;

(ख) इस प्रकार के क्वार्टरों की श्रेणीवार कितनी कमी है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी आवा के आबंटन हेतु सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) किसी भी श्रेणी में सरकारी मकान अलाट करने के लिए न्यूनतम सेवा की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

**[अनुवाद]**

**सरदार सरोवर परियोजना**

6748. **श्री यशवन्तराव पाटिल** :
**श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल** :
**श्री गोविन्द राव निकाम** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक छः सदस्यीय शिष्टमंण्डल यूरोप भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरदार सरोवर परियोजना के बारे में मॉर्स रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 1992 को ली गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के नेतृत्व में छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को 22 दिसम्बर, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 तक स्वीडन, जापान तथा आस्ट्रेलिया में इन देशों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने तथा सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में इन देशों में व्याप्त आकांक्षाओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए भेजा गया था । दल के अन्य सदस्यों में गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार तथा वित्तीय कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे ।

(ग) स्वतन्त्र पुनरीक्षण ने अपनी रिपोर्ट (मोर्स रिपोर्ट) में मुख्यतया पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं और पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं से सम्बद्ध अध्ययनों को अपर्याप्त बताया था। भारत सरकार ने, विश्व बैंक को अपने विस्तृत उत्तर में इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया है।

(घ) गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए उपयुक्त कार्यवाई योजनाएं तैयार की हैं जो बांध निर्माण तथा जलमग्नता अनुसूची से संबद्ध हैं। नर्मदा नियंत्रण प्रधिकरण इन तीन राज्यों में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के क्रियान्वयन का सन्निकट प्रबोधन एवं समन्वय कर रहा है।

**अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं**

6749. **डॉ० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनी (एयरलाइन्स) ने दिल्ली में न उतरने अथवा दिल्ली के ऊपर से न उड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (घ) जबकि जाल (जापान एयरलाइन्स), लॉट (पोलिस एयरलाइन) और एलिटालिया (इटालियन एयरलाइन्स) ने हाल में दिल्ली के लिए/से होकर अपनी सेवाएं बन्द कर दी थी, तथापि, कुछ अन्य एयरलाइनों ने अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार अपने प्रचालनों में वृद्धि कर दी है।

[हिन्दी]

**गुजरात में चावल मिलें**

6750. **श्री एन० वी० राठवा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात में चावल मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है तथा ये मिलें कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**कालीकट से त्रिवेन्द्रम तक उड़ान शुरू करना**

6751. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट से त्रिवेन्द्रम तक प्रतिदिन उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि मालाबार क्षेत्र के यात्री केरल की राजधानी पहुंच सकें;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस संबंध में केरल सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) वर्ष 1991 में केरल सरकार से कालीकट और त्रिवेन्द्रम के बीच हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से, निकट भविष्य में कालीकट और त्रिवेन्द्रम के बीच हवाई सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

**विद्युत बाण्ड**

6752. **श्री नीतीश कुमार :**

**श्री मंजय लाल :**

क्या **विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में विद्युत बाण्ड के माध्यम से सरकार द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तव में कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धनराशि एकत्रित न होने के कारण देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में रूकावट आने की कोई संभावना है;

(ग) यदि हां, तो धनराशि के अभाव के कारण जो परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय सरकार ने निर्माण लागत के लिए क्या व्यवस्था की थी ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 1992-93 के दौरान बाण्ड जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित की गई 1747 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में वर्ष के दौरान केवल 59 करोड़ रुपए की धनराशि ही जुटाई जा सकी।

(ख) से (घ) परियोजनाओं का समय से क्रियान्वयन किया जाना विभिन्न निवेशों जिनमें पर्याप्त निधियों की उपलब्धता भी शामिल है पर निर्भर करती हैं। जिन तीन नई विद्युत परियोजनाओं का वर्ष 1992-93 के दौरान क्रियान्वयन नहीं किया जा सका वे निम्नलिखित हैं :—

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|---|
| 1. | रंगीत जल विद्युत परियोजना | — | 181.16 करोड़ रुपए |
| 2. | कोएलकारो जल विद्युत परियोजना | — | 1338.81 करोड़ रुपए |
| 3. | धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना | — | 601.98 करोड़ रुपए |

[अनुवाद]

**फ्रांस के शिष्टमण्डल के साथ विचार-विमर्श**

6753. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई फ्रांसीसी शिष्टमण्डल फरवरी, 1993 में निरस्त्रीकरण परमाणु अप्रसार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमण्डल द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों के साथ की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस वार्ता में तारापुर आणविक विद्युत संयंत्र के लिए नाभिकीय ईंधन की फ्रांस द्वारा आपूर्ति का मामला भी शामिल था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) विचार-विमर्श का उद्देश्य अप्रसार, नाभिकीय निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी घटनाओं के संबंध में विभिन्न मसलों पर एक दूसरे की स्थिति के प्रति समझ-बूझ को बढ़ाना था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) फ्रांस का यह मानना था कि वह अपने मौजूदा संविदा संबंधी दायित्वों का पालन करता रहेगा जो अक्टूबर 1993 तक वैध है लेकिन तारापुर अणु शक्ति संयंत्र को नाभिकीय ईंधन की भविष्य में आपूर्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि फ्रांस की नई नाभिकीय निर्यात नीति के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण संबंधी सुरक्षा उपायों को भारत पूरी तरह से स्वीकार करता है या नहीं । पूर्ण सुरक्षा उपायों पर भारत की स्थिति से फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल को अवगत कराया गया ।

**इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों की संख्या में कमी**

6754. **डॉ० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स के उदय के साथ इंडियन एयरलाइंस के हिस्से के यात्री धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ग) यात्रियों द्वारा अन्य विमान सेवा में यात्रा करने के क्या कारण पता चले हैं; और

(घ) इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस ने अनुमान लगाया है कि फरवरी और मार्च, 1993 में ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस से लगभग 1,63,500 यात्रियों का वहन किया । यह मानते हुए कि ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस के न रहने

की दशा में, इन यात्रियों का वहन इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता तो इससे इंडियन एयरलाइंस को 14.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो जाता।

(ग) यात्रियों को इस्ट-वेस्ट एयरलाइंस की ओर ले जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा पता लगाए गए कारणों में ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस द्वारा अपनाया गया वाणिज्यिक व्यवसाय भी एक कारण है जिससे उसकी सेवा अधिक आकर्षक हो गई।

(घ) इंडियन एयरलाइंस स्थिति का मुकाबला करने के लिए स्वयं अपनी विपणन और योजनागत नीतियों की समीक्षा कर रही है।

**गुजरात में आई० एस० डी०/एस० टी० डी० सुविधाएं**

6755. **श्री एम० जे० राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में और अधिक आई०एस०डी०/एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) यह नीति पुनरीक्षाधीन है।

**राडार प्रौद्योगिकी हेतु संविदा**

6756. **श्री अचल कुमार पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा राडार प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग की लागत और अन्य शर्तें क्या हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) मैसर्ज भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा भारत में राडारों के विनिर्माण के लिए एक अमरीकी कम्पनी ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण से सम्बन्धित एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के कार्यक्षेत्र में, सम्पूर्ण प्रलेखन, प्रशिक्षण, जिग्स एवं फिक्सचरों की आपूर्ति सहित तकनीकी जानकारी का हस्तान्तरण शामिल है ताकि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा निगरानी राडार और मोनो-पल्स गौण निगरानी राडार का विनिर्माण और बिक्री कर सके। इस करार में, अमरीकन वेस्टिंगहाउस ओवरसीज कॉरपोरेशन द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से संघटकों, मॉड्यूलों, सब-सिस्टम और सेवाओं की वापसी खरीद की व्यवस्था का भी प्रावधान है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार 8 वर्ष के लिए लागू रहेगा और इस अवधि के दौरान मैसर्ज वेस्टिंगहाउस ओवरसीज कॉरपोरेशन द्वारा "बेल" को आधुनिकीकरण और संशोधन सम्बन्धी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड उन्हें राडार सिस्टमों में समाविष्ट कर सके। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

को भारत में बिक्री का एकमात्र अधिकार भी दिया गया है और अमरीका को छोड़कर जहां बिक्री मैसर्ज वेस्टिंगहाउस ओवरसीज कॉरपोरेशन के माध्यम से की जाएगी, अन्य देशों में बिक्री का गैर-एकमात्र अधिकार भी दिया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत 5.954 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

**विमानन नीति का उदारीकरण**

6757. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार्टर और विमानन नीति को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु चार्टर और विमानन नीति को और उदार बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) भारत आने वाली पर्यटक चार्टर उड़ानों के परिचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, हाल में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

1. पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होटलों के मालिकों को पर्यटक उड़ानों को प्रायोजित करने के लिए भारतीय प्रधान/ट्रैवल एजेन्ट/ऑपरेटर के बराबर का दर्जा दिया गया है।

2. सार्क देशों के पर्यटकों द्वारा लौटायी जाने वाली विदेशी मुद्रा को अन्य देशों के पर्यटकों द्वारा लौटायी जाने वाली राशि का 50% कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत आने वाली पर्यटक चार्टर उड़ानों के परिचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में, भारत में पर्यटन का संवर्धन करने की दृष्टि से, जब कभी भी जरूरी समझा जाता है, संशोधन किए जाते हैं।

**दूरदर्शन केन्द्रों/टी० वी० रिले केन्द्रों की स्थापना**

6758. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान और अधिक दूरदर्शन केन्द्रों और टी० वी० रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उपरोक्त विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकेंगे; और

(ग) उपरोक्त विस्तार योजना में इन्सैट-1 बी कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) दूरदर्शन की चालू सातवीं योजना स्कीमों तथा 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के अन्तर्गत स्कीमों के भाग के रूप में निम्नलिखित संख्या में टी० वी० परिवर्तनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए

जाने की परिकल्पना है :—

(1) कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (पी० पी० सी०)/कार्यक्रम जनरेशन सुविधा (पी० जी० एफ०) केन्द्र । — 21

(2) भिन्न-भिन्न शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर (शक्ति बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर परियोजनाओं सहित) । — 207

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों/कार्यक्रम जनरेशन सुविधा केन्द्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए 8 परियोजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। आठवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् 1993-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्थानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) टी० वी० ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू हो जाने पर देश की लगभग 90.6 प्रतिशत जनसंख्या (किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) के टी० वी० कवरेज के अन्तर्गत लाए जाने की उम्मीद है ।

(ग) इनसैट-1 बी अब प्रचालन अवस्था में नहीं है ।

**म्यान्मार में भारतीय मूल के लोग**

6759. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय मूल के राज्य विहीन लोगों को म्यान्मार में नागरिकता देने के मुद्दे को म्यान्मार के समक्ष उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उस देश की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां। इस मामले को म्यामां सरकार के साथ कई अवसरों पर उठाया गया है।

(ख) म्यामां के सम्बन्धित प्राधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले को यथासमय हल कर दिया जाएगा ।

**मुम्बई में विमान दुर्घटनाएं**

6760. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मुम्बई में एअर इंडिया के विमानों की कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में हताहत हुए लोगों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक दुर्घटना में विमान और सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई में एयर इंडिया का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

## वीर सावरकर पर फिल्म

6761. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास वीर सावरकर के जीवन पर बने वृत्तचित्र के प्रसारण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) वर्तमान में वीर सावरकर के जीवन पर वृत्तचित्र फिल्म टेलीकास्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## दूरदर्शन धारावाहिकों का चयन

6762. श्री मदन लाल खुराना :
श्री प्रभु लाल रावत :
श्री चित्त बसु :
श्री ललित उरांव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा मंजूर किए गए "ए" प्लस श्रेणी के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बीच केन्द्रीय ब्यूरो ने दूरदर्शन के धारावाहिक घोटाले के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तिम रूप से मंजूर किए गए/नामंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

### विवरण

| क्रम सं० | श्रेणी | चयन किए गए धारावाहिकों की संख्या | प्रतीक्षा सूची बद्ध धारावाहिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पारिवारिक धारावाहिक | 18 | 15 |
| 2. | कामदी धारावाहिक | 09 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | शास्त्रीय/उपन्यास आधारित धारावाहिक | 18 | 41 |
| 4. | लघु कहानियां | 09 | 22 |
| 5. | जासूसी कहानियां | 08 | — |
| 6. | सामाजिक/पर्यावरणीय धारावाहिक | 18 | 38 |
| 7. | वैज्ञानिक कथा संहिता | 09 | 01 |
| 8. | ऐतिहासिक/सांस्कृतिक | 09 | 26 |
| 9. | क्विज कार्यक्रम | 04 | — |
| 10. | बाल अभिरुचि के धारावाहिक | 09 | 25 |
| 11. | वृत्तचित्र | 09 | 16 |
| | कुल : | 120 | 198 |

**एशियासेट ट्रान्सपॉन्डर**

6763. **श्री मोहन रावले :**

**डा० परशुराम गंगवार :**

**श्री मदन लाल खुराना :**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में एशियासेट पर एक ट्रान्सपॉन्डर पट्टे पर लेने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु हांगकांग की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐशियासेट पर ट्रान्सपॉन्डर के पट्टे का नवीकरण करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐशियासेट ट्रान्सपॉन्डर उपलब्ध न होने की सूरत में क्या-क्या उलझनें आयेंगी;

(घ) ऐशियासेट-1 पर ट्रान्सपॉन्डर की पुनः बुकिंग करने के सम्बन्ध में कम्पनी को हुए घाटे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या एशियासेट-2 पर ट्रान्सपॉन्डर उपलब्ध कराने की पेशकश की गई थी; और

(च) इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि एशिया सैट के किसी ट्रांसपोंडर को किराए पर नहीं लिया गया है।

(घ) यह खबर मिली है कि एशिया सैट-1 उपग्रह के समस्त ट्रांसपोंडरों को पुनः बुक किया गया है, क्योंकि पट्टा जारी रखने का अधिकार प्रथम पट्टेदार के पास निहित है।

(ङ) जी, हां।

(च) एशिया सैट-2 उपग्रह 1994 के अन्तिम तिमाही अथवा 1995 की पहली तिमाही में चालू किए जाने की संभावना है।

**नेन्गपो-गुवाहाटी विद्युत पारेषण लाइन**

6764. **श्री प्रधान डेका** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 220 किलोवाट डी०सी० की क्षमता वाली नेन्गपो-गुवाहाटी विद्युत पारेषण लाइन को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू)** : (क) नेन्गपो और गुवाहाटी के बीच 220 के०वी० डी/सी विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण किए जाने से संबंधित केन्द्रीय प्राधिकरण को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि असम की छठी पंचवर्षीय योजना पारेषण एवं ट्रांसफरमेशन स्कीमों के एक अतिरिक्त हिस्से के रूप में लंगपी तथा गुवाहाटी के बीच 220 के०वी० डी/सी विद्युत पारेषण लाइन को जून, 1991 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ट्रंक कालों का मिल पाना**

6765. **श्री मदन लाल खुराना** :

**श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1993 के अंग्रेजी दैनिक "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "हाई डोंट मेनी ट्रंक कालस मैटोरियलाइज आफ्टर 10 पी०एम०" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) और उनमें से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक स्थिति और सरकार द्वारा इस प्रत्येक मुद्दों पर निम्नलिखित कार्यवाई की गई :—

1. ट्रंक काल की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में सतर्कता सम्बन्धी जांच में अब तक ऐसी किसी धोखाधड़ी का पता नहीं चला है।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के साथ दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि० के अधिकारियों ने कुछ आकस्मिक जांच पड़तालें कीं और छापे मारे जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 31 विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भी दिल्ली और बम्बई में पांच मामले दर्ज किए हैं।

3. इस तरह की शिकायतें जोकि संख्या में बहुत कम होती हैं, समय-समय पर प्राप्त होती हैं, ऐसे मामलों को कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक कार्रवाईयां की गई हैं।

ट्रंक सर्किटों के समुचित उपयोग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एम०टी०एन०ए० में एक निगरानी कक्ष कार्यरत है और समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रंक सर्किटों की निगरानी की जा रही है। कनिष्ठ प्रशासनिक-ग्रेड अधिकारी की-अध्यक्षताओं में एम०टी०एन०एल० में एक सतर्कता संगठन भी मौजूद है जो अनियमितताओं के पता चलने पर कार्यवाई करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करता है।

**पवन हंस लिमिटेड का कार्यकरण**

6766. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस लिमिटेड के कार्यकरण सुधार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) पवनहंस लिमिटेड एक लाभ कमाने वाला संगठन है। इसके कार्यकरण में सुधार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। कम्पनी के कार्य-निष्पादन की आवधिक रूप से संवीक्षा की जाती है, उन क्षेत्रों का पता लगाया जाता है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है और इसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। वह अपने कार्य-कलापों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है।

[हिन्दी]

**सरकारी अतिथि गृह और होटल**

6767. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार के स्वामित्व वाले अतिथि गृहों और होटलों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और भारतीय होटल निगम लिमिटेड दिल्ली में होटलों का परिचालन

करते हैं। इन होटलों में होने वाली अनियमितताओं का सम्बन्ध सामान्यतः खरीददारी, कमरों के आवंटन, ग्राहकों के बिलों के निपटान, ठेके देने, आदि से होता है।

(ग) इन होटलों के प्रबंधन अनियमितताओं की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इनकी जांच अपने सतर्कता प्रभागों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि के जरिए कराते हैं। की गई जांच-पड़ताल के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी दोषी कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनिक नियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

**सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास**

6768. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**
**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
**श्री राम नाईक :**

क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जेनेवा में अपने 49वें सत्र में घोषणा की थी कि बड़े बांधों के निर्माण के लिए वहां रहने वाले लोगों को वहां से हटाना मानवाधिकार का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस घोषणा को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषरूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा घाटी की सिंचाई परियोजना और उड़ीसा की जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए विस्थापित किए गए लोगों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० चुंगन)** : (क) मानवाधिकारों पर आयोग द्वारा अपने 49वें सत्र पर अपनाए गए संकल्प में बड़े बांधों के सम्बन्ध में जबरदस्ती निकाले जाने के प्रश्न पर कुछ नहीं कहा गया है। तथापि, संकल्प में वर्ष 1990 में बनाई गई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी समिति की सामान्य टिप्पणी को दोहराया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को उन परियोजनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें सभी उपयुक्त सुरक्षा और मुआवजे के प्रावधान के बिना बड़े पैमाने पर व्यक्तियों का निष्कासन अथवा विस्थापन शामिल हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर परियोजना एवं अन्य सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं तथा उड़ीसा में इन्द्रावती जल-विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए उपयुक्त कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेजों के लिए उदार नीतियां भी अपनाई हैं। केन्द्र में, जलाशय परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाने हेतु कदम उठाए गए हैं।

**कर्नाटक में उडपी में सुपर ताप विद्युत परियोजना**

6769. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार कर्नाटक में उडपी में कोई सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसे प्रौद्योगिक आर्थिक स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू)** : (क) से (ग) नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) द्वारा कर्नाटक में उड़पी में सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एन०टी०पी०सी० द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलौर के समीप नन्दीकर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 1991 में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

**केरल में मेलों और उत्सवों का आयोजन**

6770. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में मेलों और उत्सवों के आयोजन के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : पर्यटन विभाग विभिन्न राज्यों के अभिनिर्धारित मेलों तथा त्यौहारों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केरल राज्य के लिए चार उत्सव अभिनिर्धारित किए गए हैं :—

1. विशाल हाथी दौड़
2. निशागंधी नृत्य उत्सव
3. ओणम उत्सव और
4. नौका उत्सव (कोचीन, एलेप्पी, क्वीलॉन)

राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव मिलने पर, प्रस्तावों के गुण-दोष पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

**संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता**

6771. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति की हाल की इस देश की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की उम्मीदवारी के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के लिए भारत कितना समर्थन जुटा सका ?

**विदेश मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) प्रधान मंत्री मेजर ने इस विषय पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। राष्ट्रपति येल्त्सिन ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह एक कठिन प्रश्न है, इसलिए नहीं कि वह भारत की स्थिति का समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रश्न की और अधिक जांच-पड़ताल की जरूरत है और इस बात की जरूरत है कि सुरक्षा परिषद का गठन करने वाले सिद्धान्तों पर बारीकी से गौर किया जाए।

(ख) भारत सर्वसम्मति कायम करने का प्रयास करते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देता रहा है जिसमें औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व हो और जो सभी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय मंचों पर सदस्यों की संख्या के अनुपात में हो 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें अधिवेशन में भारत तथा अन्य देशों ने "औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व और सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या में वृद्धि से सम्बन्धित प्रश्न" पर एक संकल्प रखा था जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। संकल्प में महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे सदस्य राज्यों से सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या की संभावित समीक्षा के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 30 जून, 1993 तक उनसे लिखित टिप्पणियां मांगे। संकल्प में महासचिव से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे महासभा के विचारार्थ उसके 48वें अधिवेशन में इस विषय पर सदस्य राज्यों की टीका-टिप्पणी से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

**रामेश्वरम के तट दूर भारतीय मछुवारों से सम्बन्धित घटनाएं**

6772. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मार्च, 1993 के प्रथम सप्ताह के दौरान रामेश्वरम के तट-दूर भारतीय मछुवारों के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग को सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (घ) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा 5 और 6 मार्च, 1983 को भारतीय मछुवारों के उत्पीड़न की दो वारदातों की सूचना श्रीलंका स्थित भारत के हाई कमीशन को दी। हमारे हाई कमीशन ने इन मामलों को तत्काल श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया जिसने इस बात से इन्कार किया कि इन वारदातों में श्रीलंका की नौसेना शामिल थी। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि ये वारदातें सम्भवतः श्रीलंका के तमिल उग्रवादी तत्त्वों द्वारा की गई होंगी।

**भारतीय डाक कर्मियों से प्राप्त ज्ञापन**

67 / 3. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाकियों और श्रेणी "क" के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन,

वेतनमान निर्धारण में भेदभाव और अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय डाक कर्मचारी संघ (पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी) ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ मांगें रखी गई हैं। इनका ब्यौरा और की गई/प्रस्तावित कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

| क्रम सं० | मांग | की गई कार्रवाई/स्थिति अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डाकियों और ग्रुप "घ" कर्मचारियों के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान में संशोधन किया जाना चाहिए। डाकियों को 950-1500/-रु० का वेतनमान दिया जाए। | चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले डाकिए 210-270/-रु० के वेतनमान में थे। वेतन आयोग ने 210-270/-रु० के संशोधन-पूर्व वेतनमान को 800-1150/-रु० में बदलने की सिफारिश की थी। हांलाकि वेतन आयोग ने पोस्टमैन संवर्ग के लिए उनकी ड्यूटी की प्रकृति, अपेक्षित पहल शक्ति और कार्यकुशलता को ध्यान में रखने के बाद 825-1200/-रु० के उच्च वेतनमान की सिफारिश की थी। वेतन आयोग ने डाकियों के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता की सिफारिश भी की थी। तदनुसार, डाकियों को 825-1200/-रु० का विशेष वेतनमान दिया था। इन्हें 950-1500/-रु० का उच्च वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं है। डाकियों द्वारा उच्च वेतनमान देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका भी खारिज हो गई है।<br><br>जहां तक, ग्रुप "घ" कर्मचारियों का संबंध है, वेतन आयोग ने सभी संबंधित पहलुओं और उनकी ड्यूटी की प्रकृति को ध्यान में रखने के बाद 750-940/रु० का संशोधित वेतनमान निर्धारित किया था। इस प्रकार, ग्रुप "घ" कर्मचारियों के वेतनमान में आगे और कोई संशोधन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा अधीन डाकियों को 1200-1800/-रु० का वेतनमान दिया जाए। | 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद डाकियों के लिए 975-1660/-रु० के वेतनमान की सिफारिश करते समय दूरसंचार विभाग के लाइनमैन के बराबर 1200-1800/-रु० के वेतनमान की मांग पर यथोचित विचार किया था। लाइनमैन के मामले में, दूरसंचार विभाग में तकनीकी संवर्गों के पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित तकनीकी संवर्गों के लिए निर्धारित योग्यता स्तर में वृद्धि के कारण लाइनमैन को 1200-1800/-रु० का उच्च वेतनमान मिला। डाक विभाग में कार्यकुशलता के निर्धारित स्तर से सम्बद्ध न तो संवर्गों का ऐसा कोई पुनर्गठन ही किया गया और न ही इसकी जरूरत समझी गई। इसलिए, दूसरी समयबद्ध पदोन्नति देने पर पोस्टमैन के वेतनमान की दूरसंचार विभाग के लाइनमैन के साथ बराबरी उचित नहीं है। |
| 3. | एक समयबद्ध पदोन्नति/द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा स्कीम में नान-टैस्ट केटेगरी स्टाफ को शामिल करना। | एक समयबद्ध पदोन्नति/द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा स्कीम भारत सरकार के डाक विभाग के उन मूल प्रचालन संवर्गों पर लागू होती है जो केवल डाक विभाग में ही हैं। जो संवर्ग भारत सरकार के अन्य विभागों में भी हैं। जैसे चपरासी/दफ्तरी/सफाई कर्मचारी/फराश आदि (नाम टैस्ट कैटेगरी कर्मचारी) वे इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। नान टैस्ट कैटगरी स्टाफ जो एक समयबद्ध पदोन्नति/द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा स्कीमों का लाभ देने के लिए उनका टैस्ट केटेगरी ग्रुप "डी" स्टाफ के साथ विलय के प्रस्ताव को सरकार ने नहीं माना है और इस प्रकार का कोई लाभ देने से अन्य विभागों पर व्यापक वित्तीय प्रतिक्रियाएं होंगी। इसलिए एक समयबद्ध पदोन्नति स्कीम नान-टैस्ट केटेगरी स्टाफ के लिए लागू नहीं की जा सकती। |
| 4. | द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा के अधीन पदोन्नत ग्रुप "घ" | द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा के अधीन पदोन्नत ग्रुप "घ" कर्मचारियों को 58 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी जाए। | वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया लेकिन इससे समान वेतनमान के अन्य संवर्गों पर बढ़ने वाले प्रभाव के कारण स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया। तथापि, कर्मचारियों को द्विवार्षिक संवर्ग, पुनरीक्षा के अंतर्गत पदोन्नति लेने से इन्कार करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो सकें। |
| 5. | नैमित्तिक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान उन्हें मिलने वाले वास्तविक वेतन से जोड़ा जाए। अंशकालिक कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाए। | नैमित्तिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की राशि बढ़ाने तथा डाक विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के बारे में यूनियन से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| 6. | कार्यभार में वृद्धि के अनुसार उचित पद बनाए जाएं और मंजूर किए जाएं। | विभाग अपने प्रचालन कार्यालयों आदि में कर्मचारियों की कुल आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा करता है। की गई पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप 1992-93 में अनेक पद सृजित किए गए थे। स्थापना संबंधी पुनरीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यदि उचित पाया जाता है, तो पद मंजूर किए जाते हैं। |
| 7. | चौकीदारों के कार्य घंटे प्रति सप्ताह 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे किए जाएं। | चौकीदारों के कार्य घंटों से संबंधित मामला इस समय राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०) के विचाराधीन है। इसलिए डाक विभाग स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि इसका असर विभिन्न अन्य विभागों पर भी पड़ेगा। |
| 8. | वर्दियों की सप्लाई और अधिक ढंग से की जाए तथा उनकी क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है। विभाग को वर्दियों की सप्लाई के स्थान पर कर्मचारियों को नकद भुगतान करने के बारे में विचार करना चाहिए। | इस समय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गई और कार्मिक एवं प्रशिक्षण सुधार विभाग के विनिर्देशन के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की वर्दियां सप्लाई की जाती है। जब सप्लाई डी०जी०एस० एण्ड डी० के केन्द्रित थी तो उस एजेंसी में कतिपय प्रचालन संबंधी समस्या के कारण विलम्ब की कुछ घटनाएं हुईं। डी०जी०एस० एण्ड डी० के समाप्त होने पर विभाग, क्वालिटी में पर्याप्त सुधार करने के लिए निरंतर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | प्रयास कर रहा है और वर्दियां नियमित रूप से सप्लाई भी कर रहा है। जहां तक वर्दियों के बदले नकद भत्ता देने का संबंध है, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस संबंध में सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है। |
| 9. सेवानिवृत्त कर्मचारी के कम-से-कम एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर विभाग में नौकरी दी जाए। | | अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां इस विषय पर सरकार के अनुदेशों दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती हैं। प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के एक आश्रित को नौकरी देने की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। |
| 10. घंटे की दर से समयोपरि भत्ते का भुगतान करने की प्रणाली डाकियों के लिए भी निर्धारित की जाए। | | इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि डाकियों द्वारा जो कार्य किया जाता है और उनकी ड्यूटी के घंटे मूल शर्त को पूरा नहीं करते जिसमें अंतर्गत अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ता स्कीम लागू की गई है। समयोपरि भत्ता स्कीम कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के लिए लागू है जिनकी ड्यूटी के घंटे निश्चित होते हैं और जिनसे तथ्यपरक जांच और उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए डाकियों को समयोपरि भत्ता स्कीम के अंतर्गत शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि उनकी फील्ड/आउट डोर ड्यूटी होती है जिसमें न्यूनतम जांच एवं उपाय करने की अपेक्षा नहीं होती। फिर भी पोस्टमैनों को दी जाने वाली निर्धारित मासिक प्रति पूर्ति में हाल ही में संशोधन किया जाना है जो निम्नानुसार है :— |
| | (क) जब कोई पोस्टमैन किसी अनुपस्थित पोस्टमैन की ड्यूटी करता है। | मौजूदा दर 9.00 रु० / संशोधित दर 18.00 रु० |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मौजूदा दर | संशोधित दर |
| | | (ख) जब दो पोस्टमैन किसी अनुपस्थित पोस्टमैन की ड्यूटी करते हैं। | 6.00 रु० (प्रति पोस्टमैन) | 12.00 रु० (प्रति पोस्टमैन) |
| | | (ग) छुट्टी के दिन की आर्थिक प्रतिपूर्ति। | 12.00 रु० | 25.00 रु० |
| 11. वर्तमान धुलाई भत्ते, साइकिल भत्ते और नकद भत्ते की दरें काफी कम हैं, इन्हें दुगुना किया जाए। | | धुलाई भत्ते, साइकिल भत्ते का भुगतान सरकार के निर्णयों के अनुसार विनियमित किया जाता है और इन दरों में वृद्धि केवल अकेले डाक विभाग में नहीं की जा सकती है। जहां तक कैश-ओवरसियरों को नकद भत्ते का भुगतान करने का संबंध है, इसे हाल में ही 15 रु० से बढ़ाकर 20 रु० कर दिया गया है। | | |

**खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर उदारीकृत आर्थिक नीति का प्रभाव**

6774. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उदारीकृत आर्थिक नीति का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लखण गगोई)** : जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति को उदार बनाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में फरवरी, 1993 तक लगभग 1993 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 25,343 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है। सरकार ने भी खाद्य प्रसंस्करण और गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनके अन्तर्गत संयुक्त उद्यम, निर्मातोन्मुखी यूनिट, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले यूनिट, सरकार की मंजूरी की आवश्यकता वाले अनिवासी भारतीयों और विदेशी कार्पोरेट निकायों आदि के यूनिट शामिल हैं। इन प्रस्तावों मे लगभग 840 करोड़ रुपये का विदेशी इक्विटी निवेश नीहित है।

**दिल्ली-बंगलौर एयरबस सेवा को कालीकट तक बढ़ाना**

6775. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बंगलौर एयरबस ए-320 की सेवा कालीकट तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) यातायात मांग की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स का दिल्ली-बंगलौर ए-320 सेवा का कालीकट के लिए विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

**12.00 मध्याह्न**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने विमान अपहरण के संबंध में एडजर्नमेंट मोशन दिया है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : मैंने भी विमान अपहरण के संबंध में नोटिस दे रखा है।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीरता के साथ रोज प्लेन हाईजैकिंग का एक नियम बन गया है जोकि अभी हुआ है। इसको जितनी गंभीरता से लिया जाए उतनी गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। जो पैसेन्जर्स बच गए हैं वे किस तरह बचे हैं यह मंत्री जी को मालूम है, आपको और हम सबको मालूम है। एक तरफ तो सिक्योरिटी का टोटल लैप्स है और सिक्योरिटी के पर्सनल्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही टैक्नीकली और बहुत ही

बहादुरी के साथ खाना ले गए और कमान्डो लोग चले गए तो उनको निरस्त करने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और जिस तरीके से दिन-प्रति-दिन यह प्लेन हाईजेकिंग का मामला चल रहा है तो मैं समझता हूं कि यह इससे ज्यादा देश के लिए और कोई चिंता का विषय नहीं हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि उन्हीं का यह महकमा होगा और श्री गुलाम नबी आजाद जी हंस रहे हैं तो शायद यह उनका नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और सरकार इस पर वक्तव्य दे और कोई रास्ता निकालना चाहिए और सरकार इस बारे में एश्योरेंस दे चूंकि ये घटनाएं बार-बार घट रही हैं और जो लोग प्लेन में बैठने हैं वे तो बैठते ही हैं लेकिन देश की जनता इस पर चिन्तित है कि पता नहीं कब, कौन प्लेन में बैठे और क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही चिंता का विषय है और कन्डेमनेबल है। इसको जितनी सिरीयनैस से लेना चाहिए सरकार उतनी सिरीयनैस से ले और इस पर वक्तव्य दे।

[अनुवाद]

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : मैं मध्याह्न पश्चात् एक वक्तव्य दूंगा···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : यह मामला किस मिनिस्ट्री का है ।···(**व्यवधान**)···इस पर सिविल एवीयेशन मिनिस्टर रिप्लाई करेगा या इंटरनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर रिप्लाई करेगा ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, सिविल एवीयेशन मिनिस्ट्री एक सीमा तक है और इसमें हम गृह मंत्रालय से भी जवाब चाहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि वे जवाब देना चाहेंगे। आज चार किस्म की खबरें हैं कि वह आदमी कैसे मारा गया। उन्होंने गल्ती की, वह क्रिमिनल है, मान लिया और उनके साथ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, वह भी मान लिया। लेकिन हम जो समझ पाए हैं लोगों से बात करके और आज सुबह अखबार पढ़कर कि उस आदमी को आपने पकड़ा था—

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : हम वक्तव्य की प्रतीक्षा कर लें।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : आपने उस आदमी को पकड़ा ! आप उसे बाहर लाए और उसे गोली मार दी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। इन्सान की जान को हमारे देश में जिस हल्के ढंग से लिया जाता है उससे चिंता है।···(**व्यवधान**)···आज वहां पर हो गया, कल और किसी का हो सकता है। पुलिस थानों में लोगों को मारते हो, सरकार को

ईमानदारी से और सच्चाई से सदन में जवाब देना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अध्यक्ष जी, आप इस पर जांच कराएं। इस तरह से लोगों को जान से मारना यह बात सही नहीं है।(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देना चाहता। हूं। इस आदमी की मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में मेरी कोई अपनी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है वह क्षुब्ध करने वाली है। (**व्यवधान**) यह पक्षपात का मामला नहीं है (**व्यवधान**) मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों चीख रहे हैं। यह गंभीर मामला है और मेरा ऐसा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे ? अतः एक व्यक्ति, जिसको पकड़ा जाना अपेक्षित हो, उसे यदि पकड़े जाने से पूर्व ही मार दिया जाता है, तो यह एक अलग बात है। लेकिन समाचार पत्रों में अलग तरह की रिपोर्ट छपी है। कुछ समाचार पत्र कहते हैं कि कुछेक कमाण्डों ने ऐसा किया, जबकि अन्य कुछ कहते हैं कि यह काम एक कमाण्डों ने किया। यह कब हुआ ? (**व्यवधान**)

विमान का अपहरण गंभीर मामला है सरकार इसको अनदेखा नहीं कर सकती। हाल ही में चार सप्ताह के भीतर अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए या इसे हल्के-फुल्के ढंग से लिया जाए। (**व्यवधान**)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अतः इस तरह के मामलों में सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह पूर्ण तथ्यों के साथ वक्तव्य दें।...(**व्यवधान**)...मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में न केवल भारतीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। विमान का अपहरण एक सामान्य गतिविधि नहीं है। मैं आशा करता हूं कि देश में यह एक सामान्य गतिविधि नहीं बन जाएगी। आपकी सरकार है, आपका उत्तरदायित्व है, अतः यदि कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं "कि समाचार पत्रों में विरोधाभास-पूर्ण रिपोर्ट के मद्देनजर हम सच्चाई जानना चाहते हैं।" आप जोर से बोलकर उसकी बात दबाना चाहते हैं। यह काम करने का तरीका नहीं है।...(**व्यवधान**)...यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आपको वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई यह न कह सके कि लोगों से इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, जो देश के लिए बदनामी का विषय हो सकता है।

**श्री रमेश चेन्नित्तला** (कोट्टायम) : सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। विमान के अपहरण की घटना की समूची सभा ने भर्त्सना की है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में वक्तव्य दिया जाना चाहिए। नागर विमानन मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि वह मध्याह्न पश्चात् इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे। आप लोग और क्या चाहते हैं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। अनावश्यक रूप से मंत्री महोदय की स्थिति को विकट मत कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री रमेश चेन्नितला** : आपको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। हम मामलों को उलझाना नहीं चाहते हैं। यह सही नहीं है। जो मुद्दा नहीं है, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि एक ऐसा मामला जिस पर सारा सदन चिन्तित है और जिस चुनौती का सामना करने के लिए सारे राष्ट्र को एक होकर खड़ा होना है वह भी हमको बांट रहा है। हमारे बीच में उत्तेजना पैदा कर रहा है। अगर श्री फर्नान्डीज ने कोई जानकारी मांगी थी तो उन्हें सीधे-सीधे जानकारी मांग लेनी चाहिए थी और सरकार को उस जानकारी का उत्तर देने की तैयारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इसलिए पैदा हो रही है कि यह ठीक है कि विमान भारत सरकार का था, आजाद साहब उसके मंत्री हैं लेकिन हवाई अड्डों की सुरक्षा? वह आतंकवादी अपहरणकर्त्ता कहां से आया था? अगर वह कश्मीर घाटी का था तो क्या वह अकेला था? क्या उसके साथ और भी लोग थे? जो समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं, उन सबके बारे में स्पष्टीकरण पूछना भी कठिन है लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो कश्मीर घाटी की स्थिति है, हम तो चाहेंगे कि इस पर कोई वरिष्ठ मंत्री जो देश की आन्तरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, केवल विमान का अपहरण नहीं है और इस तरह से विमान का अपहरण? मैं अपने मित्र श्री फर्नान्डीज से भी कहूंगा कि हर नागरिक के जीवन का अधिकार है और उसमें आतंकवादी को भी जीवन का अधिकार है। वह एक नागरिक के नाते या मानव के नाते, मगर जिन 140 लोगों को बंधक बनाकर ले गया और इतने घण्टे मौत के मुंह में झुलसाकर रखा, उनको भी जीवित रहने का अधिकार है, उनको भी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। कहीं ऐसा न हो कि प्रतिपक्ष में बैठे हैं, इसलिए ऐसे मामले में संतुलन खो दें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपहरण पर बयान दिलवाइए लेकिन कश्मीर की घाटी की जो स्थिति हो रही है वह सदन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जम्मू-कश्मीर की पुलिस वाले हथियार लेकर सड़कों पर निकल आएं, युनाईटेड नेशन्स का दरवाजा खटखटाएं और सरकार, ऐसा लगता है कि कुछ न करने की स्थिति में आ जाए? किस तरह की वहां पहलें की जा रही थीं? राज्यपाल का परिवर्तन किस उद्देश्य को रखकर किया गया? कश्मीर की घाटी में यह क्या हो रहा है? प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष को बुलाकर बात भी नहीं कर सकते?...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़) : आप चर्चा किस बात की कर रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हम अति लोक महत्त्व के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह रवैया ठीक नहीं है...माफ करिए।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप रक्षात्मक स्थिति में हैं। आप मजबूत स्थिति में हैं।

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : और आप संख्या में ज्यादा हैं, सरकार चला रहे हैं, हमें बोलने भी नहीं देंगे ? (**व्यवधान**) जो कश्मीर की घाटी की स्थिति है, क्या आपके लिए चिन्ता का विषय नहीं है ? (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : बंसल जी, आप बैठ जाइए ...

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप बाधा मत पहुंचाइए। मुझे यही कहना है। आप केवल इतना कीजिए कि आप बाधा मत पहुंचाइए।

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, अपहरणकर्त्ता कश्मीर से आया था वह किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है। वह यहां पहुंचने में कैसे सफल हुआ ? क्या उसके साथ और लोग भी थे ? वह दिल्ली में कहां ठहरा था ? कश्मीर में जो बिगड़ती स्थिति है, क्या उसका इससे सम्बन्ध है ? अध्यक्ष महोदय, अगर जोड़ने की बात है तो मैं जोड़कर रख सकता हूं मगर मुंह बंद करने की कोशिश मत करिए और मैं समझता हू कि आपको भी कश्मीर की स्थिति के बारे में चिन्ता है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए। आप अनावश्यक रूप से मामले को उलझा रहे हैं।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह सही है या नहीं इस बात का निर्णय मैं करूंगा।

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे कांग्रेस के मित्र क्या चाहते हैं ? कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अभी मुझसे पूछा जा रहा था कि हम क्या चाहते हैं ? हम तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा देकर चले जाइए। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : प्लीज, आप बैठ जायें। यह विषय आपके लिए और सब के लिए महत्त्व का विषय है।

अगर इस विषय पर कोई जानकारी सरकार से मांगी गई है तो यह सरकार को एक प्रकार की सुविधा दी गई है कि अगर लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां दूर करने की दृष्टि से सरकार ध्यान दे। यहां जिस सवाल का निर्माण हुआ वह इसलिए हुआ कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आए या सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री की तरफ से आए। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यह सिर्फ हवाई जहाज की सुरक्षा का सवाल है या बाहर भी उसके कुछ सम्बन्ध हो सकते हैं यह देखने की दृष्टि से सवाल आया है। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि इसमें स्टेटमेंट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए। मगर यह बात सही है कि इसके बाहर भी कुछ

सम्बन्ध हैं तो उसके बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री से कुछ जानना चाहती है तो यह बातचीत कर सकते हैं। दोनों मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के अधिकारी बैठकर वह स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। यह जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होने की वजह से कोई मिनिस्टर यहां उठकर यह नहीं कहे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए कर रहे हैं या प्लानिंग ने नहीं दिया, ऐसा यहां नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से अगर एक मिनिस्ट्री का ज्यादा सम्बन्ध है और दूसरी मिनिस्ट्री भी उसमें आती है तो दूसरी मिनिस्ट्री से सम्बन्ध बना कर उसकी मालूमात लेकर स्टेटमेंट कर सकती है और मैं समझता हू कि इसमें अगर कोई ज्यादा मालूमात देने की जरूरत है तो यह दोनों-तीनों मिनिस्टर सक्षम हैं और वह बैठकर स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इसके बाद राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

(व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आपने जो रूलिंग दी उसको मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो मामला है वह आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय का है। नागरिक विमानन मंत्रालय का इतना ही है कि विमान उतरा है।···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसका मिनिस्टर रहा हूं। मुझे मालूम है। आप बिना वजह उस एरिया में जा रहे हैं जिसकी मालूमात आपके पास नहीं है। यह सही नहीं है। यह नागर विमानन मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है।

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : अध्यक्ष जी, अभी मेरे साथी गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि आज शाम तक पूरा स्टेटमेंट देंगे और सरकार की तरफ से होगा। उसके बाद सदन में जो सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं, के पास सरकार पूरी बात होगी। वह जवाब देंगे। ···(व्यवधान)···दूसरी बात, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर की बात कही, अपने सवाल में जोड़ी, यह बात सही है कि कश्मीर की समस्या गंभीर है। मुझे कहना चाहिए और सरकार हमेशा कहती रही है, हर वक्त कहा है कि कश्मीर की समस्या से दो बातें वहां पर आती हैं। जब कभी थोड़ा स्थिति में सुधार होता है मिलिटेंसी अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए पूरे कदम उठाती है। वहां झगड़ा यह है कि कैसे मिलिटेंसी को खत्म कर पाएं, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है और जब हम उसमें सुधार करते हैं तो मिलिटेंसी की तरफ से हमारे जो पड़ोसी साथी देश हैं, उनकी तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि सुधार न हो। तो हमारा जो संघर्ष चल रहा है उसमें कभी सुधार नजर आता है तो कभी उसकी स्थिति बेकार हो जाती है। मैं अपने बड़े भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि वहां पर स्थिति सामान्य हो और जो भी थोड़े बहुत इंसिडेंस होते हैं उन्हें काबू में करने की कोशिश की जाती है और अभी कल से होम मिनिस्ट्री का डिसकशन शुरू होगा, उसमें जो भी हमारे भाइयों के विचार होंगे, सरकार उन्हें ध्यान में रखकर उन कदमों को उठाने के लिए तैयार है। तो कल-परसों होम मिनिस्ट्री का डिसकशन है, उसमें सारी बात कश्मीर के बारे में खुलकर हो सकती है कि सरकार क्या कदम उठा रही है और हमारे माननीय सदस्यों के क्या सुझाव हैं उन्हें हम लागू करना चाहते हैं।

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : कश्मीर में जो वहां सैनिकों ने, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया उसके बारे में भी कुछ बताएं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वह बाद में आएगा।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही गंभीर सवाल सदन के सामने उठाना चाहता हूं। इस समय फिल्म जगत् में काफी उथल-पुथल है और सिनेमा के वितरक और निर्माता काफी कठिनाई से गुजर रहे हैं। एक संगठन विशेष के लोग कुछ पत्रकारों से मिलकर एक अभियान ऐसे सिनेमा के कलाकारों के खिलाफ, जिनका सम्पूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा कायम करने में बीता है, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। उनकी फिल्में जगह-जगह पर जलाई जा रही है। 'क्षत्रिय' फिल्म के जो बोर्ड लगे थे उनको फूंका गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मैं यह मानता हूं कि जिस रूप से संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया और जिस रूप से पुलिस उनसे पेश आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेमन बंधुओं से भी कोई बड़ा अपराधी है।

क्या एक-दो अवैध हथियार रखना टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है। क्या 15-16 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखकर, उत्पीड़क कार्यवाही करके, किसी से गलत बयान लेने की कोशिश करना, कोई अच्छी बात हो सकती है। मैं इसकी तीव्र शब्दों में निन्दा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दे कि आज की स्थिति में संजय दत्त ने क्या बयान दिया और बम्बई के विस्फोट से उसका क्या सम्बन्ध है। टाडा के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी क्या सचमुच उचित है या अनुचित है। इसके साथ-साथ, उन सिनेमा के कलाकारों को, जिनका जीवन साम्प्रदायिक सद्भाव में बीता है, उनके खिलाफ प्रोपागंडा चलाकर, उनकी फिल्मों को रोकना और पूरे सिनेमा जगत को साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथ की कठपुतली बनाकर रखना, उचित कहा जाएगा। मैं इसकी तीव्र शब्दों में निन्दा करना चाहता हूं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे और इस सदन को भी उन सारी बातों से अवगत कराए, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इसी प्रकरण में, मैंने भी आपको नोटिस दिया था और यहां मैं भाई मोहन सिंह जी की बात के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आजकल संस्कृति-कर्मियों को बहुत दिक्कत हो रही है। फिल्मों में जो संकट है, वह तो है ही, लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, वे सरकार के परे भी हैं। दोनों देशों में लेखकों, कवियों और शायरों का आदान-प्रदान सरकार के बावजूद भी चलता रहता है। यहां की फिल्मों में बहुत शानदार लोग हैं। मैंने अभी दिलीप कुमार जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, शबाना आजमी का भी पढ़ा था और मुझे बेहद तकलीफ है कि कभी अपने जहन में हम लोगों ने नहीं सोचा कि ये फिल्मी लोग कैसे हैं, एक तरह से, न हमारी दरस है न परस है।

इस तरह के जो लोग हैं, जैसे सुनील दत्त जी हैं, इस सदन में उन्हें देखकर, उनकी भावनाओं के साथ, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वे बहुत संवेदनशील आदमी हैं। उनके बेटे ने जरूर अपराध किया हो लेकिन इस अपराध को जिस तरह से फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पूरे फिल्म उद्योग के बारे में बातें की जा रही हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ फिल्में न देखें, विशेष तौर पर बम्बई में दो लाख लोगों के घर उजड़ गए हैं, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया है। इसके बावजूद, हमारे कानून के हाथ बाहर से तो बहुत लम्बे दिखते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के भीतर, इस देश का जो कानून है, वह इतना छोटा है कि जो आदमी बड़े अपराधों को करे, यानी खुल्लमखुल्ला प्रोपागंडा करता है, उस आदमी को हमारे हिन्दुस्तान का कानून छीनने का काम नहीं करता है।

यहां हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी बैठे हैं ···*···उनके साथ रिश्तों के सम्बन्ध में बात कही गई यद्यपि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग राजनैतिक जीवन में रहते हैं, उनके यहां सब तरह के लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं लेकिन उनके बारे में ऐसा कहना कि वे राष्ट्र-द्रोही हैं, राष्ट्र के खिलाफ लोग हैं, यह जो हमारी मर्यादा है, हमारी जिस तरह की सोच है, खासतौर पर अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो संस्कृति-कर्मी लोग हैं, आज उनके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, वह बड़े शर्म की बात है। जिस तरह बाल ठाकरे फतवा दे रहे हैं, जोसे···*···भी बढ़कर फतवा दे रहे हैं, हमारे हाथ, कानून के हाथ, उस आदमी तक नहीं जा सकते, यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** विदेशी विशिष्ट व्यक्ति के सम्बन्ध में कहा गया शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव :** जिस आदमी के चलते, वहां दो लाख लोग बेघरबार हो गए, उसके प्रति हिन्दुस्तान के कानून, हिन्दुस्तान की सरकार कुछ नहीं करती, यह क्या हो गया है। क्यों उसकी बावत कार्यवाही नहीं की जाती। संजय दत्त के पास एक बन्दूक मिल गयी, उसको लेकर पूरा देश और इस देश के सारे अखबार रंगे हुए हैं, यह हमें क्या हो गया है। किस तरह से हम चलना चाहते हैं और हमारी सोच धार्मिक कटघरे में क्यों बन्द हो जाती है। क्या हम इसके आदि हो गए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में धर्म और मजहब के परे जो संस्कृति-कर्मी हैं, वे सब हमारे मान, सम्मान और श्रद्धा के पात्र होते हैं। उनके निजी जीवन में आजादी होती है। मैं अनेक संगीतकारों को जानता हूं जिनके निजी जीवन के बारे में यदि आप बात करेंगे तो आपको बात करते हुए शर्म आ जाएगी। फिराक साहब अपने जीवन में, निजी जीवन में, कई तरह से बहुत बदजुबान थे लेकिन फिराक साहब का हिन्दुस्तान के साहित्य में जो कन्ट्रीब्यूशन है, क्या हम लोग उसे सलाम नहीं करेंगे। वैसे ही हिन्दुस्तान के जो संस्कृति-कर्मी हैं, पाकिस्तान के संस्कृति कर्मी हैं, यानी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों के परे, पाकिस्तान की कव्वालियां, गजलें आदि कानून के परे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा क्यों बजती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का कानून अपने भीतर का जो अपराधी है, धर्म और मजहब के नाम पर उसको छूने का काम न करे और जो एक खास मजहब के लोग हैं, उनके बाबत अपने लम्बे-चौड़े हाथ दिखाने का काम करे, इस तरह इतिहास में हिन्दुस्तान एक बेहतर और बढ़िया देश बनेगा, यदि हम इस बात को नहीं कहेंगे। मित्रो, मैं आपके बारे में ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे टोकने का काम आप करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, मैं अन्तिम तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संस्कृतिकर्मी भारतीय परम्परा के पुराने संस्कृतिकर्मी हैं। हिन्दुस्तान में शबाना आजमी, दिलीप कुमार और सुनील दत्त जैसे लोगों को सब लोग यहां जानते हैं। वह किस पार्टी के हैं और किस पार्टी के नहीं हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन शबाना आजमी हिन्दुस्तान के एकता

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आन्दोलन से जुड़ी महिला हैं। ये आला इन्सान के लोग हैं और सम्मान देने वाले और सलाम करने वाले लोग हैं। इनके साथ बुरा व्यवहार करना या उन्हें अपमानित करना, हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ होगा। हिन्दुस्तान में सब तरह के लोग रहते हैं और हिन्दुस्तान के कलाकारों की निजी जिन्दगी में आजादी होती है। उस आजादी के चलते उनको देशद्रोही साबित करना कोई बढ़िया बात नहीं होगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बाद में बोलना चाहेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब की नहीं बोलना है। आपकी भावना वहां प्रकट हो गई है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, सदन के सम्माननीय सदस्य श्री सुनील दत्त जी के बारे में हम सब के मन में बड़ी सहानुभूति है। मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसा पुत्र निकले तो पिता का क्या हाल हो सकता है, इसका अन्दाजा हर कोई लगा सकता है। सुनील दत्त जी के लिए यह तकलीफ की बात है। कोई भी नागरिक ए०के०-56 राइफल रखे, सारी बात पुलिस के सामने आ जाए, उसको टाडा में गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी वह आने वाला समय ही बताएगा। मुम्बई में जो दंगे हुए, उनके सम्बन्ध में इनक्वायरी कमीशन काम कर रहा है। उन घटनाओं पर इस प्रकार का वक्तव्य देना, मुझे नहीं लगता है कि मुम्बई शहर में उससे शांति बनाने में मदद मिलेगी।...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : यह ठीक बात नहीं है। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही है ...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक : उन्होंने यह कहा है कि दो लाख लोगों को बेघरबार किया है ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री शरद यादव से सहमत हूं। यूं ही किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से कुछ लोगों को दोषी पाया गया है और कुछ लोग फतवा जारी कर रहे हैं—यह कह देना कि इसे देखा जाना चाहिए और यह नहीं देखा जाना चाहिए—ही काफी नहीं है...(व्यवधान)...वह तथ्यों को सामने नहीं आने दे रहे हैं। आपको इसे रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जो कुछ उन्होंने कहा है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। किसी को यूं ही बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक इसका गलत तरीके से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यह सब मुझे कहना है।

**श्री राम नाईक** : मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है अतः ऐसी व्याख्या मत कीजिए। आप अपनी बात कहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

**श्री राम नाईक** : महोदय, उन्होंने ऐसा कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब केवल अपनी बात कीजिए।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** (हमीरपुर) : वहां कमीशन नियुक्त करें और यहां भी चर्चा करें··· ···(व्यवधान)···

**प्रो० प्रेम धूमल** : आप लोगों ने उसे पकड़ा है। हमें क्यों दुहाई दे रहे हो···(व्यवधान)···

**श्री राजबीर सिंह** (आंवला) : महाराष्ट्र में सरकार किसकी है और केन्द्र में किस की गवर्नमेंट है ?···(व्यवधान)·· आपने ही संजय दत्त को पकड़ा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह भी एक प्रकार का ऐसा मसला है, ऐसा प्रश्न है, जिसके ऊपर बहुत संतुलित रूप से हमको सदन में विचार करना पड़ेगा। आप भावना में बहकर न जाएं, न एक तरफ और न दूसरी तरफ। शरद जी ने जो कहा है, मेरी दृष्टि से मैंने जितना सुना है और समझा है, उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है।

**(व्यवधान)**

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, मुम्बई के दंगों के बारे में वहां एन्क्वायरी कमीशन एप्वाइंट हुई है। जब एन्क्वायरी कमीशन अप्वाइंट हुई है, उनका अपना काम शुरू हुआ है। इसलिए··(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कहूंगा, जो कुछ कहना है।

**(व्यवधान)**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। आज जो बम्बई की सूरत है, वहां एक पैरेलल हकूमत चल रही है। पैरेलल हकूमत चल रही है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। आज लोगों को बुलाकर फिल्म इन्डस्ट्री से कहा जा रहा है कि फलां-फलां आदमी को फिल्म में काम नहीं देंगे। फलां डायरेक्टर को नहीं रखेंगे। फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं रखेंगे. मामला पैसा वसूली का भी है। जिस तरह से सुनील दत्त के बेटे को, जिस तरह से हंगल, दिलीप कुमार, शबाना आजमी, मंदाकिनी और गोविन्दा—एक नहीं पचासियों नाम हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : महोदय, मैं सभा में व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जरा एक मिनट रुकिए, कृपया इस बात को ध्यान रखें कि आपकी बात सभी सुन सकें।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : फातमी जी, आप मामले को बिगाड़ रहे हैं। आप बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : अध्यक्ष जी, बम्बई के अन्दर जो कातिल हैं, वे घूम रहे हैं। जो शरीफ लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : जिन लोगों का उल्लेख रिपोर्ट मे किया गया है, उन लोगों को बचाने की मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, आप अब बोल सकते हैं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : महोदय, सभा द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं पूर्णत: सहमत हूं और इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि श्री सुनील दत्त देश के उल्लेखनीय देशभक्तों में से एक हैं। मुम्बई में साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति स्थापित करने में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। यदि उनका कोई रिश्तेदार पुलिस द्वारा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है, तब उनका नाम इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** : दिलीप कुमार जी जैसे शानदार आदमी का इन्टरव्यूह मैंने पढ़ा है। तकलीफ हुई, उसके बारे में बताइए।...**(व्यवधान)**

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरा कहना है, चाहे दिलीप कुमार जी हों और चाहे शबाना आजमी, इनका नाम सब लोग आदरपूर्वक इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने देशभक्ति और साम्प्रदायिक सद्भाव के काम किए हैं। हम लोगों को मन में किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। जहां तक संजयदत्त की बात है, वहां पर तफतीश चल रही है, एन्क्वायरी चल रही है। जब एन्क्वायरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद कानूनी कार्यवाही होगी और वह होगी। उसके साथ सुनील दत्त या अन्य किसी का नाम जोड़ना और वहां पर विषाक्त वातावरण बनाना यह सर्वथा गलत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस हाउस में सर्वसम्मति से, चारों तरफ से सब लोगों ने इस बात की निन्दा की है कि इस प्रकार जो वहां आन्दोलन-सा चलाया जा रहा है कि जिन फिल्मों में इनके नाम है, जिन पोस्टर्स में इनका ताल्लुक हो, उन फिल्मों के अन्दर हमला किया जाए

या उन फिल्मों को दिखाने से रोका जाए, यह बहुत ही निन्दनीय बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को इस बात का प्रयास करना चाहिए, जिन लोगों ने इस देश की सेवा की हो, उनमें नाम इस प्रकार की हरकतों से न जोड़ा जाए। क्योंकि उनका कभी कोई इससे मतलब नहीं रहा है। जिनका मतलब आएगा, पुलिस उन पर कार्यवाही करेगी। मुझे विश्वास है, न्याय-पूर्वक और न्यायिक ढंग से पूरी कार्यवाही की जाएगी। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, यह मामला इन्वैस्टीगेशन स्टेज पर है। जो कुछ हमको कहना है या मत प्रकट करना है, उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जो बहुत सारे सम्माननीय सदस्य बोले हैं, यहां पर, उनका सावधानी के दायरे में बोलने का प्रयास रहा है। फिर भी इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो हमारे देश के सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए, जिसमें उन्होंने जो जीवन भर किया है, उसको भुलाकर कोई चीज उनके खिलाफ कहीं जाए। दूसरी तरफ हमारी जो इनवेस्टीगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको भी अपना पूरा काम करने का मौका मिले, उसमें भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, यह भी देखना है। इस प्रकार के विषय में बड़ी सावधानी से बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इस पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा।

**श्री राजबीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी ने विद्याचरण शुक्ल जी और रूसी पठान के सिलसिले में जो बात कही थी, उसके बारे में भी व्यवस्था दे दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी व्यवस्था यह है कि आपके लिए इस विषय को उठाना अनावश्यक है।

(**व्यवधान**)

**श्री नीतिश कुमार (बाढ़)** : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए और उनके खात्मे की प्रक्रिया की मानेटरिंग में लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक संस्था बनाई जा रहीं है और उस संस्था के प्रधान पद, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए पश्चिम के कई मित्र देशों ने भारत को सलाह दी कि आप अपनी दावेदारी पेश करिए और अपनी तरफ से किसी उपयुक्त व्यक्ति का नाम प्रोजेक्ट कीजिए। जब भारत के विदेश मंत्रालय का शिष्ट-मण्डल नवम्बर में अमरीका गया था, तब संयुक्त राज्य अमरीका में भी यह सलाह दी गई और इस बात का का इशारा किया गया, लेकिन भारत द्वारा किसी सूटेबल व्यक्ति का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। उनकी इच्छा थी कि किसी वरीय व्यक्ति का नाम इसमें लिखा जाए, सीनियर आफिसर का नाम लिखा जाए, लेकिन भारत की तरफ से इस पद की दावेदारी नहीं की गई और एक कनीय अधिकारी का नाम, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, इन्होंने प्रस्तावित किया, प्रधान पद के लिए नहीं बल्कि डिप्टी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पद के लिए और जेनेवा में जो हमारा परमानेंट मिशन है···।

**अध्यक्ष महोदय** : नीतीश कुमार जी, किसी अपायंटमेंट से सम्बन्धित प्रश्न यहां पर नहीं उठा सकते हैं।

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह अपायंटमेंट का सवाल नहीं है, यह देश के सम्मान का सवाल है।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन यह कहा जा सकता है कि किसी के कहने पर यह मामला उठाया गया।

**श्री नीतिश कुमार** : यह अपायंटमेंट की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा केमीकल वेपंस के डिस्पोजल की मानेटरिंग करने की बात है, यह संस्था मानेटरिंग करेंगी। भारत के लिए यह चांस था। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए अपायंटमेंट और ट्रांसफर से सम्बन्धित सवाल यहां पर नहीं उठाए जा सकते। आप इस बारे में फारेन मिनिस्टर से बात कर लीजिए।

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, यह केवल अपायंटमेंट का मामला नहीं है। भारत की तरफ से प्रथम पद के लिए दावेदारी क्यों प्रस्तुत की गई, इस क्लेम को क्यों छोड़ दिया गया। इस काम के लिए चीन और पाकिस्तान तथा आस्ट्रिया सामने आ गए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है, आप इस बारे में मेरे से बात कर लीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री रवि राय** (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, यह साधारण बात नहीं है।...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं यह ठीक नही है, आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि इससे क्या होता है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नीतीश कुमार मेरा विनिर्णय यह है कि मैं इस तरह से मामला उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया इस बात को समझिए...**(व्यवधान)**.. यह ठीक नहीं है। यदि आप अन्य संगठनों के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में मामले उठाएंगे तो हमारा कार्य बढ़ जाएगा।

**श्री अन्बारासु इरा** (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह महत्त्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। कल मुझे दिल्ली में भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था। वहां भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक व्यक्तियों ने मुझे बताया कि उन्हें राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के अनेक व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों के अपने घर नहीं हैं। या तो वे किराये के मकानों में रहते हैं या झुग्गी झोपडी कालोनी में रहते हैं। इन राज्यों से स्थानांतरित भारत सरकार के अधिकारी सरकारी आवासों में रहते हैं या निजी आवासों में रहते हैं।

जब वे राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं तब उन्हें मकान मालिक से आवासीय प्रमाणपत्र लाना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में मकान मालिक उन्हें किराएदार मानने और आवासीय प्रमाणपत्र देने से मना कर देते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी अपने नियोक्ता से प्रमाणपत्र ले लेता है तो उसे भी स्वीकार नहीं किया जाता है। सरकारी उपक्रमों और गैर-सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का भी ऐसा ही मामला है।

इस कारण दिल्ली में बसे भाषायी अल्पसंख्यकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह दिल्ली प्रशासन को उचित अनुदेश जारी करें कि सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा उन कंपनियों से और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालयों से प्रमाणपत्र लाने पर

उन्हें राशन कार्ड दिए जाएं। संसद सदस्यों और पार्षदों जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों से प्रमाण पत्र लाने पर भी राशन कार्ड दिया जाना चाहिए ताकि भाषायी अल्पसंख्यकों को राशन कार्ड लेने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

**श्री मणि शंकर अय्यर** (मईलादुतुराई) : कुछ सप्ताह बाद स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे एक सदस्यीय जांच आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए एक वर्ष हो जाएगा। प्रतिवेदन को सार्वजनिक रूप से जारी करने के बाद भी हम संसद का यह पूरा सत्र समाप्त कर लेंगे। हम जल्दी ही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की दूसरी पुण्य तिथि मनाएंगे लेकिन इस सभा में न तो न्यायाधीश वर्मा जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई है और न ही सरकार ने देश अथवा इस सभा को, यह जानकारी दी है कि वह अपराधियों को सजा देने के लिए, इस कार्य के लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए कौन से कदम उठा रही है अथवा उठाने का प्रस्ताव है।

**12.42 म०प०**

**(श्री शरद दिघे—पीठासीन हुए)**

यह हमारे लिए विशेषरूप से सभा के इस पक्ष के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है (और मैं अपने उन सहयोगियों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जो मैंने आज आपको दिया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि शून्य काल में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जाए) सरकार इस संबंध में इतनी उदासीन है कि जिस मामले को कांग्रेस सरकार को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए थी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

अत: मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसी सत्र में वर्मा जांच आयोग के प्रतिवेदन पर पूर्ण चर्चा की जानी चाहिए ताकि सत्ता पक्ष के सदस्य इस भूल-चूक वाले कार्य पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर सके जिसके लिए वर्मा आयोग के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से पता चलेगा कि ऐसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। यह बात अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन को जानबूझकर लीक कर दिया गया, चाहे उसे आंशिक रूप से लीक किया गया या पूर्णत: लेकिन उसे लीक किया गया और उसके परिणामस्वरूप अनेक रिपोर्टें प्रकाशित हुईं जिनका सरकार द्वारा खंडन नहीं किया गया।

मैं संसदीय कार्य मन्त्री से आग्रह करता हूं कि इस सत्र के दौरान सभा में इस विषय पर चर्चा सुनिश्चित करें और गृह मंत्री से कहें कि वह सुनिश्चित करें कि सभा में इस पर चर्चा की जाए (**व्यवधान**)

**श्री पी०सी० चाको** (त्रिचूर) : मैंने एक सूचना दी है। मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं।

23 दिसम्बर, 1992 को वर्मा आयोग का प्रतिवेदन इस सभा में रखा गया था। अब पांच महीने होने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने इस मामले पर क्या कार्यवाही की। वर्मा आयोग ने यह कहा है कि तत्कालीन सरकार द्वारा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सुरक्षा में कमी करने का निर्णय सही नहीं था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। तत्कालीन सरकार और

अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई भूल-चूक के बारे में वर्मा आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम यह बात नहीं समझ पाए कि सरकार द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पांच महीने बाद भी सरकार द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

अतः, मैं अपने मित्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में वक्तव्य दें कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दी जाए।

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : हां, वर्मा आयोग के प्रतिवेदन पर पूर्ण चर्चा होगी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में उठाए गए कदमों की प्रगति के बारे में कल सरकार वक्तव्य देगी।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या हमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा ?

**सभापति महोदय** : वक्तव्य देने के बाद कार्य मंत्रणा समिति ही इस बात पर चर्चा करेगी कि इस पर चर्चा कब की जाएगी।

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : सभापति महोदय, देश के कई भागों में सूखा है, भुखमरी के समाचार आए हैं। यह भी हुआ था कि एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल जाएगा और सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। मैं नहीं जानता प्रतिनिधि मंडल गया है या नहीं गया। अगर नहीं गया तो इतनी देर क्यों हो रही है। इस बीच में हमारे प्रधान मंत्री जी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं, उन्होंने राज्य सरकारों की सहायता का भी ऐलान किया है। मैं यह चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री स्वयं आकर, जिन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है उनके बारे में एक वक्तव्य दें। यह ऐसा मामला है कि जिस पर सार्वदेशिक चिन्ता है और प्रधान मन्त्री का स्वयं जाना और अपनी आंखों से वस्तुस्थिति देखना हमको भी मदद देगा कि हम सही स्थिति का आकलन कर सकें। आप सरकार से कहिए कि प्रधान मन्त्री यहां आकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों की गम्भीर स्थिति के बारे में वक्तव्य दें।

**श्री नीतीश कुमार** : हम भी इनका समर्थन करते हैं। यहां पर मांग हुई थी और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि संसदीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा, यह आसन जाने कि इसका मतलब कुछ रह गया है या नहीं, प्रधान मन्त्री जी होकर आए हैं। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में कहना चाहूंगा कि वह जरूर जाए और अकाल पीड़ित इलाकों का अध्ययन करके आकर अपनी रिपोर्ट दे और सुझाए कि किस ढंग से रिलीफ दी जा सकती है और किस प्रकार के मैजर्ज लिए जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री जो दौरा करके आए हैं उड़ीसा का और बिहार का और दूसरे हिस्सों का उसके सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दें कि कैसी स्थिति है और कितनी सहायता देने जा रहे हैं, इसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि सहायता सबसे बड़ी चीज है। जब तक केन्द्र सरकार और राज्य के बीच समन्वय नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता कि इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए आप सरकार को आदेश दें कि प्रधान मंत्री स्वयं आकर वक्तव्य दें।

**श्री जगमीत सिंह बरार** (फरीदकोट) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत भरे हुए दिल से आज इस सदन में बहुत ही दयानतदारी से एक बहुत दुखदाई घटना का जिक्र करना चाहता हूं···

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : क्या आप भी इसी विषय पर बोल रहे हैं ?

**श्री जगमीत सिंह बरार** : मैंने इस बारे में सूचना दी है।

**सभापति महोदय** : संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, हम अटल बिहारी जी की बात का समर्थन करते हैं। चन्द्रजीत यादव और हम उत्तर प्रदेश में गये थे और चार तहसील चैल, मैजन पुर, वासैमैजा, फतेहपुर की खाव जगहों पर घूमकर आए हैं। यहां पानी की और सूखे की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि लोग मर रहे है। यह बहुत गम्भीर मामला है, सदन मे तीन बार यह मामला उठाया जा चुका है। ठीक कहा कि प्रधान मंत्री अपनी नजर से देखकर आये हैं, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे कि भारत सरकार इसको गम्भीरता से ले और जहां कहीं भी सूखे की स्थिति है उसका सामना करने के लिए क्या कार्यवाही सरकार ने अभी तक की है और क्या करने जा रही है इसका भी जवाब दे।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है हम उससे सहमत हैं। सुखाड़ की भीषण स्थिति है। ठीक है प्रधान मन्त्री जी ने दौरा किया उड़ीसा का और बिहार का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो राशि की घोषणा हुई है प्रधानमन्त्री के द्वारा पौने दो अरब की वह अपर्याप्त है। क्योंकि चाहे पलामू हो या गढ़वा हो पानी का स्तर नीचे जा रहा है इससे पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। यह मानवीय सवाल है, यह प्राकृतिक विपदा है इसलिए इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए सरकार निश्चित रूप से, स्पष्टरूप से एक विस्तृत बयान दें कि अकाल का मुकाबला करने के लिए किन-किन मोर्चे पर सरकार सहायता देने जा रही है। जो अतिरिक्त वित्तीय सहायता है, उसके सम्बन्ध में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केवल दौरा करने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रीय आपदा, मानवता का सवाल है। बिजली संकट के चलते भी पानी की समस्या है, परिणामस्वरूप कई तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को शंकायें हो रही हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार समय रहते इस मामले की गंभीरता को लेते हुए इस सुखाड़ पर स्पष्ट बयान दे कि क्या अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है, किन-किन मुद्दों पर दी जा रही है ?

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं?

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैं इस बारे में प्रधान मन्त्री और अध्यक्ष महोदय से परामर्श करूंगा फिर जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री जगमीत सिंह बरार** (फरीदकोट) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का जिक्र सदन में बहुत दुखदायी मन से करना चाहूंगा कि कल पंजाब में यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सैंटर में पंजाब का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा था और वहां हमारे मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त करने थे। बड़े अफसोस की बात है कि यह पांचवा इंसिडेंट है। इसलिए मैं इसका जिक्र इस सदन में एक इलेक्टेड मैम्बर होने के नाते और अपने अधिकार के नाते कह रहा हूं।...(**व्यवधान**)*

यह मेरा निजी मामला है। श्री अर्जुन सिंह की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि 5 बार यह इंसिडेंट हो चुका है। इसके पहले मुक्तसर, भटिंडा, लुधियाना और तववंडी में हो चुका है... (**व्यवधान**)...मुझे पत्र दिए जा रहे हैं...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : यह राज्य सरकार का विषय है।

[हिन्दी]

**श्री जगमीत सिंह बरार** : यह बहुत सीरियस मामला है...

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : यह राज्य का विषय है और इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। यह राज्य का विषय है। मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री जगमीत सिंह बरार** : मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : मैंने कहा है कि मैं इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यह राज्य का विषय है।

(**व्यवधान**)

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : यह अति गंभीर मामला है। वह आपका संरक्षण चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)

**श्री जगमीत सिंह बरार** : यह श्री अर्जुन सिंह का प्रश्न नहीं है। यह इस सभा के चयनित सदस्य का प्रश्न है। मुझे कहा गया है कि यदि मैंने पंजाब में कहीं भी सभा को सम्बोधित किया तो मुझे मार दिया जाएगा। वह समझते हैं कि पंजाब मुद्दे पर मेरे भिन्न विचार हैं। लेकिन वे कहते हैं कि यदि मैंने पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बलों की सहायता से पंजाब में कहीं भी सभा को सम्बोधित किया तो वे मुझे मार देंगे। यह अत्यन्त गंभीर मामला है और इसे मैं इस माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। पंजाब के मुख्य मन्त्री भी चुने गए हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन सभापति महोदय इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : आप इस विषय पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं।

**श्री जगमीत सिंह बरार** : कल मुख्य मंत्री के राजनीतिक सचिव ने···(**व्यवधान**)*

**सभापति महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

**श्री बूटा सिंह** (जालौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय, कृपया यह नहीं कहिए कि 'बैठ जाइए'। वह आपका संरक्षण मांग रहे है।

**सभापति महोदय** : मैंने इस विषय की अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : मैंने इस विषय की अनुमति नहीं दी है। कृपया कुछ नहीं बोलिए। मैं इस विषय पर अनुमति कदापि नहीं दूंगा।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : सभापति महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे तकनीकी मामला न मानें। इस सभा के माननीय सदस्य सभा और पीठासीन अधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन की रक्षा चाहते हैं। यह किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है···(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : उस सीमा तक मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी लेकिन वह आगे भी बोलते रहे।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : यह उन्हें बोलने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं है···(**व्यवधान**)

**श्री जगमीत सिंह बरार** : मैं जो कुछ चाहता हूं वह मैंने अभी तक बोला नहीं है। मैं अपने दल का सम्मान करता हूं। लेकिन राज्य में आज जो कुछ हो रहा है मैं उस बारे में बताना चाहता हूं। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए···(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : मैंने उनकी बात सुनी है और कुछ हद तक उन्हें बोलने की इस सभा में अपनी शिकायत रखने की अनुमति भी दी है। इतना काफी है।

(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : उसी विषय पर नहीं बोलिए। हम उस पर कोई चर्चा नहीं चाहते हैं।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : यह सदस्य के अधिकार का प्रश्न है···(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : उस सीमा तक मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। किसी सदस्य को उसके अपने राज्य के बारे में इस सभा में बोलने की अनुमति नहीं होती है—मैंने उन्हें इस सभा के समक्ष अपनी शिकायत रखने की अनुमति दी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इतना काफी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**श्रीमती गिरजा देवी** (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर तो कुछ शोषण हो रहा है, यहां भी अपने मेम्बरों द्वारा महिलाओं के अधिकारों का शोषण इस सदन में हो रहा है। मैं पांच मिनट से खड़ी हूं आपके प्रोटेक्शन के लिए। बिहार राज्य के पठारी क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। एक वर्ष से वहां के लोग अन्न जल के लिए तड़प रहे हैं। कई लोग वहां जाकर देख आए, प्रधान मन्त्री भी स्वयं गए। संसद सदस्य के जाने के पहले ही वहां··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : अब उस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है।

[हिन्दी]

**श्री मोहन लाल झिकराम** (मांडला) : सभापति महोदय, मेरे मांडला क्षेत्र में 30 तारीख को रेलवे दुर्घटना हुई जिसमें एक क्रॉसिंग पर रेल और बस की टक्कर हो गई। इसका मुख्य कारण है कि वहां पर रेल का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। वहां मेनपुर जगह एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज का जंक्शन था और वहां डी० आर० एम० ऑफिस था जिसको हटाकर नागपुर ले जाया गया जिसके कारण देख-रेख नहीं हो रहा है और जिस कारण यह चौथी दुर्घटना है जिसमें कि 7 आदमी मारे गए हैं और 15 आदमी बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं। राज्यपाल महोदय ने हरेक मृतक परिवार को पांच हजार रुपए देने की घोषणा की है। जो ज्यादा गम्भीर है उनको दो हजार और जो कम गम्भीर हैं उनको एक हजाए रुपए देने की घोषणा की है। किन्तु खेद की बात है कि रेलवे मंत्रालय ने किसी प्रकार की घोषणा मृतक परिवारों और घायलों के लिए नहीं की है। मेरा निवेदन है कि रेल विभाग कम से कम मृतक परिवारों के लिए एक लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको पचास हजार रुपए और साधारण रूप से घायल लोगों को 25 हजार रुपए देने की घोषणा करें और साथ ही जो गड़बड़ी है और जो डी० आर० एम० ऑफिस चला गया उसको वापस मेनपुर लाया जाए ताकि इस प्रकार की कोई चौथी दुर्घटना न घटे।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री सुखराम।

---

**12.58 ब० प०**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 62(अ) जो 11 फरवरी,

1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 28 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 830(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3886/93]

---

**12.59 म० प०**

## लोक लेखा समिति

### सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : मैं वैदेशिक सहायता का उपयोग सम्बन्धी लोक लेखा समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**12.59½ म० प०**

## रक्षा सम्बन्धी स्थाई समिति

### पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

**श्री बूटा सिंह** (जालोर) : महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों (1993-94) के बारे में रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**1.00 म० प०**

## मन्त्री द्वारा वक्तव्य

### दूरसंचार शुल्क

[अनुवाद]

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम)** : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि पिछली बार दूरसंचार शुल्क में संशोधन 1-4-90 को किया गया था। इस संशोधन के द्वारा दरों में काफी वृद्धि करने की बजाए, 100 लाइनों से कम क्षमता वाले मापित दर एक्सचेंजों पद्धतियों के किराए को प्रतिवर्ष 750 रु० से घटा कर प्रति वर्ष 600 रु०, 5000 से अधिक कॉलों पर यूनिट प्रभार को 1.25 रु० से घटाकर 1.10 रु० कर दिया गया और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से की गई कॉलों के लिए वसूल

किए जाने वाले पूर्ण प्रभारों को घटाकर 50% कर दिया गया तथा साथ ही मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं और विकलांगों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के टेलीफोनों के किराये में रियायतें भी दी गई थी। इसलिए इस संशोधन का प्रभाव सीमित ही रहा और यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि शुल्क में वास्तविक संशोधन केवल पांच वर्ष पूर्व अर्थात् 1-4-88 को ही किया गया था।

दूरसंचार, एक गहन पूंजी क्षेत्र है। हालांकि पूंजी की लागत बराबर बढ़ रही है, फिर भी अन्य निविष्टियों और प्रचलनों की लागत भी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक इमदाद के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने की एक उदार नीति का पालन कर रही है। तथापि दूरसंचार क्षेत्र में हो रहे निवेश से सरकार को कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है।

दूरसंचार विभाग ने, बेहतर संचार सम्पर्क, अभिगम्यता और विश्वसनीयता के जरिए उत्पादकता में वृद्धि करके बढ़ती हुई लागतों को रोकने के हर सम्भव प्रयास किए हैं। नेटवर्क में, विशेषत: पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है। उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधायुक्त केन्द्रों की संख्या 1-4-90 में 892 केन्द्रों से बढ़कर 31-3-93 को 4049 हो गई है। इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की भागीदारी का प्रतिशत भी 89-90 में 5% से बढ़कर 92-93 के अन्त तक 50% से ज्यादा हो गया है। इस प्रकार सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।

दूरसंचार सुविधाओं के तीव्र विकास और उन तक बेहतर अभिगम्यता सुनिश्चित करने के वचन का निर्वाह करते हुए, हमने न केवल दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में वृद्धि की है बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से मौजूदा प्रणाली का भी उन्नयन किया है। सातवीं योजना के दौरान 3.39 लाख लाइनों की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में, चालू वर्ष में 9.87 लाख अतिरिक्त नई लाइनें प्रदान कर दी गई हैं। तथापि, सातवीं योजना के प्रारम्भ में प्रतीक्षा-सूची, जो 8.3 लाख तक थी अब 31-3-92 को 22.90 लाख तक और 31-3-93 को 28.46 लाख तक बढ़ गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में, 54750 ग्राम पंचायतों को 93-94 के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, इसके साथ-साथ इस कार्य में बड़ी आर्थिक इमदाद भी दी जाएंगी।

यह इस सन्दर्भ में है कि दूरसंचार शुल्क की समीक्षा इस आशय पर विचार करने के लिए की गई थी कि क्या इन्हें उपयुक्त रूप से समायोजित किया जा सकता है अथवा नहीं, ताकि ग्रामीण और कमजोर वर्गों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम से कम किया जा सके। तदनुसार मैं, मौजूदा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

**टेलीफोन किराए** : यद्यपि वास्तविक लागत के आधार पर अधिक वृद्धि किए जाने का औचित्य बनता है, लेकिन 30,000 और इससे अधिक की लाइनों वाली मापित दर एक्सचेंज प्रणालियों के किरायों में 10 प्रतिशत तक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में इमदादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी नीति के अनुसरण में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक्सचेंजों के टेलीफोन किरायों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**मीटर की गई टेलीफोन काल के प्रभार** : 1000 एवं इससे अधिक लाइनों की सभी एक्सचेंज प्रणालियों में द्विमासिक अवधि की निःशुल्क कालों को 150 से घटाकर 120 काल किए जाने और विभिन्न स्लैबों में काल यूनिट प्रभारों में संशोधन करके उन्हें लगभग 13 प्रतिशत

से 7 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। संचालित एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोनों से की जाने वाली कालों में 1 रुपए से 1.25 रुपए प्रति यूनिट तक संशोधन किया जाएगा ताकि काल प्रभारों में ऐसे संशोधन से शुल्क दर ढांचे में गम्भीर अनियमितताएं उत्पन्न न हों। (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : महोदय, हम इसका पूर्णतया विरोध कर रहे हैं ···(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : यह सरकार के वायदे के खिलाफ है। मूल्यों को घटाने के बजाय, वे मूल्यों को बढ़ा रहे हैं, लोगों पर और अधिक भार डाल रहे हैं···(व्यवधान) बजट प्रस्तुत करने के बाद, मंत्री महोदय को इस तरह से शुल्क में वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : सभापति महोदय, बजट में किसी चीज का जिक्र नहीं होता है लेकिन बीच में स्टेटमेंट के जरिए सब चीजों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। एक रुपए की टेलीफोन कॉल एक रुपए 25 पैसे में हो गई है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : उन्हें पहले बात पूरी करने दीजिए। जी हां, आप इसे पूरा कीजिए।

(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** : संसद में चर्चा किए बिना कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : कृपया उनको पूरा करने दीजिए और फिर आप जो कुछ कहना चाहते हो, कह सकते हो···

(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** : संसद में चर्चा किए बिना किसी मामले में कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। यह एक नया तरीका है···(व्यवधान)

**श्री सुख राम** : **मैनुअल ट्रंक काल प्रभार** : विभाग को मानव द्वारा लगाई गई ट्रंक काल, उपभोक्ता द्वारा डायल की गई ट्रंक काल (एस०टी०डी०) से अधिक महंगी पड़ती है। इसलिए मैनुअल ट्रंक काल के शुल्क उतनी ही अवधि के एस०टी०डी० कालों से कम नहीं होने चाहिए। तदनुसार 50 कि०मी० से अधिक की दूरी की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव है यह वृद्धि 11 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होगी।

**आपरेटर द्वारा लगाई गई अन्तर्राष्ट्रीय कालों के प्रभार** : काल यूनिटों की शुल्क दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप, आपरेटर द्वारा लगाई गई अन्तर्राष्ट्रीय काल की शुल्क दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

**ग्रामीण क्षेत्रों को छूट** : ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से की जाने वाली ट्रंक कालों में न केवल 50 प्रतिशत की

छूट को जारी रखने बल्कि लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से उसके मूल एक्सचेंज में की जाने वाली कालों के प्रभारों में और कमी किए जाने का प्रस्ताव है। अब समान दर एक्सचेंज प्रणाली में प्रतिकाल केवल 25 पैसे और मापित दर एक्सचेंज प्रणाली में प्रति काल केवल 50 पैसे काल प्रभार किए जाने का प्रस्ताव है। इन प्रभारों के बारे मे वर्तमान एक्सचेंज की दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

**तार दरों में कोई परिवर्तन नहीं** : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तार प्रभारों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव नहीं है हलांकि तार प्रभारों में 1-3-83 से पहले संशोधन किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेवा से मुख्यत: कमजोर वर्गों को सहायता मिलती है। प्रेस पर लागू तार प्रभारों में भी कोई वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्त प्रस्ताव 1-5-93 से प्रभावी होंगे और इनसे वर्ष 1993-94 में 740 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा। प्रस्तावों के ब्यौरे में दिए गए हैं।

मापित दर प्रणालियों मे ओ०वाई०टी० और गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी में पंजीकरण कराने वालों से लिए जाने वाले आरम्भिक पंजीकरण शुल्क में 28-4-93 से नीचे लिखे अनुसार संशोधित करने का भी प्रस्ताव है :—

(क) ओ०वाई०टी० के आवेदक

| | |
|---|---|
| — 1000 लाइनों से कम | 5,000/- रु० से 8,000/- रु० |
| — 1000 लाइनें और उससे अधिक लेकिन 10,000 लाइनों मे कम | 6,000/- रु० से 10,000/- रु० |
| — 10,000 लाइनें और उससे अधिक | 8,000/- रु० से 15,000/- रु० |

(ख) गैर ओ०वाई०टी० के आवेदक

| | |
|---|---|
| — 9,999 लाइनों तक | 800/- रु० से 2000/- रु० |
| — 10,000 लाइनें और उससे अधिक | 1000/- रु० से 3000/- रु० |

ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समान दर एक्सचेंजों के संबंध में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली राशियों को पहले "पंजीकरण जमा" कहा जाता था और इन पर ब्याज दिया जाता था लेकिन अब इसके स्थान पर प्रतीक्षा प्रभार दिया जाता है। पंजीकरण शुल्क में उपर्युक्त वृद्धि करने के साथ-साथ आवेदकों को, पंजीकरण शुल्क पर देय प्रतीक्षा-प्रभार की सामान्य दर के अलावा 3% अतिरिक्त प्रतीक्षा-प्रभार देने का भी प्रस्ताव है यदि ओ०वाई०टी० के मामले में टेलीफोन कनेक्शन 6 महीने के भीतर और गैर-ओ०आई०टी० श्रेणी में पंजीकरण कराने वालों के मामले में 2 वर्ष के भीतर प्रदान नहीं किए जाते हैं। बढ़ाया गया शुल्क और साथ ही अतिरिक्त प्रतीक्षा प्रभार केवल 28-4-93 को और इसके बाद पंजीकरण कराने वाले आवेदकों पर भी लागू होगा।

यह, समान दर एक्सचेंजों के उन आवेदकों पर भी लागू होगा जो 28-4-93 के बाद पंजीकरण करवाएंगे यदि उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर कनेक्शन प्रदान नहीं किए जाते हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि बढ़ती लागतों और दूरसंचार क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन नितांत आवश्यक हो गए थे। मैं सदन को यह आश्वासन भी देना चाहूंगा कि दूरसंचार क्षेत्र संयोजकता बढ़ाने, विश्वसनीयता में सुधार लाने, सेवाओं के क्षेत्र को बढ़ाने और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित प्राधिकार के अधीन उपर्युक्त परिवर्तनों को लागू करने के लिए भारतीय तार नियमावली 1951 में उपर्युक्त संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक युक्तिसंगत अधिसूचना जल्दी ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी। (व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, यह बहुत अधिक है। हजारों लोग टेलिफोन कनेक्शनों का इन्तजार कर रहे हैं तथा उनके अनुरोध लम्बे अर्से से लम्बित पड़े हैं। सरकार ने लम्बित सूची को निपटाया नहीं है···(व्यवधान)···लोग 10-20 वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन के लिए इन्तजार कर रहे हैं। सरकार ने अब शुल्क दरों में वृद्धि कर दी है···(व्यवधान)

महोदय, इसका आम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। पंजीकरण प्रमाण और किराया बढ़ा दिया गया है। (व्यवधान) महोदय, ससदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं, उन्हें स्पष्ट करने दीजिए। यह सही नहीं है। (व्यवधान)

मैं सरकार से इस निर्णय पर पुनःविचार करने का अनुरोध करूंगी। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित पर बढ़ोत्तरी ठीक नहीं है। इन्हें वापिस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को पहले अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिण-दिल्ली) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इसका विरोध करना चाहते हैं। टेलीफोन्स के हालात बहुत खराब हैं। जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध करना चाहते हैं।···(व्यवधान)

**श्री सुख राम** : महोदय, मेरे वक्तव्य का अनुबन्ध निम्न प्रकार है :

1. **टेलीफोन किराए** :

| | द्विमासिक | |
|---|---|---|
| | वर्तमान रु० | प्रस्तावित रु० |
| — 30000 लाइनें और अधिक किन्तु 1 लाख लाइनों से कम | 250 | 275 |
| — 1 लाख लाइनें और अधिक किन्तु 3 लाख लाइनों से कम | 330 | 360 |
| — 3 लाख लाइनें और अधिक | 330 | 380 |

II. मीटर की गई टेलीफोन कालों के प्रभार :

— प्रति द्विमासिक अवधि के लिए नि:शुल्क काल :

(क) 1000 से कम लाइनों वाले एक्सचेंज पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं (यानि 150)

(ख) 1000 और उससे अधिक लाइनों वाले एक्सचेंज पद्धति में—120 ।

— 121/151 (जैसा भी मामला हो)—1000 कालों के लिए 0.80 रु० से 1 रु० प्रति यूनिट ।

— 1001 से 2000 कालों तक 1.10 रु० से 1.25 रु० प्रति यूनिट ।

— 2000 से अधिक कालों के लिए 1.10 रु० से 1.40 रु० प्रति यूनिट ।

III. मैनुअल ट्रंक काल प्रभार

| वर्तमान | | प्रस्तावित | |
|---|---|---|---|
| रेडियल दूरी | प्रति 3 मिनट अथवा उसके एक भाग के लिए | रेडियल दूरी | प्रति 3 मिनट अथवा उसके एक भाग के लिए |
| 51—100 | 15 रु० | 51—100 | 20 रु० |
| 101—200 | 25 रु० | 101—200 | 30 रु० |
| 201—500 | 45 रु० | 201—500 | 50 रु० |
| 501—1000 | 55 रु० | 501—800 | 65 रु० |
| 1000 से अधिक | 75 रु० | 801—1200 | 85 रु० |
| | | 1200 से अधिक | 90 रु० |

IV. प्रचालक द्वारा मिलाई गई अन्तर्राष्ट्रीय कालें

| | प्रति मिनट प्रभार* | |
|---|---|---|
| | वर्तमान | प्रस्तावित |
| (क) सार्क देश | 26 रु० | 39 रु० |
| (ख) अन्य पड़ौसी देश | 30 रु० | 45 रु० |
| (ग) अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी, एशिया और ओशिनिया के देश | 50 रु० | 75 रु० |
| (घ) अमरीकी महाद्वीप एवं शेष विश्व | 60 रु० | 99 रु० |

———

*प्रारम्भ में न्यूनतम 3 मिनट ।

1.13 म०प०

## दूर-संचार शुल्क में संशोधन के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिण-दिल्ली) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इसका विरोध करना चाहते हैं। जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं और टेलीफोन की हालत बद से बदतर हो रही है और किराया बढ़ाया गया है। हम इसका विरोध करना चाहते हैं और विरोध करते हुए वाक-आउट करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

1.14 म०प०

[तत्पश्चात् श्री मदन लाल खुराना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : सभापति जी, अभी संचार मंत्री जी ने जो वक्तव्य सदन में दिया है और जिसमें उन्होंने करीब-करीब 800 करोड़ रुपए के साधन मुहैया कर रहे हैं। टेलीफोन के टैरिफ कई स्तर पर बढ़ाए हैं, हम लोग इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम इसको सरकार की जन-विरोधी कार्यवाही समझते हैं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान यह भी खींचना चाहता हूं कि अभी बजट पर मंत्री जी जवाब देना है और बजट अधिवेशन चल रहा है। डिमांड डिसकस नहीं हुई है और उसके ऊपर डिसकशन शुरू किया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है। यह स्टैंडिंग कमेटी का भी अमान है। कोई अर्थ नहीं रखता है। काम्यूनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। मैं उसका सदस्य हूं। उस हैसियत से भी मैं यह कहना चाहता हूं···

**श्री राम विलास पासवान** : उसके बावजूद भी।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : उसके बावजूद भी यह हालत है।

**श्री राम विलास पासवान** : आप रिजाइन कर दीजिए।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : सभापति महोदय, परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। यदि सरकार को कोई प्रस्ताव लाना था तो इतनी ईमानदारी होनी चाहिए थी कि सरकार कमेटी के सामने, जो कमेटी इस सदन ने बनाई है, जो एक नया प्रयोग हो रहा है, उस कमेटी के सामने इस प्रस्ताव को लाकर सरकार कह सकती थी कि सार्वजनिक हित में यह करना जरूरी है, केमरा डिसकशन हो सकता था, आप इसको बाहर नहीं जाने देते, आप बताते कि ये-ये कठिनाइयां हैं और आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है, हम आपकी मदद चाहते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। यह परंपरा जो चली आ रही है, एक नई गलत परंपरा इस देश में डाली जा रही है, ऐसे कामों से लोगों में खासतौर से असंतोष बढ़ता है, सदन का महत्त्व घटता है, जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास घटता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि अभी सदन बजट पर विचार कर रहा है और

800 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, सदन की अवमानना है, स्टैंडिंग कमेटियों की अवमानना है। हमको पहले से डर था, हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि बजट के पश्चात् सरकार बहुत-सी चीजों के दाम बढ़ाएगी, पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० के दाम बढ़ाने की योजना चल रही थी। एल०पी०जी० की शार्टेज है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों को देने की बात चल रही है। बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सरकार अपनी अक्षमताओं को छिपा रही है और साधनों का दुरुपयोग हो रहा है।

इसलिए हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम सदन की कार्यवाही अभी नहीं चलने देंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आम जनता के दृष्टिकोण से मैं संचार मंत्री जी से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से विनती करती हूं कि इसको रीकंसीडर किया जाए। आज जिन लोगों ने टेलीफोन रजिस्टर करवाए हुए हैं, 10-20 वर्षों से रजिस्टर करवाए हुए है, लेकिन अभी तक उनको लाईन नहीं मिली है। आधुनिकीकरण हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम जनता से न वसूल की जाए। आज हर चीज की कीमत बढ़ गई है। संचार मंत्री के स्टेटमेंट के बाद तो ऐसा लगता है कि आम जनता के लिए टेलीफोन रजिस्टर करवाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है और 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया गया है। इसलिए मेरी विनती है कि इसको री-कंडीसर किया जाए। आज टेलीफोन कोई गासिप करने की वस्तु नहीं है, आवश्यक वस्तु बन गई है, इमरजेंसी में इसका उपयोग होता है। इसलिए मेरी विनती है कि इसको री-कंसीडर किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। किसी भी बात को दोहराये बगैर मैं, जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, उनका समर्थन करना चाहती हूं। अतः, मैं मांग करती हूं कि इस वक्तव्य को तत्काल रद्द किया जाए और उन्हें इस पर चर्चा करने हेतु संसद के सम्मुख आने दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : सभापति महोदय, मंत्री जी जब स्टेटमेंट दे रहे थे, उसी बीच में मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत मांगी थी। यह बहुत ही गंभीर मामला है। बजट सेशन चल रहा है, अभी डिमांड सदन के सामने रखी हैं, सदन उस पर चर्चा नहीं कर पाया है और इस बीच में लगभग 800 करोड़ रुपए मॉप-अप करने के लिए टेरिफ इन्क्रीज किया गया है, यह इंप्रापर है। बजट सेशन शुरू होने से पहले एर्डामनिस्टर्ड प्राइस-राइस और जब बजट सेशन चल रहा है, बजट पर डिसकशन पूरा नहीं हुआ है, डिमांड्स पर डिसकशन नहीं हुआ है, इस बीच में टेरिफ रेट बढ़ाने के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर धनराशि जुटाने का प्रबन्ध सरकार कर रही है और किसकी कास्ट पर कर रही है। टेलीफोन के एक यूनिट, एक कॉल का चार्ज एक रुपए से बढ़ाकर 1.25 रुपए कर दिया गया है। उसको बढ़ाकर एक रुपए पच्चीस पैसे कर रहे हैं, सीधें एन्हासमेंट 25 परसेंट का

है और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं और आउट आफ टर्न कनैक्शन के लिए कहते हैं कि छह महीने तक नहीं मिल पाएगा तो उसको रेट आफ इंटरेस्ट तीन परसेंट देंगे। **(व्यवधान)**...

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम)** : इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो आपको स्टेट बैंक इंटरेस्ट देगा। नॉन ओ वाय टी दो-दो साल के अन्दर कनैक्शन मिलेगा तो जो रेट है उसके अलावा तीन परसेंट और दिया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह एडजस्टमेंट रेन्टल में होता है ऐसा नहीं है कि उन्होंने एडजस्ट किया है वह रेन्टल में एडजस्ट हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**

**श्री नीतीश कुमार** : टेलीफोन लेने के लिए जो फीस होती है उसको बढ़ाकर आठ सौ रुपए की बजाए दो हजार रुपए कर दिया है और आउट आफ टर्न के लिए जो किया वह तो किया है लेकिन जो जनरल कैटेगिरि जो आम उपभोक्ता के लिए है उसका रेट बढ़ा दिया है और जो फार्म के साथ पैसा जमा होता है उसको बढ़ा दिया है, इस पर सख्त ऐतराज है। एक तो धनराशि बढ़ाना और बजट सैशन में सदन की अनदेखी की गई है। यह सदन के प्रिविलेज का भी हनन है ...**(व्यवधान)** क्या यह सम्भव है कि सदन में जब डिमाण्ड्स पर डिसकशन नहीं हुआ है तो क्या यह प्रस्ताव ला सकते हैं या इस प्रकार का ब्यान दे सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे ब्यान को जो इनका सियो-मोटो स्टेटमेंट है, इसको वापिस ले लें पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के हित में, नहीं तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे।...**(व्यवधान)** हम इस दृष्टिकोण से बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपना सख्त एतराज दर्ज करते हैं।...**(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति जी, अभी कुछ दिन पहले जब स्पीकर साहब ने स्टैण्डिंग कमेटी का गठन किया था तो दोनों सदनों के सदस्य मिले थे तो इन्होंने साफ कहा था कि स्टैण्डिंग कमेटी की कुछ पावर्स होंगी और कमेटीज डिमाण्ड्स फार ग्रांट को देखने का काम करेगी और नीतिगत मामलों में गहराई से जायेगी और उसमें अनुशंसा करेगी। अभी स्टैण्डिंग कमेटीज की बैठकें चल रही हैं और डिमाण्डस फार ग्रांट्स पर डिसकशन होने वाला है। हमारे साथियों ने बताया कि बजट के पहले ही उसके दाम बढ़ा दिए हैं जबकि डिमाण्ड्स फार ग्रांट्स चल रही है और कमेटीज की बैठक हो रही हैं तो उसको बीच में लाकर के इस तरह से दाम को बढ़ाना तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के नाम से और जो प्रोप्रयारटी है उसका हनन हो रहा है। आप चेयर पर हैं और विदेशों में घूमते हैं। विदेशों में सबसे सस्ता टेलीफोन और पैट्रोल है लेकिन यहां सबसे ज्यादा महंगा किया जा रहा है। जो चीज आवश्यक बन गई हैं उन्हीं को महंगा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि टेलीफोन में एफीशियन्सी नहीं है, सुधार नहीं हो रहा है और दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वह अलग है लेकिन प्रोप्रायरटी का जो मामला है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश के नागरिक दृष्टिकोण से और इस हाउस की मर्यादा दृष्टिकोण से भी कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको वापिस ले लें और डिमाण्ड्स फार ग्रांट्स पर बहस होनी है तो स्टैण्डिंग कमेटी के सामने रखें वहां पर हर पार्टी के संसद सदस्य हैं, वहां से अनुशंसा होकर क्या आती है और उसके बाद हाउस में विचार हो तो उसके बाद बढ़ाने पर विचार हो, हाउस उस पर निर्णय करेगा। यह नहीं होना चाहिए जब चाहे दाम बढ़ा दें, यह मेरा आग्रह है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : सभापति महोदय, इसके दो पहलू हैं, एक पहलू यह है कि क्या इस समय जबकि सभा में बजट पर चर्चा चल रही है तथा स्थायी समिति में इस पहलू पर विचार नहीं हुआ है, सरकार द्वारा शुल्क बढ़ाना उचित है। समिति के सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि यह मामला समिति के सामने नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि इस प्रकार के वक्तव्यों और नीति-निर्णयों की जांच-पड़ताल पहले समिति द्वारा की जाए और उसके बाद समिति की सिफारिश पर इस पर सभा में चर्चा की जाएगी। मेरे विचार में सरकार की इस घोषणा को प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए। पहले इसे समिति के पास उसका मत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि उसके बाद सभा इस मामले पर विचार कर सके।

महोदय, 20 प्रतिशत टेलीफोन प्रयोक्ता टेलिफोन विभाग द्वारा निर्मित आधारभूत-संरचना के 80 प्रतिशत का प्रयोग कर रहे हैं। हम दूसरी श्रेणी अर्थात् 80 प्रतिशत वाली श्रेणी से संबंध रखते हैं और हम वास्तव में आधारभूत-संरचना का 20 प्रतिशत अंश का उपयोग कर रहे हैं। अपने हितों की रक्षा करते हुए हम 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं अर्थात् दे जो वास्तव में 80 प्रतिशत आधार संरचना का प्रयोग कर रहे हैं, तथा जो टेलिफोन विभाग के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, के हितों की भी रक्षा कर रहे हैं।

मेरे विचार में, स्थायी समिति को वास्तव में इस पहलू पर विचार करना चाहिए कि प्रयोक्ता कौन हैं और वास्तव में टेलीफोन यन्त्र तथा टेलीफोन आधार-संरचना का प्रयोग बड़े पैमाने पर कौन कर रहा है तथा कौन भुगतान नहीं कर रहे हैं।

मैं राजनीतिज्ञ हूं, मैं वास्तव में कल के बारे में चिंतित हूं। मान लीजिए, अगर कल मुझे बड़ी राशि का बिल मिल जाता है तो मुझे अधिक भुगतान करना ही होगा। यही मेरी चिंता है। इसका विरोध करते हुए मैं स्टाक-एक्सचेंज के उन लोगों का समर्थन भी कर रहा हूं जो एक ही वक्त पर दस या बीस टेलीफोनों का प्रयोग कर रहे हैं और भुगतान उतना ही कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं।

इसी वजह से स्थायी समिति को इस पहलू पर चर्चा करनी चाहिए तथा एक वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि आम उपयोगकर्त्ता जैसे राजनीतिज्ञ, प्रैस के लोग स्वैच्छिक संगठन तथा ग्रामीण प्रयोक्ता आदि को एक श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाए तथा बाकी सभी प्रयोक्ताओं को दूसरी श्रेणी में समझा जाए। उनके शुल्क अलग-अलग होने चाहिए।

अतः मेरे विचार में मन्त्री महोदय को इसे तब तक लंबित रखने के लिए सहमत होना चाहिए जब तक स्थायी समिति और संसद इस मामले पर विस्तार से विचार नहीं कर लेती। केवल तभी सरकार को इसे लागू करना चाहिए।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** (चिरायिंकल) : सभापति महोदय, यह बहुत खेदजनक है। वास्तव में, माननीय मन्त्री तो इसे अकस्मात् पढ़ रहे थे। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। इसी बीच जब मैंने श्रवण-यन्त्र को कानों पर रखा तो मुझे पता चला कि टेलीफोन शुल्क में वृद्धि होगी।

अगर ऐसी बात है तो फिर जब हम सभा से बाहर जाएंगे तो लोग हमें मारेंगे। वे पूछेंगे, "क्या आपने इसे नहीं सुना? यह बजट सत्र में किया गया था।"

यह कुछ आश्चर्यजनक बात है कि सभा में इस प्रकार आकस्मिक रूप से ऐसी घोषणा कैसे की जाती है। अगर ऐसा करना अति अनिवार्य हो तो उन्हें कार्य-सूची में इसका जिक्र करना चाहिए और इसे अनुदान मांगों के रूप में लाया जाना चाहिए। किस प्रकार से हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? इसे तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिए तथा इसे समिति को सौंपा जाना चाहिए। पहले समिति में उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और उसके बाद वे इसे सभा में लाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सभी संसदीय-मानदण्डों के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : महोदय, क्या वे इसे रद्द कर रहे हैं। हम क्या करेंगे यह इसी बात पर निर्भर करता है।

**श्री नीतीश कुमार** : आपका विनिर्णय क्या है? हमने व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न उठाया है।

**सभापति महोदय** : मैं इस मामले के गुणों पर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि इसे इस वक्त बढ़ाना उचित नहीं होगा जबकि हम बजट पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं तथा विभागीय समितियां मांगों की जांच-पड़ताल कर रही हैं। उस दृष्टि से यह उचित नहीं था। लेकिन कानून अब उन्हें यह वक्तव्य देने से निषिद्ध करता है और इसीलिए सरकार ऐसा करने की हकदार है।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : सरकार को या तो इसे वापिस लेना चाहिए या फिर इसे स्थायी समिति को भेज देना चाहिए।

**1.28 म० प०**

**इस समय श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।**

**सभापति महोदय** : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**1.29 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 30 म० प० पर पुनः समवेत हुई।**
**(उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमें सूचना मिली है कि औरंगाबाद से बम्बई जाने वाला एक प्लेन आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें काफी संख्या में यात्री हताहत हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय पता लगाकर जो हमको सूचना मिली कि औरंगाबाद से बंबई

जो फ्लाइट जा रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और तीन खण्डों में टूट गई है उसके बारे में जानकारी दें।

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल वासनिक)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन पासवान जी ने जो जानकारी रखी है उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके सदन को सूचित करूंगा।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् इसे सभा के सामने रखेगी।

---

**2.31 म० प०**

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) मध्य प्रदेश में बिलासपुर में एक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री खेलन राम जांगड़े** (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर (म० प्र०) की टेलीफोन व्यवस्था काफी खराब है। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। परन्तु टेलीफोन ऐक्सचेंज और टेलीफोन उपकरण पुराने हैं जिसके कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। महत्वपूर्ण शहर मुंगेली, कटोरा, शक्ति आजगीर में अभी तक एस० टी० डी० की व्यवस्था नहीं हो सकी जिसके कारण इन शहरों के टेलीफोन अक्सर नहीं मिलते हैं। ग्राम पंचायतों में जो टेलीफोन लगने थे वह अभी भी नहीं लगे हैं।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बिलासपुर के पुराने उपकरणों को बदलकर नई तकनीकी के इलेक्ट्रॉनिक ऐक्सचेंज शीघ्र स्थापित किए जाएं।

### (दो) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को शीघ्र हल करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

**श्री राम कापसे** (ठाणे) : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दा 1965 में राज्यों के पुनर्गठन के समय से चला आ रहा है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे करीब-करीब हर वर्ष सभा में उठाया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों ने महाराष्ट्र और दिल्ली में समय-समय पर शांतिपूर्ण "धरना" दिया है और "भूख हड़ताल" की है। वर्ष 1957 से ही विधान सभा तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के माध्यम से स्थानीय जनता इस बारे में अपनी राय व्यक्त करती आ रही है। दुर्भाग्यवश यह समस्या अभी तक सुलझाई नहीं गई है। ये चुनाव गांव को एक इकाई मानकर तथा भाषाई बाहुल्य और भौगोलिक सामीप्य को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का समाधान करने के प्रश्न पर लड़े गए थे। महाराष्ट्र विधान पालिका के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित कर दिया है जिसमें केन्द्र सरकार से इस विवाद को इन सिद्धान्तों के आधार पर हल करने का आग्रह किया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से इस विवाद को शीघ्र निपटाने का अनुरोध करता हूं ।

## (तीन) उत्तर प्रदेश में और दक्षिण गोरखपुर क्षेत्र में बसे टांगिया समुदाय के लोगों को भूमि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री पंकज चौधरी** (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे विशाल देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के वंशानुक्रम से अपने कार्य क्षेत्र में काफी कुशलतापूर्वक कार्य करने में सफलता प्राप्त की है और जिनमें टांगिया जाति के लोग भी हैं । टांगिया जाति के लोग सदैव से जंगलों में निवास करते चले आ रहे हैं और ये लोग खेती करने के साथ-साथ वृक्ष प्रजातियों का रोपण का कार्य किया करते थे । उत्तर प्रदेश में स्थित महाराजगंज जनपद का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित है और इन जंगलों में टांगिया जाति के लोग प्राचीन काल से निवास करते चले आ रहे थे किन्तु अब सरकार द्वारा वनों की देखरेख करने के कारण इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है । इन लोगों के पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं है और न तो ये लोग खेती या वृक्षारोपण के कार्य को छोड़कर दूसरा कोई कार्य कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में ये लोग काफी दिनों से सरकार और प्रशासन से प्रत्येक परिवार के लिए लगभग एक एकड़ जमीन जहां वे रह रहे हैं या अन्य किसी स्थान पर ग्राम समाज की भूमि या सीलिंग के अतिरिक्त घोषित भूमि खेती करने के लिए मांग कर रहे हैं ताकि वे स्थाई रूप से निवास कर सकें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें । इनकी समस्याओं की ओर मैंने कई बार प्रशासन और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा किन्तु आज तक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उनकी समस्या यथावत बनी हुई है ।

अत: मैं पर्यावरण एवं वन मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इनकी समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर उत्तरी व दक्षिणी प्रभाग में निवास कर रहे टांगिया जाति के लोगों को उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर अविलंब वांछित जमीन आबंटित कराने हेतु प्रभावी कदम उठाएं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके ।

## (चार) असम स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री उद्धव बर्मन** (बारपेटा) : असम में विशेषकर मानस राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीवों के नुकसान के समाचार प्रति दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं । यद्यपि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक एजेंसियां स्थापित कर रखी हैं; परन्तु यह एजेंसियां अभी तक वन्य जीवों को कष्ट से बचाने और वनों तथा जानवरों को संरक्षण प्रदान कर पाने में असफल रही हैं ।

मानस राष्ट्र पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत एक बाघ अभ्यारण्य है इसमें कम-से-कम 22 अन्य विलुप्त प्राय: प्रजातियों के बाघ हैं जिनको नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची में दिए गए हैं । गोल्डन लंगूर, पिगमी हॉग, हिसपिड हेयर और कैप्ड लंगूर इस पार्क की

विशेष विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं। इस पार्क में प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे भी हैं। असम में बाघों की कुल संख्या के एक तिहाई बाघों को मानस नेशनल पार्क में रखा जा सकता है।

यह पार्क विदेशी और देशी पर्यटकों का मनचाहा पर्यटन स्थल है। 1989 से इसे सुरक्षा कारणों से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।

इस समय यह पार्क शस्त्र आतंकवादियों और चोरी-छिपे शिकार करने वालों की गिरफ्त में है जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। वे घड़ल्ले से पार्क में रहते हैं, वन्य जीवों को मारते हैं, पेड़ों को काटते हैं और वन कर्मचारियों को मारते हैं।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मानस राष्ट्रीय पार्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और इस पार्क से और उसके लिए संचार सुविधाओं में सुधार करे।

**(पांच) कर्नाटक को बम्बई हाई सीज, कावेरी बेसिन और गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** (चित्रदुर्ग) : एक समय कर्नाटक राज्य उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य था। अब इसका स्थान काफी पीछे हो गया है और इसका कारण यह है कि यहां पर और उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। उद्यमी नए उद्योगों की स्थापना करने में झिझक रहे है, हालांकि कर्नाटक में बिजली की कमी के अलावा अच्छा वातावरण है। बम्बई बेसिन में अधिक प्राकृतिक गैस उपलब्ध है जिसे पाइप लाइनों के जरिए कर्नाटक में औद्योगिक विकास केन्द्रों तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार यह भी सुझाव दिया गया था कि बम्बई हाई समुद्र से प्राकृतिक गैस पाइप लाइन को समुद्र के अन्दर ही अन्दर से मेंगलू से जोड़ा जाना चाहिए। हम तमिलनाडु में कावेरी बेसिन (भुवनागिरि और करिकल) से प्राकृतिक गैस प्राप्त कर सकते हैं। मौजूदा उद्योगों और स्थापित किए जाने वाले उद्योगों से उपलब्ध कराई जाने वाली गैस से हम कर्नाटक में कम-से-कम उन बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं जो विशेष रूप से औद्योगिक विकास केन्द्रों (हसन, धारवाड़ और रायचुर) में स्थापित किए जाने हैं जिन्हें भारत सरकार ने विकास केन्द्रों के रूप में चुना है। बिजली की कमी के कारण कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित उद्योगों पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से उपरोक्त क्षेत्रों से फालतू प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए प्रबंध करने और उस प्राकृतिक गैस को कर्नाटक मे बिजली की कमी का सामना कर रहे औद्योगिक विकास केन्द्रों को प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

**(छः) महाराष्ट्र में धूले में आकाशवाणी केन्द्र को चालू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री बापू हरि चौरे** (धूले) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र धूले, महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्र दो वर्ष पहले बनकर तैयार हो गया है, परन्तु इसे आज तक चालू नहीं किया गया है। धूले की बहुत अधिक आबादी को संचार की इस सुविधा से वंचित रखा गया है। सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं पहले ही इसमें उपलब्ध हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से वहां पर आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र चालू करने के कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

**(सात) अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग एक वर्ष पूर्व अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर शक्ति सम्पन्न कर देने के लिए प्रायः सभी कानूनी कार्रवाइयां पूर्ण कर ली गई थीं, किन्तु अभी तक अल्प-संख्यक आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा था। परिणामस्वरूप आयोग का सारा कामकाज ठप्प पड़ा है। वर्ष 1992-93 वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट भी सौंपी नहीं जा सकी है। पारसी प्रतिनिधि का स्थान भी पिछले अनेक माह से रिक्त है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक शक्तियों से सम्पन्न कर उसका विधिवत् गठन किया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के मन में अविश्वास की भावना को जड़ न मिले।

**(आठ) यमन और यदुरालंका में पुल के निर्माण से लिए अपना अंशदान देने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री जी० एम० सी० बालयोगी** (अमालापुरम) : इस समय कोणसीमा क्षेत्र के लोगों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में यदुरालंका का यनाम जाने के लिए नौका द्वारा गोदावरी नदी की गौतमी शाखा को पार करना पड़ता है और इसके बाद वह सड़क मार्ग द्वारा काकीनाड़ा जा सकते हैं। कोणसीमा क्षेत्र के लोगों की सुविधा हेतु इस स्थान पर एक बहुत ऊंचा पुल निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कोणसीमा यनाम तथा काकीनाड़ा के लोग अपने कृषि उत्पादों को एक जगह के बाजारों से दूसरी जगहों के बाजारों में भेज सकें। इससे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भी अपने वाहनों को कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बेसिन में लाने ले जाने और औद्योगिक रूप से विकसित होने वाले अन्य क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस सप्लाई करने में मदद मिलेगी। इस विपुल की प्राक्कलित लागत 85 करोड़ रुपए है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने पांडिचेरी सरकार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुल की लागत में समानुपात अर्थात् 1 : 1 : 1 के अनुपात में हिस्सा बंटाने का मामला केन्द्र सरकार और पांडिचेरी सरकार के साथ उठाया है। पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश की सरकारें अपना हिस्सा देने के लिए सहमत हो गई हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पुल के निर्माण में हिस्सा देने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आवश्यक आदेश जारी करे।

---

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि दुर्घटना हुई है।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक)** : महोदय, मैंने माननीय नागर

विमानन मंत्री जी के कार्यालय से केवल सम्पर्क किया था। उनका मंत्रालय अभी सूचना एकत्र कर रहा है और जैसे ही उनके मंत्रालय को जानकारी मिलेगी वह सदन को सूचित कर दी जाएगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय पूरी जानकारी लेकर आएंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आम बजट पर आगे चर्चा करेंगे।

**2.47 म० प०**

## बजट (सामान्य), 1993-94—सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

**प्रो० के० वेंकटगिरि गौड़** (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वर्ष प्रस्तुत किए गए तीसरे बजट पर बोलना चाहता हूं। श्री मनमोहन सिंह जी ने यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। पहला बजट जुलाई 1991 में प्रस्तुत किया गया था और दूसरा बजट फरवरी, 1991 में तथा तीसरा बजट इस वर्ष फरवरी में प्रस्तुत किया गया था।

जुलाई, 1991 में पहले बजट पर बोलते समय मैंने बजट और उसे बनाने वाले चतुर व्यक्ति के प्रति काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मार्च, 1992 में दूसरे बजट पर बोलते समय मैंने कहा था कि यह बजट मिला-जुला है और आंशिक रूप से अच्छा है और मैंने इसके अच्छे हिस्सों का स्वागत किया था।

अब मैं तीसरे बजट पर बोल रहा हूं। मुझे मालूम नहीं है कि वास्तव में कहा क्या जाए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो इसको मारी छल कह रहे हैं। ऐसा करना अनुचित होगा। मैं उन लोगो से भी सहमत नहीं हूं कि जो इसे आशा, स्थिरता, समानता और विदेशी दिवालियापन का अग्रदूत कह रहे है। मैं इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी करूंगा और वह टिप्पणी यह है कि बजट अत्यन्त सीमित और निराशाजनक है।

देश तीन संकटों का सामना कर रहा है, ये संकट हैं मुद्रा-स्फीति का संकट, मंदी का संकट और भुगतान संतुलन का संकट। ये बातें देश के लिए नई नहीं हैं। गत पैंतीस वर्षों से, जब से कि दूसरी योजना शुरू की गई थी, वे यही हैं। लेकिन अब हम संकट के लिए श्री मनमोहन सिंह पर दोष नहीं लगा सकते क्यों उनका एक लम्बा इतिहास है। 1956 में दूसरी योजना शुरू की गई थी। यह योजना नेहरू जी की विचारधारा पर थी। प्रथम योजना के दौरान न तो मुद्रास्फीति का कोई संकट था और न ही भुगतान संतुलन की कोई समस्या। प्रथम योजना तो मात्र प्रायोगिक थी। यह योजना कृषि-उन्मुख योजना थी। यह योजना छोटे आकार की थी। घाटे की राशि बहुत थोड़ी थी। परिणामस्वरूप योजना अवधि के दौरान मूल्य स्तर में गिरावट आई तथा भुगतान संतुलन भी अतिरिक्त था।

1954 में, चीन के प्रधान मंत्री, श्री चौउन लाई भारत के दौरे पर आये। उन्हें देश के अनेक भागों में ले जाया गया। चीन वापिस जाते समय, उन्होंने पंडित नेहरू को चीन-यात्रा के लिए आमन्त्रित किया। अगले वर्ष 1954 में नेहरू जी चीन की यात्रा पर गए तथा वहां उन्हें चीन की औद्योगिक बस्तियों का दौरा करवाया गया था। चीनी-मॉडल रूसी मॉडल पर आधारित था तथा रूसी मॉडल केलडमेन मॉडल पर आधारित था तथा यह मॉडल भारी-उद्योग उन्मुखी था। वर्ष 19 4 में पण्डित नेहरू जी भारत वापिस आए तथा चीनी मॉडल के अनुरूप एक

योजना बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने आर्थिक सलाहाकार प्रोफेसर पी० सी० महालानोबिस को चीनी-मॉडल के अनुरूप एक औद्योगिक योजना तैयार करने के लिए बुलाया। समूची योजना अवधि के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था की राशि 800 करोड़ रुपये यानि 160 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी। उस समय, कैमब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कालदोर को यहां की कर प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह योजना-आयोग के सदस्यों से मिले तथा उन्होंने कहा कि आपकी योजना सही रूप से नहीं बनाई गई तथा देश 800 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थव्यवस्था को पचा पाने के योग्य नहीं है। फिर, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने "ग्रोथमेनशिप" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा है, एक असाधारण मूर्खतापूर्ण वक्तव्य में श्री नेहरू जी ने कहा है, आपको मशीनों का उत्पादन करने के लिए मशीनें तैयार करनी ही चाहिएं। देश इस प्रकार की योजना अपनाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, यह योजना लागू कर दी गई थी। दो वर्ष बाद मुद्रास्फीति संकट तथा भुगतान-संतुलन संकट यकायक सामने आए। इस योजना में काट-छांट की गई लेकिन, इस योजना का एक पहलू यानि भारी उद्योग बरकरार रखा गया। इसके बाद की योजनाएं नेहरू जी की इसी विचाराधारा पर आधारित थी, लेकिन कुछेक सीमान्त समायोजन इसमें कर दिए गए थे। इसलिए दो संकट विद्यमान रहे तथा वे दोनों ही संकट आज भी विद्यमान हैं।

श्री मनमोहन सिंह जी का बजट नीदरलैंड के प्रोफेसर जन तीनबर्जन द्वारा सुपरिचित टारगेट्स-इंसटरूमैंट अप्रोच टू इकोनोमिक पोलिसी-पर आधारित है। इस प्रस्ताव अनुसार जितने लक्ष्य रखे गए हों उतने ही साधन होने चाहिएं। अगर एक लक्ष्य रखा गया है, तो एक ही साधन पर्याप्त है। यदि तीन लक्ष्य रखे गए हैं, तो तीन साधन होने जरूरी हैं। श्री मनमोहन सिंह जी ने तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तीन साधन अपनाए हैं। ये लक्ष्य हैं: मुद्रास्फीति की दर में कमी करना; मंदी से बचना तथा भुगतान संतुलन में साम्यावस्था स्थापित रखना।

1991 में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन (जी०डी०पी०) का 8.5 प्रतिशत था। 1992 में यह वित्तीय घाटा कम करके सकल घरेलू उत्पादन के 6 प्रतिशत पर लाया गया है। 1993 में इसे घटाकर पांच प्रतिशत पर लाया गया है। वर्तमान बजट में यह घाटा कम करके 4.5 प्रतिशत पर लाने की मंशा है। इसके बावजूद भी घाटा मुद्रास्फीतिय घटक है। बजट-घोषित किए जाने से पहले विभिन्न मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। कोयले, इस्पात, चीनी आदि के मूल्यों में वृद्धि की गई थी तथा इससे सरकार को 3000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इसके बाद, मालभाड़ा दरों में वृद्धि हुई थी, जिससे सरकार को 1850 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। मालभाड़ा दरों में वृद्धि का मूल्य-स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था क्योंकि माल ढुलाई की लागत बढ़ गई, जोकि वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमतों के रूप में हस्तांतरित होनी थी।

मंदी से बचने के लिए श्री मनमोहन सिंह जी ने वित्तीय नीति की घोषणा की। उधार लेना सस्ता करने तथा निवेश एवं उपभोग हेतु ऋण लेने को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋणों पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत कर दी गई। उद्योगपतियों ने यह महसूस किया कि ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा बैंकों के निष्पादन पर उपलब्ध धनराशि को बढ़ाने तथा उन्हें अधिक उदारतापूर्वक ऋण देने के योग्य बनाने के उद्देश्य से सांविधिक नकद जमा अनुपात एवं नकदी आरक्षित अनुपात में भी कमी की गई थी। अतः, ये तत्त्व मंदी से बचने के इरादे से रखे गए थे। इसके साथ ही, वे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिय-बलों

को जमा कर रहे हैं। कम ब्याज दर का अर्थ है अधिक से अधिक उधार लेंगे, ज्यादा उधार का अर्थ है अधिक व्यय करना तथा अधिक व्यय करने का अर्थ है ऊंची कीमतें।

तीसरे, वित्त मंत्री जी ने एक समान विनिमय दर, जिसे कि सामान्यतः रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय होना कहा जाता है, लागू कर दी। गत वर्ष रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों को विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी दरों पर समर्पित करना होगा तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार दरों पर विक्रय करना होगा। लेकिन, अब विनिमय दर पूर्णतयः परिवर्तनीय बना दी गई है तथा रुपए एवं डालर के बीच विनिमय दर 32 रुपये के आस पास है। वित्त मंत्री का विचार है कि डालर की तुलना में रुपए का मूल्य स्थिर रहेगा तथा इसमें और गिरावट नहीं आएगी। वर्तमान विनिमय दर में गिरावट नहीं इसलिए नहीं आई है क्योंकि लोगों के पास जो फालतू डालर थे, उन्होंने उन्हें रुपयों में परिवर्तित कर लिया है। अतः, इससे रुपए का और अधिक अवमूल्यन होना बंद हो गया। एक अमरीकी अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि वर्ष के दौरान डालर का मूल्य घटकर 34-35 रुपए पर आ जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि आयात का मूल्य बढ़ेगा, विशेषकर तेल के मूल्यों में वृद्धि होगी तथा इसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

इन बातों के अतिरिक्त, कुछ अन्य तत्त्व हैं जिनको कि बजट का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कर नीति को ही लीजिए। वित्त मन्त्री जी कर दाताओं के साथ कोई ज्यादा उदारता नहीं बरती है। पिछले वर्ष उन्होंने कर की दरों में कमी की थी, लेकिन, इस वर्ष उन्होंने कोई कमी नहीं की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयकर की छूट की सीमा 28000 रुपए रखी है। प्रोफेसर मधुदंडवते जी ने इसे 18000 रुपए से बढ़ाकर 22000 रुपए किया था। अपने प्रथम बजट में, श्री मनमोहन सिंह जी ने यह छूट सीमा 22000 रुपए ही रखी थी, लेकिन, पिछले वर्ष उन्होंने इसे बढ़ाकर 28000 रुपए कर दिया था। अब उन्होंने यह छूट सीमा उसी स्तर पर रखी है। 1961 में, आयकर की छूट की सीमा 15000 रुपए थी। वर्तमान मूल्य-स्तर पर यह सीमा 50000 रुपये होनी चाहिए थी। अतः करदाताओं को मुद्रास्फीति की चपेट से राहत देने के लिए इस सीमा को, अगर 50000 रुपए नहीं, तो कम-से-कम बढ़ाकर 90000 रुपए तो कर ही देना चाहिए। इसी प्रकार, पुरुष कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 15000 रुपए तथा महिला कर्मचारियों के लिए 18000 रुपये है। यह मानक कटौती अन्य तरीके से देखें तो उल्टी होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के पालन-पोषण तथा परिवार चलाने की व्यवस्था आय अर्जित करने वाली महिला से आय अर्जित करने वाले पुरुष पर ज्यादा होती है। अतः, इसे उल्टा किया जाना चाहिए अथवा इसे बराबर तो किया ही जाना चाहिए।

वित्त मन्त्री जी ने निगमित करों में कोई कमी नहीं की है। निवेश बढ़ाने तथा उसके विकास के लिए निगमों को धनराशि की आवश्यकता होती है। अतः, उनका निवेश अधिकतर आंतरिक बचतों पर निर्भर करता है। यदि बचतें अधिक होती हैं, तो वे अधिक निवेश करेंगी तथा तेजी से फले-फूलेंगी।

इसके अतिरिक्त, लाभांशों पर दोहरे कराधान से बचा जाना चाहिए तथा ऐतिहासिक लागत की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर प्रतिस्थापित-लागत पर आधारित मूल्यह्रास होना चाहिए।

इसके अलावा, सम्पत्ति-कर की दरों तथा उपहार कर की दरों में काले-धन के प्रकोप को रोकने के लिए उन्हें श्रेणीबद्ध किए जाने की जरूरत है। भुगतान-संतुलनों की क्या स्थिति है ? यह संकट की स्थिति में हैं। इस समय इसमें 10000 करोड़ रुपये का घाटा है तथा समय बीतने के साथ-साथ आयातों के मूल्य में वृद्धि तथा तेलों के मूल्यों में वृद्धि से यह घाटा और बढ़ जाएगा। जब तक निर्यात को बढ़ाया तथा आयात को कम नहीं किया जाता, तब तक यह भुगतान सन्तुलन के घाटे को नहीं रोकने में सफल नहीं हो सकता। इस समय, निर्यात मात्र चार प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि आयात 18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इससे अन्तर स्पष्ट हो जाता है। गत वर्ष सरकार ने नई निर्यात-नीति लागू की थी। उसके अन्तर्गत, आयात का उदारीकरण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देश में आयात काफी हद तक बढ़ा था तथा अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी।

**3.00 म०प०**

लेकिन अनेक कारणों से निर्यात आयात के मुकाबले कम रहा है। इसमें सबसे पहला कारण तो हमारे निर्यात में गुणवत्ता तथा मूल्य-प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण रहा है। दूसरे पश्चिमी देशों में मंदी का आना है, जिनको कि हमारी निर्यात की गई वस्तुएं जाती हैं, उन्होंने हमारे निर्यात पर सुरक्षात्मक सीमाएं खड़ी कर दीं तथा हम उन्हें नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाए। तीसरे, भारत ने सोवियत रूस में एक बहुत अच्छे बाजार को खो दिया। इन्हीं कारणों से निर्यात नहीं बढ़ सका। इन्हीं कारणों से भुगतान-सन्तुलन का अन्तर लम्बे समय से विद्यमान चला आ रहा है।

इस समस्या से कैसे निपटा जाए ? इस समस्या से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक हमें धनराशि देने के लिए विद्यमान हैं तथा इस राशि का अन्तर समाप्त करने के लिए उपयोग किया जायेगा। लेकिन इससे ऋण का बोझ बढ़ता है तथा अर्थव्यवस्था ऋण के दुश्चक्र में फंस जाती है। हम इन ऋणों को वापिस करने में सफल नहीं होंगे तथा न ही हमारे बच्चे अथवा उनकी संतानें इन ऋणों को वापिस कर पायेंगे।

इन समस्याओं से वित्त मंत्री जी बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं। इस संकट का समाधान निम्न-लिखित उपायों के द्वारा किया जा सकता है :

—आंतरिक और बाहरी ऋण लेने पर संवैधानिक नियंत्रण लागू करें; इस समय 4,50,000 करोड़ रुपये का कुल ऋण है। जब तक इसे कम नहीं किया जाता, देश समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेगा। अतः, यदि हमारा देश ऋण लेने पर संवैधानिक नियंत्रण लागू कर देता है, तो कीमतें स्थिर हो जायेंगी तथा भुगतान संतुलन का अन्तर भी कम हो जाएगा।

—मौद्रिक-विस्तारण पर भी संवैधानिक नियन्त्रण होना चाहिए। इस समय धन 16 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है जिसका अर्थ है कि लोगों की क्रय-शक्ति का बढ़ना, खर्च में वृद्धि होना तथा खर्च में वृद्धि का तात्पर्य है कीमतों का बढ़ना। ऊंची कीमतों का अर्थ है अधिक आयात, कम निर्यात तथा भुगतान सन्तुलन में अन्तर।

—इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी जानी चाहिए। कल एक प्रैस-रिपोर्ट छपी थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त दी गई है, जिससे कि राजकोष पर 750 करोड़ रुपये का

भार बढ़ेगा। पैसा है कहां ? इससे बजट-घाटे में वृद्धि होगी। अतः महंगाई भत्ते एवं वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।

यदि ये उपाय किए जाएंगे तो कोई मुद्रास्फीति नहीं होगी।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क की दर में कमी के कारण मुद्रास्फीति घट गई है। सीमा शुल्क को 4 प्रतिशत तथा उत्पाद शुल्क को 4 प्रतिशत घटा दिया गया है। इससे आयातित वस्तुएं घरेलू वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती हो जाती हैं और इससे घरेलू वस्तुओं की मांग की अपेक्षा आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। घरेलू उद्योग में फिर से मन्दी आ जाएगी। आयात शुल्क में कमी से निर्यात की अपेक्षा आयात को प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय वित्त मन्त्री ने आगे यह भी कहा है कि इससे मूल्य स्तर में गिरावट आएगी। प्रारम्भ में, निश्चित ही कीमतों में गिरावट आएगी। परन्तु दो कारणों से कीमतों में फिर से वृद्धि होगी। पहले, कीमतों में कमी का अर्थ है अधिक मांग और अधिक मांग का अर्थ है ऊंची कीमतें। दूसरे, कीमतों में गिरावट आने, और धन का प्रसार स्थिर रहने पर, वास्तविक सन्तुलन में वृद्धि होती है और इस वृद्धि के कारण मांग बढ़ जाती है जिससे मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।

इसलिए, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, यह बजट भ्रामक तथा निराशाजनक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यहां पर दिए गए सुझावों को गम्भीरता से लेंगे और बजट पर बहस के दौरान उत्तर देने से पहले अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार करेंगे।

**श्री सुधीर सावन्त** (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के बजट का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं, सरकार और डॉ० मनमोहन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को, जून, 1991 के गहरे संकट से बचाया और हमको एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां से हम दृढ़ विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने की बात सोच सकते हैं।

**3.05 म० प०**

**(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)**

जून, 1991 में देश दिवालियापन की कगार पर था, परन्तु नई नीति बनाकर—आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति—सरकार आज परिस्थिति में स्थिरता लाने में सफल हुई है जिसमें हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होने और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश करने की बात सोच सकते हैं। फिर भी, हमको यह समझना चाहिए कि आज की दुनिया में अस्थिर और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जहां बाजार पर कब्जा करने की होड़ लगी है और जैसे-जैसे दिन बीतते जाएंगे, यह होड़ और भी तेज होगी और इसीलिए हम ऐसे सूत्रों अथवा सिद्धान्तों के बारे में नहीं सोच सकते हैं जिसमें व्यापकता हो परन्तु हमें आज और अधिक व्यावहारिक बनना होगा और सरकार ने यही तो किया है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे पथ, दिशा की ओर अग्रसर हुए हैं जिससे मुझे यकीन है कि प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर भी, इस द्वेषपूर्ण विश्व में, जोकि आज हमारे देश के लिए काफी द्वेषपूर्ण है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सैद्धान्तिक कट्टरता के कारण हमारी प्रगति के पथ पर रुकावटें

उपस्थिति नहीं हों और साथ ही हमें व्यावहारिक बनना होगा। हमें किसी भी सिद्धान्त को मात्र इस बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वे सिद्धांत सफल नहीं हुए हैं क्योंकि यद्यपि समाजवाद लक्षित, वांछित जीवन स्तर देने में सफल नहीं रहा तथापि, इस समाजवाद ने प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार दिया है। साथ ही पूंजीवाद भी वांछित जीवन स्तर देने में सफल नहीं रहा और इसमें बेरोजगारी, निर्धनता, तथा नैतिक व सामाजिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया। जबकि जहां पर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होती है, वहां खुला बाजार अर्थ-व्यवस्था एक आदर्श तन्त्र बन सकता है परन्तु, इसके साथ ही व्यापार में हस्तक्षेप को कम करने और खुला बाजार अर्थ-व्यवस्था की मांग है : जहां पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, वहां एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो कि मानवता के लिए संकटमय होगी क्योंकि खुला बाजार अर्थव्यवस्था में भी एकाधिकार अथवा कुछेक के हाथों में सारी धन सम्पत्ति चले जाने के अवसर हैं और जहां राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, तब उन व्यक्तियों को जिनके पास आर्थिक शक्ति है, उनको राजनैतिक शक्ति भी मिल जाएगी और इसके परिणामस्वरूप अवश्य ही आर्थिक निगमों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का मौका मिलेगा और सार्वभौमिक देशों के स्थान पर सार्वभौमिक बहुराष्ट्रीय निगमों का जन्म होगा। ऐसी स्थिति में जहां सूचीबद्ध आंकड़े एक ही व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं, तो इससे विश्व का विनाश होगा। हम इस बात के आभारी हैं कि हिटलर के पास परमाणु विकल्प नहीं था परन्तु भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय मेरा निरुपण आपको अवश्य ही अजीब-सा लगेगा परन्तु दुनिया इसी दिशा में जा सकती है और हमें इस खतरे से अपने आपको बचाना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में निरन्तर चर्चा हुई है। वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को अतिरिक्त उत्पादन करना चाहिए। बार-बार बजटीय समर्थन ने अक्षमता को जन्म दिया है और इस अक्षमता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र विफल हुआ है। मैं इससे सहमत हो सकता हू परन्तु, सार्वजनिक क्षेत्र को एक दक्ष तंत्र बनाने के लिए हमने क्या किया है ? यदि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने का माहौल बनाया जाएगा तो सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया—सर्वाधिक हानि में चल रही दस कम्पनियों में से एक का नाम लूंगा जिसको एक सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया गया और इसे एक लाभ अर्जित करने वाले उद्यम के रूप में परिवर्तित किया गया। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सबसे पहला आवश्यक कारक है निर्णय लेने की स्वतन्त्रता। दूसरा कारक यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र को उन कार्यों को करने की स्वतन्त्रता नहीं है, जिन्हें निजी क्षेत्र कर सकता है। इसी कारण कई स्थानों पर सरकारी क्षेत्र ने भी सार्वजनिक क्षेत्र को समर्थन नहीं दिया। उदाहरण के लिए स्वयं मेरे जिले में, अनुकूल निविदा होने के बावजूद सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया से सीमेंट खरीदने का व्यापक विरोध हुआ। इसका कारण यह था कि किसी ने किसी को रिश्वत दी थी और इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे व्यवहारों में सम्मिलित नहीं हो सकता। अतः हमको स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर सार्वजनिक क्षेत्र को समर्थन देना चाहिए और उसे निर्णय लेने की स्वतन्त्रा तथा उचित नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो अवश्य ही सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है। मैं आत्म-विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि भौगोलिक स्थिति के कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र कई स्थानों पर असफल रहा। इसका और एक कारण यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र, लाभ के अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रयोजन के पीछे लगा रहा। अतः मैं पुनः

सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना निजी क्षेत्र के साथ करता हूं। ऐसा इसलिए है कि निजी क्षेत्र भी कई क्षेत्रों में असफल रहा है। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र आज के ढांचे में ठीक से नहीं बैठता है। परन्तु, आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त उत्पादन। उसके लिए हमें आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। परन्तु इस बहस के अलावा हमें एक और विकल्प को तैयार करने की आवश्यकता भी है। तीसरा विकल्प सहकारिता के क्षेत्र में है। ऐसा इसलिए है कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि खुला बाजार अर्थ-व्यवस्था से आर्थिक विकास हो सकता है। परन्तु इससे इक्विटी की समस्या हल नहीं हो सकती। इसको आठवीं योजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि आपको इक्विटी की समस्या का समाधान करना है तो आपको प्रत्येक विकल्पों की ओर ध्यान देना होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है पश्चिमी महाराष्ट्र का शुष्क क्षेत्र। यहां पर 30 वर्षों तक जल नहीं था और सहकारिता आन्दोलन के कारण अब यह क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र में बदल गया है जो वहां की जनसंख्या की अधिकांश आवश्यकताओं का प्रबन्ध करता है और अतिरिक्त उत्पादन करता है। इस क्षेत्र ने इक्विटी की समस्या का समाधान भी किया है। पश्चिमी यूरोप ने सहकारिता क्षेत्र की वजह से ही स्पष्ट रूप से प्रगति की है। केवल इटली में ही सहकारिता क्षेत्र की कुल बिक्री 20 बिलियन डालर रही है और जर्मनी में 32 बिलियन डालर रही है तथा व्यावहारिक रूप से हर क्षेत्र में पहले से सहकारिता आन्दोलन मौजूद रहा है। पर्यटन, बीमा, बैंकिंग आदि का उदाहरण लो। सरकार ने प्रारम्भ में इसको समर्थन दिया था परन्तु, खुले बाजार की स्थिति में वह स्वयं अपना ध्यान रख सकता है। इसकी आवश्यकता कई क्षेत्रों में जैसे इस्पात, चीनी मिट्टी के उत्पादन तथा निर्माण गतिविधियों आदि में होती है। 60 प्रतिशत पश्चिमी यूरोपीय देशों में कृषि सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत है। यदि आप पश्चिम देशों से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको इन मुद्दों का अध्ययन इसलिए करना होगा क्योंकि इनका सम्बन्ध इक्विटी से है न कि केवल इसलिए कि खुला बाजार अर्थव्यवस्था के आकर्षक वाक्यांशों को निर्मित करने का प्रयास करना है।

जब हम कृषि के विकास की बात करते हैं, जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने बताया है, हमें उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को फसल के लाभकारी मूल्य देने की बात का ध्यान रखना चाहिए। वे इस देश में कितना अतिरिक्त उत्पादन कर सकते हैं ताकि उनको लाभकारी मूल्य का लाभ मिल सके। तटीय क्षेत्रों पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है, वहां पर जोत क्षेत्र छोटे हैं। जोत-क्षेत्र छोटे हैं और वे बड़े क्षेत्र तक फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए मेरे परिवार के पास सात एकड़ भूमि है और यह लगभग तीन से चार कि० मी० तक फैली हुई है।

मैं सिंचाई, आधुनिक कृषि का लाभ उठाने की आशा कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि जोत की चक-बन्दी नहीं है। आठवीं योजना में जोत की चकबन्दी के विषय में कहा गया है। परन्तु हम सरकारी कार्रवाई की पद्धति के द्वारा नहीं अपितु सहकारिता कार्रवाई से चकबन्दी कर सकते हैं और इसलिए सरकार को सहकारिता कृषि पर ध्यान देना होगा और सहकारिता कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णतः सहकारी है जैसे कि मिजोरम, नागालैंड में कृषि पूर्णतः सहकारी है परन्तु इसको संस्थानिक सहयोग तथा मान्यता नहीं दी गई है। इसीलिए समय की मांग है कि सहकारिता कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र को मान्यता दें।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है। मैं सरकार को योजना परिव्यय में 36 प्रतिशत वृद्धि के

लिए फिर से बधाई देता हूं। फिर भी, यही सब कुछ पर्याप्त नहीं है क्योंकि कृषि की मूल समस्या ऋण की है। इस क्षेत्र हेतु ऋण को 16,500 करोड़ से बढ़ाकर 30,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है अर्थात 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जोकि स्वागत योग्य है। परन्तु, वे किसान कौन हैं जो इस ऋण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यही समस्या है और इसलिए ऋण की इस वृद्धि को सहकारिता कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस देश में सबसे कम भूमिधारी को वास्तव में इसका लाभ मिल सके अन्यथा इस ऋण का उपयोग किसानों द्वारा किया जाएगा। यदि किसान के पास भूमि नहीं है तो 'नाबार्ड' को इस सम्बन्ध में कुछेक योजनाएं तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए।

अगला विषय मत्स्य पालन से सम्बन्धित है क्योंकि हम निर्यात की बात करते हैं। कृषि उत्पादों और मछलियों के निर्यात में सहकारी तन्त्र बहुत हद तक योगदान दे सकता है। लेकिन महाराष्ट्र को छोड़कर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में सहकारी खेती के माध्यम से अंगूरों का निर्यात किया जा रहा है। पिछले वर्ष संसद में मैंने मांग की थी कि आम का भी निर्यात किया जाना चाहिए। इस साल सहकारी तन्त्र सही प्रकार से काम कर रहा है और आम का निर्यात भी किया जा रहा है। यह एक उदाहरण है। यदि हम कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सहकारी क्षेत्र और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की प्रणाली अपनानी होगी, और उन सहकारी समितियों को रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध किया जाना चाहिए जो निर्यात के लिए स्थापित की गई हैं, इस प्रकार जिन सहकारी समितियों की स्थापना केवल निर्यात के लिए की गई है उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मत्स्यन एक ऐसा व्यापार है जिसे ना तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता प्राप्त है और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया गया है। मुझे ऐसा आरोप इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि शायद सत्ता अधिकांशतया उन लोगों के हाथ में रही है जिनका समुद्रतटीय क्षेत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मत्स्यन एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्यात को बढ़ाने की आज भी असीम संभावनाएं हैं और इसी कारण मैं सरकार से अपील करता हूं कि मत्स्यन और सहकारी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मंत्रालय स्थापित किए जाएं क्योंकि इस समय यह जरूरी है कि औद्योगिक सहकारिता कृषि सहकारिता और पर्यटन सहकारिता को सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाये। मैं वित्त मन्त्री से भी अपील करूंगा मैंने पहले ही एक मांग की हुई है—कि यदि हम बीमा क्षेत्र को नियन्त्रण मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको यह सहकारी क्षेत्र में भी करना चाहिए। अतएव सहकारिता क्षेत्र में हम एक प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बीमा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी जो सबसे महत्त्वपूर्ण मांग है वह ऋण राहत सहायता की है। सौभाग्यवश 1989 में इस सम्बन्ध में एक पैकेज था लेकिन उस समय वित्त मन्त्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र से थे और किसानों को ऋण राहत सहायता का आश्वासन दिया गया था और जिन लोगों ने ऋण चुकाने में जानबूझकर देरी नहीं की है उन्हें मान्यता देने के सम्बन्ध में एक शर्त रखी गई थी। अनिवादी तन्त्र मन्त्रालय ने एक शर्त रखी थी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अनिवादी तन्त्र के कारण किसी भी किसान को ऋण राहत सहायता का लाभ नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7000 किसान ऋण राहत सहायता का लाभ उठा सके जबकि सतारा जिले में 1½ लाख किसानों ने और अंकोला जिले में 1½ लाख किसानों ने इसका लाभ उठाया और यह

अनिवादी तन्त्र समान नहीं रहा है और इससे संविधान के अनुच्छेद 41 का उल्लंघन हुआ है। इसे सदन के ध्यान में भी लाया जा चुका है। फिर मैंने पूछा था कि क्या कोई अन्तरिम उपाय किए गए हैं। मैंने कहा था ठीक है आप ऋण राहत सहायता नहीं देना चाहते "ठीक है" क्योंकि मैं भी ऋण राहत सहायता के विरुद्ध हूं यह बैंकिंग प्रणाली और सभी मानदण्डों के विरुद्ध है। लेकिन मैं यहां क्यों इस तरह की मांग कर रहा हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम ऋण पर ब्याज को तो माफ करने के लिए कदम उठाए जाएं क्योंकि ऋण देने वाले सभी सहकारी संस्थान दिवालिएपन के कगार पर हैं। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति पर विचार करें और कम से कम ब्याज माफ करने के लिए कदम उठाएं और जिला सहकारी बैंकों को फिर से ऋण आवंटित किए जाएं जिससे वह अपने आप को स्थापित कर सकें।

एक अन्तिम बात जो मैं ध्यान में लाना चाहूंगा वह कालेधन और तस्करी के सम्बन्ध में है। यह दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने 6 अप्रैल 1992 को संसद के इस सदन को 75 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र दिया था। काले धन और तस्करी की समस्या हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत पहले से विद्यमान है। यह इस कारण है क्योंकि हमारे पास इस समस्या से निबटने के लिए कोई संगठन नहीं है।

सीमाशुल्क विभाग, जोकि तस्करी के मामले देखता है, इससे सीमित स्तर पर ही निबट पाता है। राजस्व सूचना निदेशालय और नशीले पदार्थ नियन्त्रण कार्यालय हैं जिनका कार्य तस्करी पर नियन्त्रण रखना है क्योंकि तस्करी एक संगठित अपराध है। क्योंकि तस्करी के कारण ही देश में अराजकता और कानून और व्यवस्था की समस्या है यह इन सबका आधार है। क्या हो रहा है? सीमा शुल्क अधिनियम, राज्य पुलिस केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अनुसंधान और अन्वेषण ब्यूरो (रॉ) गुप्तचर विभाग को तस्करी के सम्बन्ध में जांच करने और मुकदमे चलाने से रोकता है। इन संगठनों में आपस में कोई समन्वय नहीं हैं इससे अपराध जगत और दाऊद इब्राहीम जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। जिनका की पाकिस्तान उपयोग करता है। वह भागकर सुरक्षित स्थानों, जैसे खाड़ी देशों में छुपे हैं जहां से वह तस्करी का कार्य चला रहे हैं जिससे आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। पंजाब में आतंकवाद को पूरी वित्तीय सहायता मुम्बई से प्राप्त हुई थी और इसी कारण हम आज मुम्बई बम विस्फोटों के रूप में इसका परिणाम देख रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए की हानि हुई। जहां एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां अपराध जगत ने सरकारी संस्थानों, प्रत्येक राजनैतिक पार्टी और समाज को सभी स्तरों पर भ्रष्ट कर रखा है। इसी कारण सरकार और वित्त मन्त्रालय को सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि कस्टम अधिनियम में संशोधन किया जाए और राज्य पुलिस को जांच करने और मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया जाए।

कोंकण के तटीय क्षेत्र में आर० डी० एक्स उतारा गया था और पुलिस जांचों के होते हुए भी समुद्र में इसे नहीं पकड़ा गया जब तक कि इसे तटीय क्षेत्र पर उतार न दिया गया हो। तब भी पुलिस को यह अधिकार नहीं था कि वह जांच कर सके और मुकदमा चला सके।

फिर भी पिछले एक वर्ष में सीमा शुल्क विभाग और महाराष्ट्र पुलिस में अच्छा सहयोग रहा है और एक वर्ष में ही 220 किलोग्राम नशीले पदार्थ पकड़े गए। यह सहयोग के कारण ही

सम्भव हो सका लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा। इस समय आवश्यकता सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की है।

अन्त में मैं गृह रक्षा और गुप्तचर विभागों के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। ये बजट के तीन घटक हैं, जिनके बारे में हममें कुछ नहीं जानते और न ही इनके बारे में सदन में किसी तरह की चर्चा हुई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि रक्षा या गृह मन्त्रालयों को जो आवंटन किया गया है वह ज्यादा या कम है। ऐसा मैं इस कारण नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको एक बात बता सकता हूं कि कुछ रक्षा ढांचों में पूर्ण पुनर्गठन किया जाना चाहिए और पूर्ण पुनर्गठन के लिए हमारे पास कम संख्या में स्थायी बल होना चाहिए जिसके पास बड़ी मात्रा में संसाधन हो। इसी सिद्धान्त पर हमें कार्य करना चाहिए। अधिक मानव-शक्ति का मतलब विश्वास योग्य रक्षा मशीनरी नहीं है। हमें आवश्यकता है मारक शक्ति की और इसे तैयार करना होगा।

अरुण सिंह समिति के प्रतिवेदन को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक समिति का गठन करे जोकि अरूण सिंह समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके अन्तिम प्रतिवेदन दें।

अब मैं गुप्तचर वर्ग के बारे में कुछ कहूंगा। इस देश में हर संगठन अपनी जांच एजेंसी बना रहा है। आर्थिक कार्य विभाग की अपनी अलग आर्थिक जांच एजेंसी है। गृह मन्त्रालय की अपनी जांच एजेन्सी है, रक्षा मन्त्रालय की अपनी जांच एजेंसी है और अब मुझे पता चला है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय की भी अपनी जांच एजेंसी है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू और काश्मीर, पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ही तरह के कार्यों को कई सौ एजेन्सियां कर रही हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, जहां एक एजेन्सी ने दूसरी एजेंसी के एजेन्ट को मार दिया है। निचले स्तर पर यही सब कुछ हो रहा है। आपसी सहयोग नहीं है।

हमारे देश के आयकर दाताओं का करोड़ों रुपया इन एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरों पर खर्च किया गया है जिसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है।

इसलिए जरूरत है प्रत्येक मन्त्रालय पर एक स्थायी समिति की। मैं अपील करता हूं कि गुप्तचर व्यवस्था पर संसद की एक स्थायी समिति गठित की जाएं। इसकी समूची चर्चा गुप्त रखी जा सकती है। विभिन्न सदनों में गुप्तचर व्यवस्था पर स्थायी समितियां हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि गुप्तचरी के मामलों को देखने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।

जहां तक रक्षा मन्त्रालय का सम्बन्ध है, गोपनीयता की झूठी आड़ को हटाया जाना चाहिए और हमें ज्यादा खुलापन अपनाना चाहिए। रक्षा मन्त्रालय द्वारा जो कुछ खर्च किया जाता है उसे जनता की जानकारी में लाया जाना चाहिए। रणनीति और योजनाओं को गुप्त रखा जाना चाहिए। जनता से जो छुपाया जाना चाहिए वह है चौंका देने वाला कारक और इसके अलावा जनता से कुछ भी नहीं छुपाया जाना चाहिए। क्योंकि जो एक संसद सदस्य को इस सदन से मालूम है उससे कहीं ज्यादा दुश्मन को मालूम होता है।

अतः सभापति महोदय 1993-94 के बजट और अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखें हैं। जो कदम सरकार उठा रही है उससे मेरा ऐसा विश्वास है कि आजादी के बाद हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रगति की ओर हमने एक निश्चित कदम उठाया है।

इस समय राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ देश में एक सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ करने की भी आवश्यकता है, जिससे सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सके। इसी में इस महान देश का भविष्य है जिसके साथ यह 21वीं सदी में कदम रखेगा। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी से कम नहीं होगा।

[हिन्दी]

**श्री शिवशरण सिंह** (वैशाली) : माननीय सभापति जी, मैं इस बजट पर देश की आम जनता की भावनाओं के अनुरूप चन्द शब्द कहना चाहता हूं, जो बजट पेश किया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह बजट देश की 90 प्रतिशत जनता के हित के खिलाफ है। केवल मुट्ठीभर जो बड़े लोग हैं उन्होंने ही इसका स्वागत किया है। शेष जनता के बीच इस बजट से निराशा है। किसान निराश हो रहे हैं। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, साधारण लोग हैं, वे सब इस बजट से तबाह हो रहे हैं, जब देश के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो ऐसे बजट का स्वागत आम जनता कैसे कर सकती है ?

सभापति जी, यह बजट किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर जबर्दस्त कुठाराघात कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि किसान किस तरह से तबाह हो रहे हैं। किसान को खेती के लिए जितना सामान चाहिए वह सब महंगा हो रहा है। जो खाद हैं, वे सब तरह की खाद महंगी हो गई हैं। सरकार ने और वित्त मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि गरीबी उन्मूलन करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन गरीबी उन्मूलन की जो इनकी घोषणा थी, वह स्पष्ट हो रही है, चाहे पहला, दूसरा या तीसरा इनका बजट हो, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबी घटने के बजाए और बढ़ रही है। हम कैसे इनकी कथनी और करनी पर विश्वास कर सकते हैं।

बेरोजगारी—बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और हमारी सरकार उनको निमन्त्रण देकर बुला रही है, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। महंगाई भले ही आप कागज पर हिसाब-किताब लगाकर बताएं इतने प्रतिशत कम हो गई है, लेकिन आपको आम जनता से, गांवों और गरीबों से परिचय नहीं है। आप देखें, किस तरह से महंगाई उन्हें तबाह कर रही है। आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं।

हम जानते हैं कि यह बजट स्वावलम्बन और स्वदेशी भावना पर कुठाराघात है। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने, आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के सामने आत्म-समर्पण किया है। आप उनके इशारों पर सारे काम कर रहे हैं। आपने घुटना टेक नीति अपनाई है। ऐसी स्थिति में ईस्ट-इंडिया कंपनी की याद आती है। जब ईस्ट इण्डिया कंपनी यहां आई थी, सब जानते हैं, जितने हमारे घरेलू उद्योग थे, जो कुछ देश का कारोबार था, सबको नष्ट करके, धीरे-धीरे अपने हाथ-पांव फैलाकर हमें गुलामी के चंगुल में फंसाया गया था। हम गुलाम हो गए थे। हां, उस वक्त भी मुट्ठी भर लोग थे उनका साथ देने वाले, बड़े-बड़े महाराजा लोग, लैंडलोर्ड, ये सब उनकी मदद करते थे। आज आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आदर के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ बुला रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो उनका स्वागत कर रहे हैं। याद रखिए, आप चाहे अनजाने में या जान-बूझकर, मैं तो कहूंगा जान-बूझकर, आप उनको निमन्त्रण देकर बुला रहे हैं। नतीजा यह होगा

कि हमारे यहां के कारोबार समाप्त होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, लघु उद्योग जो भी उद्योग हमारे देश में हैं, वे सब समाप्त होने वाले हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का भी वही हाल होने वाला है। आप एक बहुत बड़े फंदे में देश को फंसा रहे हैं। डंकल प्रस्ताव पर भी सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। भारत में तमाम विशेषज्ञों और अर्थ-शास्त्रियों ने ही नहीं दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रतिशील विचार रखने वालों ने भी डंकल प्रस्ताव के खिलाफ विचार व्यक्त किया है फिर क्या वजह है कि भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। भारत सरकार को अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी नीयत क्या है। सदन में उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन चुप्पी साधने का मतलब है—मौनं स्वीकृति लक्षणं। मौन रहने का मतलब हैं कि सरकार स्वीकार कर रही है। याद रखिए, वह दिन बहुत ही बुरा होगा, भारत के लिए जिस दिन आप डंकल प्रस्ताव को मानेंगे और हम तो आपको मानने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहेगी कि डंकल प्रस्ताव को मानें, तो देश की जनता मानने नहीं देगी। हो सकता है, आज आप गद्दी पर हैं, कल आपको बाहर जाना पड़े। देश की जनता बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस तरह से धीरे-धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का कारोबार कर रहे हैं। महात्मा गांधी का स्वावलम्बी और स्वदेशी भावना का जो सपना था, उसको आप चकनाचूर कर रहे हैं। पता नहीं आप किस युग में देश को ले जा रहे हैं। विदेशी कर्ज से देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी सितम्बर, 1992 तक ढाई लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज हम पर लदा हुआ है और करीबन 4800 करोड़ रुपए का ब्याज प्रतिवर्ष हमको देना पड़ रहा है और यह ब्याज भी कर्ज लेकर देते हैं। मैं पूछता हूं, यह कैसी सरकार की आर्थिक नीति है। बहुत दिन पहले प्राचीन भारत में ऋषि चारवाक हुए थे, उनकी नीति थी, सिद्धान्त था कि यावत जीवेत, सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा, घृतं पीवेत, आज इसको हमारे डा० मनमोहन सिंह जी अक्षरशः चरितार्थ कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, यह सब लोग भलीभांति समझते हैं।

सभापति महोदय, विदेशों में प्रतिबन्धित दवाइयां के बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे यहां भेज रही हैं और हमारे स्वास्थ्य को बरबाद कर रही हैं। इतना ही नहीं विदेशों में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाइयां भी हमारे यहां आ रही हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारी खेती को जानबूझकर बरबाद करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश को खुशहाल करने वाले हैं। यह चकमा अब देश के अन्दर नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी भारतीय जिसके दिल में राष्ट्र-प्रेम है, आजादी के लिए जिसके मन में भावना है, जो आजाद रहना चाहता है, वह कभी इसको पसन्द नहीं कर सकता है। जिन्होंने शहादत दी, आजादी के लिए यंत्रणाएं सहीं, शहीद हुए, उनकी आत्मा को भी आज चोट लगी होगी। सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर क्या इस दिन को देखने के लिए शहीद हुए थे, महात्मा गांधी का क्या स्वप्न था, आप गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, आज आपकी कौन-सी नीति गांधीवाद पर चलती है, नेहरूवाद पर चलती है। आज नेहरूवाद नहीं है, गांधीवाद नहीं है. आज मनमोहनवाद चल रहा है। मनमोहन सिंह जी देश को रसातल में ले जाएंगे, इसलिए आप सचेत हो जाइए। हम जितने विरोधी दल के लोग हैं, इस बारे में एक राय के हैं और सत्तारूढ़ दल में भी बहुत से लोग हैं, जो इस राय से सहमत हैं, लेकिन अनुशासन के नाम पर बोल नहीं सकते, विरोध में वोट नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा था कि वह अनुशासन जो देश को अच्छे मार्ग की तरफ, खुशहाली के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर ले जाए, वह तो ठीक है, लेकिन जो इस मार्ग में बाधक हो, वह डिसीप्लेन नहीं है, उस डिसीप्लेन को तोड़ना ही डिसीप्लेन है। मैं माननीय सदस्यो से निवेदन करूगा कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि देश के लिए, भारत-माता के कल्याण के लिए आपको क्या करना है। मनमोहनवाद से हमें मुक्ति पानी है।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के फेर में नही पड़ना चाहता, मुझसे पहले कई विद्वान लोगों ने आंकड़ों की जानकारी दी है, लेकिन जनता की जो भावना है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी किसानों की बात मैंने की। किसानों की जरूरत का जो आवश्यक सामान होता है, वह उनको महंगे रेट पर खरीदना होता है, खेती के काम में आने वाला सामान महंगे दामों पर खरीदना होता है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां टमाटर का बीज 16000 रुपये किलो बेचती हैं, प्याज का बीज 30000 रुपये किलो की दर से बेचती हैं। उसको खरीदकर आप उपजा सकते हैं, लेकिन उससे बीज नहीं बना सकते। जब आपको जरूरत हो, आपको उसी कम्पनी से बीज खरीदना होगा। यह कितना अच्छा आपने किसानों की भलाई का काम किया है। क्या यही दिन यहां के किसानों को देखने हैं। आप बड़े-बड़े भाषण देते हैं, आंकड़े देते हैं कि आपने किसानों के लिए यह कर दिया, वह कर दिया, गरीबों के लिए यह कर दिया, लेकिन ऐसी विषम स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं।

सभापति महोदय, मोटे शब्दों में हम लोग यह मानते हैं कि विदेशों से यदि ऋण लेना जरूरी है, हर देश लेता है, खासकर आज के युग में, आप भी सहयोग लें, ऋण लें, लेकिन अपनी शर्तों पर लें, अपनी आजादी को बंधक रख कर आप ऋण लेंगे तो ऐसे से क्या लाभ होगा ?

जिससे हम गुलामी में फंसें इस्ट इंडिया कंपनी की तरह। डॉ० मनमोहन सिंह जी नई थ्योरी चला रहे हैं, उनको समझाइए नहीं तो अपने आप तो जाएंगे साथ ही देश को धरातल में ले जायेंगे हालांकि हम लोग रसातल में ले जाने से बचायेंगे चाहे जो करना हो, किसानों और मजदूरों के हित के लिए और देश की आम जनता के हित के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा यदि आप हमारी राय नहीं मानिएगा और मैजोरिटी के बल पर आप बजट पास कराते जाए तो देश में भयंकर संकट पैदा होगा जिस दिन इस बात को जनता समझ पाएगी पूरी तरह से तो आपको रहना मुश्किल होगा। वोट की बात अलग छोड़िए। मैं समझता हूं कि इस स्थिति मे सरकार संभले और अपने देश की प्रतिष्ठा और गौरव को रखते हुए जो लेना हो तो कर्ज लीजिए और काम चलाइए, लेकिन इसे सार्वभौमिकता या किसानों और मजदूरों के हितों की कीमत पर नहीं लाइए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। सारे देश में जो पिछड़े राज्य हैं तो उनके विकास पर इनका समदृष्टि नहीं है जैसे गरीब जनता है तो गरीब रहे और जो धनी हो तो धनी रहो वैसे ही जो पिछड़े राज्य हैं वे पिछड़े जाएं, यह इससे स्पष्ट है।

बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उसको जानबूझकर यह सरकार किस तरह से तबाह कर रही है। उसके एनुअल प्लान को कम कर दिया जाता है यह कहकर कि आंतरिक स्रोतों से साधन नहीं जुटाया होगा। जब हम आन्तरिक स्रोतों से साधन जुटाते रहते हैं तो उस पर पाबन्दी लगाते हैं। जैसे अभी बिहार सरकार का 754 करोड़ रुपये को केन्द्र सरकार ने रोक रखा है, जहां से जो मिलना है उसको रोक दिया है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि आपने आंतरिक साधन नहीं जुटाए इसलिए काट रहे हैं, मतलब यह कि बिहार को पिछड़ा बनाए रखो बिहार अभी सुखाड़ और अकाल से प्रभावित है। सरकार ने सभी मुद्दों पर विचार कर अक्तूबर माह में मेमोरन्डम दिया है कि सूखा और अकाल का मुकाबला करने के लिए हमें 1254 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस सरकार ने कितना दिया है। मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री को

मेमोरन्डम दिया और सब जगह में दिया, सब सोए हुए थे इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया और अभी हाल में वित्त मन्त्री ने थोड़ी मदद कर दी है। प्रधान मन्त्री कल या परसों वहां गए तो इन्होंने 180 करोड़ रुपया दिया जिसमें से 175 करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना के लिए और पांच करोड़ रुपया बेरोजगारी दूर करने के लिए है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल अन्न और चारे की है। लेकिन जवाहर रोजगार योजना का पैसा अपने ढंग से खर्च होगा और चारे के लिए अलग से देना चाहिए था। जहां 1254 करोड़ की मांग है तो सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए दिए हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है यह इसलिए ऐसा हो रहा है कि बिहार पिछड़ा रहे और खासकर बिहार को सबक सिखाना है इसलिए सबक सिखाना है कि उसको उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। बिहार के विकास को रोककर, भूखा मारकर और पानी के बिना छटपटाकर रख सकते हैं। प्राकृतिक विपदा कोष से भी बिहार का कोटा कम कर दिया गया है। आप रख सकते हैं, लेकिन हम घास की रोटी खा सकते हैं, भूख से लोग आधा पेट खाकर भी रह लेंगे, केन्द्र सरकार के इस रवैया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस भविष्य में हो सकता है जो अभी एक सीट जीतकर आए हैं, वह भी नहीं आए बिहार में।

नार्थ बिहार की जमीन काफी उपजाऊ है। लेकिन उसमें तीन समस्याएं हैं। एक बाढ़ की, दूसरी वाटर लॉगिंग और तीसरी सिंचाई का अभाव। नेहरू जी की प्रेरणा से गण्डक और कोसी योजना सिंचाई की बनी और काम शुरू हुआ। तृतीय योजना के प्रारम्भ में इनका काम शुरू हुआ और छठी योजना के अन्त में योजना आयोग ने यह कह कर इसका काम रोक दिया कि इसको अगले फेज में शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक वह अगला फेज नहीं आया। गण्डक सिंचाई योजना अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय है। इनसे 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जमीन सृजित होनी थी, उसमें से 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हो गई है आज जबकि आठवीं योजना चल रही है इसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हम लोग सवाल उठाते हैं तो सिंचाई मंत्री कहते हैं कि पैसा नहीं है। और जगह के लिए पैसे का अभाव नहीं है। इस तरह से आप इन दोनों योजनाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। सारे नार्थ बिहार की आबादी चार करोड़ के करीब है इसे तंग और तबाह करने का काम कर रहे हैं। अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर दें और वाटर लॉगिंग को ठीक कर दें तो 9 लाख हेक्टेयर के करीब जमीन में दो-तीन फसलें उपजा सकते हैं। अगर पानी कहीं गहरा होगा तो वहां मछली पालन भी कर सकते हैं। कम-से-कम 30 लाख टन अनाज प्रतिवर्ष हम आसानी से उपजा सकते हैं। जबकि आप दस लाख टन गेहूं अमरीका से मंगाने के लिए क्या-क्या करते हैं। अपने देश का किसान अपने हाथ से उपजाने के लिए तैयार है तो क्यो नहीं आप गण्डक और कोसी प्रोजेक्ट्स को जो अधूरे पड़े हैं पूरा करते हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्य सो गए हैं।

**सभापति महोदय** : केवल सिंह जी सदन में सोना वर्जित है।

**श्री शिव शरण सिंह** : मैं सरकार और योजना आयोग से कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े भू-भाग को उपेक्षित क्यों रखे हुए हैं, आप इसमें यह काम करा देते हैं, सिंचाई की व्यवस्था और वाटर लॉगिंग ड्रेनेज का तो हम दूसरे प्रांतों को भी खिला सकते हैं। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी, क्या इस सम्बन्ध में अपने जवाब में मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

आजादी प्राप्ति के बाद से ही उत्तरी बिहार की जनता नार्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में हाजीपुर से वैशाली, लालगंज अररोज होते हुए मोतीहारी तक हाजीपुर-नार्थ ईस्टर्न बिहार-वैशाली होते हुए

केसरिया-मोतीहारी रेलवे लाइन खोलने की मांग करती आ रही है। वैशाली जनतन्त्र की जननी है। वहां पर बड़े-बड़े राष्ट्रपति और नेता लोग गए। आम जनता ने मांग की तो आश्वासन मिला। अब हम लोग जब मांग करते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है। सारे देश के लिए पैसा खर्च हो रहा है लेकिन यहां के लिए नहीं। यह पिछड़ा इलाका है। इस क्षेत्र से अभी तक जितने सांसद हुए हैं, उस क्षेत्र के लिए इस लाइन के लिए मांग की है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे बढ़कर क्रूरता और क्या हो सकती है? इस रेलवे लाइन को शीघ्र खोला जाए।

सभापति महोदय, अब रही बात पटना में गंगा नदी पर दिग्घा पहलेजाघाट पर रेलवे पुल बनाने की। बिहार सरकार ने लिखकर दिया जांच हुई लेकिन अभी तक नहीं बना है। इस पुल के बन जाने से पूर्वी उ० प्र० और उत्तर बिहार लाभान्वित होगा लेकिन जिस कार्य से बिहार को लाभ पहुंचने वाला हो, वह काम करना ही नहीं है केन्द्रीय सरकार द्वारा। साथ ही बिहार सरकार ने 6 नई चीनी मिलें खोलने के लिए लिखा, वह मामला भी लम्बित पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जहानाबाद में एक मिनिस्टर गए थे और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। हम कैसे कहें कि वे ठीक बोल रहे हैं लेकिन यह बात सत्य है कि उनके कार्यालय में लम्बित है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, उत्तर बिहार का अधिकतर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां कोई नया उद्योग नहीं खोला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार की इस तरीके से उपेक्षा न करें। बिहार वही राज्य है जहां आजादी की लड़ाई में सबसे आगे हम रहे सबसे और वहीं महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि बनाई थी। वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पर महावीर तीर्थंकर ने जन्म लिया और आज उसको उपेक्षित रखा जा रहा है। इससे न देश का भला होने वाला है और न ही रूलिंग पार्टी का भला होने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश हित, बिहार हित और जनता हित में इन समस्याओं के समाधान के लिए आप विचार करें अन्यथा बिहार की जनता का स्वभाव आप जानते हैं। बिहार के लोग बड़े जिद्दी होते हैं जो बात ठान लेंगे, उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको तो उनका दिल ही जीतना चाहिए। उपेक्षा से वोट नहीं मिलने वाला है। जो वोट आपका होगा, वह भी खराब होगा। अभी बाई-इलेक्शन आ रहा है। क्या होने वाला है? मैं उम्मीद करता हूं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। यह टैक्स का पैसा बिहार की जनता भी देती है लेकिन उनके पैसे को उनके हित में खर्च नहीं करना पूर्ण अन्याय है।

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे थोड़ा समय दिया। मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत बात न रखकर आम जनता की भावनाओं को यहां रख रहा हूं। इस भावना के द्वारा लोगों में बजट से निराशा फैली हुई है—चाहे रेल बजट हो या आम बजट हो। रेलवे से भी बिहार तबाह हुआ है, उनमें घोर निराशा व्याप्त है। आम बजट का मैंने वर्णन कर दिया है। ऐसी स्थिति में कोई भला आदमी, देशप्रेमी, जनप्रेमी, जिसके दिल में समाजवाद और गरीबों के लिए कोई जगह होगी, कैसे इसको मंजूर करने की बात करेगा?

इसलिए मैं तमाम लोगों से अर्ज करता हूं कि इस बजट को, जो जनता विरोधी बजट है, आम जनता के खिलाफ है और मुट्ठी भर अमीरों के पक्ष में है, नामंजूर कर दीजिए और मनमोहन युग का खात्मा कीजिए।

[अनुवाद]

**श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** (अमरावती) : मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं।

महोदय, एक बार अमरीका के राष्ट्रपति ट्रूमेन ने सार्वजनिक रूप से यह मांग की थी कि उनके इर्द-गिर्द केवल एक ठोस विचारधारा के अर्थशास्त्री होने चाहिए क्योंकि उस समय के अर्थशास्त्रियों के विचारों में मतैक्य नहीं था, कोई एक बार एक बात कहता तो दूसरी ओर दूसरा विचार व्यक्त करता और इस तरह देश अन्धकारमय स्थिति को जा रहा था। हमारे प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव ने डा० मनमोहन सिंह को अत्यन्त नाजुक और महत्त्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी सौंपकर ठीक ही किया, क्योंकि उनके जहन में डा० सिंह की एक अर्थशास्त्री के रूप में एक निष्कपट निश्छल, त्रुटिहीन और व्यवसायिक दक्षता की छवि बनी हुई थी। देश की खुशहाली के लिए डा० सिंह ने असमंजसता का रवैया नहीं अपनाया बल्कि अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और स्पष्ट धारणा, और अटल विश्वास को अपनी व्यवहारिक नीतियों एवं प्रस्तावों में कार्य रूप देने हेतु ठोस रवैया अपनाया।

महोदय, निसन्देह उनकी दार्शनिकता भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में तेजी लाने की ओर प्रवृत्त है ताकि उसका विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकार हो सके और भारत अपने आकार क्षमता और संसाधनों से विश्व अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा कर सके।

महोदय, यदि आप बजट पर नजर डालें—मैं इसके प्रत्येक पहलू पर नहीं जाऊंगी—केन्द्रीय योजना में 32 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है अर्थात् यह 1992-93 में 48,407 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 63,936 करोड़ कर दिया गया है। इससे हमारी स्थिति बेहतर हो गई है। निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। मैंने पूर्व वक्ताओं की टिप्पणियां सुनी हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में यह तथ्य लाना चाहूंगी कि आवंटित परिव्यय का 62 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास के लिए नियत की गई है। 62 प्रतिशत राशि जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित की गई है। इससे हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी हटाने में काफी सहायता मिलेगी। मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, अब वह एक अंक में रह गयी है। जहां तक बजट का सम्बन्ध में है यह एक उत्साहवर्धक पहलू है। तथापि महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परिवार कल्याण के लिए आवंटन 1000 रुपए से बढ़ाकर केवल 1270 करोड़ रुपए ही किया गया है अर्थात् इसमें मात्र 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि इस शीर्ष के अन्तर्गत समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। विद्युत और सड़क के सम्बन्ध में यह वृद्धि मात्र 22 प्रतिशत की है जोकि बहुत कम है।

महोदय, आप जानते ही हैं और मैं समझती हूं कि सभा भी इस तथ्य से अवगत होगी कि हमारी जनसंख्या प्रतिवर्ष 17 मिलियन की दर से बढ़ रही है जो वृद्धि कि आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। अतः हम भारत में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया जोड़ रहे हैं और हमें देश में मौजूदा सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके जीवनयापन और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार, महोदय, मैं समझती हूं कि हमारी अधिकांश समस्याएं जनसंख्या विस्फोट से पैदा होती है जिसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्रदूषण बढ़ने लगता है तथा ऊर्जा तथा अन्य अभावों की समस्या पैदा होने लगती है। अतः हमारे बजट को इस मूल अवधारणा को लेकर चलना चाहिए।

**4.00 म० प०**

मैं देखती हूं कि इसमें हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने का कोई उल्लेख नहीं है जोकि जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। इसी से जीवन-यापन का स्तर बढ़ता है, जीवन के मूल्यों की अभिवृद्धि होती है। इसलिए जनता में जन्मदर मे कमी लाने हेतु जागरुकता लाने के लिए तत्काल, संगठित प्रयास किए जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके तथा इस तथ्य को सभी के नेतृत्व का समर्थन मिलना चाहिए।

यदि हम चीन और सिंगापुर के अनुभव से कुछ सीख सकते हैं तो मैं समझती हूं कि इस देश को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि यह कैसे हुआ। अतः यहां मैं सभी विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के सदस्यों से अपील करती हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जन-संख्या विस्फोट की समस्या को अपने सर्वप्रथम राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लेना चाहिए, इस संबंध में किसी प्रकार का राजनैतिक विवाद नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गत वर्ष नेपाल में बाल कल्याण के सम्बन्ध में 'सार्क' सम्मेलन हुआ था जिसमें कुछ सांसदों ने भाग लिया था। तीन संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल की मैं भी सदस्य थी। दो सदस्य लोक सभा से थे और एक राज्य सभा से। बाल कल्याण संबंधी विषय पर चर्चा होनी थी। उस सम्मेलन में भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर चर्चा हुई थी और उस समय सभी देशों ने एकमत से प्रस्ताव पारित किया था कि यदि हम बाल कल्याण चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने-अपने देश मे जनसंख्या नियन्त्रण पर ध्यान दें, और पाकिस्तान तथा बंगलादेश सहित सभी देशों ने इस बात का समर्थन किया था।

बजट क्यों बनाया जाता है। बजट मात्र मौजूदा समस्याओं—जैसे अधिक आवास सुविधायें प्रदान करने, अधिक सुविधाएं देने, अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए ही नहीं बनाया जाता, इसे समस्याओं का समाधान भी करना होता है—यह समस्या गरीबी की हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि इस देश की मुख्य समस्याओं में से एक है, जिसे हमारे बजट में सही ढंग से नहीं लिया गया है। मैं चाहती हूं कि बजट में इस समस्या पर भी गौर किया जाना चाहिए, जनसंख्या का आकार क्या है और इस प्रयोजन के लिए बजट में कितना आवंटन किया जा रहा है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को हमारे देश की आर्थिक स्थिति के प्रति अपराध समझा जाना चाहिए।

मैंने इस सभा में गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी विधेयक भी पुरःस्थापित किया है। यदि हमें सभा में इस पर चर्चा करने का अवसर मिला तो मैं इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करूंगी।

राष्ट्रीय आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ राज्य सरकारों के समाकलन तथा केन्द्र और कुछ राज्य सरकारों द्वारा परस्पर विपरीत रवैया अपनाने की क्षीण सम्भावना का जहां तक प्रश्न है राज्य सरकारें सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के मामले में पिछड़ रही है यह बहुत बुरी बात है। इससे भी बदतर स्थिति उस क्षति से उत्पन्न होती है जो वे वित्तीय मानदण्डों, विवेक अथवा प्राथमिकताओं के प्रति पूर्ण अवमानना का रवैया अख्तियार करके करते हैं, एवं जो क्षति व्यापक भ्रष्टाचार; राज्य के सरकारी उपक्रमों के अकुशल कार्यकरण, नौकरशाही के दबदबे, और जनता के कल्याण की कीमत पर राजनीति खेलने से होती है।

केन्द्रीय आवंटित धनराशि को अन्यन्त्र विकासेतर प्रयोजनों में लगाया जाना एक नियमित पहलू बन गया है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई धनराशि को अनुत्पादक प्रयोजनों में लगा रही हैं। वर्ष 1990-91 में हरियाणा ने सड़क और पुलों के निर्माण के बजट में 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था लेकिन इस प्रयोजनार्थ 55 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं किया गया जबकि यह आवंटन केन्द्र सरकार ने किया था।

**4.03 म०प०**

**(श्री तारासिंह—पीठासीन हुए)**

पश्चिम बंगाल ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए प्रयोग कर लिया। इस प्रकार जब राज्य सरकार किसी योजना विशेष के लिए धनराशि का प्रावधान करती है, और यह धनराशि राज्य के पास जाती है तो राज्य उक्त धनराशि को अन्यत्र अनुत्पादक प्रयोजनों में लगा देता है। इस बारे में केन्द्र सरकार क्या करने जा रही है? और केन्द्र सरकार को धनराशि आवंटित करते समय उक्त तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने निर्यात को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है ताकि हमारे देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति सुधर सके और हमें निरन्तर वित्तपोषण की व्यवस्था विदेशों से न करनी पड़े।

इस प्रकार अपने भाषण में आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए केवल यही एक सार्थक मार्ग बताया और उन्होंने इसके लिए एकीकृत विनिमय सहित कई तरह की शुरूआत की, सुविधाएं प्रदान की। अतः जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है यह एक सुधार का प्रतीक है।

लेकिन हमारा निर्यात, यदि हम वास्तव में विस्तार में जाएं, मुझे पता चला है कि इस देश की निर्यात क्षमता 2000 ईस्वी तक 50 बिलियन डालर से 60 बिलियन डालर तक पहुंच सकती है जोकि इस समय मात्र 19 बिलियन डालर है, इसके लिए हमें अपनी ज्ञात निर्यात क्षमता जैसे वस्तु, चमड़ा, हीरे जवाहरात और अपने अन्य कृषि व्यवसाय की अप्रत्यक्ष क्षमता का पूरा दोहन करना पड़ेगा। हमारी सरकार को इन औद्योगिक क्षेत्रों पर अधिकाधिक बल देना चाहिए जिससे हमारे देश का वस्तु, और चमड़ा उद्योग बढ़े हीरे-जवाहरात और कृषि क्षेत्र समृद्ध होवे ताकि हम 2000 ईश्वी तक प्रतिवर्ष 50 से 65 बिलियन डालर तक का निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकें और हमारे देश में यह क्षमता उपलब्ध है जिसे हम वास्तविक रूप से हासिल कर सकते हैं।

वर्तमान समय में हमने विकास दर 95 प्रतिशत निर्धारित की है लेकिन हमें 14 प्रतिशत तो हासिल करना ही चाहिए हमारे देश का यह लक्ष्य होना चाहिए और यदि हम वास्तव में ऐसा कर सकें तो अपनी सीमाओं के अन्दर इस लक्ष्य को हासिल करना सम्भव हो जाएगा।

जहां तक इस निर्यात का सम्बन्ध है हमें दो बातों पर गौर करना चाहिए। हमें चुनिंदा उच्च मूल्य की मदों को बढ़ावा देना चाहिए और उनसे पर्याप्त प्रतिफल हासिल करना चाहिए।

इस समय छोटे मध्यम और बड़े 2 लाख निर्यातक हैं। वे निर्यात प्रदिदृश्य को संकुल बनाए हुए हैं।' इसमें भारी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता और आप यह देखेंगे कि निर्यात में कोई समरूपता तथा यथोचित माध्यम नहीं अपनाया जा रहा है। इस प्रकार यदि भारत सरकार तथा इसके अन्य प्राधिकारी इस बात पर गौर करने का प्रयास करें तो बहुत लाभदायक स्थिति सामने आएगी क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां लघु औद्योगिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं। इसलिए जहां तक निर्यात का संबंध है, यदि लघु औद्योगिक क्षेत्र को हर तरफ से सहायता की जाए तो इससे वांछनीय लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि छोटे, मध्यम और बड़े सभी निर्यातक हर तरह से असमंजसता की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, वे बड़े अस्त-व्यस्त तरीके तथा व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और यदि हम इस प्रयोजनार्थ एक सहकारी संघ अथवा अन्य संघ क्षेत्र स्थापित कर लें तो इससे यह कार्य उत्साह-वर्धक और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।

जहां तक सहकारी संस्थाओं का प्रश्न है जैसाकि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया था। मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश में-विभिन्न प्रकार की लगभग 3,53,000 सरकारी संस्थाएं हैं जिनके 160 मिलियन लोग सदस्य हैं और इस सहकारी क्षेत्र में 7,00,000 मिलियन रुपए से अधिक कार्यपूंजी लगी हुई है। इस प्रकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने अहम भूमिका अर्जित कर ली है और इस प्रकार ये संस्थाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अंग बन गई हैं।

मैं सहकारी क्षेत्र के बारे में कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जहां तक इसमें कृषि संबंधी वित्त पोषण की बात है, यहां विभिन्न एजेन्सियों के होते हुए भी 40 प्रतिशत वितरण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उर्वरक का वितरण भी सहकारी क्षेत्रों से किया जाता है।

महोदय, हमारे देश में सहकारी क्षेत्र में चीनी का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है। हमारे देश में चीनी उद्योग द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है मैं उनसे भलीभांति अवगत हूं। हाल ही में हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें संसद सदस्य भी उपस्थित थे। अत: जो 160 लाख टन का लक्ष्य सरकार ने देश के लिए निर्धारित किया है उसके लिए 30 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो आपको नए चीनी कारखानों के लिए संस्थागत वित्त पोषण करने की जरूरत पड़ेगी जिनके संबंध में पिछले तीन सालों से कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार ने लाइसेंस दिए हैं। उन्होंने अपनी शेयर पूंजी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने योगदान दिया है। उनमें से कुछ ने मशीनों के लिए भी आदेश जारी किए हैं, एक किश्त भी अदा की जा चुकी है और अब उनके पास धन की बहुत कमी पड़ रही है।

हाल ही में हमारी एक बैठक हुई थी। उनका कहना है कि लगभग 60 या 70 चीनी कारखानों के लिए अनुमानत: 2000 करोड़ रुपए के संस्थागत ऋणों की आवश्यकता पड़ेगी।

वे केवल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान कर पाये हैं। मैं यहां यह भी जिक्र करना चाहता हूं कि चीनी उद्योग ने विश्व में भारत के लिए नाम कमाया है। यह विश्व के अग्रणी उद्योगों में से एक है, इसमें निर्यात की क्षमता है तथा यह एक औद्योगिक आधार भी प्रदान करता है। यह एक ऐसा उद्योग है जोकि कृषि पर आधारित है तथा इसमें दो एकड़ भूमि रखने वाला किसान भी

चीनी कारखाने का मालिक बन जाता है। वह देश के ग्रामीण औद्योगिकरण के नेटवर्क में शामिल हो जाता है और मैं नहीं जानता कि इस उद्योग पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है।

इसी दुग्ध-उद्योग, आवास, मत्स्यपालन, उपभोक्ता, वस्त्र, सार्वजनिक वितरण जैसे अनेक उद्योग हैं जिनमें सहकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना ठोस योगदान देने के बावजूद योजना आयोग ने विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं की अनदेखी की है। पिछले पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में सहकारी क्षेत्र का उल्लेख एक अलग ही अध्याय पर होता था। लेकिन जहां तक देश में सहकारिता आन्दोलन का संबंध है इस समय इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। यहां तक कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में सहकारी क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंकों की पुनर्स्थापना के लिए 5700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सहकारी-ऋण संस्थायें कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत उन्हें देय धनराशि जारी न किए जाने की वजह से लगातार नुकसान उठा रही है। हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की समस्याओं पर ध्यान न देने के संदर्भ में यह एक अन्य उदाहरण है।

अधिक सरकारी नियंत्रण, कठोर और प्रतिबन्धक सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी विधि निर्माण, व्यवसायिक प्रबन्धन का अभाव और सदस्यता मे विमुख रखना जैसी कुछ अन्य समस्यायें हैं जो निरन्तर सहकारी क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। भारत सरकार का आदर्श सहकारिता कानूनों को अपनाने के संबंध में पहल करने और अनुरोध करने के बावजूद राज्य सरकारें सहकारिता सम्बन्धी कानूनों और विनियमनों के लोकतन्त्रीकरण के प्रति लगातार ही उदासीन रवैया रखे हुए हैं।

मुझे याद है कि जब मैं संगठित सहकारी बैंक और ऋण-समितियों के राष्ट्रीय संघ का निदेशक था तो कुछ अन्य निदेशकों और संसद सदस्यों के साथ वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह से मिलने गया था। उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी थी लेकिन किसी प्रकार की सरकारी अथवा वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आश्वासन देने की बजाय सहकारी क्षेत्र में जो क्रमबद्ध अन्तर चलना आ रहा है उसे पाटने हेतु एक भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव अभी तक वित्त मन्त्रालय में लम्बित है। अतः नये आर्थिक सुधारों सम्बन्धी इन सिद्धान्तों के प्रति इस तरह का रवैया अच्छा नहीं है।

जहां तक कराधान की बात है, चेलैया समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस बात का जिक्र वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था। ये सिफारिशें ज्यादातर निजी क्षेत्र उद्योगोन्मुख हैं और इनमें सहकारी संस्थाओं के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

चेलैया समिति ने अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं को कराधान कानून के जाल में लाने के लिए कुल मिलाकर परस्पर आदान-प्रदान और सहकारिता कार्यों के विचार को ताक पर रख दिया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सहकारी संस्थाओं पर कराधान संबंधी किसी भी प्रस्ताव को बनाने से पहले सहकारी क्षेत्र मे भी परामर्श किया जाए और इसकी अवहेलना न की जाए।

मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सहयोग वाली यह व्यवस्था लोकतन्त्र, समानता और समभाव जैसे ऐसे मानव मूल्यों पर आधारित हैं जो कि राष्ट्र की शक्ति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

एक मजबूत, सक्रिय और आत्मनिर्भर सहकारी आन्दोलन एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए अनिवार्य हो जाता है।

मुझे याद है कि एक अन्य माननीय सदस्य ने सहकारी कृषि की बात की थी जोकि इस देश में कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। आप इसे सहकारी क्षेत्र में ला सकते हैं या आप इसे संयुक्त क्षेत्र में भी रख सकते हैं। हमने विभिन्न कृषकों को 2 एकड़, तीन एकड़, पांच एकड़ भूमि काश्तकारी कानून के अन्तर्गत वितरित की है जोकि जहां तक खेती का संबंध है वास्तव में एक व्यवहार्य बात नहीं है। इसे लोगों को भूमि देने के बाद, जिनके पास कुछ भी बोने के लिए नहीं है या जिनके पास भूमि में कृषि करने हेतु कोई आदान नहीं है, यह भूमि बंजर रह जाती है।

सहकारी कृषि व्यापार संघ के बारे में भी कहा गया था। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस प्रकार का एक संघ छोटे किसानों के लिए होगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप यदि वास्तव में इसे बहुत लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो जहां तक इस देश में कृषि की बात है उसके लिए यह आवश्यक है कि हम इसमें बहुत ही आमूल परिवर्तन लायें। मैं नहीं जानता कि इस कृषि व्यापार संघ का क्या हुआ है। मुझे बताया गया है कि यह फाईल एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच झूम रही है। मंत्रालयों के मध्य समन्वय का अभाव है जोकि ऐसे कार्य के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। हम अपने प्रशासन में कैसे सुधार लायेंगे ? और यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि परिव्यय इतना अधिक बढ़ाने के बाद यही तन्त्र योजनायें कार्यान्वित करता है और यदि इस तन्त्र में सुधार न लाया जाए, इसे शक्तिशाली न बनाया जाए, कमियां दूर न की जायें तो जहां तक विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की बात है हमें कैसे सफलता हासिल होगी।

महोदय, अन्ततः मैं औद्योगिक नीति के उदारीकरण पर कहूंगा। निःसंदेह हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक इस देश के औद्योगिक विकास की बात है हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वदेशी उद्योगपतियों द्वारा कई वर्षों से लगाया गया था उनके प्रयास श्रम और उद्यम नये निवेशकों के ज्यादा धन लगाने की वजह से बेकार न हो जाएं और जो कुछ भी इन लोगों ने किया है वह बर्बाद न हो जाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन स्वदेशी उद्योगपतियों को जिन्होंने इस देश के औद्योगीकरण के लिए काफी कुछ किया है इस नयी नीति के कारण नुकसान न उठाना पड़े।

एक उद्योग ऐसा है जिसकी कीमत में कुछ परिवर्तन आया है। 'पी०वी०सी० रेजिन' को लीजिए। पहले आधारभूत मूल्य 25 रुपये प्रति किलो था और बजट के बाद अब 26 रुपये प्रति किलो है। उत्पाद शुल्क की दर 46 रुपये थी, वह अब 35 रुपये है। लेकिन अन्ततः इससे बड़े उद्योगों को ही फायदा हुआ है। लघु उद्योग इसे अपने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए आधारभूत मूल्य 56·28 रुपये था और बजट के बाद भी यही है। लेकिन जहां तक उत्पाद शुल्क की दर की बात है यह 17·25 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है। अब उन्हें यह कच्चा माल ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ेगा और ये सभी लघु उद्योग हैं अतः इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

अब चूंकि हमारी उद्योग संबंधी उप-समिति भी है अतः हम अपने विचार भी यहां रखेंगे। यह केवल एक उदाहरण है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**4.19 म०प०**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

### (दो) इंडियन एयर लाइन्स की उड़ान संख्या आई०सी०-491 का औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : महोदय, बहुत ही दुःख के साथ मुझे सभा को एक बहुत ही दुखद सूचना देनी है कि आज 1·05 बजे उड़ान संख्या आई०सी०-491 औरंगाबाद से उड़ान भरने के तुरन्त बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस उड़ान का मार्ग दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-मुम्बई था। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक इंजन में आग लग गई जिसके कारण यह काला हो गया और उतरने की कोशिश की परन्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक जहाज के 6 कर्मचारी और 12 यात्री जीवित बताए गए हैं तथा इस दुर्घटना में मारे गए अन्य लोगों को खोजने का कार्य जारी है। दो बजकर चालीस मिनट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में कम-से-कम 40 लोगों की मृत्यु हुई है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिण दिल्ली) : टेलिप्रिंटर पर 112 आ गया है, अखबार वालों को पहले मालूम पड़ गया है।...**(व्यवधान)** आप कितने सीरियस हैं...**(व्यवधान)**

**श्री राजेश पायलट** : हल क्रियू मैम्बर्स और 12 पैसेन्जर्स एलाइव हैं।...**(व्यवधान)**

**डॉ० एस०पी० यादव** (सम्भल) : सदन को गुमराह न करें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री राजेश पायलट** : सरकार को अपने स्रोतों से जो जानकारी हासिल हुई है मैं वह आपको देना चाहता हूं। **(व्यवधान)** इंडियन एयरलाइन्स का एक हवाई जहाज जिसमें 112 यात्री थे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है वह भिन्न है। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें 112 यात्री थे और 6 जहाज के कर्मचारी थे। इनमें से कर्मचारी बच गए हैं और 12 यात्री भी बच गए हैं। लेकिन इस बीच ढूंढ़ खोज चल रही है और अब तक 40 शव बरामद हुए हैं। अतः अन्य सम्बन्धित कार्य भी चल रहे हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि कितने जीवित बचे हैं और कितनों की मृत्यु हुई है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो कुछ भी जानकारी मुझे मिलती है वह मैं सदन को दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री तेजसिंह राव भोंसले** (रामटेक) : इसमें फॉरेन टूरिस्ट कितने थे। **(व्यवधान)**

**श्री राजेश पायलट** : इसकी डिटेल अभी नहीं हैं। जैसे ही डिटेल आएगी और जब तक हाउस बैठा है, तो हम हाउस को बताते रहेंगे। (**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री नागर विमानन सचिव के साथ मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए औरंगाबाद गए हैं।

---

## (तीन) इंडियन एयर लाइन्स की संख्या आई० सी०-427 का 24 अप्रैल, 1993 को अपहरण

**[अनुवाद]**

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : माननीय सदस्य दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को हुए इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई० सी० 427 के अपहरण से अवगत हैं।

विमान ने 13.57 बजे दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। 14.43 बजे हवाई यातायात नियन्त्रण दिल्ली को एक संदेश प्राप्त हुआ कि विमान का अपहरण कर लिया गया है और वह काबुल की ओर जा रहा है। विमान में सवार एक यात्री ने, जिसने अपने को सैयद सलाउद्दीन बताया, दावा किया कि उसके पास पिस्टलें और एक हैंड ग्रेनेड है और उसने मांग की कि उड़ान को काबुल ले जाया जाए। लाहौर के हवाई यातायात नियन्त्रण ने विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। विमान अन्ततः 15.20 बजे अमृतसर में उतरा जहां अपहरणकर्त्ता ने समस्त कमी दल और यात्रियों को बन्धक बना के रखा और ईंधन भरवाने की मांग की ताकि विमान काबुल के लिए उड़ान भर सके। विमान में 141 व्यक्ति सवार थे, 125 यात्री, 9 शिशु और 6 कर्मीदल के सदस्य।

मंत्रिमंडल सचिवालय में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और दिल्ली हवाई अड्डे की केन्द्रीय समिति को सक्रिय किया गया तथा अमृतसर से संपर्क स्थापित किया गया, जहां जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहुंच चुके थे और बातचीत शुरू कर चुके थे। पंजाब पुलिस के महानिदेशक को अमृतसर के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा गया जहां वे लगभग 18.00 बजे पहुंचे और उन्होंने बातचीत का सिलसिला अपने हाथ में लिया। अपहरणकर्त्ता के साथ लम्बे समय तक बातचीत हुई किन्तु वह विमान को काबुल ले जाने की अपनी मांग पर अड़ा रहा। अपहरणकर्त्ता ने चेतावनी के रूप में एक गोली भी चलाई जो विमान की बाडी को भेद निकल गई।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सी०एम०जी०) ने अमृतसर में वार्ता-दल की बातचीत जारी रखने की सलाह दी ताकि अपहरणकर्ता थकने लगे। सी० एम० जी० ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमाण्डों को भी हेलीकाप्टरों द्वारा अमृतसर के निकट आदमपुर और फिर वहां से अमृतसर भेजा।

लगातार चल रही बातचीत असफल रही और यह बताने के बावजूद कि काबुल हवाई अड्डा रात्रि प्रचालन के लिए बन्द है और पाकिस्तान सरकार ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर

प्रतिबन्ध लगा रखा है, अपहरणकर्ता अपनी बात पर अड़ा रहा। लगभग 23.00 बजे अपहरणकर्ता ने अन्तिम अल्टीमेटम दिया कि विमान में ईंधन भरवा लिया जाए अन्यथा वह विमान को उड़ा देगा। सी०एम०जी० ने अमृतसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमाण्डों और वार्ता-दल को विमान पर धावा बोलने के लिए ग्रीन सिगनल दे दिया और मौके पर स्थिति के जायजे के आधार पर धावा बोलने का समय सम्बन्धी निर्णय उन्हीं के विवेक पर छोड़ दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा धावा बोलने की कार्यवाही 25 अप्रैल को लगभग 01.00 बजे शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में, किसी यात्री अथवा कर्मीदल के सदस्य के हताहत होने अथवा चोट पहुंचाए बिना विमान को मुक्त करा लिया गया। इसके अलावा विमान को कोई और क्षति भी नहीं पहुंची। विमान में कमाण्डों के अचानक प्रवेश करने पर अपहरणकर्ता पूरी तरह से चकित और स्तब्ध रह गया। विलम्बित प्रतिक्रिया के रूप में, उसने गोली चलाने की कोशिश की परन्तु इससे पूर्व कि वह ऐसा कर सकता, उस पर एन०एस०जी० कमाण्डों द्वारा साइलैन्सर पिस्टल से गोली दाग दी गई, जख्मी हालत में उसे टर्मक पर लाया गया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस के महानिदेशक ने बताया कि जब अपहरणकर्ता को स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन में अंतरित किया जा रहा था उस समय यह पाया गया कि वह अपने जख्मों के कारण मर गया।

अपहरणकर्ता की शिनाख्त अभी नहीं की जा सकी है। उसके पास से दो भरी हुई 9 एम०एम० पिस्टलें बरामद हुई।

दो आपराधिक मामले, एक पंजाब पुलिस द्वारा और दूसरा दिल्ली पुलिस द्वारा, यान-हरण निवारण अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम तथा आयुध अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत रजिस्टर किए गए है। जांच पड़ताल चल रही है।

स्थिति के प्रारंभिक जायजे से यह पता चलता है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी चूक हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक इंस्पेक्टर तथा एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। सरकार ने सुरक्षा सम्बन्धी चूक की जांच के लिए, उसकी सीमा का जायजा लेने के लिए, चूक के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए और उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) द्वारा जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पूरे लक्ष्य, उक्त जांच तथा पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल के पूरा होने के बाद ही सामने आएंगे। तथापि, मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस तरीके और धैर्य से उड़ान के कमाण्डर और कर्मी दल ने इस आपातिक स्थिति को संभाला, सरकार उसकी सराहना करती है। मैं यात्रियों को भी बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने इस अपहरण की यात्रा को पूरे समय धीर तथा शांत रहकर बर्दाश्त किया। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने जिस व्यवस्थित तथा चुस्त कार्रवाई की सर-अंजाम दिया जिससे अपहरण की घड़ियां समाप्त हुई तथा यात्री व कर्मीदल के सदस्य और आगे परेशानी से बच गए, सदन को उससे खुशी हुई होगी।

———

**4.25 म०प०**

## इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई० सी० 427 का 24 अप्रैल, 1993 को किए गए अपहरण के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

**[हिन्दी]**

**श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिण दिल्ली) : इसमें कोई नई चीज नहीं बताई। जो अखबारों के अन्दर आया उसी को कम्पाइल करके बता दिया। सुबह कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि हाईजेकर कहां मारा गया, वह दिल्ली में किस स्थान पर ठहरा, साथ में उसके दो लोग थे उनका क्या हुआ वे कौन थे, जांच कौन-कौन कर रहा है सी०बी०आई० कर रही है या कोई अन्य एजेंसी काम कर रही है। इन्होंने तो कम्पाइल करके बता दिया। यह तो बतायें कि कश्मीर के किस संगठन का था।

**सभापति महोदय** : उन्होंने कहा है कि बतायेंगे।

**श्री हरिकिशोर सिंह** (शिवहर) : काफी गम्भीर मामला है। जहां एस०पी०जी० को बधाई देते हैं जिसने इतना बढ़िया काम किया वहां दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब से पायलट साहब आंतरिक सुरक्षा मंत्री बने हैं देश की दुर्दशा होती चली जा रही है। बड़ी मेहरबानी की कि किसी कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं किया, केवल इंस्पेक्टर को किया है। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा के इंचार्ज हैं डी०सी०पी० उनकी है उनके साथ-साथ आप अपने मित्र कौशल जी को भी यहां से मुक्त करें। यह साधारण मामला नहीं है। मेरे पास एक मशहूर किताब है···

**सभापति महोदय** : उन्होंने कहा है कि जांच करायेंगे।

**श्री हरिकिशोर सिंह** : इस किताब में बताया है कि कैसे डि गॉल की हत्या करने का प्रयास किया गया था, वही सीनेरियो यहां हुआ है। आप चाहें तो वह किताब मैं दे सकता हूं।

फिल्म अवेलेबल है। हमारे दोस्त श्री के०सी० सिंह देव दे सकते हैं। एग्जेक्टली वही हुआ है।

**सभापति महोदय** : सब मैम्बरों को एक-एक दे दो।

**श्री हरिकिशोर सिंह** : सभी मैम्बरों को दे सकते हैं, खासकर राजेश पायलट जी को दे सकते हैं जब हवाई जहाज मे उड़ते हैं और देश की आन्तरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें वह पढ़ा करें। क्या मजाक बना दिया है ? एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। फिर आज दुःखदायी स्थिति यह हुई कि औरंगाबाद में प्लेन एयर क्रेश हुआ है···

**श्री मदन लाल खुराना** : कौन-सी एजेंसी इसकी इंक्वायरी कर रही है ? सुबह यह उन्होंने वायदा किया था कि जो प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर देंगे। अब हम पूछ रहे हैं, केवल 3-4 सवाल पूछे हैं, उनको बताना चाहिए।

**श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : सभापति महोदय, जब यह प्रश्न आज शून्यकाल में उठाया

गया था तो श्री मदन लाल खुराना ने पूछा था और माननीय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा तो उस समय इन्होंने सारे मामले को बता दिया कि जांच के बाद कुछ बतायेंगे। लेकिन एक-एक बात के बारे में कोई सफाई नहीं दी है कि वह आदमी किस प्रकार मरा ?

**सभापति महोदय** : उन्होंने बताया है और कहा है कि गोली लगी है और बाहर ले जाते समय मर गया ''

**श्री मदन लाल खुराना** : बाहर या अन्दर ? यही हम जानना चाहते हैं, उसकी इंक्वायरी आनी चाहि । कौन कर रहा है ?

**श्री नीतीश कुमार** : यह कॉक-टेल स्टोरी बना रहे हैं। यह मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं है।

**सभापति महोदय** : मि० मिनिस्टर आप दो प्वाइंट्स बता दीजिए। एक तो यह है कि डैथ कैसे और कहां हुई और दूसरा इंक्वायरी कौन कर रहा है ?

**श्री राजेश पायलट** : चेयरमैन साहब, यह माननीय सदस्य का अपना मत है या जैसा श्री हरिकिशोर जी ने कहा। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा अब दो बातें श्री मदन लाल खुराना और सभी सदस्यों के मन में थी कि मौत कहां पर हुई ? तो जब कमांडोज अन्दर गए और कमांडो आप्रेशन हुआ तो 6 एमरजंसी एग्जिट हैं, वहां से 6 कमांडो अन्दर एक साथ गए चारों तरफ अंधेरा था जिसने हाईजैक किया था, उसने जानबूझकर विंडो स्क्रीन डलवा दी थी, उस समय डार्कनेस थी। जब कॉकपिट के पास कमांडो पहुंचा तो वह घबराया और उसने अपना हाथ खड़ा करके मारने की कोशिश की, फायर करने की कोशिश की। कमांडो ने उस पर गोली चलायी, गोली उस पर जहाज में चली। जब उसको नीचे लाया गया, लैडर पर वॉक करके गया है, उसके साथ कमांडो भी थे। जब पुलिस को हैंड ओवर किया, तब उसने कुछ बोला भी है, देखा भी है। जब पुलिस वैन में अस्पताल ले गए, उसकी डैथ हो गयी। तो गोली एयर क्राफ्ट में चली थी। उस समय आवाज इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें साईलेंसर फिट था गोली उसको वहीं लगी थी। जब वह ब्लीड कर रहा था, तब कमांडो उसको लेकर आए। उसके कपड़ों पर ब्लैड लगना वहीं शुरू हो गया था। उसने रात में वाकिंग की है, इतना सबने वाकिंग करते देखा है।

अब दूसरा सवाल इंक्वायरी का हो रहा है जैसाकि श्री हरि किशोर जी ने कहा है। इंक्वायरी हो रही है। हमने आज एक यार्डस्टिक लगायी है कि जिसने फ्रिस्किंग की और जो उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज था, उसमें सिक्यूरिटी लैप्सेज कहीं था। इसलिए सिक्यूरिटी सैक्रेटरी ने इन्क्वायरी की है कि अलग से कैबिनेट सैक्रेट्रियट में बैठते हैं। उनका न इस विभाग से सम्बन्ध है, न दूसरे विभाग से संबंध है। उनसे इन्क्वायरी करा रहे हैं। जो दोषी पाया जाएगा या जो लैप्सेज इन्क्वायरी महसूस करेगी—कौन सब्जैक्ट्स हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वह किताब पढ़कर जरूरत पड़े या फिल्म की जरूरत पड़े, यह बात पढ़ते रहते हैं। हम और आप पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हैं कि पूरे 100 साल के लिए प्लान कर सकें या यह भी नहीं कि 100 साल में लैप्सेज नहीं हो सकते हैं। हम सब इस बात को देखकर—जहां-जहां लैप्सेज हुए हैं, क्यों हुए हैं—उसमें सही

ढंग से सरकार की ओर से सख्त कदम उठाएंगे। जहां तक श्री हरिकिशोर जी कह रहे हैं कि आन्तरिक सुरक्षा बिल्कुल बिगड़ गयी है तो। आप बहार से बिहार की बात कर दिया करें। (व्यवधान)...

**श्री मदन लाल खुराना** : किस-किस एजेंसी को इन्वॉल्व किया है ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : यह जो इन्क्वायरी करने की बात है, उस इन्क्वायरी का एक पहलू मैं पूछना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सवेरे एक प्रश्न उठाया था कि गंभीर बात यह है कि सिक्यूरिटी लैप्स तो हुआ ही है वह निर्विवाद है, उसकी इन्क्वायरी आप करा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपने उठाया था कि यह जो हाइजैकर था उसने दिल्ली से हाइजैकिंग का काम किया। श्रीनगर से भी किया होता तो मैं समझता। वह दिल्ली कैसे पहुंचा, दिल्ली में क्या उसके गिरोह के और लोग भी थे जिन्होंने उसकी मदद की।

**श्री राजबीर सिंह** (आंवला) : उसके पैर में प्लास्टर किस डॉक्टर का था और वह रिवॉल्वर कैसे अंदर गया ?

**श्री मदन लाल खुराना** : यह सिक्यूरिटी से अलग पहलू है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी भी इन्क्वायरी आप कराएंगे ? क्योंकि देश में यह भावना फैल रही है कि अब प्लेन में चलना मुश्किल है।

**सभापति महोदय** : अब इतनी मेहनत के बाद जो केस रजिस्टर हुआ है वह सिर्फ एफ०आई०आर० लिखने के लिए नहीं हुआ है। उसकी इन्क्वायरी करने के लिए हुआ है। उसकी इन्क्वायरी हो रही है।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। (व्यवधान) हर एक सदस्य को बोलने की अनुमति मिली है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता ? (व्यवधान) मैं इस वक्तव्य का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसमें योजना के बारे में और कुछ भी नहीं बताया गया है। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : यह अनुयोग समाप्त नहीं हो सकता।

**(व्यवधान)**

**श्री अमल दत्त** : इस षडयंत्र के पीछे जो योजना थी, उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। (व्यवधान)

महोदय, मुझे बोलने दीजिए। आपने उनको बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** : जो सिक्यूरिटी का इंचार्ज है उसके ऊपर आपने ऐक्शन नहीं

लिया है। पूरी जिम्मेदारी किसकी है ? यह सिक्यूरिटी ऐजेन्सीज का टोटल फैल्योर है। वह कई दिनों तक दिल्ली में रहा है। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : देखिए, यहां क्लैरिफिकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। चूंकि इन्होंने सुबह कहा था और आपने कहा था दो तीन पॉइंट हैं तो मैंने पूछने के लिए इजाजत दी।

**श्री मदन लाल खुराना** : सभापति जी, जांच कब तक पूरी होने वाली है यह हम जानना चाहते हैं। ... (व्यवधान) सभापति जी, होता यह है कि जिस समय घटना होती है तो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं मगर दस दिन के बाद शांत हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जांच के लिए कोई टाइम लिमिट है या नहीं ? लोगों के सामने बात आनी चाहिए। उसकी कोई टाइम लिमिट बांधिए।

**श्री राजबीर सिंह** (आंवला) : हम यह जानना चाहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री कब बरखास्त हो रहे हैं। इनके आने के बाद से बराबर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आप बरखास्त हो जाइए तो सब ठीक हो जाएगा।

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त** : हम जो बात जानना चाहते हैं वह बहुत ही साधारण सी बात है। महोदय; प्रत्यक्ष रूप से यह विशेष घटना योजनाबद्ध थी। अब हम इसलिए उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि इस अपहरणकर्त्ता के मारे जाने से योजना से संबंधित—इसके पीछे किन लोगों का हाथ है—जांच में बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि ऐसा ही हुआ होगा। अब, मंत्री जी यह आश्वासन दें अपहरणकर्त्ता की मृत्यु से इस घटना से संबंधित योजना एवं षड़यन्त्र की जांच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हम मंत्री जी से इसी बात का आश्वासन चाहते है, क्योंकि जांच की अवस्था/स्थिति से अब यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्या इस जांच से उनको इस षड़यन्त्र में शामिल किसी व्यक्ति का पता चलेगा जिससे उनको जानकारी मिल सकती है। हम मंत्री जी से यह आश्वासन चाहते हैं।

**श्री राजेश पायलट** : सभापति महोदय, मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा यह था कि जांच समयबद्ध होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यगण के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे मामलों में हमको समयबद्ध जांच करवानी चाहिए ताकि कार्रवाई शीघ्र की जा सके क्योंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई में विलम्ब होने से वांछित परिणाम नहीं निकलते हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसकी जांच का आदेश दिया गया है।

मैं अपने सहयोगी गुलामनबी जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस जांच के लिए समय सीमा रखें और इस घटना की समयबद्ध जांच कराए।

दूसरा मुद्दा, इस अपहरण के पीछे के संबंधों, योजना एवं उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के बारे में उठाया गया है। सुबह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि यह एक गम्भीर मामला है। यह एक गम्भीर विषय है और इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस घटना की जांच सचिव (सुरक्षा) के करवा रहे हैं जिनकी बाहरी और आन्तरिक अभिकरण तक

पहुंच हैं। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ताकि सरकार को पूरी तरह से यह पता चले कि वह कहां पर ठहरा था, कैसे ठहरा था, उसने क्या योजना बनाई और योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था क्योंकि निश्चित रूप से यह पूरी योजना के साथ की गई है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे दिल्ली-हैदराबाद विमान अपहरणकर्त्ता ने किया था वैसे किसी ने कोई दूसरी चाल चली है। यह निश्चित रूप से योजनाबद्ध अपहरण का मामला है। इससे सच्चाई को मालूम करने का मौका मिलेगा। इसलिए सचिव (सुरक्षा), जोकि कैबिनेट सचिव के अन्तर्गत आते हैं, को इस घटना की जांच का कार्य सौंपा गया है। इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : सभापति जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन जब सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है तो मैं भी एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूं। आमतौर पर ऐसे मामलों में हाईजैकर कुछ शर्तें रखते हैं। वह जहाज को काबुल ले जाना चाहता था। क्या उसने बीच में कुछ शर्तें बतायीं या वह स्वयं काबुल जाकर उतर जाना चाहता था। वह व्यक्ति कौन था। क्या उसके साथ कुछ और सहयोगी भी थे ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। यहां मारने पर आपत्ति हुई है या मारने पर प्रश्न उठाए गए हैं, उसके मूल में यही आशंका है कि अगर वह व्यक्ति मर गया है तो उससे पूछताछ करके जो तथ्य निकाले जा सकते थे, अब वे नहीं निकाले जा सकते लेकिन अखबारों में यह खबर भी आयी थी, सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि हमें अखबारों पर निर्भर रहना पड़ता है, कि बहुत से पैसेंजर बिना सामान के गए थे, जिनका पता ठीक नहीं है। क्या उसका कोई और सहयोगी विमान में उसके साथ मौजूद था। क्या ये सारे पहलू सरकार के ध्यान में आए हैं।

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त** : उन्होंने कोई जांच नहीं की। (व्यवधान)

**श्री राजेश पायलट** : यह एक गम्भीर मामला है। विशेष मामले के रूप में, किसी भी सदस्य द्वारा किए गए सवाल का जवाब देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

सर, अटल जी ने अभी जो कुछ कहा कि क्या उसके कुछ और साथी थे, यह बात भी अखबारों में छपी है कि कुछ के सामान नहीं थे। ये सारे पहलू गौर से देखे गए हैं। उस वक्त जब उसने सीट बुक करायी थी, उस पर्टिकुलर सीट के लिए टिकट किस एजेंट के थ्रू लिखे गए थे··· (व्यवधान) किस एजेंट ने पैसेंजर्स की बुकिंग की है। यह बात जरूर है कि जब कन्वरसेशन हुआ आर०टी० पर तो उसने कोई डिमाण्ड नहीं रखी। उसने सिर्फ यही कहा कि जहाज को काबुल ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उससे पूछता कि क्यों ले जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो कन्वरसेशन हुआ, ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी, उसने उस वक्त कोई खास डिमाण्ड नहीं रखी। उसकी तो बस एक ही जिद थी कि आप री-फ्यूलिंग करिए, मैं जहाज को काबुल ले जाऊंगा। अगर आप नहीं ले जाने देंगे तो मैं जहाज को उड़ा दूंगा।

**श्री नीतीश कुमार** : कोई उसकी स्पेसिफिक डिमाण्ड नहीं थी, सब जनरल डिमाण्डस थीं, यदि खास डिमाण्ड कोई हो तो बताइए।

(व्यवधान)

**श्री राजेश पायलट** : जितना सीरियस यह मामला है, यदि उतने सीरियस होकर हम बात करें तो अच्छा है। आपने जो जो सवाल पूछा है, यह बात चिन्ता की है, जैसी बात हुई है। इससे सारे देश को चिन्ता है और बहुत गम्भीर स्थिति इससे बन गयी थी। मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं नागर विमानन मंत्री जी से बात करके टाइम-बाउण्ड इंक्वायरी कराने के लिए कहूंगा और उसमें इन सब पहलुओं पर, जितने भी सरकार के और एजेंसियों के हैं, गौर किया जाएगा। वैसे सरकार की चिन्ता इसके बाद और बढ़ी है कि उसके साथ दूसरे कौन लोग थे, कहां वे रुके, उनके टिकट किसने बुक कराए, ये सब चीजें देखी जाएंगी। जहां तक लेप्स की बात है, यह सरकार ने मानी है और इसीलिए इंक्वायरी की है ताकि पता लग सके कि किस तरीके से कहां चूक हुई है, कैसे यह काण्ड हुआ है।

**श्री विजय एन० पाटील** (इरनदोल) : सभापति जी, गए समय में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, किसी में इंजीनियर्स या मेन्टेनैंस स्टाफ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस एक्सीडेंट में प्राइमा फेसी यह दिखता है कि इंजिन में आग लगी थी। मैं जानना चाहता हूं, जब दोबारा स्टेटमैंट आएगा तो उसमें मेरी जिज्ञासा का खुलासा होना चाहिए कि प्राइमा फेसी जो मेन्टेनैंस का स्टाफ था, उसको सस्पैंड किया गया या नहीं। उस पर भी इंक्वायरी बिठायी जानी चाहिए क्योंकि बाद में उससे कुछ नहीं निकलता है। इसमें एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभी क्रू मैम्बर्स बच गए हैं। सिर्फ क्रू मैम्बर्स कैसे बच गए क्योंकि क्रू मैम्बर्स का काम होता है पैसेंजर्स को बचाना और जो लोग अन्दर हैं उनको बाहर निकालना। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वजह थी कि क्रू मैम्बर्स बच गए और बाकी पैसेंजर्स अन्दर रह कर जल गए।

**सभापति महोदय** : कह रहे हैं कि निकाल रहे हैं।

[अनुवाद]

**श्री इन्द्रजीत सिंह** (दार्जिलिंग) : एक छोटा सवाल है। इस विशेष व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। उस व्यक्ति को कोई टिकट दिया गया होगा। सरकार एवं अधिकारियों को उस व्यक्ति का नाम मालूम होगा। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उस व्यक्ति का कुछ परिचय दें।

यदि मैंने ठीक सुना है, तो गृह मंत्री ने अभी कहा है कि अपहरणकर्त्ता के सिर में गोली मारी गई थी। (व्यवधान) यदि ऐसी बात है, तो विमान के अन्दर खून के कुछ धब्बे होने चाहिएं। आज के समाचार-पत्रों के अनुसार विमान में किसी तरह के खून के धब्बे नहीं थे।

अतः कृपया इन बातों पर कुछ प्रकाश डालिए ताकि निम्नलिखित मुद्दों पर संदेह की गुंजाइश न हो (क) खून के धब्बों के बारे में (ख) उस व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में। उस व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : श्री इन्द्रजीत जी, इस तरह के अनुयोग से हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे ।

(व्यवधान)

---

## बजट सामान्य, 1993-94—सामान्य चर्चा—(जारी)

**4.46 म० प०**

**[हिन्दी]**

**श्री श्याम बिहारी मिश्र** (बिल्हौर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के 1993-94 के बजट के सम्बन्ध मे विचार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि स्वदेशी स्वराज्य और स्वावलंबन के यह बिल्कुल विपरीत है और इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि परदे के पीछे इस बजट के निर्देशक, निर्माता कोई और हैं । मंच के ऊपर हीरो के रूप में तो हमारे वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह जी हैं, परन्तु पार्श्व गायक के रूप में पर्दे के पीछे विदेशी वित्तीय संस्थाओं का हाथ है । सरकार के इस बजट में संगीत अच्छा लग रहा है, परन्तु यदि स्वदेशी समर्थक आज प्यारे बापू गांधी जी होते, तो उनके द्वारा ग्रामीण, गरीब किसान मजदूर, हाथ से काम करने वाले, बेरोजगार की इस दुखदाई स्थिति पर आठ-आठ आंसू बहाते । हमारे देश की आबादी पूरे विश्व के छठे भाग के बराबर है और 85 करोड़ जनता के 170 करोड़ हाथों के लिए इस बजट में रोजगार की व्यवस्थाएं केवल दिखावे के रूप में थोड़ी सी दिखाई गई हैं । यन्त्रीकरण, कम्प्यूटराइजेशन, आधुनिक मशीनों के स्वचालितीकरण के एकतरफा अन्धानुकरण से हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारा आर्थिक तन्त्र गांवों पर, किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, पटरी के दुकानदारों पर, हाथ के कारीगरों पर, आदिवासियों पर, जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर रहने वालों तथा समुद्र के गरीब मछुआरों पर आधारित है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए हमारी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, यदि हम इनको रोजगार न दे करके हर क्षेत्र में मशीनीकरण करते चले जाएंगे, तो इस देश मे बेरोजगारों का तांता लग जाएगा और यदि बेरोजगारों का तांता लग जाएगा तो इस देश में अराजकता, हिंसा, कानून की व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। गरीबी, भूख और बेरोजगारी की समस्याएं और बढ़ेंगी और इनके निवारण के लिए सरकार को फिर बजट लाना पड़ेगा और उसमें धन का आवंटन करना पड़ेगा । किसी भी जीवन या वस्तु या समस्या के रोगग्रस्त हो जाने के पश्चात् उसका इलाज करने से अच्छा है, कि हम उसे रोगग्रस्त न होने दें और उसको स्वस्थ रहने दें । वर्तमान बजट इन बातों की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में पहले दो-तीन पैराग्राफ में उल्लेख किया है कि उनकी सरकार बड़े कठिन समस्याओं के समय आई, उस समय विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था और अन्तर्राष्ट्रीय साख नहीं थी तथा निवेशकों का विश्वास नहीं था, आर्थिक विकास गिर रहा था, आदि बातों का उन्होंने उल्लेख किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि 20 महीने में हमने चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने किसी विदेशी मुद्रा की कमाई नहीं की है । आपने अपनी आय नहीं बढ़ाई है । निर्यात को विशेष बढ़ावा नहीं दिया गया है । आपने अपनी आय और सम्पत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं की है । आपने कर्जे के अम्बार से देश को दुबो करके और विदेशी मुद्रा का भंडार

प्राप्त किया है। जो भी मुद्रा भंडारण आपके पास हैं, वे आपके अपने नहीं हैं, वे उधार लिए हुए हैं। जो उधार भी आपने लिया है, उसका बहुत बड़ा भाग खर्च कर दिया है और एक छोटा-सा हिस्सा शेष रह गया है। यही कारण है कि कुछ बजट का एक-चौथाई यानि 38 हजार करोड़ रुपए आपको ब्याज देना है। उधार का कोट-पैंट पहन करके आप अपनी लंगोटी बेशक छुपा लें। भले ही आप दिखावटी रूप में मांगें कोट पैंट से अपनी लंगोटी छुपा ले, लेकिन कितने दिन छुपाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोट-पैंट के साथ लंगोटी भी चली जाए और हम नंगे हो जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि चीन की आबादी हमारे देश से ज्यादा है, परन्तु उसने कर्ज को प्राथमिकता नहीं दी है। उसने पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी है। चूंकि पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी है, इसलिए उसके सामने ब्याज और अदायगी की कोई समस्या नहीं है। यह समस्या हमारे देश पर है। हम आज यह कह रहे हैं कि हमें 39 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अगर ब्याज देना है, तो हम ब्याज की पेमेंट करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो देश की यह स्थिति कब तक चलेगी।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने निर्यात की बड़ी-बड़ी घोषणायें कर दी हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि निर्यात की जो आपने घोषणाएं की हैं, वे निर्यातकों को कितनी मिल रही है। जो ये चाहते हैं, क्या उनको मिल रहा है। उनको चाहिए रोटी, तो आप चावल दे रहे हैं और निर्यातक ने चावल मांगे हैं तो आप रोटी दे रहे हैं। यह स्थिति कैसे चलेगी और इससे देश का निर्यात कैसे बढ़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, निर्यात की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है और देश के आंतरिक व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्यात के लिए तो विदेशी व्यापार विभाग है, पर जब तक देश का आन्तरिक व्यापार बलशाली नहीं होगा, तब तक निर्यात का व्यवसाय कैसे शक्तिशाली होगा, कैसे फलेगा और कैसे फूलेगा। तब तक देश का व्यापार नहीं होगा, तो अच्छी वस्तुएं कैसे निर्मित होंगी।

**4.55 म० घ०**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

अगर ये बीज नहीं होंगी तो देश का निर्यात कैसे बढ़ेगा। आज अपने देश के व्यापारी का कोई सम्मान नहीं है, रिजर्व बैंक उनको कोई एडवांस नहीं दे रहा है, पाबंदियां लगी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था में हम यह कहना चाहते हैं कि देश व्यापारी को भी आपको विदेशी व्यापार के साथ-साथ बढ़ाना होगा, उनको भी व्यापारिक सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन इसका आज कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है।

आपने कठोर कानूनों और नियन्त्रणों में ढील दी है, परन्तु छोटे व्यापारी के लिए और छोटे उद्यमियों के लिए नहीं हैं। इनके लिए न आयात शुल्क घटाया है न एक्साइड ड्यूटी कम की है। इसका कोई फायदा लघु-उद्यमियों को नहीं मिला है, छोटे उद्योगों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बड़े उद्योगों के आधार पर ही देश की आर्थिक नीति निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों और छोटे व्यापारियों को भी कठोर नियंत्रणों, उत्पीड़न, अपमान और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

उद्योगों के नाम पर आपने सारे देश में खूब पैसा बांटा है, विचार-गोष्ठियां की हैं, सम्मेलन किए हैं, जगह-जगह पर अपने कैंप लगाए हैं, लेकिन देश का व्यापार सब बैठ गया है, उद्योग सिक

हो रहे हैं, यह स्थिति आज क्यों उत्पन्न हो रही है। बैंकों के पास वित्तीय साधन नहीं हैं। बैंक का जमा का ब्याज रेट और ऋण देने का ब्याज रेट, इसमें बहुत अन्तर है, इसको कम करने का आपने इस बजट में कोई प्रयास नहीं किया है। आर० बी० आई० ने व्यापारियों के क्रेडिट पर पूर्व में जो अंकुश लगाया था, जब आर्थिक संकट ज्यादा था, आज उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। ताज्जुब की बात है कि बैंक के पास सट्टे वालों के लिए पैसा है, हर्षद मेहता के लिए पैसा है, पर गरीब किसान, छोटे व्यापारी, लघु उद्यमी, रिक्शा वाला, खोमचे वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, इनके लिए पैसा नहीं है। इस तरह से कैसे काम चलेगा। जब सट्टे में लगा हुआ पैसा डूब जाएगा, 5700 करोड़ रुपया घाटा पूरा करने को देंगे आप सट्टे वालों को देंगे और वह डूब जाएगा तो बजट कैसे संतुलित होगा। इसकी भी आपने कोई व्यवस्था इसमें नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शरीर के एक अंग को यदि लकवा लग जाएगा तो दूसरे अंगों में खून का बहाव कैसे अच्छा होगा। आपने कोई व्यवस्था इस बजट में गरीब किसानों के लिए बैंकों द्वारा अच्छी सुविधाएं प्रदान कराने के लिए नहीं की है, मजदूरों के लिए या बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, तो कैसे यह बजट ठीक हो पाएगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बैंक का ड्राफ्ट कमीशन बढ़ा दी है, सर्विस चार्जेज बढ़ा दिए हैं, बैंकों ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं, अकाउण्ट से हर साल यह चार्जेज डेबिट हो जाते हैं, परन्तु सुविधाएं नहीं बढ़ाई हैं। आज बैंक छोटे नोट नहीं ले रहे हैं, नकद पैसा लेकर ड्राफ्ट नहीं बनाए जा रहे हैं, कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आपने व्यवस्था कर रखी है कि 10000 रुपए से अधिक की पेमेंट चैक या ड्राफ्ट द्वारा होगी, हम उसका पेमेंट चैक या ड्राफ्ट द्वारा करना चाहते हैं, लेकिन बैंक वाले ड्राफ्ट ही नहीं बनाते हैं, तो व्यवस्था कैसे होगी। बैंक वाले छोटे नोट जमा नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे व्यवस्था ठीक होगी। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि 10000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगी पाबंदी को हटाना चाहिए, इसके लिए चैक या ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

**5.00 म० प०**

ताकि उसके द्वारा जो बैंक में अनियमिताएं हो रही हैं वह काबू हो सके। आपका बजट पश्चिम विश्व के भौतिकवाद का बजट है और बजट का मखौल उड़ाया गया है। अपने बजट के पहले कोयला, गैस, अनाज, चीनी, पैट्रोल, डीजल, बिजली और लोहे के दाम बढ़ा दिए और अपने बजट में कह दिया कि हम किसी चीज के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। आप यह बजट का कैसा मखौल उड़ा रहे हैं। डाकतार विभाग की मांगों पर विचार नहीं हुआ लेकिन आज आपने टेलीफोन के दाम बढ़ा दिए। मेरा कहना है कि प्रजातन्त्र में बजट की कुछ आस्था रखिए। बजट का मखौल मत उड़ाए नहीं तो बजट का कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा हिन्दुस्तान की जनता के सामने। बापू जी के मूल सिद्धान्त को चुनाव में इस्तेमाल करते हैं परन्तु इस समय वह भूल गए हैं। बापू जी ने पं० जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि कोई निर्णय के पूर्व यह देखना चाहिए कि उसका निष्कर्ष, उसका अन्तिम बिन्दु जो है वह गरीबी रेखा की अन्तिम सीमा वाले व्यक्ति तक कितना पहुंचता है और वह कितना फायदा पहुंचाता है। लाटरियों पर खुलेआम इस समय देश में जुआ खेला जा रहा है, सट्टों पर और शराब बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इससे देश का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले को कितना नुकसान पहुंच रहा है।...(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आपके पन्द्रह मिनट हो चुके हैं।

**श्री श्याम बिहारी मिश्र** : एक औद्योगिक क्षेत्र की समस्या है। सारे उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। कानपुर नगर किसी समय में औद्योगिक नगर था। आज वह उद्योगों का कब्रिस्तान बन चुका है। वहां एन०टी०सी० के अन्दर चलने वाली छह सूती मिलें अपनी अन्तिम सांसे गिर गिन रही हैं। जे०के० काटन मिल बन्द है और बी०आई०सी० क कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। इसी प्रकार से उ०प्र० में आपने गैस का प्लांट इटावा में लगाया और पूर्व प्रधान मन्त्री राजीव जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके लिए गैस की स्वीकृति प्रदान नहीं की और दो सौ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की स्वीकृति मिली लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस सप्लाई की स्वीकृति नहीं मिली अत: जो सहायता मिलने वाली थी वह भी नहीं मिली और आज तक वह नहीं चल पा रहा है। आपने बुलन्दशहर, खुर्जा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद में प्रदूषण की वजह से नए उद्योगों को लाइसेंस देना बन्द कर दिया है। आपने स्कीम दी कि गैस की पाइप लाइन देंगे तो सभी उद्योग कोयले का इस्तेमाल न करें बल्कि गैस का इस्तेमाल करेंगे। सारी योजना बन चुकी है और लाखो-करोड़ रुपया खर्च हो गया है और आप उसको गैस नहीं दे रहे हैं कि वहां पर बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इसमें विकास के नाम पर भी राजनीति को बढ़ावा देने लगे। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं दिया। खाद के दामों में सबसिडी समाप्त कर दी। इसका 80 लाख टन का उत्पादन आपके लक्ष्य से आगे है। खाद के दामों में कमी करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप इन उद्योगों को और लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे और आज जो स्थिति केवल ब्याज देने की है तो उस दिन स्थिति क्या होगी जिस दिन आपको यह कर्ज लौटाना होगा।...(**व्यवधान**)..आज तो ब्याज देने की समस्या है उस वक्त देश की दशा क्या होगी जिस दिन कर्ज वापस करना होगा, आज तो ब्याज की समस्या है। आप यह समस्या देश के भावी कर्णधारों पर छोड़कर जा रहे हैं। मेरे विचार से आप उस सरकार पर छोड़कर जा रहे हैं जो आने वाली है, मेरे ख्याल से आगे बी०जे०पी० की सरकार आने वाली है उसके लिए समस्या पैदा करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस पर व्यापकता से विचार करके इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, आपने समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर आठ घंटे की चर्चा रखी गयी थी, मगर 20 घंटे हो गए हैं।

**श्री नीतिश कुमार** : अभी तो जार्ज साहब ने भी बोलना है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने मना कर दिया है। 62 सदस्य बोल चुके हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं है। मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जवाब दें।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमने एक लम्बी बहस की है जैसाकि आपने अभी-अभी कहा था। अब कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट की सराहना की है और कुछ सदस्यों ने इसकी आलोचना भी की है। नि:सन्देह, वित्त मंत्री जी सभी टिप्पणियों का उत्तर देंगे। इस सभा का शिष्टाचार यह कहता है कि उनको विशेषकर इस सभा में जवाब देना चाहिए। परन्तु, दो दिन पहले उन्होंने सभा के बाहर एक घोषणा की थी, जो कि दिनांक 25 अप्रैल, 1993 के 'टाईम्स ऑफ इण्डिया' समाचारपत्र में प्रकाशित हुई है। यह

समाचार पी०टी०आई० तथा यू०एन०आई० द्वारा जारी किया गया है। इस समाचार के अनुसार :

"राजसहायता की बहाली नहीं : मनमोहन।" वह सभा के बाहर नीति संबंधी ब्यान दे रहे हैं। अब, मैं उस समाचार के कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं :

"आज वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह ने किसी भी तरह की राजसहायता की बहाली से इंकार कर दिया और विपक्ष के इस आरोप को स्वीकार नहीं किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर देश ऋण जाल में फंस रहा है।"

इसमें यह भी कहा गया है :

"डॉ० सिंह ने आगे कहा है कि भारतीय बाजार में विदेशी वस्तुओं की बाहुल्यता को रोकने तथा घरेलू उद्योग को इससे नुकसान से बचाने हेतु सरकार क्षेपण-रोधी शुल्क का उपयोग करेगी।"

यह वक्तव्य इस सभा में दिया जाना चाहिए। जब बजट पर चर्चा हो रही है, तो हम यह आशा कर रहे हैं कि यहीं सभा में ही उत्तर दिया जाये और इसकी बजाय इन्होंने सभा के बाहर उत्तर दिया है जोकि वास्तव में ही विशेषाधिकार का हनन है। मध्याह्न पूर्व में आप मेरी पूर्व-सूचना को नहीं ले सके थे।

कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक के पृष्ठ 253 पर इस बात का उल्लेख किया गया है, मैं उसमें से उद्धृत कर रहा हूं :

"जब सभा का अधिवेशन चल रहा हो, मंत्रियों द्वारा सभा के बाहर महत्त्वपूर्ण नीतियों की घोषणाएं करना, विशेषाधिकार का हनन है।"

अतः, मैं इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं तथा आपसे वित्त मंत्री जी को यह अवगत करा देने का अनुरोध करता हूं कि ऐसी कार्रवाई सभा के लिए अपमानजनक है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है।

[हिन्दी]

**श्री हरिकिशोर सिंह** (शिवहर) : मेरा आधा मिनट का सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि आज सुखराम जी ने अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में 740 करोड़ रुपए का टैक्स का भार जनता पर डाल दिया है। डा० सिंह आज नया बजट पेश करने जा रहे हैं या जवाब देने जा रहे हैं। चर्चा है सेंट्रल हाल में और अन्य जगह कि हमारे लायक दोस्त मनमोहन सिंह 15 मई को नया बजट पेश करने वाले हैं।

[अनुवाद]

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : महोदय, श्री राम नाईक जी ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है। वित्त मंत्री जी ने पहले जो कुछ कहा था, वह उनके बजट भाषण का अंग था। यह कोई नयी बात नहीं है जोकि उन्होंने सभा के बाहर कहीं थी। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं, अपना विनिर्णय दूंगा।

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री ने पूर्वाह्न सत्र के दौरान टेलीफोन की शुल्क दरों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जेना जी, आप यह कौन-सा मुद्दा उठा रहे हैं? उन्होंने कम-से-कम व्यवस्था का प्रश्न तो उठाया है। ये विषय व्यवस्था के प्रश्न में शामिल नहीं हैं। अतः, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

दूसरे, हम आमतौर पर यह अपेक्षा करते हैं कि जब सभा की बैठक चल रही हो तो नई नीति संबंधी वक्तव्य, सबसे पहले सभा में दिये जाने चाहिएं। यदि पुरानी नीति संबंधी वक्तव्य सभा के बाहर दोहराए जाते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है। मेरे विचार से, वित्त मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं तथा वह इसका उत्तर अपनी बहस के दौरान दे देंगे।

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, बजट में इस सामान्य चर्चा पर जिन भी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन सभी का आभारी हूं। सच तो यह है कि इस बहस में तकरीबन 62 सदस्यों ने भाग लिया है तथा मैं इसे एक हितकारी उपाय के रूप में लेता हूं तथा यह विषय इतना हितकारी है कि सभा में उपस्थित सभी वर्ग एक गतिशील, आधुनिक, प्रगतिशील तथा एक क्षतिपूर्वक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। यह एक आम उद्देश्य है। सभा में उपस्थित विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद के बावजूद, मुझे इस बात से हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि मैंने अपने बटज-भाषण में आर्थिक नीति के जिन छः उद्देश्यों के बारे में उल्लेख किया था, कम-से-कम उनके बारे में एक व्यापक जनमत है तथा मैं उन प्रयोजनों को पुनः दोहराता हूं।

प्रथम उद्देश्य तो यह है कि सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय अनुशासन महत्त्वपूर्ण है और उसके लिए यह आवश्यक है कि हमें वित्तीय-घाटे को आगे और अधिक कम करना ही चाहिए।

मैंने अपने बजट भाषण में दूसरी बात यह कही थी कि युक्ति से काम निकालने की वजह से हमने गत दो वर्षों में वित्तीय घाटे को कम करके फायदा उठाया है। इस वित्तीय संचयन का उपयोग अर्थव्यवस्था में निवेश की दर में वृद्धि करने तथा साथ-ही-साथ महत्त्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं हेतु आबंटनों में भी उपयोग करना चाहिए।

तीसरे मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे एक शक्तिशाली औद्योगिक शक्ति की पुनः प्राप्ति हो तथा आठवीं योजना के बकाया तीन वर्षों में औद्योगिक क्रियाकलापों में एक प्रबल चमत्कार हो।

चौथी बात मैंने यह कही थी कि हमें ऐसे कर सुधार करने की जरूरत है, जिनसे यह अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए कि हम उदार दरों सहित एक और अधिक आसान कर-पद्धति की ओर पर्दापण कर सकें।

पांचवी बात मैंने यह कही थी कि यदि देश बहुत गम्भीरता से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो फिर हमें महत्त्वपूर्ण निर्यात प्रयास करने चाहिएं जिनसे कि निर्यात संवर्धन सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय प्रयत्न अवश्य बन जाए। अन्ततः मैंने कहा था कि जिस देश में सत्तर प्रतिशत लोग ग्रामीण भारत में रह रहे हो वहां कोई भी तकनीक सफल नहीं हो सकती अगर हमें कृषि और ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।

ये छः लक्ष्य हैं जिनकी पृष्ठ भूमि में इस बजट के औचित्यता का आंकलन किया जाना चाहिए था।

सर्वप्रथम तो हम वर्ष 1991 के वित्तीय घाटा 8 5 प्रतिशत को काम करके पिछले वर्ष अंदाजन 5.1 प्रतिशत पर ले आए हैं तथा हम इसे आगे और कम करके सकल घरेलू उत्पादन के 4.5 प्रतिशत पर लाने का विचार रखते हैं।

अगर हम अपनी नीति में मुद्रास्फीति विरोधी उपाय गम्भीरतापूर्वक अपनाना चाहते हैं, तो ऐसा करना बहुत जरूरी है : जैसाकि पिछले तीन वर्षों के अनुभव से प्रतीत हुआ है कि मुद्रा-स्फीति से गरीब लोगों को सर्वाधिक नुकसान होता है। अतः यदि हम सामाजिक न्याय का ध्यान रखते है, तो हमें मुद्रास्फीति को अवश्य नियन्त्रित करना चाहिए तथा मुद्रास्फीति रोकने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय घाटे को आगे और कम किया जाए।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि राजस्व घाटा अभी भी बहुत अधिक है। अपने बजट भाषण में मैंने माननीय सदस्यों की इस बात की चिन्ता का समर्थन किया था कि हम राजस्व घाटा उस स्तर तक कम नहीं कर पाए हैं, जितना कि यह कम किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। सच तो यह है कि ब्याज की दरें बहुत भारी बोझ हैं तथा राजस्व घाटे के भारी घटक हैं। इस समस्या का समाधान दो या तीन वर्षों की मध्यावधि में किया जा सकता है। यदि हर वर्ष हम वित्तीय-घाटे को कम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि 1995-96 तक ब्याज भुगतान एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे तथा इस प्रकार राजस्व-घाटा नियन्त्रण में आ जाएगा।

मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी राजस्व-घाटा, देश में अपनाई जा रही गणना की पद्धति के कारण बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, इस देश की केन्द्रीय योजना के एक बहुत बड़े अनुपात में व्यय समाहित होता है, जोकि राजस्व लेखे में है। समूचे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पूरे कृषि विकास कार्यक्रम तथा शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार-नियोजन पर जो समूची धनराशि केन्द्र सरकार व्यय करती है—ये सभी व्यय राजस्व-बजट में दर्शाई जाती हैं तथा फिर भी आप जानते ही हैं कि इनमें से अनेक क्रियाकलापों से टिकाऊ सम्पत्ति का सृजन होता है। जब आज सारी की सारी वस्तुस्थिति को उस परिपेक्ष्य में देखते हैं, तो मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूं कि—यद्यपि इसे बदले जाने की जरूरत है—फिर भी हमें वर्तमान राजस्व घाटे का ऐसा चौंका देने वाला हिसाब नहीं लेना चाहिए।

बहस के दौरान श्री जसवन्त सिंह जी ने समायोजन का प्रश्न उठाया था तथा उन्होंने मेरे एक पुराने मित्र श्री रोशनलाल—जोकि इस समय एटलस में कार्यकारी-सचिव के रूप में कार्यरत हैं—से प्राप्त एक विशिष्ट दस्तावेज से उद्धृत किया था। मैं स्पष्ट रूप से यह अनुभव करता हूं कि यह उनकी सोच का आंशिक रूप है क्योंकि लेटिन अमेरिका के विषय में जानकारी के अभाव की वजह से श्री जसवन्त सिंह जी ने जो कुछ लेटिन अमेरिका में घटित हुआ है, उससे हमारे अपने अनुभव से उद्धृत करने का चुनाव किया है। आज सारा विश्व इस बात से सहमत है कि यदि आपके पास समायोजन-सह-ढांचे में परिवर्तन का समतल चलने वाला कोई कार्यक्रम है, तो वह केवल भारतीय कार्यक्रम है। हमने लेटिन अमेरिका में अस्सी के दशक में व्यापत बेरोजगारी मुद्रा-स्फीति, सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों को जिनका कि इस दशक के दौरान लेटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के बड़े भाग में "व्यर्थ गवां दिए गए दशक"—के रूप में उल्लेख किया जा रहा था,

इस देश की दुरावस्था में से निराकरण कर दिया है। हमने भारत को इस प्रकार की खतरनाक स्थिति में फंसने से बचा लिया है।

पहले ही वर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरे वर्ष में हमने सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय आय में चार प्रतिशत प्रतिवर्ष भी दर से बढ़ोत्तरी होगी। चालू वित वर्ष में अगर मौसम सामान्य रहता है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि अर्थव्यवस्था मे कम-से-कम पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा उसके पश्चात् हम और अधिक गति से इसे आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई करेंगे। अतः, भारत की लेटिन अमेरिका अथवा अफ्रीका के साथ तुलना करना— मैं श्री जसवन्त सिंह जी से निवेदन करूंगा—एक सम्पुष्ट तुलना नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने मूल्य-स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। जब हमने यह प्रक्रिया प्रारम्भ की थी, तब हमारी मुद्रास्फीति की दर दो अंकीय थी। बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर हमारी मुद्रास्फीति की दर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

अब हमारी यह स्थिति है कि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। मुद्रास्फीति को मापने के विभिन्न पैमानों के बारे में हम सम्भवतः वाकछली नहीं है। लेकिन प्रत्येक सूचकांक से मुद्रास्फीति की दर में भारी गिरावट परिलक्षित होती है। अगर आप औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता सूचकांक का अवलोकन करें, तो मेरे पास माह फरवरी का जो अद्यतन सूचकांक है, उसके द्वारा प्रदर्शित थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर अर्थात् 5.7 प्रतिशत से कम दिखाई देती है। मेरे पास जनवरी माह का कृषि श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और यदि आप उसे देखें तो पाएंगे कि यह 5% से अधिक नहीं है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या आप प्वाइंट-से-प्वाइंट तक की बात कर रहे हैं?

**श्री मनमोहन सिंह** : जी हां, प्वाइंट से प्वाइंट तक और औसत की तुलना करने से मुझे विश्वास है कि इस वर्ष में औसत में पर्याप्त गिरावट आएगी। यदि आप चालू वर्ष के औसत की पिछले वर्ष के सूचकांक से तुलना करें तो पाएंगे कि उसमें पर्याप्त गिरावट आई है। मूल्य स्थिति में जो सुधार हुआ है वही वास्तविक तथ्य है। वास्तव में बजट पेश करने के बाद में अनेक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है और कुछ माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे।

अनेक सदस्यों ने बजट पर चर्चा के दौरान आयात उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्री जसवन्त सिंह ने सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया था। वास्तव में, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि उनका दल विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के ऐक्य का समर्थन करता है लेकिन फिर भी उन्होंने सार्वभौमिकीकरण का विरोध किया।

मैं सार्वभौमिकीकरण के बारे में देश की संकल्पना को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि जब हम सार्वभौमिकीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम भारत की आर्थिक संप्रभुता को समाप्त कर रहे हैं। जब हम सार्वभौमिकीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ है आर्थिक विकास संबंधी नीति जिससे इस देश की उत्पादकता और प्रौयोगिकीय क्षमता में सुधार हो सकेगा जिससे हम विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के बराबर हो सकेंगे। हमारी नीति आत्म-निर्भरता की है न कि अपनी संप्रभुता को समाप्त करने

अथवा अपने हितों को समाप्त करने की है और मेरा आपसे निवेदन है हम अन्तर-निर्भरता वाले विश्व में रहते हैं और ऐसे विश्व में···(व्यवधान)

हम अन्तर-निर्भरता वाले विश्व में रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का लाभ उठाकर अर्थात् अपना निर्यात बढ़ाकर ही भारत की पूर्ण विकास क्षमता प्राप्त की जा सकती है। भारत एक विशाल राष्ट्र है और अक्सर हम इस बात को अनुभव करते हैं कि प्रति व्यक्ति आधार पर भारत प्राकृतिक संसाधनों से उतना संपन्न नहीं है जितना हम समझते हैं। यदि भारत को पूर्ण विकास क्षमता प्राप्त करनी है तो उसे विश्व में प्रमुख व्यापारिक देश बनना होगा। यदि हम विश्व में प्रमुख व्यापारिक देश बनना चाहते हैं तो हमें निर्यात बढ़ाना होगा। यह जो निराशा की प्रवृत्ति हमारे देश में लम्बे समय से चली आ रही है कि भारत प्रतियोगिता नहीं कर सकता है, यह अन्य राष्ट्रों के मुकाबले पिछड़ा है तो इस मुद्दे पर हमें विचार करना होगा। दक्षिण-पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, कोरिया को तो छोड़ दीजिए, में जो कुछ हो रहा है उसे देखें, जब छोटे-छोटे राष्ट्रों ने यह बात मान ली है और उन्होंने दिखा दिया है कि घरेलू क्षमताएं ही निर्यात में बाधक हैं और ऐसी ही स्थिति भारत में है। श्री निर्मल चटर्जी ने चीन का मामला उठाया है, जब हम भारत और चीन के निर्यात को देखते हैं तो पाते हैं कि 1973 में भारत और चीन का निर्यात लगभग बराबर था, यह करीब 13 बिलियन डॉलर था। 20 वर्ष बाद हमारा निर्यात केवल 18 बिलियन डॉलर है और चीन का निर्यात 50 बिलियन डॉलर से भी अधिक का हो गया है। चीन ने इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। जापान के बाद संयुक्त राज्य अमरीका को चीन के साथ व्यापार में अधिकतम घाटा होता है और इसीलिए चीन की चिंता की ओर पूरे विश्व का ध्यान गया। यदि भारत चाहता है कि उसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और वह विश्व में प्रमुख क्षेत्र बने तो हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि हम निर्यात की ओर ध्यान दें। यह पराधीनता का दर्शन नहीं है बल्कि आत्म-निर्भरता का दर्शन है।

कुछ सदस्यों ने बहस के दौरान यह कहा है कि हमने आयात को बढ़ावा दिया है। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इन सदस्यों ने तथ्यों को नहीं देखा है। यदि आप भारत के आयात बिल देखें और तेल आयात को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि भारत का आयात डॉलर में 1989-90 की तुलना में 1992-93 में कम था। वास्तव में हमने नौकरशाही नियन्त्रण हटा दिया है जिसके माध्यम से भारत का विदेशी व्यापार विनियमित होता था लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने अत्यधिक विदेशी वस्तुओं के आयात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आज हमारे यहां शुल्क-सह-आयात विनिमय दर तन्त्र प्रचलित है जिसके माध्यम से निर्यात और आयात के बीच अच्छा संतुलन रहेगा और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देंगे कि विदेशी आयात अधिकतम हो।

कुछ सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं का यहां अंबार लगाने पर चिंता व्यक्त की है। मैंने अपने बजट भाषण में सभा को यह आश्वासन दिया था कि हम सतर्क रहेंगे, हमने पहले ही अधिक सामान भेजने विरोधी विधान बना लिया है और एक-दो मामलों में इसका प्रभावी उपयोग किया है।

हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उदारवादी नीति से हमारे देश में अवांछित विदेशी सामान अधिक जमा न हो जाए, अधिक सामान जमा करते संबंधी नियमों का पूर्ण उपयोग करेंगे। मैं यह आश्वासन फिर से दोहराता हूं। हमने आयात शुल्क कम किया है लेकिन यह आयात शुल्क इस प्रकार कम किया गया है कि यह भारतीय उद्योग को सुदृढ़ करेगा। हम सभी मंहगी

अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। महंगी अर्थव्यवस्था कैसे बनी ? हमारा राष्ट्र मानव संसाधनों से संपन्न राष्ट्र है। हमारे यहां पर्याप्त तकनीकी और प्रबन्धकीय कुशलता उपलब्ध है और फिर भी श्रम गहन परियोजनाओं में हमारी उत्पादन लागत अप्रतियोगी है। ऐसा कैसे हुआ ? हमने पूंजीगत माल और कच्चे माल पर आयात शुल्क उस स्तर तक दिया कर है कि यह विकास के इस स्तर पर किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है। यदि हम अधिक लागत अर्थव्यवस्था के स्थान पर कम लागत अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं तो हमें पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल पर शुल्क में लगातार कमी करनी होगी जिससे समय के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था कम लागत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इससे किसानों, उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा भारत के निर्यात प्रयास सुदृढ़ होंगे। हमारे आयात शुल्क ढांचे को तैयार करते हुए हमने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है कि इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान न हो, यह गैर-औद्योगिकीकरण की नीति नहीं है, यह भारत के औद्योगीकीकरण की नीति है, यह औद्योगीकरण की प्रक्रिया है जिससे उद्योगो का विकास होगा और साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होगे तथा शहरी और ग्रामीण भारत के बीच का अन्तर समाप्त होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस नई नीति से रोजगारोन्मुखी नई औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अत: इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि आयात शुल्क कम करने से हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का भंडार हो जाएगा। वास्तव में यदि हमारी नीति सफल होती है तो इससे न केवल भारत की देश के भीतर ही पर प्रतियोगिता करने की बल्कि अतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिता करने की क्षमता बढ़ेगी।

श्री जसवन्त सिंह ने भी कहा है कि उनके दल की नीति भी उदारीकरण की नीति है। उन्होंने कहा कि इसे उपयुक्त क्रम से लागू करना चाहिए, जैसे सबसे पहले आंतरिक उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिए और वास्तव में हमने भी ऐसा ही किया है। जब जून, 1991 में हमारी सरकार सत्तारूढ़ हुई तो सबसे पहले हमने अपनी औद्योगिक नीति को सुव्यवस्थित किया था। उसे प्रतियोगिता और आंतरिक की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहां घरेलू बाजार में पर्याप्त प्रतियोगिता नही है। अत: साथ-साथ हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ी। इसके साथ-साथ एकीकृत प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरूआत की गई क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अलग रहकर विकास नहीं कर सकती है, विकसित नई प्रौद्योगिकी तथा बाजार तकनीक जो शेष विश्व में उपयोग की जा रही है को जाने बिना विकास संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी और ज्ञान आज इस गति से बढ़ रहे हैं कि यदि हम आज उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते तो हम उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

महोदय, इसी प्रकार कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने की नीति की आलोचना की है कि यह स्वयं को बेचने की नीति है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह नीति आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की नीति है। हमने यह कभी नहीं माना कि विकास यूं ही किए जा सकते हैं। इस देश का विकास भारत की जनता द्वारा स्वयं संसाधन जुटाने पर निर्भर करेगा।

लेकिन यदि हम कोई सहायता लेना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है। पहले यह सहायता रियायती सहायता के रूप में दी जाती थी और चाहे हम चाहते थे या नहीं वह रियायती सहायता युग समाप्त हो गया। 1980 में हमें उस सहायता के स्थान पर उच्च

दर के वाणिज्यिक ऋण प्राप्त होने लगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज दर से हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक ऋण लेना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है।

अत: यदि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, इसके भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करना है तो यह आवश्यक है कि हम ऋण न लेकर सामान लें, यह कार्य इतने विनियमित होगा और सामान इतने कम पैमाने पर आएगा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी पर यह हमारे घरेलू उद्योग को समाप्त नहीं करेगा।

यदि आप आर्थिक नीतियों को देखें—वामपंथी दलों के हमारे मित्र कांग्रेस सरकार की 40 वर्षों से अपनाई जा रही नीतियों के परिणाम देखते हैं—तो आप पाएंगे कि हमारे देश में विदेशी निवेश कम नहीं था, 40%, 51%, 74% और यहां तक कि 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। इसमें केवल यही अन्तर था कि यह मामलों से मामलों तक की पद्धति के आधार पर किया गया था और इसमें काफी विलंब, अनिश्चितता और अप्राक्कथनीयता की स्थिति रहती थी। अब हमने प्रक्रिया बदल दी है और स्पष्ट मार्गनिर्देश निर्धारित कर दिए हैं। हमने उद्योगों की एक सूची तैयार की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, 51 प्रतिशत विदेशी निवेश प्राप्त कर सकता है। यह कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं है। बल्कि प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय उद्योग तथा विदेशी उद्योग दोनों ने इसका स्वागत किया है।

कुछ सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के नाम से ही चिढ़ है। मैंने कहा था कि विश्व में एक दूसरे पर आश्रित हैं, जहां सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हमें इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने इस सहायता का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया है। जब विपक्ष सत्ता में था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, तो उस अवधि के दौरान उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.5 बिलियन डालर का ऋण लगभग 15 महीनों की छोटी-सी अवधि के दौरान लिया था जबकि हमारी सरकार ने पिछले 24 महीनों में इससे 2.8 बिलियन डालर ऋण के रूप में लिया है।

जब वे सत्ता में आए थे, तो उन्होंने क्या किया ? उनके पास 3 बिलियन डालर रिजर्व थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.5 बिलियन डालर का ऋण लिया था। वह धन व्यर्थ गंवा दिया गया। अब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो उस समय कोष में एक बिलियन डालर से अधिक की धनराशि नहीं थी। कुल मिलाकर 4 बिलियन डालर का घाटा था। जब हम सत्ता में आए तो हमने विदेशी मुद्रा के भण्डार को एक बिलियन डालर से बढ़ाना शुरू किया और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पास 7 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा का भण्डार है यह पिछले 20 वर्षों में भारत के इतिहास में अधिकतम विदेशी मुद्रा भण्डार है···(**व्यवधान**)

**श्री हरि किशोर सिंह** : क्या यह आपका अपना है या आपने ऋण लिया है ?···(**व्यवधान**)

**श्री मनमोहन सिंह** : इसमें से हमने 2·5 बिलियन डालर का ऋण लिया था। बाकी का सब अच्छी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप है, जो हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में अपनाई है **व्यवधान** कुछ निराशावादी लोग हैं। जब मैंने श्री जसवन्त सिंह का भाषण सुना, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। जब मैंने अमल दत्ता और चटर्जी का भाषण सुना,

मैंने उनके पिछले वर्ष और उस वर्ष से पूर्व के दिए गए भाषणों को पढ़ा है विषय नहीं बदला है, तथ्य बदल गए हैं लेकिन उनमें यह कहने का साहस नहीं है कि वे जो कुछ कहते रहे हैं उनके तथ्य बदल गए हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री से प्रेरणा ली है, उन्होंने वही भाषण 1991 में दिया था, जो आज हम सुन रहे हैं ·· (**व्यवधान**)

क्या मैं केवल एक प्रश्न पूछ सकता हूं। हमें बताया गया था कि अर्थव्यवस्था को बदलने में तीन वर्ष लगेंगे हमारी स्थिति में सुधार हो जाएगा। इस देश में दूध तथा शहद की नदियां बहेंगी। महोदय, मैं जानना चाहता हूं, ये तीन वर्ष कितने लम्बे होंगे।

**श्री मनमोहन सिंह** : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न उठाया है। जब मैं वित्त मंत्री बना था, तो मैंने कहा था कि पिछले 15-16 महीने के दौरान प्रबन्ध में कुव्यवस्था के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। किसी भी वित्त मंत्री को इसे ठीक करने में कम-से-कम तीन साल का समय लगेगा। आज मैं यह बात जोर देकर कह सकता हूं कि इसमें तीन वर्ष से भी कम समय लगा है और सच यह है कि मुद्रास्फीति की दर 6·4 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा आयात उदारीकरण के बावजूद हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार अधिकतम 7 बिलियन डालर है। हमने जो कुछ कहा है, वह वास्तविकता है, जबकि विपक्ष जो कहना है वह गलत है।···(**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह लोगों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं·· (**व्यवधान**)

**श्री मनमोहन सिंह** : महोदय, भुगतान संतुलनों में मुद्रास्फीति में, उत्पादन में वृद्धि तथा वार्षिक स्थिति में विशेष सुधार हुआ है। यह सुधार सरकार की अच्छी नीति के कारण हुआ है।

महोदय, कृषि का हवाला दिया गया है। मैं सदन का ध्यान कृषि की ओर दिलाना चाहता हूं तथा हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस वर्ष देश में खाद्य उत्पादन 180 मिलियन टन हुआ है। इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : छठी योजना का लक्ष्य 180 मिलियन टन का था। ···(**व्यवधान**)।

**श्री मनमोहन सिंह** : इस वर्ष के दौरान बजट में प्रावधान है कि केन्द्रीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि कृषि विकास में हुई है, जो 35 प्रतिशत से भी अधिक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। ये सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी सरकार कृषि विकास, गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के लिए कटिबद्ध हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए है। (**व्यवधान**)

महोदय, अनेक सदस्यों ने उर्वरक मूल्यों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं सदन की चिन्ता से सहमत हूं कि इससे कृषि उत्पादन विकास में गिरावट आ सकती है। मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री स्वयं ऐसा तरीका निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं जिससे कि किसानों पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके। हमारी सरकार

को विश्वास है कि हमारा देश समृद्ध कृषि के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है।

एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है कि खुशहाल कृषक वर्ग के बिना देश उन्नति नहीं कर सकता तथा जो कुछ नष्ट हो जाता है वह फिर नहीं मिलता। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़े क्योंकि किसानों के हित के साथ देश का हित जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उर्वरक के मूल्यों के विषय पर प्रधानमन्त्री स्वयं कोई हल ढूंढ़ रहे हैं जिससे कि उर्वरक के मूल्यों को कम किया जा सके तथा हमारे देश के कृषक वर्ग पर जटिल उर्वरकों जैसे डी० ए० पी० तथा अन्य जटिल एम० ए० पी० के भार को कम किया जा सके।

ये कुछ मुद्दे हैं जो चर्चा में उठाये गए हैं। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने चालू वर्ष के बजट में बचत को बढ़ावा देने के लिए कुछ न किए जाने पर चिन्ता व्यक्त की है। मैंने कई मौकों पर कहा है कि हमें आगे चलकर प्रत्यक्ष कर प्रणाली को अपनाना होगा जोकि साधारण है, स्पष्ट है तथा उसमें ज्यादा रियायतें भी नहीं हैं। लेकिन मैंने सभा में व्यक्त चिन्ता को नोट कर लिया है कि बचतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है जब मैं इस सभा में मैं वित्त विधेयक पर संशोधन पेश करूंगा तो उस समय मैं इस विषय पर कुछ अधिक उल्लेख करूंगा।

मुझे उद्योग के विभिन्न विभागों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा कुछ मामलों में शुल्कों में कुछ कमी करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे गतिशीलता प्रदान करनी है। इस समय हम अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से उन क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं जिसमें सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जब मैं वित्त विधेयक के संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

मुझे विश्वास है कि जो मुद्दे इस चर्चा में उठाए गए हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन मैं इस सदन में ईमानदारी से कहूंगा कि यदि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, अराजकता फैलती है तो हम देश में आर्थिक तथा सामाजिक सुधार नहीं कर सकते। नवम्बर 1992, तक हमारा राजस्व तथा निर्यात बढ़ता रहा था परन्तु गत नवम्बर से राजस्व में कमी आई है। दिसम्बर और इस वर्ष जनवरी में हुए दंगों के कारण लगभग 5 हजार करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। अयोध्या की घटनाओं के कारण हमें भारी आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा है।

मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि यदि हम भारत की आर्थिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के संघर्ष तथा साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करना होगा।

दूसरा खतरा यह है कि यदि हम वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं देते मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं कर सकते तथा वित्तीय घाटे की स्थिति और बिगड़ जाएगी।

हम ऐसी स्थिति को ज्यादा समय तक नहीं रहने दे सकते सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष प्रति वर्ष घाटा होता रहे। हम ऐसी स्थिति में भी अधिक देर तक नहीं रह सकते हैं कि जहां राज्य केन्द्र सरकार को बिल का भुगतान करने के लिए कहें जबकि राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा हो रहा हो और आज घाटे की दर 21 प्रतिशत है। राज्य विद्युत बोर्ड को आज लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा हो रहा है। अगर यही धन विद्युत-आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मिला होता, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम ग्रामीण भारत के उन दूर-दराज के क्षेत्रों को, अभी भी अनिवार्यतः मिट्टी के तेल पर निर्भर करते हैं, विद्युत प्रदान करके कितना कुछ कर सकते हैं।

महोदय, आखिरकार हमें पेट्रोलियम पदार्थों की उपभोग की बढ़ती दर को नियन्त्रित करना ही है। पेट्रोलियम पदार्थों की हमारी खपत 8 से 10 प्रति शत प्रति वर्ष बढ़ रही है। हमारा घरेलू उत्पादन घट रहा है। यह स्थिति गंभीर खतरे की सूचक है। मेरे विचार में अगर हम आत्मनिर्भरता को गम्भीरता से लें, तो हम प्रत्येक कार्य ऐसा करें जिससे हमारे देश का ऊर्जा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें और राज्य विद्युत बोर्ड के नुकसान कम हों ताकि जहां कहीं भी तेल का प्रयोग हो रहा है, पेट्रोलियम का प्रयोग हो रहा है, उसके स्थान पर विद्युत का प्रयोग किया जा सके ताकि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग में पूर्ण संरक्षण, पूर्व मितव्ययिता आये : अगर हम वैसा नहीं करते तो देश का भुगतान संतुलन सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह जी ने राज्य प्रशासन में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत किया था। जो केन्द्र के सम्बन्ध में वास्तविकता है, वह राज्यों पर भी लागू होनी चाहिए। भारत का अस्तित्व राज्यों पर निर्भर है। सभी निवेश, जो हम करना चाहते हैं अंततः राज्यों में ही होते हैं। अगर राज्य प्रशासन पानी, भूमि तथा अन्य सुविधायें शीघ्रता से प्रदान नहीं करता, तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस नई आर्थिक नीति के इच्छित परिणाम नहीं निकलेंगे। अतः, यहां केन्द्र और राज्य, सभी प्रकार की सत्ताओं को मिलकर काम करने की चुनौती है। भारत के सामने बड़े अवसर हैं की लेकिन अगर हम साथ-साथ नहीं चले तो, हमें बड़े-बड़े जोखिमों का भी सामना करना पड़ सकता है।

अपनी बात समाप्त करते हुए महोदय मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य याद आ रहा है जो स्वर्गीय राजनीतिज्ञ डा० एस० राधाकृष्णन ने उस समय कहा था जब उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था। उसी वर्ष मैंने स्नातक की उपाधि ली थी। उन्होंने कहा था कि "अब समय आ गया है जब इस राष्ट्र को अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।" उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने 1929 में लिखी थी, से एक दोहा उद्धृत किया। मैं कालकी "दि फयूचर ऑफ सिविलाइजेशन" से उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमारी बुराइयों में भी बहुत सी अच्छाइयां हैं और हमारी अच्छाइयों में भी इतनी बुराइयां हैं कि हम में से किसी के लिए भी यही उचित होगा कि हम अपने दोषों को देखें।"

देश को आज अपनी उस क्षमता को, जो उसमें मौजूद है, असली जामा पहनाने के लिए एक साथ काम कर रही सभी राजनीतिक पार्टियों को समन्वय की, सौहार्द की एक नई भावना की

जरूरत है । देश आगे बढ़ रहा है । इन अवसरों का हम किस सीमा तक फायदा उठाते हैं, यह बहुत कुछ इस सभा के सदस्यों के प्रत्युत्तर पर निर्भर करता है । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए इस सभा के सभी सदस्यों को आमन्त्रित करता हूं । (**व्यवधान**)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : आप शुल्क-आयोग के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप इसे बनाने जा रहे हैं (**व्यवधान**)

**श्री राम नाईक** (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने मुम्बई के दंगों के कारण हुए राजस्व घाटे का अनुमान लगभग 5,000 करोड़ रुपये बताया है । उसके बाद भी वहां कई बम-विस्फोट हुए हैं । इन बम-विस्फोटों से देश का कितना नुकसान हुआ है, क्या इसके कोई आंकड़े हैं ?···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वित्तमंत्री महोदय से प्रश्न पूछने की अनुमति दी है न कि श्री मणि शंकर अय्यर से ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, अनेक सदस्यों ने शेयरों के उपनिवेश के बारे में और विशेष तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव के बारे में एक प्रश्न उठाया है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अलावा, वित्त मन्त्री महोदय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में शेयरों के उपनिवेश का कोई हवाला नहीं दिया गया है क्योंकि हम समझते हैं और हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बहुत से शेयरों को उन उचित मूल्यों पर भी नहीं बेचा गया है जो उनके लिए होने चाहिए थे । इसीलिए हम इन बैंकों के बारे में बहुत चिंतित हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इस पर सरकार की नीति क्या है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : मैं वित्त मन्त्री महोदय से उन उपायों के बारे में जानना चाहता था, जो उन्होंने मुद्रास्फीति के नियन्त्रण और विकास की गति बढ़ाने के लिए बताये हैं । बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि बेरोजगारी बहुत ऊंची दर से बढ़ रही है और वह युवा वर्ग के लिए बड़ी चिन्ताजनक बात है ।

दूसरे, उन्होंने हमें चर्चा के लिए आमन्त्रित किया है । वह इस बात से भी सहमत है कि हमारे देश में जो निवेश तेजी से होने चाहिए उनमें नौकरशाही के कारण हुए बिलम्ब और शीघ्र प्रत्युत्तर के कारण रुकावट आ रही है । मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : वित्त मन्त्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में सुधार आया है । अगर यह सच है तो फिर अब सरकार यह कहने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के लिए अगले दौर की बातचीत नहीं कर रहे हैं और इसका विचार छोड़ रहे हैं ।

[**हिन्दी**]

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमेरिकन सर्विसेज इंडस्ट्री—इन्श्योरेंस कम्पनी को खासतौर से एंटर नहीं करने देगी ? जहां तक

इन्फलेशन या महंगाई कम होने की बात है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पत्नी इससे सहमत है कि महंगाई कम हुई है ?

[अनुवाद]

**श्री चेतन पी० एस० चौहान** (अमरोहा) : महोदय, एक वर्ष से भी अधिक समय से सात से अधिक बैंक बिना किसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों के बिना काम कर रहे हैं। यह 250 लाख करोड़ का उद्योग है, जिसकी उपेक्षा की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के साथ-साथ ये बैंक कैसे मुख्य अधिकारियों के बगैर काम कर रहे हैं। साथ ही मैं भारतीय ग्रामीण बैंक का शीघ्र गठन भी चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने किसानों एवं साथ-साथ खाद की बात कही। क्या प्रधानमंत्री जी इस पर स्वयं कुछ विचार कर रहे है? क्या कोई रास्ता निकलने वाला है ? उसके साथ ही आपने डम्पिंग के बारे में जिक्र किया है। कहा कि हमारे पास अच्छे कायदे हैं जिसकी जहां तक हमें जरूरत है, वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दो-तीन महीनों से खाद बनाने वाले कारखाने—विशेषकर डी०ए०पी० के कारखाने जिसमें इफ्फिको शामिल है—बन्द हो चुके हैं। जिसमें हजारों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, वह बात अलग है जिसकी चर्चा फिर कभी होगी लेकिन इस मामले में इस सदन में एक प्रश्न उठाया था। साथ ही मैंने कामर्स मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था और दो रोज पहले ही उनका जवाब लिखित रूप से मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया हमारे पास कायदे हैं लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया है। जहां तक खाद का सवाल है इसके लिए हमारे पास लिखित रूप से शिकायत नहीं आई है। हो सकता है मेरे पत्र को यहां सदन में उठाने की शिकायत न हो और उसके लिए कोई ऐसी डैजिगनेट अथारिटी कानून पर अमल करने वाली है लेकिन शिकायत करने के लिए कोई डैजिगनेट अथारिटी हो तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने वह कानून नहीं पढ़ा। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका में जो डी०ए०पी० खाद 260 डालर प्रति टन बिक रही है, वह यहां पर पिछले 2-3 महीने 160 डालर प्रति टन बिकवाने का कार्य डम्पिंग के रूप में कर रहा हूं। आपकी तरफ से आज इस क्षण में छोटा-सा अमल नहीं उठाया गया है तो आप 11 महीने हो या 11 साल चलाने की कोशिश में क्या न हों तो बात अलग है। फिर भी समय नहीं मिलेगा। अभी तक आपके हाथ में ढाई साल अधिकार रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में इतने हमारे उद्योग—विशेषकर ग्रामीण और किसान के साथ जुड़े हुए खुद उद्योग को बरबाद करने और डम्पिंग करने का काम अमेरिका चला रहा है।

वहां पर काहे के लिए आपकी तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कारंवाई नहीं हुई है।

**श्री हाराधन राय** (आसनसोल) : अध्यक्ष जी, हम यह पूछना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और उसमें कोई इनवेस्टमेंट नहीं किया गया। कई सिक यूनिटस को बंद किए जाने की नौबत है और उस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है तथा लाखों मजदूर अभी छंटाई के रास्ते पर हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? मंत्री जी की बड़ी तारीफ होती है मगर मजदूरों को बचाने के लिए और देश की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए वह क्या कर रहे हैं यह उनको बताना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**डा० कार्तिकेश्वर पात्र** (बालासोर) : महोदय, सिर्फ एक बात ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आप सत्तापक्ष से हैं, आपको जवाब देना है ।

**डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : महोदय, केन्द्रीय आबंटन के बंटवारे के सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है । उदाहरण के लिए प्रधान मन्त्री महोदय ने धनराशि प्रदान की लेकिन उसे भली प्रकार प्रयोग में नहीं लाया गया और किसी अन्य क्षेत्र के लिए दे दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब जो नई बातें उठाई गई हैं, उनका जवाब देना मंत्री महोदय के लिए संभव नहीं है । अगर सभा में मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में किसी प्रकार की शंका है, तो उनका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ।

**श्री मनमोहन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न बातें उठाई हैं, उनका स्पष्टीकरण देने में मुझे खुशी होगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के उपनिवेश का मामला उठाया है। अपने बजट भाषण में मैंने बताया था कि अगर सभी अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों को चुकाना है, तो सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए इस वर्ष के बजट में मैंने 5,700 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट से किया है । बजट के और भी अनेक दावे हैं । हमारे ग्रामीण विकास के दावे हैं, कृषि संबंधी दावे हैं, हमें इस पर विचार करना कि क्या इन सरकारी क्षेत्र के संसाधनों का गरीबी दूर करने के लिए प्रयोग किया जाए अथवा पूंजी बढ़ाने के लिए ताकि बैंकिंग व्यवस्था के ये घाटे, जो जीवन की एक वास्तविकता है, को पूरा किया जा सके । इस प्रकार से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकारी क्षेत्र के अनिवार्य रूप को बनाये रखते हुए हमें इस सीमा तक बैंकों को अनुमति देनी चाहिए लेकिन सभी बैंक इसका फायदा नहीं उठा सकते बल्कि वही बैंक जिनके पास साख है—बाजार में जाकर उस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए वे चाहते हैं संसाधन प्राप्त करने की क्षमता है इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने ठोस योजना तैयार नहीं की है । हमें माननीय सदस्यों के साथ ठोस योजना पर चर्चा करने में बहुत प्रसन्नता होगी । हम उनके दिशानिर्देश और अनुभव से फायदा उठाना चाहते हैं । यही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शेयर-पूंजी के अंश के उपनिवेश की पृष्ठभूमि है । इसीलिए श्री चन्द्रजीत यादव यह मामला लाए ।

**एक माननीय सदस्य** : बैंकों के निजीकरण का क्या मामला है ?

**श्री मनमोहन सिंह** : मैंने कहा है कि नए निजी क्षेत्र के बैंक कुछ कठोर शर्तों के साथ प्रवेश कर सकते हैं । उनके पास 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए तथा पूंजी अथवा सामूहिक रूप से पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व उनके पास नहीं होना चाहिए । हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण समाप्त करने की कोई मंशा नहीं है । इन सभी बैंकों में, कम से कम 51% शेयर सरकारी क्षेत्र में होंगे । इस प्रकार उनका सरकारी क्षेत्र का स्वरूप बनाया रखा जाएगा ।

मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में वृद्धि के सम्बन्ध में सभा की चिन्ता से मैं सहमत हूं । लेकिन भविष्य में अर्थव्यवस्था के तेज विकास, औद्योगिक विकास जो रोजगारोन्मुखी है, कृषिगत विकास, जो

कृषि आधारित प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न करता है, के आधार के बिना हम किस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने जा रहे हैं ? उसी की व्यवस्था मुख्यतः इस बजट में की गई है। हमारी रणनीति यह नहीं कहती कि विकास से बेरोजगारी की सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। इसी वजह से हम निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों को मजबूत कर रहे हैं। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 11,000 मिलियन कार्य दिवस उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ जवाहर रोजगार योजना के आवंटन में अधिक वृद्धि की गई है। इसी कारण

6.00 म० प०

हमने कम से कम 3.5 लाख ग्रामीण मजदूरों को स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। विकास की समस्या अथवा बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमें विकास की दर बढ़ानी पड़ेगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विकास का पैटर्न ऐसा हो कि यह रोजगारोन्मुख उद्योगों के निर्माण पर बल दे। मुख्यतः वही उद्देश्य हमारे देश में सुरक्षा के घटते हुए स्तर, औद्योगिक प्रक्रियाओं में पूंजी आधिक्य का घटते हुए स्तर का है।

तीसरा मामला जो श्री चन्द्रजीत यादव ने उठाया है, वह नौकरशाही के कारण हुए विलंब के बारे में है। हम उनकी चिंता में सहभागी हैं। इसी वजह से अपने बजट भाषण में मैंने कहा है कि इस वर्ष हमने सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के सभी विभागों को अपनी प्रक्रियाओं, नियमों तथा अन्य कार्यकलापों, जो आर्थिक सुधारों को तीव्रता से लागू करने के रास्ते में आते हैं, का पुनरावलोकन करने के लिए विशेष समूह गठित करने के लिए कहा है। उसको हमारी सरकार ने शुरू किया है। वह प्रक्रिया जारी है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के अन्त तक हम नौकरशाही से होने वाले विलंब को कुछ कम करने में सफल होंगे।

मेरे विचार में इस ओर से किसी ने मामला उठाया था कि जब हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, तो फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पास जाने की क्या जरूरत है। आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में स्पष्टवादी होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी खराब मौसम जैसे आन्तरिक खतरों, और तेल की कीमतों का बढ़ना जैसे बाहरी खतरों के रहते हुए बहुत असुरक्षित है। अतः मैं महसूस करता हूं कि यह देश के हित में होगा कि बाहरी खतरों से निबटने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाया जाए, जिससे यदि हम मुश्किल में पड़ जायें तो हम भुगतान संतुलन की मदद से स्थिति को संभाल सकें। अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति आ जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में हमें कोई ऐसी शर्त नहीं माननी चाहिए जिसमें हमें अपनी आर्थिक सार्वभौमिकता के साथ किसी प्रकार का समझौता करना पड़े।

फिर, जहां तक बैंक-चेयरमैनों का संबंध है। बैंक-चेयरमैनों के चुनाव के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में हम विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक विकल्प है राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का। मैं आशा करता हूं कि आगामी दो-तीन महीनों में हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढ़ लेंगे। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने डी०ए०पी० मूल्य का मुद्दा उठाया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसके लिए नोडल मंत्रालय ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। क्या आपको इसकी चिन्ता नहीं है ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्री मनमोहन सिंह** : मैं अपनी पत्नी के साथ इन मसलों पर चर्चा नहीं करता, इसलिए मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या आपकी उनके साथ बोलचाल बंद है। (**व्यवधान**)

**श्री मनमोहन सिंह** : विदेशी माल के अम्बार लगाये जाने को रोकने संबंधी उपायों के बारे में, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को बताना चाहूंगा कि इसके लिए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्रालय की है। मुझे विश्वास है कि विदेशी माल का अम्बार लगाए जाने के बारे में मिली शिकायत पर वाणिज्य मंत्रालय उचित कार्यवाही करेगा।

लेकिन मैं समझता हूं कि विदेशी माल के सस्ते होने और देश में उसका अम्बार लगाने के बीच भेद किया जाना चाहिए। आज हमारे देश में डी०ए०पी० मूल्य—यदि आप देश में इसका उत्पाद करते हैं—तो 9500 रुपये प्रति टन है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यही वस्तु 6000 रुपये प्रति टन पर उपलब्ध है। ऐसे में क्या हमें अपने किसानों पर यह भार डालना चाहिए कि वह खाद को 9500 रुपये प्रति टन की दर से ही खरीदें ? इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**श्री जॉर्ज फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, वही डी०ए०पी० अमरीका अपने देश में जहां उसको पैदा करता है 260 डॉलर प्रति टन बेचता है। वहां से हिन्दुस्तान में लाने का जो लागत खर्च है, वह सब जोड़कर 160 प्रति टन में वह वहां डम्प करता है, यह है मेरी शिकायत।

[अनुवाद]

**श्री मनमोहन सिंह** : महोदय, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि अमरीका अपने यहां क्या करता है। मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के किसानों को खाद सस्ते दामों पर मिले (**व्यवधान**) और इसी कारण हम किसानों के हितों की कीमत पर उद्योग को सुरक्षित रखने के पक्ष में नहीं। किसानों के हितों को तरजीह देनी ही होगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : अध्यक्ष जी, आपके कारखाने बन्द होंगे और अमरीका दूसरे दिन दाम बढ़ा देगा।...(**व्यवधान**)

**श्री नीतीश कुमार** : एंटी-डम्पिंग लॉ क्या है, यह बता दीजिए ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्लास रूम के जैसे नहीं चलेगा।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : सभा रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 16 से 22 पर चर्चा और मतदान करेगी, इसके लिए कल 5 घंटे का समय दिया गया है।

इस समय सभा में जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, यदि वे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह इसकी स्लिप दे दें। इन्हें इन मांगों पर चर्चा के 15 मिनट बाद लिया जाएगा। वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत माने जायेंगे।

प्रस्तुत समझे गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी।

यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई विसंगति पाता है, तो वह इसकी जानकारी बिना अविलम्ब टेबिल-आफीसर को दे सकता है।

सभा कल मंगलवार 27 अप्रैल, 1993 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

**6.07 म०प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 अप्रैल, 1993/7 वैशाख, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली।